

हिन्दी
21

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर समूर्ण वाइमय

डॉ. अम्बेडकर - केंद्रीय विधानसभा में (2)



बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाइमय

खंड-21



डॉ. अम्बेडकर - केंद्रीय विधानसभा में (2)





बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

जन्म : 14 अप्रैल, 1891

परिनिवारण 6 दिसंबर, 1956

बाबासाहेब

डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाडमय

खंड 21

डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड 21

डॉ. अम्बेडकर – केंद्रीय विधानसभा में (2)

पहला संस्करण : 2003

दूसरा संस्करण : 2013 (जनवरी)

तीसरा संस्करण : 2013 (फरवरी)

चौथा संस्करण : 2013 (अप्रैल)

पाचवां संस्करण : 2013 (जुलाई)

छठा संस्करण : 2013 (अक्टूबर)

सातवां संस्करण : 2014 (फरवरी)

आठवां संस्करण : 2016

नौवां संस्करण : 2019 (जून)

दसवां संस्करण : 2020 (अगस्त)

ISBN :978-93-5109-170-7

© सर्वाधिकार सुरक्षित

आवरण परिकल्पना : डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

पुस्तक के आवरण पर उपयोग किया गया मोनोग्राम बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के लेटरहेड से साभार

ISBN (सेट) : 978-93-5109-149-3

रियायत नीति के अनुसार सामान्य (ऐपरबैक) 1 सेट (खंड 1–40) का मूल्य: रु 1073/-
रियायत नीति (Discount Policy) संलग्न है।

प्रकाशक:

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

15 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001

फोन : 011–23320571

जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011–23320588

वेबसाइट :<http://drambedkarwritings.gov.in>

Email-Id :cwbadaf17@gmail.com

मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लिमि., W-30 ओखला, फेज-2, नई दिल्ली-20

परामर्श सहयोग

डॉ. थावरचन्द्र गेहलोत

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भारत सरकार
एवं
अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री रामदास अठावले

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री कृष्णपाल गुर्जर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री रतनलाल कटारिया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री आर. सुब्रह्मण्यम

सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार

सुश्री उपमा श्रीवास्तव

अतिरिक्त सचिव एवं सदस्य सचिव,
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

निदेशक
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

डॉ. बृजेश कुमार

संयोजक, सी.डब्ल्यू.बी.ए.
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सकलन (अंग्रेजी)

श्री वसंत मून

संपादक

श्री ओम प्रकश कश्यप

अनुवादक

श्री पूरनपाल

श्रीमती उषा गोयल

श्रीकृष्ण गोपाल अग्रवाल

पुनरीक्षक

श्री आर.डी. निम

संपादक सहयोग

श्री विनय कुमार जैन

डॉ. थावरचन्द गेहलोत
DR. THAAWARCHAND GEHLLOT
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA



कार्यालय: 202, सी विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली-110115

Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
 New Delhi-110115

Tel. : 011-23381001, 23381390, Fax : 011-23381902

E-mail : min-sje@nic.in

दूरभाष: 011-23381001, 23381390, फैक्स: 011-23381902

ई-मेल: min-sje@nic.in



संदेश

स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकाण्ड विद्वान्, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद्, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। वे शोषितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी सामाजिक न्याय के लिये संघर्ष के प्रतीक हैं। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान अनुलेनीय है।

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के लेख एवं भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन-सूत्र हैं। भारतीय समाज के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व में जहां कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिये डॉ. अम्बेडकर जी का दृष्टिकोण और जीवन-संघर्ष एक उत्तम पथ प्रशस्त करता है। समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण, बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिये बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने देश की जनता का आह्वान किया था।


बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने अस्पृश्यों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को जो महत्वपूर्ण संदेश दिये, वे एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिये अनिवार्य दस्तावेज़ हैं। तत्कालीन विभिन्न विषयों पर डॉ. अम्बेडकर जी का चिंतन-मनन और निष्कर्ष जितना उस समय महत्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक हो गया है। बाबासाहेब की महत्तर मेधा के आलोक में हम अपने जीवन, समाज राष्ट्र और विश्व को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। समता, बंधुता और न्याय पर आधारित बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के स्वप्न का समाज-'सबका साथ सबका विकास' की अवधारणा को स्वीकार करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान द्वारा, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, "बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर : सम्पूर्ण वांगमय" के खण्ड 1 से 21 तक के संस्करणों को, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायियों और देश के आम जन-मानस की मांग को देखते हुये पुनर्मुद्रण किया जा रहा है।

विद्वान् पाठकगण इन खण्डों के बारे में हमें अपने अमूल्य सुझाव से अवगत करायेंगे तो हिंदी में अनुदित इन खण्डों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

(डॉ. थावरचन्द गेहलोत)

बाबासाहेब अम्बेडकर के सम्पूर्ण वाइमय (Complete CWBA Vols.) का विज्ञेयन



हिंदी और अंग्रेजी में CWBA / सम्पूर्ण वाइमय, (Complete Volumes) बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संग्रहित कार्यों के संपूर्ण खंड, डॉ. थापरचंद गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, और अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। साथ ही डॉ. देवेन्द्र प्रसाद माझी, निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान और श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हिंदी के खंड 22 से खंड 40 तक 2019 में पहली बार प्रकाशित हुए हैं।

उपमा श्रीवास्तव, आई.ए.एस.
अपर सचिव
UPMA SRIVASTAVA, IAS
Additional Secretary



भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Tel. : 011-23383077 Fax : 011-23383956
E-mail : as-sje@nic.in

प्राक्तथन

भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भारतीय सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन के ऐसे पुरोधा रहे हैं। जिन्होंने जीवनपर्यात् समाज के आखिरी पायदान पर संघर्षरत् व्यक्तियों की बेहतरी के लिए कार्य किया। डॉ. अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे इसलिए उनके लेखों में विषय की दार्शनिक शीर्षांसा प्रस्फुटित होती है। बाबासाहेब का चितन एवं कार्य समाज को बोक्षिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समृद्धि की ओर ले जाने वाला तो है ही, साथ ही मनुष्य को जागरूक मानवीय गरिमा की आध्यात्मिकता से सुसंस्कृत भी करता है।

बाबासाहेब का संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति की शौर्य-गाथा है। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण और जाति का आधार नहीं बल्कि समता व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुजाइश न हो। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति कृतसंकल्प बाबासाहेब का लेखन प्रबुद्ध मेधा का प्रामाणिक दस्तावेज़ है।

भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्णव्यवस्था से डॉ. अम्बेडकर कई बार टकराए। इस टकराहट से डॉ. अम्बेडकर में ऐसा जज्बा पैदा हुआ, जिसके कारण उन्होंने समतावादी समाज की संरचना को अपने जीवन का मिशन बना लिया।

समतावादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता के कारण डॉ. अम्बेडकर ने विभिन्न धर्मों की सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन व तुलनात्मक चिंतन-मनन किया।

मैं प्रतिष्ठान की ओर से माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सदप्रार्थ एवं प्रेरणा से प्रतिष्ठान के कार्यों में अपूर्व प्रगति आई है।

उपमा श्रीवास्तव
(उपमा श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार, एवं
सदस्य सचिव

प्रस्तावना

बाबासाहेब डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर एक प्रखर व्यक्तित्व, ज्ञान के प्रतीक और भारत के सुपुत्र थे। वह एक सार्वजनिक बौद्धिक, सामाजिक क्रांतिकारी और एक विशाल क्षमता संपन्न विचारक थे। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के व्यावहारिक विश्लेषण के साथ-साथ अंतःविषयक दृष्टिकोणों को अपने लेखन और भाषणों के माध्य से प्रभावित किया जो बौद्धिक विषयों और भावनाओं को अभिव्यक्त एवं आंदोलित किया। उनके लेखन में वंचित वर्ग के लोगों के लिए प्रकट न्याय और मुक्ति की गहरी भावना है। उन्होंने न केवल समाज के वंचित वर्गों की स्थितियों को सुधारने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, बल्कि समन्वय और 'सामाजिक समरसता' पर उनके विचार राष्ट्रीय प्रयास को प्रेरित करते रहे। उम्मीद है कि ये खंड उनके विचारों को समकालीन प्रासंगिकता प्रदान कर सकते हैं और वर्तमान समय के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर के पुनःपाठ की संभावनाओं को उपरिथित कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत के साथ-साथ विदेशों में भी जनता के बीच बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर की विचारधारा और संदेश के प्रचार-प्रसार हेतु स्थापित किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में प्रतिष्ठान के शासी निकाय के एक निर्णय के परिणामस्वरूप, तथा पाठकों की लोकप्रिय माँग पर डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब अम्बेडकर के हिंदी में संपूर्ण वांगमय (Complete CWBA Volumes) का दूसरा संस्करण पुनर्मुद्रित कर रहा है।

मैं संयोजक, अनुवादकों, पुनरीक्षकों, आदि सभी सहयोगियों, एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान में अपनी सहायक, कुमारी रेनू और लेखापाल, श्री नन्दू शॉ के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी निष्ठा एवं सतत प्रयत्न से यह कार्य संपन्न किया जा सका है।

विद्वान एवं पाठकगण इन खंडों के बारे में सुझाव से डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को उसकी वैधानिक ई-मेल आईडी. cwbadaf17@gmail.com पर अवगत कराएं ताकि, अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकें।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान हमेशा पाठकों को रियायती कीमत पर खंड उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करता रहा है, तदनुसार आगामी संस्करण का भी रियायत नीति (Discount Policy) के साथ बिन्दी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रत्येक खंड के साथ प्रतिष्ठान की छूट नीति को संलग्न कर दिया गया है। आशा है कि ये खंड पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

श्रीमति देबेन्द्र प्रसाद माझी

(डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी)

निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार,

व्यक्तिगत स्तर पर मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं नहीं मानता कि इस देश में किसी विशेष संस्कृति के लिए कोई जगह हैं, चाहे वह हिंदू संस्कृति हो, या मुस्लिम संस्कृति, या कन्नड़ संस्कृति, या गुजराती संस्कृति। ये ऐसी चीजें हैं, जिन्हें हम नकार नहीं सकते, पर उनको वरदान नहीं मानना चाहिए, बल्कि अभिशाप की तरह मानना चाहिए, जो हमारी निष्ठा को डिगाती हैं और हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। यह लक्ष्य है, एक ऐसी भावना को विकसित करना कि हम सब भारतीय हैं।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

विषय सूची

संदेश	v
प्रावक्थन	vii
प्रस्तावना	viii
अस्वीकरण	ix
1. प्रश्न तथा उत्तर (311 से 472)	1 — 195
2. अनुक्रमणिका	197— 199
रियायत नीति (Discount Policy)	

*कोयला खानों में काम करने वाले खनिकों के बच्चों की देखभाल के प्रबंध

1057. श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 21 फरवरी, 1995 को तारांकित प्रश्न संख्या 436 के दिए गए उत्तर के समय से खनिकों के बच्चों और अल्प आयु के शिशुओं की देखभाल के लिए व्यवस्था के बारे में सरकार को क्या सूचना प्राप्त हुई है;
- (ख) प्रश्न के अनुपूरक प्रश्नों में उठाए गए मुद्दों के बारे में सरकार को क्या सूचना प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या खनिकों के अल्प आयु के शिशुओं और बच्चों को निःशुल्क दूध की सप्लाई की जाती है; यदि हाँ तो प्रत्येक बच्चे को उसकी आयु के अनुसार कितना दूध दिया जाता है, और यदि नहीं तो दूध न दिए जाने के क्या कारण हैं?

माननीय डा. बी. आर. अम्बेडकर : (क) और (ख); मुझे अभी तक सभी मामलों में रिपोर्ट नहीं मिली है परन्तु सर्वप्रथम यह स्पष्ट करूँगा कि महिलाओं को भूमिगत स्थलों में काम करते समय अपने शिशुओं को अपने साथ ले जाने की नितांत निषेधाज्ञा है और महिलाओं को भी शिशु जन्म के बाद 4 सप्ताह तक भूमिगत स्थलों में काम करने की निषेधाज्ञा है।

महिला श्रम कल्याण अधिकारी द्वारा कुछ सप्ताह पूर्व पूछताछ की गई और यह विदित हुआ कि महिलाएं प्रसव के अधिक दिन बीत जाने पर सामान्य रूप से भूमिगत स्थलों में नहीं जाती और मैंने एक विधेयक प्रस्तुत किया है जो अधिक लाभ प्राप्त करेगा और महिलाओं को शिशु के जन्म की प्रत्याशित तारीख से पूर्व 10 सप्ताह के लिए भूमिगत स्थलों में काम करने के लिए निषेधाज्ञा है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), 1945 का खण्ड 1, 26 मार्च, 1945, पृष्ठ 2006.

अभी तक मैंने निश्चित रूप से यह पता लगाया है कि माताओं को नियमित अंतराल पर अपने शिशुओं को दूध पिलाने के लिए खान की सतह पर आने की सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं परन्तु महिला श्रम अधिकारी बताती है कि उन महिलाओं की यह प्रवृत्ति है जो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर काम पर आती हैं, वे अपने घरों को बापस जाने के लिए कुछ पहले की खानों को छोड़ देती हैं।

(ग) कुछ ही खानों के मामले में सरकार खनन क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के संबंध में अधिक संभावनाओं की जांच कर रही है।

प्रो. एन. जी. रंगा : उन माताओं के लिए उस प्रवृत्ति के संबंध में, जिन्होंने अपने बच्चों को घर पर छोड़ दिया है तथा खानों से कुछ पहले अपने घर लौटना चाहती हैं, क्या उन्हे अपनी मजदूरी में कोई हानि उठानी पड़ती है क्योंकि उन्होंने खानों को कुछ समय पूर्व छोड़ा है अथवा उन्हें किसी वेतन हानि के उठाए बिना खानों को कुछ समय पूर्व छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उन्हें अनुमान से एकमुश्त भुगतान किया जाता है; यह उजरती काम होता है।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : वे लगातार एक साथ कितने घंटे कार्य करती हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह उजरती काम है; वे कभी भी आ सकती हैं और कभी भी जा सकती हैं।

312

*असम परियोजनाओं पर भेजे गए चाय बागानों के मजदूर

1313. दीवान अब्दुल बासिथ चौधरी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि चाय बागानों के प्रबंधकों द्वारा अनेक व्यक्तियों को असम की परियोजनाओं में मजदूरों के रूप में भेजा गया है;

(ख) क्या माननीय सदस्य इस तथ्य से भी अवगत हैं कि उन अनेक मजदूरों के आश्रितों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है जिन्होंने परियोजना के कार्य में लगे रहने पर अपने प्राण गंवा दिए;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1945, 26 मार्च, 1945, पृष्ठ 2007

(ग) क्या यह सच है कि मृत परियोजना कामगारों के आश्रितों को जहां कहीं भी मुआवजा दिया गया है, वह राशि 200 रु. से 300 रुपए की राशि है? क्या यह राशि पर्याप्त समझी जाती है;

(घ) क्या माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि इन अभागे मजदूरों के आश्रितों को मुआवजे की राशि प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ङ) क्या माननीय सदस्य यह प्रस्ताव करना चाहेंगे कि परियोजनाओं में लगे मजदूरों की मौत हो जाने पर उनमें आश्रितों को पर्याप्त मुआवजे की राशि अदा की जाए; और

(च) क्या वह इस वांछनीयता पर भी प्रस्ताव करना चाहेंगे कि चाय बागान कार्यालय के बजाय सब डिवीज़नल कार्यालय द्वारा मुआवजे की राशि अदा की जाए?

माननीय डा. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी, हाँ।

(ख) यह सूचना सही नहीं है। भारत सरकार ने अपने युद्ध विभाग में उन सभी मजदूरों को मुआवजे के भुगतान करने के लिए निर्देश दिए हैं जिन्हें इंडियन टी एसोसियेशन (कुछ अन्य वर्गों के मजदूरों को छोड़कर) ने भर्ती किया था और जो असम में युद्ध परियोजनाओं में अपने रोजगार के फलस्वरूप प्राण गवां बैठे अथवा घायल हो गए। प्रवासी श्रमिकों के नियंत्रक ने श्रमिकों के दावों के समाधान के लिए कामगार मुआवजा आयुक्त की नियुक्ति की है। उन्होंने गत दो वर्ष में 4000 से अधिक मामलों में मुआवजा अदा किया है। उन्हे इंडियन टी एसोसिएशन के मजदूरों की ओर से 28 फरवरी, 1945 तक मुआवजे के लिए 2,612 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 2, 309 मामलों में मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। इनमें से 217 मामले रद्द कर दिए गए हैं और अभी 86 मामलों की जाँच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) ऐसे सभी मामलों में, जो कामगार मुआवजा अधिनियम के कार्यान्वयन के अधीन आते हों, कामगार मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत दरों के अनुसार मुआवजा अदा किया जाता है और अन्य मामलों में अनुग्रह भुगतान के रूप में मृत्यु हो जाने पर 900 रुपए प्रति व्यक्ति तथा पूण रूप से विकलांग होने की दशा में 1200 रुपए प्रति व्यक्ति अदा किए जाते हैं। सर्वप्रथम 300 रुपए तक प्रारंभिक भुगतान किया जाता है। माननीय सदस्य प्रत्यक्षतः इसी प्रारंभिक भुगतान का उल्लेख कर रहे हैं।

(घ) यदि एकमुश्त राशि में मुआवजे की राशियां अदा की जाती हैं तो यह भुगतान टी एस्टेट के प्रबंधकों के उपायुक्तों द्वारा किया जाता है यदि उनके आश्रित

टी स्टेट में ही रहते हों। यदि भुगतान किए जाने वाले व्यक्ति अल्प आयु के हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जो अधिक राशियों के ले जाने में अक्षम हैं तो श्रमायुक्त, असम द्वारा इन राशियों को डाकघर में जमा कर दिया जाता है और इन राशियों में से डाकघर से मनीआर्डर द्वारा समय-समय पर किस्तों में धन भेजा जाता है। प्रारंभिक अवस्थाओं में डाकघर में राशियों के जमा करने तथा उन्हें भिजवाने में कुछ देर हो गई क्योंकि डाक विभाग इतनी अधिक राशियों के निवेश को संभालने में सक्षम न था परन्तु अब विधिवत रूप से राशियां प्रेषित की जा रही हैं।

(ड) जैसा कि इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कहा गया है, कामगार मुआवजा अधिनियम के अधीन मामलों में भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की दरें वे हैं जो इस अधिनियम की अनुसूची में दी गई हैं। अन्य मामलों में मृत्यु की स्थिति में 900 रुपए और स्थाई विकलांग होने की स्थिति में 1200 रुपए की राशि के भुगतान का प्रावधान इस अधिनियम में उस मजदूर के लिए स्वीकार्य है जिसे इसी प्रकार की नकद परिलब्धियां प्राप्त होती हैं। मुआवजे की इन दरों को पर्याप्त समझा जाता है।

(च) अधिकांश मामलों में आश्रित लोग अल्प आयु के व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जो अधिक राशियों के ले जाने में सक्षम नहीं होते। इन मामलों में निवेशित राशि डाक मनीआर्डर द्वारा किस्तों में भेजी जाती है। टी एस्टेट के उपायुक्तों और प्रबंधकों द्वारा केवल प्रारंभिक भुगतान और एकमुश्त राशि के भुगतान किए जाते हैं। यह राशि कुछ ऐसे मामलों में टी स्टेट के प्रबंधकों को भेजी जाती है जिनके आश्रित लोग टी स्टेट में रहते हैं। ऐसा करना आवश्यक समझा गया क्योंकि प्रबंधक आश्रित लोगों की पहचान कर सकेंगे, शीघ्र भुगतान करा सकेंगे तथा कामगार मुआवजा आयुक्त को राशि भेज सकेंगे। अभी तक यह पद्धति संतोषजनक रही है।

313

*असम परियोजनाओं से लौटे मजदूरों का स्वास्थ्य खराब

1314. दीवान अब्दुल बासिथ चौधरी : (क) क्या श्रम सदस्य इस बात से अवगत हैं कि क्या सौ मजदूर असम की परियोजनाओं से निर्माण कार्यों से अधिक अस्वस्थ दशा में लौट आए हैं;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), 1945 का खण्ड 1, 26 मार्च, 1945, पृष्ठ 2010

(ख) क्या वह इस तथ्य से भी अवगत हैं कि उनमें से अनेक मजदूर अब भी विभिन्न रोगों से पीड़ित हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि उनके उपचार के लिए अभी तक उपयुक्त प्रबंध नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि भाग (क) से (ग) तक के उत्तर सकारात्मक हैं तो क्या वह इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहेंगे कि इन अभागे मजदूरों की कठिनाइयों को संबंधित प्राधकारियों के पास आवश्यक समाधान के लिए भेजा जाए; और

(ङ) यदि भाग (क) से (ग) तक के उत्तर नकारात्मक हैं तो क्या वह जांच-पड़ताल करना चाहेंगे और इस जांच पड़ताल के परिणाम सभा के पटल पर रखना चाहेंगे?

माननीय डा. बी. आर. अम्बेडकर : (क) असम के उन अस्वस्थकर जंगलों में जहां युद्ध के कार्य चल रहे हैं; मलेरिया और कुछ अन्य रोग हो जाते हैं इसलिए कुछ मजदूर इन परियोजनाओं से अस्वस्थ होकर लौट आए। इसलिए इन रोगों के कारण जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई उन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुग्रह राशि अदा की गई क्योंकि कामगार मुआवजा अधिनियम के अधीन ऐसे तमाम मामलों में भुगतान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मुआवजा उन मजदूरों को भी दिया जाता है जो उन परियोजनाओं से लौटकर ऐसे रोगों से ग्रस्त होकर मर जाते हैं जो परियोजना स्थलों पर लगे थे।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) चाय बागान को लौटने वाले मजदूर ठीक उसी प्रकार चाय बागान के चिकित्सालयों में उपचार पाते हैं जैसा कि चाय बागान के मजदूर अपना उपचार कराते हैं और जो मजदूर गांव लौट जाते हैं, वे स्थानीय चिकित्सालयों में अपना उपचार कर सकते हैं। ऐसे मजदूरों के मामले में कोई अन्य चिकित्सीय प्रबंध व्यावहारिक नहीं हैं जो व्यक्तिगत रूप से अपने बागों और गाँवों में लौट आते हैं।

(घ) भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तरों की दृष्टि से यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पता किए गए तथ्यों को पहले ही बता दिया गया है।

314

*भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के कर्मचारियों की शिकायतें

1315. श्री अब्दुल क़्यूम : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के कर्मचारियों ने 20 दिसम्बर, 1944 और 24 जनवरी, 1944 को अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए;

(ख) इन अभ्यावेदनों में क्या -क्या शिकायतें की गईं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की अथवा करने का विचार है?

माननीय डा. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगे थीं -

(1) मूल मजदूरी में वृद्धि तथा 10 रुपये प्रति मास की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण।

(2) मंहगाई भत्ते में वृद्धि।

(3) अनाज की रियायती दरों पर सप्लाई।

(4) कार्य करने के घंटों में कमी।

(5) उजरती कामगारों की आकस्मिक छुटियों में वृद्धि।

(6) उजरती कार्य पद्धति का उन्मूलन, और

(7) उच्च और निम्न वर्गों में कर्मचारियों के वर्गीकरण की पद्धति का उन्मूलन तथा उच्च वर्ग के कर्मचारियों को जो अधिकार दिए जाते हैं, वे निम्न कोटि के कर्मचारियों को भी दिए जाने चाहिए।

(ग) भाग (ख) में दी गई मदें (2), (3), (5) और (7) विचाराधीन हैं। यहां वर्तमान आपात काल में अन्य मदों पर विचार करना संभव नहीं है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1945, 26 मार्च, 1945, पृष्ठ 2010

315

*भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के कर्मचारियों के लिए काम के घंटे

1316. श्री अब्दुल कल्यूम : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि-
- (क) भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के कर्मचारियों के लिए प्रति सप्ताह काम करने के घंटों की कुल संख्या क्या है;
- (ख) क्या बंगाल सरकार ने बंगाल सरकार के मुद्रणालयों के मजदूरों के काम करने के घंटों को बोनस सहित प्रति सप्ताह 40 घंटों तक घटा दिया है; और
- (ग) क्या सरकार का अपने मुद्रणालयों में काम करने के घंटे कम करने का प्रस्ताव है; यदि नहीं; तो क्यों?

माननीय डा. बी. आर. अम्बेडकर : (क) 48।

- (ख) काम करने के घंटे घटा कर 40 घंटे प्रति सप्ताह कर दिए गए हैं परन्तु कोई भी बोनस नहीं दिया गया है।
- (ग) वर्तमान आपातकालीन स्थिति में किसी भी कमी पर विचार नहीं किया जा सकता।

316

#भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के कर्मचारियों के वेतन-मान का संशोधन

1317. श्री अब्दुल कल्यूम : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या मुद्रणालय के कर्मचारियों को दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता जीवन निर्वाह लागत की असामान्य वृद्धि की तुलना में ठीक है;
- (ख) कलकत्ता स्थित मुद्रणालय के कर्मचारियों के वेतन में गत संशोधन कब किया गया था;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), 1945 का खण्ड 1, 26 मार्च, 1945, पृष्ठ 2010

वही।

(ग) क्या रेलवे और अन्य कर्मचारियों की तुलना में कलकत्ता स्थित सरकारी मुद्रणालय के कर्मचारियों को राशन और गैर-राशन की चीजों के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है; और

(घ) क्या सरकार का वेतनमान में संशोधन करने का विचार है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) महंगाई भत्ते की वर्तमान दरें कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रख कर निर्धारित की गई थीं और उनके संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) 1924 में। नए भर्ती हुए कर्मचारियों के वेतन की संशोधित दरें 1933 और 1934 में प्रारंभ की गई थीं।

(ग) जी हाँ। रेलवे कर्मचारियों की तुलना में उन्हें अधिक भुगतान करना पड़ता है परन्तु उन्हें स्वीकार्य रियायतें वहीं हैं जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को दी जाती है।

(घ) सरकार का यह प्रस्ताव नहीं है कि वर्तमान आपातकालीन स्थिति में कोई सामान्य संशोधन हाथ में लिया जाए।

317

*भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता में उजरती कामगारों को अवकाश-लाभ

1315. श्री अब्दुल कल्यूम : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बातने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या कलकत्ता के केन्द्रीय सरकार मुद्रणालय में उजरती कामगारों को अवकाश लाभ के वही अधिकार प्राप्त हैं जो वेतन-भोगी कर्मचारियों को प्राप्त हैं;

(ख) क्या दिल्ली और कलकत्ता के वेतन-भोगी कर्मचारियों को समान आकस्मिक अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का दिल्ली और कलकत्ता में स्थिति एक जैसी करने का विचार है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) नहीं।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) का खण्ड 1, 1945, 26 मार्च, 1945, पृष्ठ 2010

(ख) नहीं।

(ग) सभी भारत सरकार मुद्रणालयों में वेतन-भोगी कर्मचारियों को कैलेंडर वर्ष में 15 दिन तक का आकस्मिक अवकाश दिया गया है। भारत सरकार ने नई दिल्ली को सम्मिलित करते हुए दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के सेवकों के लिए जलवायु और अन्य परिस्थितियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश बढ़ाकर 20 दिन कर दिया गया है। आकस्मिक अवकाश की अधिकतम सीमा केवल कलकत्ता स्थित मुद्रणालय के कर्मचारियों के लिए नहीं बढ़ाई गई है।

318

*भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को कतिपय लाभ देने की वांछनीयता

1319. श्री अब्दुल कल्यूम : (क) क्या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को उच्च श्रेणी के कर्मचारियों की तुलना में कोई भी लाभ यथा सामान्य भविष्य निधि, स्थाई नौकरी, आवास, भत्ता, चिकित्सा अवकाश आदि पाने का अधिकार नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का उच्च श्रेणी के कर्मचारी में विशेषधिकारों को निम्न श्रेणी के कर्मचारी को भी देने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के कर्मचारियों को, जिन्हें 1928 के बाद नियुक्त किया गया है, छुटटी के दिनों में काम करने के एवज में मुआवजा अवकाश नहीं दिया जाता है;

(घ) क्या यह सच है कि केवल 25 प्रतिशत भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो अवकाश के दिन कार्यालय में उपस्थित रहते हैं और बन्द न होने वाले अवकाशों के दिनों में उपस्थित रहने के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो 1928 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को किन परिस्थितियों में मुआवजा छुटटी के लाभ से वंचित कर दिया जाता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) नहीं। वे चिकित्सा अवकाश के अधिकारी हैं। स्थायी निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों

के लाभ यथा पेन्शन, औसत वेतन पर अवकाश या अर्जित अवकाश और असाधारण अवकाश प्राप्त करने का भी अधिकार हैं। उन्हें आवास किराया भत्ता और अन्य विशेषाधिकार प्रदान करने का मामला विचाराधीन हैं।

(ग) जी हाँ।

(घ) मुआवजा अवकाश के एवज़ में उन्हे बन्द अवकाश के दिनों में काम करने के लिए समयोपरि भत्ता सामान्य दरों से 25 प्रतिशत अधिक दिया जाता है।

(ड) प्रशासकीय कारणों के कारण।

319

*विदेश में विद्यार्थियों को टेक्नीकल शिक्षा के लिए योजनाएं

1320. दीवान अब्दुल चौधरी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विद्यार्थियों को उच्च टेक्नीकल शिक्षा के लिए विदेश भेजने हेतु सरकार के समक्ष अलग-अलग दो योजनाएं हैं। यदि हाँ, तो दोनों योजनाओं की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या श्रम विभाग द्वारा प्रायोजित योजना शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग की योजना से भिन्न हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित योजना बोविन ट्रेनिंग योजना के समान हैं;

(घ) वे तकनीकी विषय क्या हैं जिनके बारे में सरकार सोचती है कि विदेश में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाए; प्रत्येक विषय के प्रशिक्षण के लिए क्या अवधि होगी;

(ड) सरकार ऐसे किन कार्यों के लिए उन सफल उम्मीदवारों को देने पर विचार कर रही है जो विदेश से वापिस आते हैं; और

(घ) क्या सरकार प्रत्येक प्रांत से नियत कोटा के आधार पर विद्यार्थियों का चयन करती है और विभिन्न समुदायों का अनुपात रखती है और यदि हाँ तो बंगाल और असम से कितने विद्यार्थी भेजे जाएंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) और (ख)। दों स्पष्ट योजनाएं हैं। पहली योजना यह है कि तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों में उच्च शिक्षा के लिए

* वही

विद्यार्थियों को विदेश भेजा जाए; दूसरी योजना यह है कि पहले ही से उद्योग में नौकर तकनीशियनों को अधिक प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाए अथवा औद्योगिक अथवा व्यावसायिक अनुभव के बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को विदेश में ट्रेनिंग हेतु भेजा जाए। पहली योजना का कार्यान्वयन शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग द्वारा किया जाता है और दूसरी योजना का कार्यान्वयन श्रम विभाग द्वारा किया जाता है।

(ग) प्रस्तावित योजना एक प्रकार से बोविन प्रशिक्षण योजना का विस्तार है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि उद्योग में अधिक महत्वपूर्ण पर्यवेक्षक पद के लिए उच्च तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए।

(घ) श्रम विभाग के अधीन जिन प्रशिक्षण योजनाओं पर विचार किया गया, वे इस प्रकार हैं : मेकेनिकल इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी, रेडियो निर्माण, जहाज निर्माण, वैज्ञानिक इंजीनियरी, समुद्री इंजीनियरी, सिविल इंजीनियरी, संरचनात्मक इंजीनियरी, धातु-कर्म, विद्युत-उत्पादन, लोकोमोटिव निर्माण, रसायनिक इंजीनियरी, उर्वरक, प्लास्टिक, कांच, स्टील निर्माण।

(ङ) यह सूची अन्तिम नहीं है और यदि आवश्यकता हुई तो इस प्रकार के प्रशिक्षण पर भी विचार किया जाएगा।

सामान्य तौर पर प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी परन्तु वैयक्तिक मामलों में यह अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

(घ) कोई भी कोटा आवंटित नहीं किया गया है। प्रान्तीय सरकारों को अपने नामांकन देने के लिए कहा गया है जिनके लिए उन्हें लागत पूरी करनी होगी। निजी नियोक्त अपने नामांकन कर रहे हैं। भारत सरकार इन नामांकनों में से अंतिम चुनाव करेगी।

320

*गुडूर डिवीजन में अभ्रक खानों में कामगार

1327. श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुडूर डिवीजन में अभ्रक खानों में भूमिगत स्थलों और सतह पर काम में लगाए गए पुरुष और महिला कामगारों की संख्या क्या है;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1945, 26 मार्च, 1945, पृष्ठ 2010

(ख) उनके दैनिक औसतन मजदूरी तथा मंहगाई भत्ता क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि वे अधिकांशतया उन ठेकेदारों के माध्यम से काम पर लगाए जाते हैं जो उनकी मजदूरी का प्रतिशत भाग लेते हैं; और यदि हाँ, तो इस पद्धति के चालू रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इन खानों की दशा के बारे में जांच करेगी और उसकी सूचना सभा को देगी; यदि हाँ तो कब?

माननीय डा. बी. आर. अम्बेडकर : (क) गुदूर क्षेत्र की अभ्रक खानों में काम पर लगाए गए पुरुष और महिला कामगारों की संख्या लगभग 7,000 और 4,000 है। किसी भी महिला को भूमिगत स्थल में कार्य करने की अनुमति नहीं है।

(ख) पुरुष के लिए औसत दैनिक मजदूरी 12 रुपए तथा महिला के लिए औसत दैनिक मजदूरी 7 रुपए है। चौंकि मजदूरी की दर को हाल ही में बढ़ाया गया है और खान के मालिकों द्वारा मजदूरी प्रत्यक्ष रूप से अदा की जाती है और ठेकेदारों के द्वारा मजदूरी अदा नहीं की जाती।

(घ) नहीं, प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

321

*गुदूर डिवीजन में अभ्रक स्प्लिटिंग (चीरने वाले) कारखानों में कारखाना अधिनियम आदि का लागू किया जाना

1328. श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है - (i) कि कारखाना अधिनियम गुदूर डिवीजन में अभ्रक स्प्लिटिंग (चीरने वाले) कारखानों पर लागू नहीं होता;

(ii) कि यहाँ काम पर लगाई गई अधिकांश महिलाएं हैं और उन्हें प्रसूति लाभ अधिनियम का कोई लाभ नहीं मिलता है;

(iii) कि महिला कामगारों के शिशुओं और बच्चों की देखभाल का कोई प्रबंध नहीं है;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1945, 26 मार्च, 1945, पृष्ठ 2020

(iv) हवा के आने जाने के समुचित प्रबन्ध के बिना परिस्र में अस्वस्थ स्थिति है, और

(ख) क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि इन कारखानों में कारखाना और प्रसूति लाभ अधिनियम लागू किए जाएं तथा महिला कामगारों के शिशुओं और बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा मजदूरों की दशा में सुधार किया जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) कारखाना अधिनियम तथा मद्रास प्रसूति लाभ अधिनियम के लागू किए जाने का उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकार का है। गुदूर डिवीज़न में अभ्रक स्प्लिटिंग (चीरने वाले) कारखानों के मजदूरों की दशा के सर्वेक्षण के संबंध में श्रमिक जांच-पड़ताल समिति इस काम पर लगी हुई है। सरकार समय के साथ उस योजना समिति द्वारा किए गए प्रस्तावों पर भी विचार करेगी जिसके बारे में सरकार को आशा है कि श्रमिक जांच-पड़ताल समिति का कार्य पूरा हो जाने के बाद स्थापित करेगी।

322

*भारत सरकार मुद्रणालयों में अर्हताप्राप्त कॉपी होल्डरों तथा पुनरीक्षकों को कनिष्ठ रीडर के पद पर नियुक्त करने के बारे में नियम

1330. श्री वद्री दत्त पांडे : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों से हाल ही में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जो ऐसी विषमताओं से उत्पन्न उनकी कठिनाईयों के बारे में है जो अर्हता-प्राप्त कॉपी होल्डरों और पुनरीक्षकों की कनिष्ठ रीडरों के पदों पर नियुक्ति से सम्बन्धित वर्तमान नियम में मौजूद हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मई, 1940 में भारत सरकार मुद्रणालय कामगार यूनियन, नई दिल्ली ने श्रम विभाग के सचिव को यूनियन के अध्यक्ष, श्री आसफ अली, विधायक (केन्द्रीय) द्वारा पूर्णतः अनुमोदित अभ्यावेदन भेजा था जिसमें नियम में ऐसा संशोधन करने के लिए कहा गया था कि पूर्व सफल उम्मीदवारों को बाद में सफल उम्मीदवारों से वरीयता मिल सके; और

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1945, 26 मार्च, 1945, पृष्ठ 2020

(ग) क्या सरकार इस अभ्यावेदन के प्रकाश में वर्तमान नियम के संशोधन की वांछनीयता के बारे में विचार कर रही है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) भारत सरकार मुद्रणालय नई दिल्ली द्वारा तीन कॉपी-होल्डरों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं परन्तु रीडर के पदों पर नियुक्ति करने वाले वर्तमान नियमों में किसी प्रकार की कठोरता अथवा विषमता का आरोप नहीं है।

(ख) जी हाँ।

(ग) इन अभ्यावेदनों पर उनके गुणावगुणों को ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा।

323

*केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की कतिपय शाखाओं में अनियमित नियुक्तियाँ

1351. सैव्यद गुलाम मिक नैरंग : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सेवाओं में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में इन नियमों के विरुद्ध एक नियुक्ति की गई, क्या उसे रद्द नहीं करना चाहिए;

(ख) क्या यह सच है कि यह पाया गया कि एक सिख की अनियमित रूप से नियुक्ति की गई और यह नियुक्ति केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी विभाग में की गई;

(ग) क्या यह सच है कि नियुक्ति को रद्द नहीं किया गया था परन्तु उस मुस्लिम को वरिष्ठता सूची में सही स्थान दिया गया था जिसे उस रिक्त स्थान में नियुक्ति किया जाना था;

(घ) क्या यह सच है कि विद्युत इंजीनियरों के संवर्ग में कुछ अनियमित नियुक्तियाँ की गई थीं;

(ङ) क्या यह सच है कि यह निर्णय किया गया था कि उन नियुक्तियों को रद्द न किया जाए परन्तु मुसलमानों को वरिष्ठता सूची में सही स्थान दिलाया जाए और

(च) क्या यह सच है कि बाद में वरिष्ठता के बारे में आदेशों को रद्द कर दिया गया था और गैर-मुस्लिम अनियमित नियुक्तियों की तारीखों के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की गई थी और यदि हाँ तो ऐसा क्यों हुआ?

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1945, 26 मार्च, 1945, पृष्ठ 2035

माननीय डॉ. बी. आर. अष्टेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) नहीं।

(ग) बागवानी अधीनस्थ कर्मचारी-वर्ग के ग्रेड में दो रिक्त स्थान एक स्थान बनाए गए और इनमें से पहला रिक्त स्थान मुस्लिम उम्मीदवार के लिए सुरक्षित किया गया तथा दूसरा स्थान असुरक्षित रहा। मुस्लिम रिक्त स्थान के लिए मुस्लिम उम्मीदवार का चयन किया गया और असुरक्षित स्थान में सिख की नियुक्ति की गई। सिख ने मुस्लिम उम्मीदवार से पूर्व अपने स्थान पर काम करना प्रारंभ कर दिया और मुस्लिम उम्मीदवार किसी अन्य कार्यालय में नियुक्त था जहाँ से उसे समय पर कार्यभार से मुक्त नहीं किया गया। चूंकि दोनों नियुक्तियों में से पहली नियुक्ति मुस्लिम उम्मीदवार के लिए आरक्षित थी अतः उसे वरिष्ठता सूची में सिख की तुलना में वरीयता दी गई।

(घ), (ड) और (च) - विद्युत इंजीनियर के ग्रेड में लोक सेवा में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व के संबंध में आदेशों में दिए गए साम्प्रदायिक वरीयता के क्रम को देखे बिना कुछ स्थानापत्र नियुक्तियाँ की गई। इन नियुक्तियों को पूर्वी भारत में तात्कालिक युद्ध के निर्माण कार्यों के संबंध में अति अल्प सूचना के आधार पर किया गया और प्रशासकीय दृष्टि से यह अव्यावहारिक था कि ये नियुक्तियाँ निर्धारित साम्प्रदायिक क्रम की वरीयता के अनुसार की जाएँ। इसलिए इन नियुक्तियों को रद्द नहीं किया गया तथा संबंधित अधिकारियों की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति की तारीख के अनुसार निर्धारित की गई। विद्युत इंजीनियर के ग्रेड में किसी भी मुस्लिम अधिकारी की वरिष्ठता निर्धारित करने के आदेश नहीं दिए गए और बाद में ये रद्द नहीं किए गए।

324

*महिला खान कामगारों को कुछ प्रसूति लाभ दिया जाना

1358. श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेटिट्यार : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारांकित प्रश्न संख्या 437, दिनांक 21 फरवरी, 1945 के अपने उत्तर के अनुसरण में क्या सरकार ने समय की वृद्धि के मामलों की जाँच-पड़ताल की है जब महिलाओं को प्रसूति से पूर्व और बाद के कुछ समय तक खानों में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1945, 26 मार्च, 1945, पृष्ठ 2028

(ख) क्या सरकार ने खानों में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच (शिशु गृह) उपलब्ध कराने हेतु विचार किया है; और

(ग) क्या इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि सदस्यों द्वारा अपने अनुभव से सदन में वक्तव्य दिए गए हैं कि ये क्रेच नियमित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि ये क्रेच उपयुक्त ढंग से कार्य करें?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) आवश्यक विधान पहले से ही सदन के समक्ष विचार्थ है।

(ख) और (ग) खानों में क्रेचों की अनिवार्य व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है।

325

*विदेश में तकनीकी उद्योगों में प्रशिक्षण के लिए योजना

1359. श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेटिट्यार : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में बताए गए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में दिये गये प्रशिक्षण के अलावा क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि तकनीकी उद्योगों में व्यक्तियों को तैनात किया जाए और उनको प्रशिक्षण दिया जाए ताकि युद्धोत्तर अवधि में उद्योगों के प्रारंभ करने में उनका उपयोग किया जा सके;

(ख) क्या भारत सरकार ने इंग्लैंड अथवा अमरीका की सरकार या उद्योगों के साथ ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए बातचीत की है; और

(ग) यदि हाँ तो वे उद्योग कौन-कौन से हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ। माननीय सदस्य का ध्यान श्रम विभाग के पत्र संख्या टी.आर.सी.-II-1140, दिनांक 12 दिसम्बर, 1944 की ओर आकर्षित किया जाता है और इस पत्र की प्राप्ति सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 198 के उत्तर में सदन के पटल पर 14 फरवरी, 1945 को रखी गई थी।

(ख) सरकारों के साथ।

(ग) सामान्य आधारों पर और विशिष्ट उद्योगों तक सीमित न होने पर बातचीत होती रही।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1945, 26 मार्च, 1945, पृष्ठ 2029

326

*सॉफ्ट कोक की टनों में मात्रा जिस पर उपकर वसूल किया गया

104. श्री के. सी. नियोगी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि 1941 से 1944 के दौरान सॉफ्ट कोक के प्रेषण हेतु टनों में कितनी मात्रा थी जिस पर सॉफ्ट कोक सेस कमेटी ने उपकर वसूल किया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वह इस प्रकार हैः -

1941	:	957, 553 टन
1942	:	431, 858 टन
1943	:	354, 835 टन
1944	:	445, 721 टन

327

#विविध विभाग

माननीय सर जेरेमी रैसमेन : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि प्रभारों की अदायगी के लिए गवर्नर जनरल-इन-कॉसिल को 10,00,000 रुपये से अनधिक राशि पूरक अनुदान के रूप में स्वीकार की जाए जो ‘विविध विभागों’ के संबंध में 31 मार्च, 1945 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान आएगी।”

सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया: “कि प्रभारों की अदायगी के लिए गवर्नर जनरल-इन-कॉसिल को 10,00,000 रुपये से अनधिक राशि पूरक अनुदान के रूप में स्वीकार की जाए जो ‘विविध विभागों’ के संबंध में 31 मार्च, 1945 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान आएगी।”

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 11, 1945, 28 मार्च, 1945, पृष्ठ 2219

वही।

श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेटिट्यार : पृष्ठ 27 पर दिया गया स्पष्टीकरण इस प्रकार है :

“अतिरिक्त प्रान्तीय और क्षेत्रीय श्रम सप्लाई समितियों, श्रम सप्लाई डिपो और श्रम सप्लाई ब्यूरो की स्थापना के कारण।”

मैं पृष्ठ 12 पर श्रम के लिए मांग के अन्तर्गत देखता हूँ :

“प्रान्तीय और क्षेत्रीय श्रमिकों की सप्लाई समितियों और श्रमिकों की सप्लाई डिपो के कार्य के समन्वयन के लिए अकुशल श्रमिकों की सप्लाई के निदेशालय का खोला जाना।”

श्रीमन, मेरा यह विचार है कि इसमें यह बात दो बार अलग-अलग कही गई है। मैं यह जानना चाहूँगा कि इन दोनों में क्या अंतर है?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : वह मांग निताँत भिन्न थी। वह मांग अधिकारियों के वेतन से संबंधित थी। इसका संबंध अधिकारियों के वेतन से है जबकि यह मांग बिल्कुल ही भिन्न है। यह कतिपय श्रमिकों की सप्लाई समितियों, लेबर ब्यूरो और लेबर सप्लाई डिपों के खोले जाने के कारण है। यह वह लागत है जो कामगारों के संबंध में हुई है और यह सचिवालय के अधिकारियों के वेतन के संदर्भ में है।

श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेटिट्यार : मैं इसे फिर पढ़ना चाहूँगा।

अतिरिक्त प्रांतीय और क्षेत्रीय श्रम सप्लाई समितियों की स्थापना के कारण.....”

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह समन्वय के लिए है। यह समन्वय कार्य सचिवालय में होता है। पृष्ठ 12 पर इसी गई मद का संदर्भ सचिवालय में काम करने वाले अधिकारियों के वेतन से है जबकि इस मांग का संदर्भ उस कार्य से है जो सचिवालय के बाहर किया जाता है।

सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : प्रश्न यह है;

“कि विविध विभागों के संबंध में 31 मार्च, 1945 को 10,00,000 रुपये से अनधिक राशि की पूरक अनुदान गवर्नर जनरल-इन-कॉसिल को दिया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

328

*धनबाद सब-डिवीजन में चावल की कीमत की नियंत्रित दरें

1464. श्री के. सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार प्रांत में धनबाद सब-डिवीजन में सभी प्रकार के चावल की प्रति मन कीमत की वर्तमान स्थानीय नियंत्रित दरें क्या हैं;

(ख) कोयला खानों के मजदूरों के लाभ के लिए चावल सप्लाई हेतु दो कोयला व्यापार संगठनों से प्रांतीय सरकार किन दरों को निर्धारित करती है; क्या सरकार द्वारा धनबाद सब-डिवीजन में चावल भी नियंत्रित कीमत के अलावा ऊपर बताए गए संगठनों से आनुशंशिक प्रभार वसूल करती है; यदि हाँ तो यह किस दर पर है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय कोयला खानों के संघ से हाल ही में कोई शिकायत प्राप्त की गई है जिसमें यह कहा गया है कि संयुक्त पूल अभी भी अपने सदस्यों से चावल के लिए स्थानीय नियंत्रित कीमतों से अधिक लगभग 4 रुपये प्रति मन प्रभार वसूल करती है; और

(घ) क्या इस संबंध में अथवा संबंधित मामले में सरकार द्वारा उन कल्याण आयुक्त से कोई व्यापक रिपोर्ट प्राप्त की गई है जो धनबाद में तैनात हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) धनबाद सब-डिवीजन में मोटे और मध्यम किस्म के चावल की कीमत क्रमशः 11 रुपये और 12 रुपये प्रति मन थोक नियंत्रित कीमत के अनुरूप है। दोनों किस्म के चावल की खुदरा बिक्री क्रमशः -/4/-7½@ और -/5/-@ प्रति सेर है।

(ख) प्रांतीय सरकार दो कोयला व्यापार संगठनों से मोटे चावल के स्रोत सप्लाई के लिए थोक नियंत्रित दर 9 रुपये प्रति मन और मध्यम क्वालिटी चावल के लिए थोक नियंत्रित दर 10 रुपये प्रति मन चार्ज करती है तथा इसके अलावा प्रशासकीय व्यय को पूरा करने के करने के लिए -/4/- प्रति मन वसूल करती है। संगठनों को इसके अलावा बोरों की कीमत तथा सप्लाई के स्रोत स्थान से उपभोक्ता केन्द्रों को चावल भिजवाने के लिए किए गए आनुशंशिक प्रभार भी देना पड़ता है।

(ग) जी हाँ।

(घ) नहीं।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 29 मार्च, 1945, पृष्ठ 2235

(a) दरें आना और पाई में दर्शायी गई हैं।

श्री के. सी. नियोगी : (ख) के संबंध में क्या माननीय सदस्य यह बताने की स्थिति में हैं कि क्या कोयला खानों में चावल की जो कीमत रखी गई है, वह स्थानीय नियंत्रित कीमत से अधिक है जबकि उन अलग-अलग करों का ध्यान किया गया है जिनकी अदायगी की जाती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे यह बताने में आशंका है कि मैंने अभी तक कोई गणना नहीं की है।

श्री के. सी. नियोगी : यहीं शिकायत का मुद्दा है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र गणना कर सकते हैं।

श्री के. सी. नियोगी : (घ) के संबंध में मेरी धारणा है कि यह अधिकारी भारत सरकार का अधिकारी है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हाँ।

श्री के. सी. नियोगी : इस प्रश्न के संबंध में प्राप्त यदाकदा की शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में क्या माननीय सदस्य इस बात पर विचार करना चाहेंगे कि इन मामलों के संबंध में इस अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त की जाए़?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह कार्य उसके कर्तव्यों की परिधि में नहीं आएगा। यह मामला प्रांतीय सरकारों से संबंधित है।

श्री के. सी. नियोगी : माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि शिकायत यह है कि प्रांतीय सरकार कोयला खानों को उचित रूप से सस्ते चावल की सप्लाई के मामलों में केन्द्रीय सरकार का पूर्णरूप से सहयोग नहीं दे रही है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं प्रांतीय सरकार से सम्पर्क स्थापित करूँगा परन्तु मेरे विचार में मैं कोयला कल्याण आयुक्त से यह मामला सुलझाने के लिए नहीं कह सकता।

329

*बलूचिस्तान में सिंचाई का क्षेत्र

1469. श्री अब्दुल कर्यूम : क्या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध आरंभ होने के समय से बलूचिस्तान में ऐसा कुल कितना क्षेत्र है जिसमें सिंचाई की गई;

(ख) सरकार द्वारा कितने क्षेत्र में सिंचाई की गई और निजी उद्यम द्वारा कितने क्षेत्र में सिंचाई की गई;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, पृष्ठ 2239

(ग) इन परियोजनाओं पर सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) क्या जमीदारों को भूमि की सिंचाई हेतु कोई अग्रिम राशि दी गई?

माननीय डॉ. बी. आर. अब्बेडकर : (क), (ख) और (ग)। युद्ध के प्रारंभ होने के समय से बलूचिस्तान में किसी भी पर्याप्त क्षेत्रों में सिंचाई नहीं की गई परन्तु सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रक योजनाएं स्वीकार की गई जिनकी लागत लगभग 68,000 रु. है और इसमें लगभग 1000 एकड़ भूमि जुड़ जाएगी। सिंचाई के अन्तर्गत भूमि में अधिक सघन खेती के फलस्वरूप तथा प्रशासन की वसूली साधनों के साथ शुष्क खेती के विस्तार के परिणामस्वरूप बलूचिस्तान एक ऐसा अधिक अन्न उपजाऊ प्रांत बन गया है जहाँ से गेहूं, धान और ज्वार का निर्यात अन्य प्रान्तों को होता है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

330

*रेलवे कोयला खानों के पड़ोस में शराब के ठेके/दुकानें

1470. श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कोयला खानों के पड़ोस में शराब की दुकानें हैं; और यदि हाँ तो, वे कितने दिनों और घंटों के लिए खुली रहती हैं;

(ख) क्या इन खानों के प्रबंधक इस तथ्य से अवगत हैं कि ये शराब की दुकानें मज़दूरों को शराब पीने हेतु अपनी मज़दूरी गँवाने के लिए आकर्षित करती हैं तथा उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ देती हैं जिसके फलस्वरूप वेतन दिन के बाद दिन में कोयला खानों में खनन कर्त्ताओं की उपस्थिति तथा कोयला उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है;

(ग) यदि उपरोक्त (ख) का उत्तर नकारात्मक हैं; तो क्या सरकार इस मामले में रिपोर्ट मंगवाने का प्रस्ताव करती है; और

(घ) क्या सरकार यह प्रस्ताव करेगी कि संबंधित प्राधिकारियों से यह कहा जाए कि या तो वे खनन क्षेत्रों में शराब की दुकानें बन्द करा दें अथवा उन दुकानों के

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 11, 1945, पृष्ठ 2239

खोले जाने के घंटों को कम कर दें और प्रति व्यक्ति बेची गई शराब की मात्रा पर प्रतिबंध लगा दें तथा वेतन भुगतान के दिन उन दुकानों को बंद कर दें?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। रेलवे तथा अन्य संगठनों की कोयला खानों के पड़ोस में शराब की दुकानें हैं। मुझे खेद है कि इस समय मेरे पास इन दुकानों के खुलने के दिनों और घंटों की कोई सूचना नहीं है। परन्तु मैं वह सूचना प्राप्त करूंगा और सभा पटल पर रख दूंगा।

(ख) नहीं।

(ग) सरकार शराब तथा कोयला खानों में काम करने वाले कामगारों के स्वास्थ्य तथा उत्पादन के बीच संबंधों के बारे में सामान्य रिपोर्ट मंगाएगी।

(घ) आबकारी प्रशासन प्रांतीय विषय है। फिर भी रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार शराब की दुकानों के संबंध में आवश्यक सिफारिशों पर विचार करेगी।

मुझे यह भी बताना चाहिए कि लगभग दिसंबर 1944 में बिहार के कोयला क्षेत्रों में आसवनी शराब की खुदरा कीमतों में वृद्धि की गई और प्रांतीय सरकार बढ़ाई गई कीमतों के प्रभाव को देख रही है तथा उसके बाद ही शराब की उपयोगिता को प्रतिबंधित करने के लिए अन्य कारवाई की जाएगी। बंगाल से गत वर्ष एक रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि बंगला के कोयला क्षेत्र में शराब के अधिक पीने की उपयोगिता के कम साक्ष्य हैं।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : श्रीमान् इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में, कि देश में कोयले की स्थिति अति गंभीर है और यह आवश्यकता है कि कोयले की खानों से अधिकतम उत्पादन किया जाए, ऐसी स्थिति में सरकार उन खानों के पड़ोस में शराब की दूकानें बंद करने के महत्वपूर्ण कदम उठाएगी, चाहे यह प्रांतीय मामला ही क्यों न हो?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे यह कहने में आशंका है कि इस बारे में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है।

श्री जी. रंगेया नायडू : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या स्थानीय सरकार की अनुमति से कोयला खानों के पड़ोस में शराब की दूकानें खोली गई थीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं यह कहता हूं कि यह मामला प्रांतीय सरकार का है।

331

*रेलवे कोयला खानों के कामगारों के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय

1471. श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के स्वामित्व वाली कोयला खानों में काम करने वाले खनिकों के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल है, और यदि हाँ तो स्कूलों तथा उनमें से प्रत्येक में पढ़ने वाले छात्रों - लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या जून, 1939 से इन स्कूलों और छात्रों की संख्या बढ़ी है या घटी है और अब क्या अंतर है;

(ग) क्या इन स्कूलों में सह-शिक्षा होती है और क्या इन स्कूलों के स्टॉफ में महिला अध्यापिकाएं हैं;

(घ) क्या इन स्कूलों में दोपहर का भोजन दिया जाता है; यदि नहीं तो क्यों नहीं;

(ङ) क्या ये स्कूल पूर्णतः या आंशिक रूप से कोयला खान प्राधिकारियों अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के प्रबंध में हैं; और

(च) इन स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्त्रत करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ। मुझे खेद है कि मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि स्कूलों की संख्या क्या है परन्तु मैं यह सूचना प्राप्त कर लूँगा। जहाँ तक खानों में काम करने वाले कामगारों के उन बच्चों की संख्या का प्रश्न है जो स्कूलों में उपस्थित रहते हैं, उनकी संख्या एकत्र करना सरल काम नहीं है क्योंकि इन स्कूलों में बाहर के बच्चे भी पढ़ते हैं।

(ख), (ग) और (घ) मेरे पास कोई सूचना नहीं है परन्तु मैं सूचना एकत्र करूँगा और सभा पटल पर रख दूँगा।

(ङ) इन स्कूलों का प्रबंध उस हजारीबाग कोयला खानों के बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसे रेलवे की कोयला खानों द्वारा वित्तीय योगदान किया जाता है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 29 मार्च, 1945, पृष्ठ 2239

(घ) शैक्षिक सुविधाओं का प्राथमिक रूप से उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारों का होता है।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : श्रीमन् माननीय सदन ने किसी अन्य दिन यह बताया था कि एक कल्याण समिति है। क्या मैं यह पूछ सकती हूँ कि माननीय सदस्य ने उन सुझावों की ओर ध्यान दिया है जो मैंने अपने इस प्रश्न में दिए हैं तथा खान में कार्य करने वाले कामगारों के उन बच्चों का भी रिकार्ड ले सकेंगे जो स्कूलों में उपस्थित रहते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : कल्याण समिति की इसमें रुचि लेने और इस मामलों में कारबाई करने में कोई अवरोध नहीं है।

श्रीमती के. राधाबाई सुब्बारायण : श्रीमन् मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार समिति को अनुदेश देगी कि उसे इन मामलों की ओर ध्यान देना चाहिए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हाँ, सरकार ऐसा कर सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो समिति को ऐसा करने के लिए अवरोध प्रस्तुत करे।

332

*सरकारी कर्मचारियों के लिए आवश्यक सेवा अध्यादेश का लागू किया जाना

1485. श्री एन. एम. जोशी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक सेवा अध्यादेश सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है; और

(ख) क्या सरकार के पास इस आशय के विरोध हैं जिनका संबंध आवश्यक सेवाएं (रख रखाव) अध्यादेश II, 1945 की धारा 5 और 6 के उपबंधों के अनुप्रयोग से है। इन धाराओं का संबंध सम्प्राट के उस दायित्व से है कि यथोचित कारण के अभाव में सम्प्राट के कर्मचारियों की सेवाएं भंग न की जाएं अथवा विशिष्ट प्राधिकारी को कर्मचारियों के वेतन तथा सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम जारी किए जाएं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) नहीं।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 2, 1945, 29 मार्च, 1945, पृष्ठ 2245

श्री एन. एम. जोशी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार ने ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए जो आवश्यक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र का प्रश्न यह था कि क्या विरोध प्राप्त हुए हैं?

श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेटिट्यार :मैं यह संख्या 3

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : मुझे इस बात का खेद है कि मैं यहां उस समय सुनने के लिए नहीं था जब मेरे माननीय मित्र श्री अविनाशलिंगम चेटिट्यार ने यह बातें उठाई थीं परन्तु उन्हें मैं यह बताना चाहूँगा कि ये क्वार्टर स्थायी हैं।

श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेटिट्यार : क्या वे सभी स्थायी हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हां और इस बात की आवश्यकता हुई कि हमें यह निर्माण कार्य करने पर बाध्य होना पड़ा.....

श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेटिट्यार : मैं यह जानता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस विषय में भाषण दे सकते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे विचार से यह एक बड़ा लाभ है कि इतनी अधिक राशि अस्थायी आवास गृहों के निर्माण में व्यय की जा रही है, हमें इस बात में सफलता मिली है कि कम से कम इन क्वार्टरों को स्थायी आवास-गृहों में बदल दिया जाए जिससे अधिकांश लिपिकों को आवास-गृह मिल सकें जो सचिवालय में काम कर रहे होंगे।

333

*करोलबाग, दिल्ली में मस्जिद के चारों ओर दीवार का निर्माण

मौलवी मोहम्मद अब्दुल गनी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह इस बात से अवगत हैं कि दिल्ली मुस्लिम वक्फस एक्ट (XIII, 1943) के अधीन सुनी मुज्जिलस-ए-अवकाफ की स्थापना की गई है, यदि हां तो

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 2 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2304

क्या ऊपर बताए गए सुन्नी मुजिलस-ए-अवकाफ दिल्ली प्रांत के सभी वक्फ का एकाकी प्रशासक है;

(ख) क्या श्रम सदस्य इस बात से अवगत हैं कि हाल ही में निर्मित सरकारी क्वार्टरों के समीप नई दिल्ली स्थित करोलबाग क्षेत्र में कब्रिस्तान और एक पुरानी मस्जिद मौजूद है तथा मुसलमान उसमें नमाज़ अदा करते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ऊपर बताई गई मस्जिद के चारों ओर दीवार बनाकर उसके घेरने का इरादा करते हैं और इस प्रकार मुसलमानों को इसके अन्दर प्रवेश करने से रोकते हैं जहां मुसलमान अपनी नमाज़ अदा करते हैं;

(घ) क्या उनके विभाग ने सुन्नी-ए-अवकाफ से मस्जिद में चारों ओर दीवार बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली है;

(ङ) क्या यह सच है कि ऊपर बताई गई मस्जिद में मुसलमान को अपनी नमाज़ अदा करते समय आपत्ति उठाने वाले ठेकेदार और ऊपर बताए गए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कामगार हैं जो अब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ सम्बद्ध हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हां।

(ख) मैं किसी पुरानी मस्जिद के मौजूद होने के तथ्य से अवगत नहीं हूं परन्तु करोल बाग में निर्मित सरकारी क्वार्टरों के समीप पुराना व प्रयोग न किया जाने वाला कब्रिस्तान दिखाई देता है। परन्तु मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि इस क्षेत्र के खुद मुस्लिम निवासियों ने हाल ही में एक पक्का चबूतरा बना लिया है और उसके ऊपर छप्पर डाल लिया है तथा इस क्षेत्र को घेर लिया है तथा वे इसी स्थान पर अपनी नमाज़ अदा करते हैं।

(ग) स्थानीय प्रशासन से परामर्श करके सरकार ने इस क्षेत्र को घेरने के लिए एक दीवार के निर्माण का प्रस्ताव किया है। ताकि इस सरकारी भूमि पर मुसलमान अथवा हिन्दू अपना अधिकार न कर लें। मुस्लिम सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों से प्राप्त अम्यावेदन का आदर करते हुए इस प्रस्ताव को तब तक आस्थित कर रखा है जब तक कि इसमें निहित वैध मामलों को न निपटाया जाए।

(घ) प्रश्न (ख) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) माननीय सदस्य प्रश्न (ग) के मेरे उत्तर को देखें।

(च) माननीय सदस्य प्रश्न (ग) के मेरे उत्तर को देखें।

सर मोहम्मद यामीन खां : जब माननीय सदस्य यह बताते हैं कि सरकार ने दीवार बनाने का निर्णय किया है ताकि इस सरकारी भूमि पर चलने से लोग रुकें, क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह सरकारी भूमि कैसे हो गई? जब यह कब्रिस्तान है तो माननीय सदस्य यह क्यों कहते हैं कि यह सरकारी भूमि है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसा कि इस समय परामर्श दिया गया है, सरकार इस भूमि को सरकारी भूमि मानती है; परन्तु मैं इस बारे में कानूनी सलाह ले रहा हूं।

सर मोहम्मद यामीन खां : क्या माननीय सदस्य सभी अंग्रजी कब्रिस्तान और हिंदू श्मशान भूमि को सरकारी भूमि को सरकारी भूमि कहते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा, मैं इस बारे में कानूनी सलाह ले रहा हूं।

सर मोहम्मद यामीन खां : परन्तु माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि वहां कब्रिस्तान है और इसके साथ ही उस भूमि को सरकारी भूमि कहते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह ऐसी स्थिति है जिसके बारे में सरकार को परामर्श दिया गया है।

सर मोहम्मद यामीन खां : किसके द्वारा यह परामर्श दिया गया है?

सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : माननीस सदस्य ने पहले ही बताया है कि वह इस बारे में कानूनी सलाह ले रहे हैं?

सर मोहम्मद यामीन खां : उन्हे किसका परामर्श मिला है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उन व्यक्तियों के द्वारा परामर्श मिला है जो सरकार को परामर्श देने के अधिकारी हैं।

मौलवी मोहम्मद अब्दुल गनी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने उस भूखंड को अधिग्रहीत किया है जिसे माननीय सदस्य कब्रिस्तान और मस्जिद का केन्द्र बताते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह अनावश्यक है कि उस भूमि का अधिग्रहण किया जाए।

334

*गैर-भारतीयों की लोक उपयोगिता संस्थाएं

1591. श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेटिट्यार : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ब्रिटिश और अन्य गैर-भारतीयों की लोक उपयोगिता संस्थाओं की संख्या क्या है; और

(ख) क्या इन लोक उपयोगिता संस्थाओं का अधिग्रहण करने के कभी प्रयत्न किए गए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

335

*भारत सरकार मुद्रणालयों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा

1596. श्री के. वी. जिनाराजा हेगड़े : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालयों के लेखाओं की वार्षिक लेखा-परीक्षा महा-लेखाकार. केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली द्वारा की जाती है;

(ख) क्या लेखा परीक्षा की रिपोर्टों की प्रतियां माननीय श्रम सदस्य के कार्यालय को अवलोकन और कारवाई के लिए भेजी जाती है और क्या इस प्रकार की प्रतियाँ गत दो वर्ष में प्राप्त हुई हैं, यदि हाँ, तो इस पर क्या कारवाई की गई;

(ग) क्या यह सच है कि गत रिपोर्टों में कागज के लेखाओं में गंभीर कमियां बताई गई हैं और उन पर कोई कारवाई नहीं की गई; यदि हाँ तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) क्या नई दिल्ली स्थित मुद्रणालय की गत दो वर्ष की लेखा-परीक्षाओं की रिपोर्टों में से प्रत्येक रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का प्रस्ताव है?

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 4 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2428

* वही, पृष्ठ 2431

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) मुद्रणालयों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्य और अन्य लेखाओं के महालेखाकार द्वारा की जाती है जो उसकी ओर से कार्य करते हैं।

(ख) लेखा-परीक्षा द्वारा रिपोर्ट विभागों के अध्यक्षों को प्रस्तुत की जाती हैं। भारत सरकार को केवल महत्वपूर्ण बातों का संदर्भ दिया जाता है अथवा ऐसे मामले बताए जाते हैं जिनके बारे में कोई समझौता नहीं हो पाता।

(ग) वर्ष 1942-43 की रिपोर्ट में ऐसी कुछ कमियों को बताया गया है जो रजिस्टर में अशुद्ध प्रविष्टियों के कारण हुई हैं। यह मामला अभी तक विचाराधीन है। वर्ष 1943-44 की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है तथा नियंत्रक, मुद्रण और लेखा-सामग्री, भारत द्वारा इसकी जाँच की जा रही है।

(घ) नहीं। महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व द्वारा वर्ष के विनियोग लेखाओं में महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित की जाती हैं। इन लेखाओं की जाँच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है और उनकी रिपोर्ट विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

श्री के. वी. जिना राजा हेगड़े : क्या इस प्रश्न के भाग (घ) के संदर्भ में मैं यह जान सकता हूँ कि क्या माननीय सदस्य लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं श्रीमन्, यह आवश्यक नहीं है। इन्हें लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में सम्मिलित किया गया है।

श्री के. वी. जिना राजा हेगड़े : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि इन लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की लोक लेखा समिति रिपोर्टों में पूर्णतया सम्मिलित किया गया हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस रिपोर्ट के ऐसे भाग लोक लेखा समिति में सम्मिलित किए गए हैं जिनकी आवश्यकता लोक लेखा समिति के लिए हैं।

336

*केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जिन्हें क्वार्टर नहीं मिले

1606. सरदार संत सिंह : (क) क्या माननीस श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली में सेवारत उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें 600 रुपये से कम वेतन मिलता है और जिन्हें अभी तक कोई सरकारी आवास नहीं मिला है;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 4 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2459

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 600 रुपये से कम है, को उसके क्वार्टर से वंचित नहीं किया जाता जब वह अपने वर्ग से पदोन्नति प्राप्त कर लेता है और जब तक उसे उच्चतर टाइप का आवास उपलब्ध न कराया जा सके :

(ग) क्या सरकार दिल्ली और नई दिल्ली के उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या बताएगी जिनके पास क्वार्टर थे परन्तु उन्हें तकनीकी आधार पर क्वार्टर से वंचित कर दिया गया, उदाहरणार्थ उन्हें कृषि संस्थान, पूसा, भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली, ए.जी. टी. एण्ड टी. आदि से भारत सरकार के मुख्य सचिवालय में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) लगभग 65 प्रतिशत।

(ख) जी हाँ।

(ग) आवश्यक सूचना अभी उपलब्ध नहीं है और इस अवस्था में ऐसी सूचना का एकत्र किया जाना निहित श्रम को संगत नहीं ठहराएगा परन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित करूँगा कि भारत सरकार मुद्रणालय, कृषि अनुसंधान संस्थान और ए.जी.सी. एण्ड टी. कार्यालय से स्थानान्तरित कर्मचारियों, जिनके लिए अलग क्वार्टरों का पूल है, के मामले में किसी भी अधिकारी को नई दिल्ली में एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में स्थानान्तरित होने पर अपने क्वार्टर को खाली करने की आवश्यकता नहीं है।

337

*नई दिल्ली में दूसरे कार्यालय से स्थानान्तरित होने पर क्वार्टरों से वंचित सरकारी कर्मचारियों की दशा

1607. सरदार संत सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताना चाहेंगे कि क्या यह सच है कि काफी मामलों में, जहाँ सरकारी कर्मचारियों को उनके क्वार्टरों से वंचित किया गया है, संबंधित व्यक्तियों की दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी नौकरी का कुल कार्य-काल पंद्रह वर्ष या इससे अधिक वर्ष का है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि वर्तमान परिस्थितियों में इन सरकारी कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों को, जिन्हें सरकारी आवास प्राप्त करने से पूर्व

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 4 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2459

प्रारंभ में कई वर्ष तक क्वार्टर की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, अपने सेवा काल के दौरान फिर सरकारी आवास मिलने का कोई अवसर प्राप्त न होगा;

(क) क्या यह सच है कि परंपरागत और गैर परंपरागत क्वार्टरों का भेद समाप्त कर दिया गया है ताकि दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को आवास मिलने का कार्यक्षेत्र बढ़ सके;

(घ) क्या सरकार ऊपर बताए गए (क) और (ख) में दिए गए सरकारी कर्मचारियों के बारे में विचार करने का प्रस्ताव करती है और दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की सेवा-अवधि को आवास आवंटन के लिए उन्हें राहत देने के लिए विचार करती है; और यदि हां तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) माननीय सदस्य का ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या 1606 के भाग (ग) के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ख) अन्तिम प्रश्न के मेरे उत्तर में जिन अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, उन्हें क्वार्टर के लिए सामान्य पूल में अपनी बारी आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी परन्तु उन्हें कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यह मैं नहीं बता सकता।

(ग) जी हां।

(घ) सामान्य पूल में सैवै कुल सेवा की अवधि निर्णायक होती है। सरकार अपने कर्मचारियों के विशेष गुणों के पक्ष में इस नियम के परिवर्तन को न्याय-संगत नहीं समझती।

338

*दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों से खस-खस टटिट्यों के लिए आवेदन-पत्र

131. श्री के. सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में दिल्ली और नई दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों द्वारा अधिकृत आवासों के लिए खस-खस टटिट्यों की सप्लाई के संबंध में औपचारिक आवेदन-पत्र अपर मुख्य अभियंता (पश्चिम क्षेत्र), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के परिपत्र ज्ञापन संख्या डब्ल्यू 1/3708, दिनांक 20 फरवरी, 1945 और संख्या डब्ल्यू 1/3708, दिनांक 13 मार्च, 1945 के अनुसार 20 मार्च, 1945 तक मांगे गए थे;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 4 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2449

(ख) क्या वह इस तथ्य से भी अवगत हैं कि ग्रीष्म ऋतु का आवंटन (1945) अभी समाप्त नहीं हुआ है;

(ग) यदि (ख) का उत्तर सकारात्मक हो तो क्या माननीय श्रम सदस्य उन सरकारी कर्मचारियों के लिए खस-खस टटिट्यों के हेतु आवेदन पत्र देने की तारीख बढ़ाना चाहते हैं जिन्हें अप्रैल, 1945 में क्वार्टर आवंटित किए जाएंगे परन्तु जिनके पास आज क्वार्टर नहीं हैं; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हां।

(ख) नवीनतम नियमों के अधीन सामयिक आवंटन बंद कर दिए गए हैं। अतः यह प्रश्न नहीं उठता।?

(ग) सरकारी कर्मचारी जिनके पास अभी सरकारी क्वार्टर नहीं हैं और जिन्हें अप्रैल में सरकारी क्वार्टर आवंटित किए जाएंगे, अप्रैल के अंत तक खस-खस टटिट्यों के लिए आवेदन-पत्र दे सकते हैं यद्यपि इस प्रकार की टटिट्यों की सप्लाई में आवश्यक रूप से कुछ देर हो जाएगी।

339

*श्रम विभाग द्वारा खोले गए तकनीकी केंद्र

1697. डॉ. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग द्वारा खोले गए उन तकनीकी केंद्रों की संख्या क्या है जो (i) मुस्लिम संस्थाओं से सम्बद्ध हैं, (ii) गैर-मुस्लिम संस्थाओं से सम्बद्ध हैं, और (iii) किसी भी इंजीनियरी संस्थाओं से संबंधित न होकर स्वतंत्र संस्थाओं से सम्बद्ध हैं;

(ख) (iii) के अंतर्गत कितनी संस्थाएं मुस्लिम प्रशासन के अन्तर्गत हैं और कितनी संस्थाएं गैर-मुस्लिम प्रशासन के अंतर्गत हैं; और

(ग) क्या माननीय सदस्य (i), (ii) और (iii) वर्गों में दिए गए तकनीशियनों के लिए इन सभी केन्द्रों के नाम सभा पटल पर रखेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) (i) 5, (ii) 74, (iii) यदि स्वतंत्र संस्थाओं का अर्थ निजी संस्थाओं से है तो उनकी संख्या 36 है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 9 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2611

(ख) 36 में से 2 संस्थाएं विशुद्ध रूप से मुस्लिम प्रशासन के अन्तर्गत हैं।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

1. मुस्लिम संस्थाओं से सम्बद्ध टेक्निकल प्रशिक्षण केंद्र :

(क) इंजीनियरी : (i) अब्दुला फज़्ल भाई टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट, सेण्ट ज़ेवियर कॉलेज, बम्बई।

(ii) एंग्लो - अरेबिक कॉलेज टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट, दिल्ली।

(iii) मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज, अलीगढ़।

(ख) गैर-इंजीनियरी : (iv) अंजुमन इंडस्ट्रियल स्कूल, मद्रास।

(v) शिक्षा इंटरमीडिएट कॉलेज, लखनऊ।

2. गैर-मुस्लिम संस्थाओं से सम्बद्ध टेक्निकल ट्रेनिंग सेण्टर्स एसोसिएशन:

(प्रांतीय, सरकारी और रियासतों तथा रेलवे वर्कशाप्स द्वारा चलाई गई संस्थाओं से सम्बद्ध केन्द्रों को छोड़कर)

(क) इंजीनियरी : (i) बी.पी. चौधरी टेक्निकल स्कूल, कृषि नगर।

(ii) कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, बंगाल।

(iii) डी.जे. इंडस्ट्रियल स्कूल, राजशाही।

(iv) डॉन बोस्को टेक्निकल स्कूल, कृषि नगर।

(v) आई.जी.एन. कम्पनी लिमिटेड, सोनाचारा वर्कशाप, नारायणगंग।

(vi) के.के. टेक्निकल स्कूल, माईमेनसिंह।

श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेटिट्यार : ये टेक्निकल केन्द्र किस प्रकार के हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ये ऐसे केन्द्र हैं जहां टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेटिट्यार : किन उद्योगों के लिए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : कई ट्रेडों के लिए।

सर मोहम्मद यामिन खां : क्या उनमें अलीगढ़ भी एक है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हां, निश्चय ही।

340

*युद्ध तकनीशियनों के डिपो अथवा स्वागत केन्द्र का खोला जाना

1698. डॉ. सर ज़ियाउद्दीन अहमदः क्या माननीय श्रम सदस्य युद्ध तकनीशियनों के डिपो अथवा स्वागत केन्द्र के खोले जाने के बारे में विचार कर रहे हैं? यदि हाँ तो वे किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : भारत सरकार ऐसे प्रत्येक केंद्र में एक स्वागत डिपो खोलने का प्रस्ताव करती है जहां सिविलियन रंगरूट प्रशिक्षण के लिए चुने जाने के बाद प्रशिक्षण केन्द्र भेजे जाने के पूर्व अल्पावधियों के लिए भेजे जा सकते हैं। पहले ही से स्वीकृत स्वागत डिपो, उनकी क्षमता और स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

डॉ. सर ज़ियाउद्दीन अहमदः क्या कई केंद्र हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य विवरण देख सकते हैं और स्वयं स्थिति का पता लगा सकते हैं। मैं सभा पटल पर एक विवरण रखता हूँ।

मौलवी मोहम्मद अब्दुल गनी : स्वागत केंद्रों की कुल संख्या क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं यह गणना नहीं कर सकता।

सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहमान) : माननीय सदस्य सभा पटल पर रखे विवरण से अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

डॉ. सर ज़ियाउद्दीन अहमदः : यह बड़ी सूची नहीं है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह बड़ी सूची है। मैं पूरी सूची तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक श्रीमन् मुझे इसे पढ़ने की अनुमति न दें। भारत सर्किलों में विभाजित है अर्थात् उत्तरी सर्किल, केन्द्रीय सर्किल, उत्तरी-पूर्वीय सर्किल, दक्षिण-पूर्वी सर्किल, पूर्वी सर्किल, पश्चिमी सर्किल और दक्षिणी सर्किल।

डॉ. सर ज़ियाउद्दीन अहमदः : उनके मुख्यालय कहां-कहां हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : प्रशिक्षण के लिए हेड क्वार्टर्स अथवा केन्द्र इस प्रकार हैं :

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 9 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2614

उत्तरी सर्किल	- लायलपुर और सोनीपत;
केन्द्रीय सर्किल	- दिल्ली, अकोला अथवा नागपुर;
उत्तरी-पूर्वीय सर्किल	- अलीगढ़;
दक्षिण-पूर्वीय सर्किल	- गुलजार बाग (पटना) और कटक;
पूर्वीय सर्किल	- हुगली;
पश्चिमी सर्किल	- बोरीवली (बम्बई) और हुबली; और
दक्षिणी सर्किल	- मद्रास, बेवाड़ा, त्रिवेन्द्रम और कोयम्बटूर।

341

*यू. पी. टेक्निल ट्रेनिंग सेंटर्स को पॉलीटेक्निक में विकसित किया जाना

99. डॉ. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि यू.पी. में टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स को सरकार पॉलीटेक्निक में विकसित करने पर विचार कर रही है;

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स को पॉलीटेक्निक में विकसित करने के लिए दो स्थान अर्थात् दयालबाग और बनारस विश्वविद्यालय का चयन किया है; और

(ख) क्या यह सच है कि अलीगढ़ को मुस्लिम लीग पार्टी के विशेष अनुरोध पर सूची में शामिल कर लिया गया था, क्या यह सच है कि निरीक्षकों और सलाहकारों में से एक सदस्य मुस्लिम है जो युद्ध तकनीशियनों की देख रेख करता है; और यदि उत्तर नकारात्मक है तो मुस्लिम निरीक्षकों की संख्या क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) इस समय ट्रेनिंग सेंटर्स को पॉलीटेक्निक में विकसित करने की कोई योजना, संयुक्त प्रति आदि श्रम विभाग के विचारधीन नहीं है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए किसी केन्द्र के चयन करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) ऊपर बताए गए (क) के उत्तर की दृष्टि से (ख) के अधीन प्रश्न के प्रथम भाग पर विचार नहीं किया जा सकता। भाग (ख) के शेष भाग के संबंध में तकनीकी प्रशिक्षण योजना (टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम) के अन्तर्गत क्षेत्रीय निरीक्षकों में से कोई भी निरीक्षक मुस्लिम नहीं है और ऐसे कोई भी अधिकारी नहीं है जिन्हे “सलाहकार” की पदवी दी गई हो।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 9 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2614

342

*औद्योगिक स्थापनाओं में केंटीन और केफेटेरिया खोला जाना

1700. सर के. बी. जिना राजा हेगड़े : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नियोक्ताओं द्वारा सभी औद्योगिक स्थापनाओं में केंटीन और केफेटेरिया खोले जाने को प्रोत्साहित कर रही है, जहां सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाए;

(ख) वर्ष 1944-45 में देश में इस प्रकार की कितनी कैंटीन और केफेटेरिया खोली गई;

(ग) क्या सरकार ने देश में आर्डीनेंस फैक्टरियों के कामगारों को ऐसे लाभ दिए हैं;

(घ) क्या माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि आराबनकाडा फैक्ट्री के कामगारों ने सरकार से इस प्रकार के लाभ मांगे हैं; और

(ङ) क्या सरकार आराबनकाडा के कामगारों को इस प्रकार के लाभ देने का विचार रखती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) केफेटेरिया से अलग विशेष रूप से केंटीन के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। उपलब्ध सूचना से यह विदित होता है कि वर्ष 1944 के समाप्त होने तक पका हुआ भोजन सप्लाई करने के लिए 315 संस्थापन थे और शेष संस्थापनों में जलपान उपलब्ध कराया जाता था।

(ग) जी हाँ।

(घ) नहीं।

(ङ) फैक्ट्री में चाय और अन्य जलपान की बिक्री की व्यवस्था पहले से ही की गई है। कारखाने में भोजन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार जाएगा यदि उसकी अधिक मात्रा में मांग हो जाती है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 9 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2615

श्री के. बी. जिना राजा हेगड़े : इन लाभों को प्राप्त करने के लिए कितने कामगारों को आवेदन करना चाहिए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : निश्चय ही, यदि वे यह इच्छा प्रकट करते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा?

श्री के. बी. जिना राजा हेगड़े : उन कामगारों की संख्या क्या है जिन्हें आवेदन करना चाहिए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अभी तक हमने इस प्रकार की मांग के लिए कोई भी न्यूनतम संख्या प्रस्तावित नहीं है।

प्रो. एन. जी. रंगा : क्या कल्याण अधिकारियों का एक काम यह है कि वे अपने कर्मचारियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करें?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हम इस बारे में विचार कर रहे हैं।

343

*भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते तथा वेतन-मान का बढ़ाया जाना

1706. काज़ी मोहम्मद अहमद काज़मी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि (i) भारत सरकार के मुद्रणालयों की यूनियनों ने अपनी फेडरेशन बना ली है; (ii) क्या भारत सरकार मुद्रणालय की यूनियनों के फेडरेशन की कार्यकारी समिति ने एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें मुद्रणालय के कर्मचारियों की कठिनाई की दुःखद कहानी का वर्णन किया गया है तथा उनके मंहगाई भत्ता और वेतनमान को बढ़ाने की सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) यदि (क) के उत्तर सकारात्मक हैं तो क्या इस वक्तव्य के जारी होने के समय से इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है. यदि नहीं तो वह कार्रवाई कब और किस प्रकार करेंगे और यदि कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्यों?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) (i) और (ii) जी हाँ।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 9 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2619

344

*अभ्रक की खानों में भारतीय हितों की सुरक्षा

1709. प्रो. एन. जी. रंगा : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका ध्यान 16 मार्च, 1945 का फ्री प्रेस जर्नल में छपे “इंडिया चीफ् प्रोड्यूसर ऑफ माइका” (अभ्रक का मुख्य उत्पादक भारत) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है जिससे यह बताया गया है कि ब्रिटिश और अमरीकी हित भारत की अभ्रक खानों पर नियंत्रण पाने की कोशिश में लगे हैं;

(ख) यदि यह सच है तो सरकार इस समय अभ्रक उद्योग में लगे लोगों के अधिकारों के बारे में क्या सुरक्षा साधन अपना रही है और उन भारतीय संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के अधिकारों के बारे में क्या सुरक्षा साधन अपना रही है जिन्होंने अभ्रक के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं;

(ग) भारत में अभ्रक खानों में कितनी भारतीय संयुक्त स्टॉक कम्पनियां रुचि लेती हैं;

(घ) पूंजी इश्यू के नियंत्रण द्वारा कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं कि अभ्रक के संबंध में नई कम्पनियों के रूप में उन्हें रजिस्टर किया जाए और इस बारे में कितनी कम्पनियों को अनुमति दी गई है तथा उन कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि भारतीयों को अभ्रक के संबंध में अधिकारों के लिए यह आश्वासन दिया जाएगा कि अधिक शक्तिशाली ब्रिटिश और अमरीकी स्वत्वाधिकारियों की धमकी से उन्हें बचाया जाएगा कि उन्हें उनके वर्तमान अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) 16 मार्च, 1945 के फ्री प्रेस जर्नल में सम्बंधित लेख नहीं मिला।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31 मार्च, 1943 को अंत होने वाली अवधि के लिए प्राप्त वार्षिक विवरणी के अनुसार संख्या बीस है। इसके बाद की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) पूंजी इश्यू के परीक्षक द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त किए गए हैं और कुछ मामलों में अनुमति दी गई है। संबंधित विभाग की यह प्रथा नहीं है कि उन फर्मों के नाम बताए जाए जिनके काम-धाम को वह देख रहा है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 9 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2619

(डं) सरकार यह आवश्यक समझती है कि भारतीय अध्रक उद्योग को ठोस आधार उपलब्ध कराया जाए और वह भारतीय अध्रक उत्पादक के सभी अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाने का इरादा रखती है।

श्री मनु सूबेदार : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि सरकार ने इस बात का प्रयत्न क्यों नहीं किया कि छोटे-छोटे अध्रक उत्पादकों को अपने पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन में सम्मिलित किया जाए और वे विदेशी स्वत्वाधिकारियों के लिए क्यों मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हम कोई भी कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं करते जब तक हमें उस समिति की रिपोर्ट न मिल जाए जिसे हमने नियुक्त किया है।

श्री मनु सूबेदार : क्या सरकार छोटे भारतीय अधिकारों को इन विदेशी स्वत्वाधिकारों द्वारा खरीदे जाने की अनुमति देगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस मुद्दे के बारे में पूर्ण निर्णय नहीं करना चाहता।

प्रोफेसर. एन. जी. रंगा : इस बीच इस उद्योग का क्या होने वाला है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस मामले में अधिक डरने की कोई बात नहीं है।

श्री मनु सूबेदार : क्या सरकार सदन को कोई आश्वासन देना चाहेगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी, हम सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

345

*तीमारपुर, दिल्ली के क्वार्टरों की बुरी दशा

1722. **श्री बद्री दत्त पाण्डे :** (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तीमारपुर में सरकारी क्वार्टर अस्थायी रूप से बनाए गए थे;

(ख) क्या श्रम सदस्य इस बात से अवगत हैं कि ये क्वार्टर अब बहुत बुरी हालत में हैं और आशंका है कि किसी भी समय इनमें से कुछ क्वार्टर गिर सकते हैं;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 9 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2630

(ग) क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि तीमारपुर के क्वार्टरों की तुलना में नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर शत-प्रतिशत ठीक हालत में हैं;

(घ) क्या वह इस तथ्य से भी अवगत हैं कि तीमारपुर के सी टाईप के क्वार्टरों में पानी का केवल एक टैप है जबकि इसी प्रकार के नई दिल्ली के क्वार्टरों में पानी के तीन से चार टैप उपलब्ध हैं;

(ङ) क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि क्या कोई भी एकजीक्यूटिव इंजीनियर या उच्चाधिकारी इन क्वार्टरों में यह देखने के लिए नहीं गया है कि प्रत्येक क्वार्टर की मरम्मत ठीक से हुई अथवा नहीं हुई है तथा कोई भी किरायेदारों की सुविधाओं को नहीं देखता; और

(च) सरकार उन लोगों से समान किराया क्यों लेती है जो अपर श्रेणी के क्वार्टरों में रहते हैं तथा वह नई दिल्ली के क्वार्टरों की तुलना में बहुत कम सुविधाएं हैं? क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि इन मामलों की जांच की जाए और किराए को कम किया जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) नहीं। परन्तु मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि इन क्वार्टरों की प्रायः मरम्मत कराने की आवश्यकता होती है।

(ग) नई दिल्ली के क्वार्टर तीमारपुर के क्वार्टरों की तुलना में अधिक अच्छे हैं।

(घ) जी हाँ।

(ङ) नहीं। दूसरी ओर मेरी सूचना यह है कि इन क्वार्टरों का नियमित रूप से विभाग के उत्तरदायी कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। उसी स्थल पर एक पूछताछ कार्यालय है जहां किराएदार अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

(च) यह संभव नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों से एक ही प्रकार के क्वार्टरों के लिए अलग-अलग किराया लिया जाए चाहे कुछ क्वार्टरों में सुविधाएं कम ही क्यों न हों। तीमारपुर के क्वार्टरों का स्टैंडर्ड किराया नई दिल्ली के इसी प्रकार के क्वार्टरों की तुलना में कम है और इसके फलस्वरूप इन क्वार्टरों के अधिकांश किराएदार अपने वेतन के दस प्रतिशत भाग से कम अदा करते हैं। इन क्वार्टरों के किराए को कम करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रोफेसर एन. जी. जंगा : क्या पुराने क्वार्टरों के लिए सुविधाओं को सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उन्हें पहले ही सुविधाएं दी जा चुकी हैं।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा: माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में बताया कि पानी के टैप और उच्च सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं। इन सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस मामले की जांच-पड़ताल करूंगा।

346

*नई दिल्ली में स्थायी तौर पर रखे गए शिमला कर्मचारियों के आवास की कठिनाई

1800. श्री बद्री दत्त पाण्डे : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि शिमला के उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जो नई दिल्ली में स्थायी तौर पर काम कर रहे हैं?

(ख) क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि इन कर्मचारियों और उच्च कर्मचारियों को विभागों अथवा कार्यालयों की मुख्य शाखाओं से बहुत दूर स्थानान्तरित होने पर अधिक असुविधा महसूस की जाती है?

(ग) क्या उनका प्रत्येक विभागीय यूनिट को एक ही भवन में स्थित करने का विचार है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा इसके संग्रह करने में निहित समय और श्रम न्यायसंगत नहीं लगते।

(ख) हाँ।

(ग) वर्तमान परिस्थितियों में यह सदैव संभव नहीं है कि किसी विशेष कार्यालय के सभी कर्मचारियों को एक भवन में स्थान दिया जाए। फिर भी इस बात के प्रयास किए गए कि यथासंभव इस सिद्धान्त का पालन किया जाए।

347

#भारतीय मजदूरों के फेडरेशन को सरकारी योगदान

1800. श्री बद्री दत्त पाण्डे : (क) क्या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने “द स्टोरी ऑफ ए सोर्डिड एपीसोड” (अधम घटना की कहानी) नामक पुस्तक देखी है जिसमें बताया गया है कि उनके विभाग द्वारा भारतीय मजदूर फेडरेशन के सचिव श्री एम. एन. राय को 13000 रुपये का अनुदान दिया गया और यह पुस्तक गणपतराम द्वारा प्रकाशित की गई;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 9 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2631

वही, 12 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2797

(ख) क्या सरकार लेखाओं का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे और यह बताएंगे कि यह राशि किस प्रकार व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 13000 रुपये मासिक अनुदान चालू वर्षों के बजट में शामिल किया गया है और यदि हाँ तो अनुदान की मांगों में किस शीर्ष के अन्तर्गत इसे दिखाया गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) मैंने पुस्तक नहीं देखी है।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान 2 नवम्बर, 1944 को श्री लालचन्द नवल राय द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 31 के उनके अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहूँगा।

(ग) जी हाँ; यह वर्ष 1945-46 के अनुदानों की मांगों में शीर्ष “युद्ध-सी-5 से सम्बंधित विविध कार्य - युद्ध प्रचार पर व्यय सी-5(4)- मजदूरी का प्रचार” के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

श्री बद्री दत्त पांडे : माननीय सदस्य ने किसी अन्य दिन यह बताया था कि लेखाओं का विवरण सदन के पटल पर रखा जाएगा। वह ऐसा कब कर रहे हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इससे यह बात नहीं उभरती।

श्री लालचन्द नवलराय : यदि माननीय सदस्य ने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है तो क्या मैं उन्हें यह बता दूँ कि दो पुस्तकें हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। एक पुस्तक के लेखक श्री जमना दास मेहता हैं तो दूसरी पुस्तक के लेखक श्री राँव हैं। क्या माननीय सदस्य इन पुस्तकों को मँगवाएँगे और उनका अध्ययन करेंगे तथा तभी उन्हें विदित होगा कि दोनों पुस्तकों में विरोधाभासी कथन हैं? तब क्या माननीय सदस्य इस प्रश्न की गहराई में जाएंगे और यह पता लगाएंगे कि इस राशि को किस प्रकार व्यय किया गया, क्या यह राशि उन दोनों के बीच आधी-आधी बाँटी गई अथवा किस प्रकार क्या हुआ?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा यह प्रस्ताव नहीं है कि मैं इन पुस्तकों की खरीद पर अपना धन व्यय करूँ। यदि ये पुस्तकें मेरे पास भेजी जाएं तो मैं उन पुस्तकों का अध्ययन करूँगा।

श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेटिट्यार : मुझे खेद है। मैं प्रश्न के भाग ‘ग’ का उत्तर नहीं समझ सका। क्या माननीय श्रम सदस्य दोहरायेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने कहा कि अनुदान अनुदानों की माँगों में है।

श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेटिट्यार : क्या अनुदान में वृद्धि की गई अथवा क्या यह वहीं राशि है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वह वही राशि है।

श्री लालचन्द नवलराय : यदि मैं इन पुस्तकों को भेजूँ जो मेरे पास हैं तो क्या माननीय सदस्य इनका अध्ययन करेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि मुझे समय मिलता है तो मैं इन पुस्तकों का अध्ययन करूँगा।

श्री बद्री दत्त पांडे : मेरे पूर्व प्रश्न के उत्तर में माननीय सदस्य यह कैसे कहते हैं कि सदन के पटल पर लेखाओं का विवरण रखने का प्रश्न नहीं उठता जबकि प्रश्न में यह निश्चय ही कहा गया है कि लेखाओं का विवरण सदन के पटल पर रखा जाएगा कि किस प्रकार यह राशि व्यय की गई?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया।

श्री बद्री दत्त पांडे : आपने अभी यह कहा कि सदन के पटल पर लेखाओं के विवरण के रखे जाने का प्रश्न नहीं उठता परन्तु जैसा कि भाग (ख) में बताया गया है, यह प्रश्न का निश्चित भाग है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे खेद है। मेरे पास जो सूचना है, मैं उसे सदन के पटल पर रखूँगा।

348

*अभ्रक जाँच-पड़ताल समितियों की नियुक्ति के लिए प्राधिकार

1801. श्री राम नारायण सिंह : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रांतीय विधायी सूची की सातवीं अनुसूची के अनुसार भारत सरकार अधिनियम, 1935 की मद 27 में कहा गया है कि अभ्रक उद्योग प्रांतीय विषय है; और यदि हां तो क्या इस अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार भारत सरकार द्वारा मौजूदा अभ्रक जाँच-पड़ताल समिति का गठन हुआ है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे अपने उत्तर में कुछ और नहीं बढ़ाना है जो मैंने 20 नवम्बर, 1944 को इस विषय पर श्री सत्य नारायण सिन्हा के अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में कहा था।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 9 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2631

श्री राम नारायण सिंह : (क) क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि क्या यह भारत सरकार द्वारा प्रांतीय सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा था, मैंने जो उत्तर दिया था, उसमें मुझे कुछ भी नहीं जोड़ना है।

349

*ब्रिटिश अमेरिकन अभ्रक मिशन

1802. श्री राम नारायण सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान संयुक्त ब्रिटिश अमेरिकन अभ्रक मिशन किसकी पहल पर गठित किया गया;

(ख) ऊपर बताए गए मिशन में ब्रिटिश और अमेरिकन प्रतिनिधियों की संख्या क्रमशः क्या है;

(ग) मिशन के प्रयोजन और कार्य क्या हैं; और

(घ) क्या यह अस्थायी साधन है अथवा क्या मिशन युद्ध के बाद भी स्थायी रूप से चलने के लिए है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) यह संयुक्त अभ्रक मिशन भारत सरकार और महामहिम की सरकार तथा महामहिम की सरकार और अमरीका की सरकार के परस्पर विचार-विमर्श के फलस्वरूप गठित किया गया।

(ख) इसमें तीन ब्रिटिश और तीन अमरीकी सरकार के प्रतिनिधि हैं।

(ग) यह मिशन अपने मालिकों के अनुदेशों के अधीन संयुक्त एवं आवश्यक सभी अभ्रक की खरीद, निरीक्षण, स्वीकृति और भुगतान तथा प्रेरणा के लिए उत्तरदायी है।

(घ) यह केवल युद्ध का साधन है।

श्री राम नारायण सिंह : क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि भारत सरकार अथवा अभ्रक उद्योग को मिशन में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह अनावश्यक है, यह केवल खरीद के लिए मिशन है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 9 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2799

श्री एन. एम. जोशी : क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि क्या यह सच है कि भारत में अध्रक के मालिकों को जो कीमत अदा की जाती है, उससे कहीं अधिक कीमत पर अध्रक अमरीका में बेची जाती है। इस प्रकार अधिक लाभ होता है और यह अधिक लाभ कौन ले जाता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे इस प्रश्न के लिए नोटिस की आवश्यकता है।

350

*हिन्दू पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को श्रम अधिकारी आदि के रूप में नियुक्त किया जाना

1803. श्री एम. घियासुद्दीन : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दू पिछड़ी जातियों यथा अहीर, गड़रिया, तेली, तंबोली, कहार, लोहार, बढ़ई और कुम्हार में से उपयुक्त उम्मीदवारों में से श्रम अधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम विधि सलाहकार और श्रम कल्याण समाज अधिकारी के पद पर नियुक्ति की गई है; (ये जातियां आनुवंशिक रूप से व्यावसायिक और कारीगर वर्गों की होती है और देश में इनकी जनसंख्या सोलह से सत्रह करोड़ तक है) और यदि नहीं है तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : तुरंत उपलब्ध सूचना से ऐसा लगता है कि इन विशेष वर्गों से कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है।

351

*बोविन और अन्य तकनीकी योजनाओं के अन्तर्गत हिन्दू पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को सुविधाएं

1804. श्री एम. घियासुद्दीन : क्या माननीय श्रम सदस्य पिछड़े वर्गों यथा लोहार, बढ़ई, गड़रिया, कुम्हार और तेली के उम्मीदवारों को सरकारी सुविधाएं देंगे जो आनुवंशिक रूप से व्यावसायिक तथा कारीगर वर्गों के लोग हैं और क्या उन्हें बोविन प्रशिक्षणार्थियों की योजना अथवा ऐसी ही अन्य टेक्निकल योजनाओं में भाग दिलाएंगे जो यदा कदा बनाई जाती हैं; और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

* वही, पृष्ठ 2799

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 9 अप्रैल, 1945, पृष्ठ 2619

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : सरकार ने पहले ही कदम उठाए हैं कि पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों आदि) के उम्मीदवारों को बोविन प्रशिक्षण योजना में भर्ती कराने में सहायता की जाए। राष्ट्रीय सेवा श्रमिक अधिकरण जो चुनाव करते हैं, को यह निदेश दिया गया है कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के संबंध में अलग-अलग प्रान्तों में लागू आदेशों का पालन करें और यह देखें कि विभिन्न संप्रदाय तथा वर्ग पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व पाते हैं। इसके अलावा अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वे अपने साथ अनुसूचित जाति के प्रभावशील गैर-सरकारी व्यक्ति को शामिल कर लें और यदि आवश्यकता हो तो एक मुसलमान को शामिल कर लें जो उन्हें अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगा।

352

*प्रांतीय राष्ट्रीय श्रमिक सेवा अधिकरण में हिन्दू पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधि

1805. श्री एम. घियासुद्दीन : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दू पिछड़े वर्गों में से कोई प्रतिनिधि प्रांतीय राष्ट्रीय श्रमिक सेवा अधिकरण में हैं; और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : भारत सरकार इस तथ्य से अवगत नहीं है कि राष्ट्रीय सेवा श्रमिक अधिकरणों में हिन्दू पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं। इन अधिकरणों में जातीय आधार पर प्रतिनिधित्व न तो आवश्यक है और न व्यावहारिक ही।

353

#स्थायी श्रमिक समिति की पांचवीं बैठक की कार्यवाहियों का संक्षिप्त-सार

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : मैं 27 जून, 1944 को नई दिल्ली में आयोजित स्थायी श्रमिक समिति की पांचवीं बैठक की कार्यवाहियों के संक्षिप्त-सार[#] की प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 20 नवम्बर, 1945, पृष्ठ 1000

वही, खंड 1, 1945, 21 जनवरी, 1946, पृष्ठ 61

† इन वाद-विवादों में मुद्रित नहीं किए गए परन्तु इनकी प्रतियां सभा के ग्रंथालय में रख दी गई हैं।

354

*छठे श्रमिक सम्मेलन की कार्यवाहियों का संक्षिप्त-सार

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : मैं 27 और 28 अक्टूबर, 1944 को नई दिल्ली में आयोजित छठे श्रमिक सम्मेलन की कार्यवाहियों के संक्षिप्त-सार[@] की प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ।

355

#स्थायी श्रमिक समिति की छठी बैठक की कार्यवाहियों का संक्षिप्त-सार

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : मैं 17 मार्च, 1945 को नई दिल्ली में आयोजित स्थायी श्रमिक समिति की छठी बैठक की कार्यवाहियों के संक्षिप्त-सार[@] की प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री एम. अनन्तशायनम आच्युंगर (मद्रास सत्तान्तरित जिला और चित्तर : गैर-मुस्लिम ग्रामीण) : सूचना के लिए क्या मैं यह जान सकता हूँ कि इन कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करने में इतनी देर क्यों हुई जबकि ये कागजात 27 जून, 1944 और 27 तथा 28 अक्टूबर, 1944 को तैयार थे? इन्हें गत विधान सभा में क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता परन्तु मैं इस मामले पर ध्यान दूँगा।

356

\$भारतीय खनन (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं भारतीय खान अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ।

* वही खंड 1, 21 जनवरी, 1946, पृष्ठ 61

विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खंड 1, 1946, 21 जनवरी, 1946

@ इन वाद विवादों में मुद्रित नहीं किए गए परन्तु इनकी प्रतियां सभा के ग्रंथालय में रख दी गई हैं।

\$ विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खंड 1, 1946, 30 जनवरी, 1946, पृष्ठ 247

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

“कि भारतीय खान अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन् मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

357

*सरकारी कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त आवास व्यवस्था

24. श्री एम. अनन्तशायनम आव्यंगर : क्या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी विभागों में उन लिपिकों और सहायकों की संख्या कितनी है जिन्होंने क्वार्टरों के लिए आवेदन किया है परन्तु उन्हें नई दिल्ली में आवास आवंटित नहीं किए गए हैं;

(ख) उन अधीक्षकों की संख्या कितनी है जिन्होंने सरकारी क्वार्टर के लिए आवेदन-पत्र दिया है परन्तु उन्हें अभी तक आवास नहीं दिया गया है;

(ग) नई दिल्ली और करोल बाग में अधिगृहीत घरों और फ्लैटों की संख्या कितनी है जो युद्ध के दौरान (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों को सौंपे गए हैं अथवा सौंपे जाने का प्रस्ताव है;

(घ) नई दिल्ली और करोल बाग में उन घरों और फ्लैटों की संख्या कितनी है जो उनके मालिकों को 1 जनवरी, 1946 को या इस तारीख से सौंपे गए हैं अथवा सौंपे जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) जिन्होंने 1 जनवरी, 1945 से पूर्व आवास के लिए आवेदन-पत्र दिया है, उन्हें सरकारी आवास कब तक मिल जाने की आशा है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) क्वार्टरों के आवेदन-पत्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, अर्थात् - (I) अधिकारी जिन्हें 600 रुपये से कम वेतन मिलता है; और (II) अधिकारी जिन्हें 600 रुपये या इससे अधिक वेतन मिलता है। सभी लिपिक, सहायक और कुछ अधीक्षक वर्ग (i) के अन्तर्गत आते हैं। इस वर्ग के अन्तर्गत आवेदन पत्रों की संख्या 16,256 है जिन्हें आवास आवंटित

* वही, 5 फरवरी, 1946, पृष्ठ 247

नहीं किए गए हैं। उन लिपिकों और सहायकों अथवा अधीक्षकों की संख्या के बारे में सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है जिन्होंने क्वार्टरों के लिए आवेदन-पत्र दिए हैं परन्तु उन्हें क्वार्टर नहीं मिले हैं।

(ग) ऐसे अधिकारियों के लिए नई दिल्ली और करोलबाग में लिए जाने वाले फ्लैटों की संख्या 188 है जो 600 रुपये से कम वेतन नहीं पाते हैं।

(घ) 3.

(ङ) यह संभव नहीं है कि किसी आवेदक द्वारा क्वार्टर पाने की संभावना पर सूचना उपलब्ध कराई जाए क्योंकि यह स्थिति कई कारकों पर निर्भर होती है जिनके बारे में पूर्वभास नहीं हो पाता यथा नई दिल्ली में तैनाती की तारीख क्या होगी, उसके वेतन की राशि, क्या वह अकेला है, विवाहित है अथवा परिवार के साथ है, उसकी विशेष प्रकार के क्वार्टर की वरीयता क्या है, आदि।

358

*दिल्ली में अतिरिक्त सरकारी इमारतें

25. श्री एम. अनन्तशायनम आच्यंगर : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या इम्पीरियल सेक्रेटेरियर इमारतों के उत्तर और दक्षिण में और नई दिल्ली में अलग बैरक और इमारतें बनाई गई हैं ताकि वे अमरीकी, ब्रिटिश और भारतीय कर्मचारियों के उपयोग में रहे परन्तु अब ये इमारतें उपयोग के लिए बेकार हो गई हैं और यदि हां तो ऐसी कितनी इमारतें हैं;

(ख) उल्लिखित (क) में इमारतों में कुल कमरों की संख्या क्या है;

(ग) क्या अब इनमें कोई भी कार्यालय स्थित हैं और यदि नहीं तो उनके उपयोग के लिए क्या प्रस्ताव है;

(घ) क्या यह प्रस्ताव है कि इन इमारतों को अभी अथवा निकट भविष्य में आवंटित किया जाए, ताकि यथावश्यक रसोईघरों और स्नानागृहों में कुछ परिवर्तन करके उन्हें (i) कार्यालय उपयोग और (ii) आवास गृह के लिए उपयोग किया जाए;

(ङ) यदि ऊपर (घ) का उत्तर सकारात्मक है तो क्या अभी तक कोई क्वार्टर आवंटित किया गया है; यदि हां तो कितने क्वार्टर आवंटित किए गए हैं; और

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1946, पृष्ठ 478-79

(च) विशेष रूप से तालकटोरा रोड, गुरुद्वारा रोड, कवीन्सवे और कनॉट प्लेस में अमरीकी बैरकों के साथ क्या किया जाना है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य उन अस्थायी इमारतों का उल्लेख कर रहे हैं जो अभी तक भारत सरकार के अलावा अन्य कर्मचारियों द्वारा अधिकार में थी।

सरकार को सौंपी गई ऐसी इमारतों के संबंध में आवश्यक सूचना अथवा आगामी तीन महीनों में सरकार के अधिकार में आने वाली इमारतों के सौंपे जाने की सूचना का विवरण सदन के पटल पर रखा है।

(ग) मैं अपना उत्तर उन इमारतों के प्रश्न के इस भाग तक सीमित करता हूँ जो वास्तव में सरकार को सौंपी गई हैं। यह उत्तर सकारात्मक है सिवाय उन इमारतों के, जो हाल ही में सौंपी गई और जो सरकार द्वारा आवश्यक थीं और यह प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा इन इमारतों का उपयोग किया जाएगा।

(घ) मैं उन इमारतों के प्रश्न के इस भाग तक अपना उत्तर सीमित करता हूँ जो आगामी तीन महीनों में सौंप दी जाएंगी। इस प्रकार की इमारतों की आवश्यकता सरकार द्वारा होती है ओर यह प्रस्ताव है कि इन्हें किसी न किसी काम के लिए उपयोग में लाया जाए।

(ड) नहीं, प्रश्न के बाद के भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) तालकटोरा रोड और गुरुद्वारा रोड पर स्थित इमारतें सरकार द्वारा कार्यालय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही हैं और इनका उपयोग उस समय तक किया जाएगा जब तक सरकार को इन इमारतों की आवश्यकता है। जहाँ तक कनॉट प्लेस और कीन्सवे पर स्थित अमरीकी इमारतों का संबंध है, उनके निपटान के तरीके के बारे में विचार किया जा रहा है परन्तु सरकारी प्रयोजनों के लिए उनकी आवश्यकता हो सकती है।

आगामी तीन महीनों में नई दिल्ली में सरकार को सौंपी गई अथवा सौंपी जाने वाली इमारतों को दर्शाने वाला विवरण

इमारत का नाम	इस इमारत में उपलब्ध करमरों आदि की संख्या
आई ब्लाक	74
एम ब्लाक	107
गुरुद्वारा रोड	106

इमारत का नाम	इस इमारत में उपलब्ध कमरों आदि की संख्या	
तालकटोरा बैरक	14 बैरक	49,000 वर्ग फीट
	1 बैरक	2,890 वर्ग फीट
	कार्यालय कमरे (18)	4,446 वर्ग फीट
	मनोरंजन हॉल	
	जिसके साथ सटे हुए	
	4 कमरे और डायनिंग	
	हॉल	2,893 वर्ग फीट
सेण्ट्रल विस्ता जोधपुर मेस में	288 कमरे	
अधिकारियों के क्वार्टर	120	
(अप्रैल 1946 में सौंपे जाने हैं)		
केनिंग रोड बैरक -‘बी’ ब्लाक (21.2.46 को सौंपे जाने हैं)	6 बैरक (डबल)	62,406 वर्ग फीट
	1 बैरक	4,598 वर्ग फीट
	10 ऑफिस रूम	4,566 वर्ग फीट

359

*दिल्ली और नई दिल्ली के टाउन प्लानिंग अधिकारी के रूप में श्री हार्कनेस की नियुक्ति

25. श्री एम. अनन्तशायनम आच्यंगर : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली और नई दिल्ली के टाउन प्लानिंग अधिकारी के रूप में श्री हार्कनेस की नियुक्ति की गई है;

(ख) वे क्या शर्तें हैं जिन पर उनकी भर्ती की गई है;

(ग) क्या भारत में इस पद के लिए विज्ञापन दिया गया था और क्या इस पद के लिए अर्हताप्राप्त अथवा योग्य भारतीयों के आवेदन-पत्र माँगे गए थे और यदि हां तो क्या कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1946, 5 फरवरी, 1946, पृष्ठ 479

(घ) क्या यह नियुक्ति संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा की गई थी, यदि नहीं है तो क्यों;

(ङ) क्या श्रम सदस्य ने श्री हार्कनेस का पद देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया था कि आवश्यक योग्यता का कोई भी भारतीय उपलब्ध नहीं था; और

(च) क्या श्री हार्कनेस को भारत जैसे देश में टाउन प्लानिंग का पूर्व अनुभव प्राप्त था अथवा क्या उनका अनुभव यूरोप और अन्य देशों तक सीमित था?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) यह पद तीन वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया और इस पद के लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई थी। इस पद के लिए 2000 रुपये प्रति मास वेतन दिया जाता है।

(ग) इस प्रश्न के दोनों भागों का उत्तर सकारात्मक है।

(घ) सर्वप्रथम यह पद संघीय सेवा लोक आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया था परन्तु भारत में इस पद के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न था।

(ङ) जी हाँ।

(च) श्री हार्कनेस का अनुभव यूरोप और भारत के अलावा अन्य देशों तक सीमित है।

360

*विधान सभा के सदस्यों के लिए हाथ का बना हुआ कागज

31. सेठ गोविंद दास : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रम सदस्य यह प्रस्ताव करेंगे कि इस सदन के सदस्यों के लिए भविष्य में उपयोग और बिक्री हेतु ऐसा हाथ का बना हुआ कागज ही प्राप्त करेंगे जो सहकारिता के आधार पर संगठित संस्थाओं द्वारा ग्रामीण उद्योग के रूप में तैयार किया जाता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि इस सदन के सभी सदस्य हाथ के बने हुए कागज को स्वीकार करें और उसके उपयोग के लिए सहमत हों तो इस प्रकार का कागज उन्हें बिक्री हेतु प्राप्त किया जाएगा जब यह कागज स्वीकार्य गुणवत्ता में प्राप्त हो।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) खण्ड 1, 1945, 5 फरवरी, 1946, पृष्ठ 481

361

@विधान-मंडल के सदस्यों के लिए कुएं और अतिरिक्त आवास

33. सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केंद्रीय विधान-मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए आवास हेतु बंगलों (कोठियों) का अभाव है? यदि हाँ तो सरकार क्या कदम उठा रही है कि सभी सदस्यों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त बंगलों का पर्याप्त संख्या में निर्माण कराया जाए?

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि इन स्थानों में कुओं के अभाव के कारण विधान सभा सदस्यों के परिवार के उन परंपरावादी सदस्यों को कठिनाई होती है जो टैप (नल) के जल के उपयोग करने पर आपत्ति करते हैं; और

(ग) क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि कुओं का निर्माण कराया जाये और इन कुओं का निर्माण सदस्यों को आगामी समय में अपने आवासों में पहुंचने से पूर्व उनके समीपी स्थाना के में उपयुक्त दूरियों पर किया जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अष्टेडकर : (क) इस समय के प्रारंभ होने तक आवास की कमी सरकार को नहीं बताई गई तथा सदस्यों द्वारा कोई भी कमी की शिकायत नहीं मिली। अभी बंगला जैसे आवास की कमी की शिकायत सरकार के नोटिस में लाई गई है और सरकार उस पर विचार कर रही है।

(ख) नहीं।

(ग) सरकार के पास इस प्रकार का प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

362

*भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का पुनर्गठन

36. श्री के. सी. नियोगी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि (i) भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पुनर्गठन के मामलों में क्या कार्रवाई की गई है अथवा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ताकि “सरकार खनिज नीति को बढ़ाने के लिए सशक्त कानून” बनाए जा सकें, और

@ वही।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1946, 5 फरवरी, 1946, पृष्ठ 482-83

(ii) भारत में खनिज संसाधनों के संबंध में सरकार की नीति की परिभाषा करते समय 12 मार्च, 1945 को विधान सभा में दिए गए वक्तव्य की दृष्टि से खनिजों पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयोजन के लिए क्या विधान को हाथ में लिया गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (i) केंद्रीय सरकार द्वारा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधिक विस्तार का कार्य हाथ में लिया गया है। सर्वेक्षण के उच्च राजपत्रित कर्मचारीवर्ग की संख्या युद्ध से पूर्व 27 से बढ़ाकर 102 कर दी गई है जिसमें विशेषज्ञ तथा भूभौतिकीविद् खनन अभियंता शामिल किए गए हैं।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्यों और संगठन को दर्शाती पुस्तिका सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ii) प्रांतीय सरकारों से इस मामले में परामर्श लिया गया और उनके उत्तर विचाराधीन हैं।

363

*भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की उपयोगिता शाखा का उन्मूलन

37. श्री के. सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी वे क्या परिस्थितियाँ हैं जिन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की उपयोगिता शाखा के उन्मूलन की ओर अग्रसर किया।

(ख) क्या यह सच है कि ऊपर बताई गई शाखा से सम्बद्ध सलाहकार समिति से किसी समय यह आशा की गई थी कि खनिजों के संदर्भ में वह युद्धोत्तर प्लानिंग कमेटी के रूप में कार्य करें?

(ग) क्या कोई समिति खनिजों के बारे में युद्धोत्तर नीति से संबंधित प्रश्नों के विचार में लगी हुई है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) युद्ध के प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए देश के अविकसित खनिज संसाधनों की उपयोगिता की दृष्टि से उपयोगिता शाखा स्थापित की गई थी। युद्ध की समाप्ति होने पर देश के युद्धकालीप उत्पादन से हटकर खनिज विकास की योजनाबद्ध नीति की ओर बल दिया गया। इस प्रकार

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1945, 5 फरवरी, 1946, पृष्ठ 483

की योजनाबद्ध नीति भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का अधिन अंग है और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है परन्तु उत्पादक प्रयोजनों के लिए अलग शाखा हेतु अब आवश्यकता नहीं है।

(ख) जी हाँ, परन्तु कार्यों में परिवर्तन किए जाने के कारण सलाहकार समिति के कर्मचारियों में भी परिवर्तन किया जाना था।

(ग) भारत सरकार ने हाल ही में एक विशेषज्ञ सलाहकार बोर्ड गठित किया है ताकि वह सरकार को उन समस्याओं के बारे में परामर्श दे जिनका संबंध देश के खनिज विकास से है। इस समिति के गठन के बारे में श्रम विभाग के प्रस्ताव संख्या एम 102(4), दिनांक 9 जनवरी, 1946 की प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

364

@भारतीय बोविन लड़के

40. श्री के. सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि बोविन प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कितने भारतीय इंगलैंड में प्रशिक्षित किए गए;

(ख) युद्ध की वस्तुओं के निर्माण में लगी कितनी फैक्टरियों में इनमें से कितने भारतीय लगे हैं;

(ग) बाद में कितने लोग कार्यभार से मुक्त किए गए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि बोविन प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित भारतीयों से सरकार द्वारा कहा गया है कि वे जिन कार्यों में उन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त की है; उससे अलग हटकर अन्य कार्यों में भी लगें? यदि हाँ तो इसका क्या कारण है और ऐसे तकनीशियनों की संख्या क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि यद्यपि सेवा की कोई गारंटी नहीं दी गई थी, इंगलैंड में भारतीय बोविन लड़कों को वहाँ ठहरने के दौरान ये आश्वासन दिए गए थे कि उनकी सेवाएँ भारत की औद्योगिक प्रतिष्ठा को अच्छा बनाने के कार्य में उपयोग की जाएंगी? यदि इसका उत्तर ऊपर बताए गए ढंग का है तो इन प्रशिक्षार्थियों के उपयुक्त रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(च) इन प्रशिक्षार्थियों से अपनी शिकायतों को बताते हुए कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; यदि हां तो इसका क्या प्रभाव होगा और इसका क्या परिणाम निकलेगा, और

(छ) क्या यह सच है कि बोविन प्रशिक्षण योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य का संबंध भारतीय प्रशिक्षार्थियों से था जिन्हें नियोक्ताओं और कारगारों के बीच सहयोग के तरीकों तथा ट्रेड यूनियन के ठोस सिद्धांतों के मूल्य को सिखाना था; और यदि हां तो भारत में इन तकनीशियों के प्रशिक्षण को ट्रेड संघवाद में किस प्रकार उपयोग करने का प्रस्ताव है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) 712 इस समय 75 व्यक्तियों का बैच प्रशिक्षणाधीन है।

(ख) 414 अन्य 168 प्रशिक्षार्थियों को सरकारी (केंद्रीय, प्रांतीय और भारतीय रियासतों) की रक्षा सेवाओं तथा रेलवे कारोबारों में काम पर लगाया गया था।

(ग) फैक्टरियों से 111 कामगार तथा अन्य कारोबारों से 9 कामगार युद्ध की वस्तुओं के उत्पादन-कार्य पर लगाए गए।

(घ) इंगलैंड से लौटने पर बोविन प्रशिक्षार्थियों को रोजगार पर लगाने के आदेश राष्ट्रीय सेवा (तकनीकी कर्मचारी वर्ग) अध्यादेश [नेशनल सर्विस (टेक्नीकल पर्सोनल) आडीनेंस] के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए थे। अधिकांश मामलों में बोविन प्रशिक्षार्थियों को ऐसा रोजगार दिया गया जो उनके इंगलैंड में प्राप्त प्रशिक्षण के अनुकूल था। कुछ मामलों में वे ऐसे कार्य पर नहीं लगाए जा सके जिनमें उन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त की थी तथा उन्हें अन्य कार्यों में लगाया गया जिसे वे अपने सामान्य प्रशिक्षण के सहारे संपन्न कर सकते थे। सरकार ऐसे सभी मामलों की जाँच-पड़ताल कर रही है तथा इस बात का प्रतिसंभव प्रयत्न किया जाएगा कि उन्हें उपयुक्त रोजगार मिले।

(ङ) इस प्रकार के आश्वासन नहीं दिए गए जहां तक भारत सरकार की जानकारी है। विवरणिका में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि रोजगार की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती परन्तु इस बात का प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाएगा कि उन प्रशिक्षण वार्थियों को उपयुक्त पदों पर काम में लगाया जा सके।

(घ) जी हां। युद्धोत्तर काल में उनकी मुख्य शिकायत यह है कि उन्हें उपयुक्त पदों पर काम में नहीं लगाया जाता जिससे उनका भविष्य अनिश्चित हैं। इस बात का प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जा रहा है कि बेरोजगार बोविन प्रशिक्षणार्थियों को सरकार और निजी कारोबारों में रोजगार दिलाया जाए। रोजगार कार्यालायों के प्रबंधकों को यह

निदेश दिए गए हैं कि वे उन बोविन प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार दिलाने का सर्वाधिक प्रयत्न करें जो उनके कार्यालय में पंजीकृत हुए हैं। बोविन प्रशिक्षणार्थियों की बेरोजगारी के संबंध में स्थिति की समय-समय पर जाँच की जाएगी और यथासंभव व्यावहारिक दृष्टि से उनकी वैध शिकायतों को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

(छ) जी हां। इंगलैंड में ट्रेड संघवाद की कार्य-पद्धति के अध्ययन की सुविधा बोविन प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराई गई। यह आशा की जाती है कि इस प्रकार जो अनुभव प्राप्त किया गया है, उससे बोविन प्रशिक्षणार्थी उस योग्य हो जाएँगे कि वे अपनी ओर से भारत में ठोस आधारों पर ट्रेड संघवाद का विकास करें।

365

*दामोदर योजना के परिचालन के लिए गांवों का प्रस्तावित निष्क्रमण

सभापति : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह योजना कब प्रारंभ की गई और यह योजना कितनी आगे बढ़ी है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अवस्था में कुछ भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को अपने विचार में ऐसा कोई संदेह नहीं है कि दामोदर नदी पर कुछ बांध बनाए जाएं। यह नदी बिहार और बंगाल में बहती है परन्तु इस स्थगन प्रस्ताव में जो प्रश्न पूछा जाता है जिसका तात्पर्य बलपूर्वक निष्क्रमण से है, उस बारे में मैं केवल यही कह सकता हूं कि अभी हम अति प्रारंभिक अवस्था में हैं, और अभी हम केवल जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में लगे हैं कि इस योजना में कितनी भूमि जलमग्न हो जाएगी और ऐसा कितना क्षेत्र होगा जो प्रभावित होगा और हम इस बात के जानने के प्रयत्न में लगे हैं कि कितने लोगों का निष्क्रमण किया जाएगा, उनकी जोतों की किस्म क्या है और उनके अधिकार क्या हैं। इस समय वास्तव में कुछ भी विशेष नहीं है। सरकार ने ऐसी अवस्था में कोई कार्रवाई नहीं की है जो चर्चा का विषय बन सके और मैं यह कहना चाहूँगा कि मुझे आशा है कि सरकार इस मामले में किसी निश्चित निष्कर्ष पर आती है तो मैं सदन में ऐसा आलेख प्रस्तुत करूँगा जिसमें सरकार के निष्कर्ष होंगे और सभी सदस्य अपनी इच्छानुसार यह मामला उठा सकते हैं।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1946, 7 फरवरी, 1946, पृष्ठ 605-06

366

*बिजली (आपूर्ति) विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : श्रीमन् मैं विद्युत के उत्पादन और आपूर्ति को युक्तिसंगत बनाने और सामान्य रूप से भारत में विद्युत के विकास के लिए उपयुक्त उपाय करने का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ।

सभापति : प्रश्न यह है:

“विद्युत के उत्पादन और आपूर्ति को युक्तिसंगत बनाने और सामान्य रूप से भारत में विद्युत के विकास के लिए उपयुक्त उपाय करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन् मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ।

367

@भारत सरकार द्वारा अस्थायी इमारतों की खरीद

सर आर. वेंकट सुब्राह्मण्यार : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय सदस्य का ध्यान 4 फरवरी, 1946 के हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रथम पृष्ठ के अंतिम स्तंभ में प्रकाशित लेख-शीर्षक “स्टॉप द लूट (लूट-पाट बन्द करो)” की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर सकारात्मक है तो क्या यह सच है कि महामहिम की सरकार भारत सरकार पर दबाव डाल रही है कि भारत सरकार इस लेख में दी गई इमारतों को खरीद ले और यदि हां तो क्या सरकार ने नीचे दी गई बातों के बारे में निर्णय किया है:

(ग) इस समय इमारतों का मूल्य क्या है;

(घ) महामहिम की सरकार के लिए उन इमारतों का मूल्य क्या है:

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1946, 7 फरवरी, 1946, पृष्ठ 616

@ वही, पृष्ठ 689

- (ङ) वह मूल्य जिस पर ये इमारतें दी जा सकती हैं, और
 (घ) क्या दोनों इमारतें गिराए जाने योग्य हैं और वे उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) नहीं। भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को आवास स्थान देने के लिए इन दोनों इमारतों को खरीदने का निर्णय किया है। इन इमारतों की खरीद की शर्तों पर अब विचार किया जा रहा है।

(ग) इन इमारतों के वर्तमान मूल्य के बारे में कोई निश्चित राशि नहीं बताई जा सकती क्योंकि इसका मूल्य अलग-अलग कारणों पर निर्भर करता है और आवश्यक रूप से यह मूल्य अलग-अलग हो सकता है।

(घ) 25,58,000 रुपये।

(ङ) 21,31,667 रुपये।

(च) इन इमारतों में फार ईस्टर्न ब्यूरो तथा भारत सरकार के अधिकारी आवास हेतु अपना आधिपत्य किए हुए हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि ये इमारतें रहने योग्य नहीं हैं। फिर भी ये इमारतें अस्थायी हैं और उन्हें उस समय तोड़ दिया जाएगा जब वे सरकार द्वारा अधिक समय के लिए उपयोगी नहीं होंगी।

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : कितने वर्ष तक उनके रहने की आशा की जाती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता। मेरा अनुमान है कि ये इमारतें 8 से 10 वर्ष तक बनी रहेंगी।

श्री शशांक शेखर सान्याल : क्या यह स्वैच्छिक अथवा बलपूर्वक खरीद है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : स्वैच्छिक! बलपूर्वक क्यों होगी? यदि सरकार को इन इमारतों की आवश्यकता है तो वह इन इमारतों को खरीद लेगी।

श्री मनु सूबेदार : किस आधार पर यह मूल्य निर्धारित किया गया है? क्या यह मूल्य मूल्याकर्षण कीमत के आधार पर है अथवा अंतिम बोली के आधार पर मूल्य है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अभी तक मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। यह मामला समझौते की बातचीत पर निर्भर है।

श्री एम. अनन्तशायनम आच्यंगर : युद्ध के समय से कितने वर्ष का जीवन है? 8 से 10 वर्ष पहले ही बीत गए हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इन इमारतों को युद्ध के दौरान बनाया गया था और मुझे इस समय उनके निर्णय की तारीख नहीं मालूम है।

श्री मोहन लाल सक्सेना : क्या सदन के समक्ष इन इमारतों की खरीद की माँग आएगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्यों? यह एक प्रशासकीय कार्य है।

श्री एम. अनन्तशायनम आच्यंगर : यदि उन इमारतों को युद्ध के प्रारंभ में ही बना लिया गया होता और उनका जीवन 8 से 10 वर्ष का होता तो इस समय उनका जीवन तीन वर्ष अधिक बढ़ जाता। माननीय सदस्य यह आवश्यक क्यों समझते हैं कि 25 लाख रुपये व्यय किए जाएं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने बताया है कि यह मामला विचारशील है। अभी तक कोई भी मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

श्री एम. आसफ अली : मैं माननीय सदस्य के अंतिम उत्तर से पूर्व उत्तर को नहीं समझ पाया। उन्होने कुछ ऐसा बताया कि यह प्रशासकीय मामला है जिसके लिए इस सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने यह नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि यह प्रशासकीय मामला था जिसके लिए सदन के परामर्श की आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए बजट में व्यवस्था की जाएगी।

श्री एम. आसफ अली : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या राशि स्वीकृत होगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लाया जाएगा।

श्री एम. आसफ अली : आप इसे किस रूप में ला रहे हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह मामला वित्त सदस्य के लिए विचारणीय है।

श्री एम. आसफ अली : मैं चाहता हूँ कि वह इसका उत्तर दें। इसमें कोई लाभ नहीं है कि माननीय सदस्य ऐसी स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति अपनाएं और यह कहें कि यह प्रशासकीय मामला है। उन्हें हमें उत्तर देना ही होगा।

श्री शशांक शेखर सान्याल : उत्तर दिया जाए (कोई उत्तर नहीं - व्यवधान)

सभापति : शांति, शांति। अब हम स्थगन प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

368

*दिल्ली और नई दिल्ली में आवास स्थान की कमी

155. सर हसन सुहरावर्दी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य इस बात से अवगत हैं कि युद्धस्थिति समाप्त होने के बावजूद दिल्ली में आवास स्थान की भारी कमी है;

(ख) क्या माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि नई दिल्ली किराया नियंत्रण आदेश (रेंट कंट्रोल ऑर्डर) और दिल्ली किराया अध्यादेश (दिल्ली रेंट आर्डिनेंस) के जारी होने के बावजूद मकान मालिक किराएदारों पर अत्याचार कर रहे हैं तथा कानून में प्रत्येक संभव बचाव का रास्ता निकालकर लाभ उठाते हैं; और

(ग) क्या सरकार ऊपर बताए गए कानून को तब तक बनाए रखने की वांछनीयता पर विचार करने का प्रस्ताव करती है जब तक सामान्य दशा न हो और जब तक विधान सभा ऐसा कानून पारित न कर दे जिससे दिल्ली प्रांत में मकान मालिकों और किराएदारों के बीच मधुर संबंध स्थापित हों;

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) मुझे अभी हाल ही में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) यह भारत सरकार का इरादा है कि नई दिल्ली और दिल्ली में किराये पर नियंत्रण किया जाना चाहिए जब तक सामान्य दशा न हो जाए।

369

* *ब्रिटिश और गैर-भारतीय लोक उपयोगिता की संस्थाएं

172. श्री के. सी. नियोगी : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में ब्रिटिश और गैर-भारतीय लोक उपयोगिता की संस्थाओं की संख्या क्या है तथा इन संस्थाओं में निहित राशि कितनी है और भारत में अथवा नगरपालिका अथवा अन्य कानूनी निकायों की ओर से इन संस्थाओं के अधिग्रहण हेतु सरकार की नीति क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस प्रश्न का उत्तर 18 फरवरी, 1946 को योजना और विकास के प्रभारी माननीय सदस्य द्वारा दिया जाएगा।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1946, 11 फरवरी, 1946, पृष्ठ 753

** वही, पृष्ठ 769

370

@विदेश में तकनीशियनों के प्रशिक्षण की योजना का कार्यान्वयन

173. श्री के. सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य सदन के पटल पर एक विस्तृत विवरण रखेंगे जिसका संबंध उस योजना के कार्यान्वयन से हो जिसके अन्तर्गत उद्योगों में पहले ही से काम पर लगे तकनीशियनों को विदेश भेजा जाता है ताकि वे अधिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें अथवा उनके औद्योगिक या व्यावहारिक अनुभव को बढ़ा सकें जैसा कि गत वर्ष घोषणा की गई थी? इस विवरण में विशेष रूप से उन तकनीशियनों की संख्या दी जाए जो पहले से ही विभन्न देशों को भेजे जा चुके हैं तथा वे अलग-अलग पाठ्यक्रम भी बताएं जाएं जिन्हें ये तकनीशियन ले गे, इन तकनीशियनों के चयन की पद्धति बताई जाए तथा यह चयन किस आधार पर किया जाता है,

(ख) ऐसे कितने आवेदक हैं जिन्हें अभी उन तकनीशियनों में से भेजा जाना है जो पहले ही चुन लिए गए हैं और अभी चालू वर्ष के दौरान और कितने तकनीशियनों के भिजवाने और उन्हें किन-किन विषयों में प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है और उन्हें किन-किन देशों में भेजा जाना है; और

(ग) इन तकनीशियनों के प्रशिक्षण में केंद्रीय सरकार की अनुमानित लागत क्या होगी तथा संबंधित प्रान्तीय सरकारों की क्या लागत होगी, यदि कोई हो?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) एक विवरण सदन के पटन पर रखा जाता है।

(ख) अभी 152 उम्मीदवारों को भेजा जाना है जो पहले ही से चुने गए उम्मीदवारों में से हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं के विवरण संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिए गए हैं। उम्मीदवारों के भिजवाने के लिए प्रबंध किए जाते हैं जब इस आशय की सूचना मिलती है कि उसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस समय यह कहना संभव नहीं है कि पहले ही से चुने गए उम्मीदवारों से अधिक कितने उम्मीदवार चालू वर्ष में भेजे जाएंगे या वे ऐसे कौन-कौन से विषय हैं जिनमें उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर है कि विदेश में प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता कैसी है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उम्मीदवारों के प्रशिक्षण और अन्य व्यय अपने-अपने नियोक्ताओं अर्थात्, निजी उद्योग, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों और भारतीय रियासतों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा वहन किए जाते हैं। इस योजना में निजी उद्योग के उम्मीदवारों को केंद्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है जहां प्रशिक्षण किसी नए उद्योग या ऐसे उद्योग का हो जिसका विकास राष्ट्रीय हित में वांछनीय समझा जाता है और नियोक्ता पूरी लागत वहन करने के लिए सक्षम नहीं होता।

वर्ष 1946-47 में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों में से चुने गए उम्मीदवारों तथा कुछ निजी उद्योग के थोड़े से उम्मीदवारों को दी गई सहायता अनुमानतः 1,01,680 रुपये है।

वर्ष 1946-47 में प्रांतीय सरकार के कर्मचारियों में से चुने गए उम्मीदवारों के संबंध में प्रांतीय सरकारों की लागत लगभग 3,60,000 रुपये है।

371

*कोयला खानों में गोरखपुर श्रमिकों के संबंध में लेखे

31. श्री के. सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोयला खानों में गोरखपुर के श्रमिकों की भर्ती और उन्हें रोजगार दिलाने के कारण व्यय की लेखा-परीक्षा ही की जा चुकी है; क्या लेखापरीक्षा पूर्णतया व्यवस्थित पाई गई है और किस तारीख तक लेखा-परीक्षा की गई; और

(ख) श्रमिक बल के प्रभारी अधिकारी का नाम और पद क्या है और उसके सचिव का क्या नाम है; वे परिलब्धियां क्या हैं जिनके क्रमशः वे अधिकारी हैं और प्रभारी अधिकारी की वित्तीय शक्ति कहां तक सीमित है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) पहला भाग- जी हां और लेखाओं को व्यवस्थित रूप में बताया गया है।

(ख) पहला भाग, श्री एच. जे. वाल्श, उप निदेशक, श्रमिक सप्लाई (कोयला)। उनके साथ कोई भी सचिव सम्बद्ध नहीं है।

दूसरा भाग- उसका वेतनमान 1,925-50-2,075 रुपये है। उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी अधिकतम दर पर व्यय कर सकते हैं जो 60 रुपये मासिक प्रति

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1946, 11 फरवरी, 1946, पृष्ठ 773

श्रमिक हो सकती है। उसे यह भी अधिकार है कि वह मजदूरों, लिपिक, अवर श्रेणी के कर्मचारियों और चिकित्सा-स्टॉफ के वेतन, राशन की लागत और यात्रा भत्ता तथा प्रासंगिक व्यय कर सकता है। सभी मामलों में किया गया व्यय सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन-मान के अनुसार होना चाहिए।

372

*कोयला खानों में गोरखपुर के श्रमिकों पर व्यय

32. श्री के. सी. नियोगी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खानों में काम पर लगाए गए गोरखपुर के मजदूरों पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) खानों के उन मालिकों से जिन्होने गोरखपुर के श्रमिकों को काम पर लगाया था अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ग) (i) रेलवे स्वामित्व की कोयला की खानों और (ii) निजी कम्पनियों तथा व्यक्तियों के स्वामित्व की कोयला खानों में रखे गए गोरखपुर श्रमिक बल के सदस्यों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(घ) उन खानों के नाम क्या-क्या हैं जहां गोरखपुर के श्रमिक काम पर लगाए गए हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जनवरी 1946 के अंत तक 1,91,05,386 रुपये।

(ख) दिसम्बर, 1945 के अंत तक 22,52,311 रुपये वास्तव में वसूल किए गए। 1 दिसम्बर के अंत तक की अवधि के लिए अभी भी बकाया 29,48,302 रुपये की राशि है और जनवरी, 1946 के लिए 16 लाख रुपये के तखमीनी राशि का बिल दिया जाना है।

(ग) रखे गए व्यक्तियों की संख्या -

(i) रेलवे खाने 7 प्रतिशत

(ii) लोक कम्पनियों के स्वामित्व की खाने 83 प्रतिशत, और

(iii) व्यक्तियों के स्वामित्व वाली खाने 10 प्रतिशत। 19 जनवरी को कुल मजदूरों की संख्या 17,391

किसी एक महीने में सबसे अधिक काम पर लगाए गए मजदूरों की संख्या-30,600

(घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1946, 11 जनवरी, 1946, पृष्ठ 773

विवरण

खानों के नाम

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| (1) मधुबंद | (31) एक्रा खस |
| (2) दियामोने तिसरा | (32) एक्रा खस संख्या 12 खान |
| (3) मॉडल झरिया | (33) मुदीदीह |
| (4) ए.जी. तिसरा | (34) तेनूलमारी |
| (5) लोअर अपर झरिया | (35) टाटा का सिजुआ |
| (6) भारतीय झरिया | (36) अंगारपाथरा |
| (7) बागडीगी कुजामा | (37) झरिया खास अंगारपाथरा |
| (8) के.पी. कीडोबारी | (38) कालुडीह |
| (9) भालगोरा | (39) आगर डीह |
| (10) धनुयादीह | (40) उत्तरी डेमुडा |
| (11) बागची का डोबारी | (41) इसेबेला |
| (12) पंडाल बेरा | (42) शामपुर |
| (13) खास झरिया डोबारी | (43) शुद्ध लैकडीह |
| (14) दक्षिणी तिसरा | (44) सेक्टोरिया |
| (15) पूर्वी बरारी | (45) चापुई खास |
| (16) पुरे ज्वायरामपुर | (46) खास जैम चारी |
| (17) उत्तरी बरारी | (47) जोते धेमो |
| (18) जी.पी.सी. का जिनागोरा | (48) सिरका |
| (19) बासुदेव 'ए' प्लाट कोयला खान | (49) रेलीगढ़ |
| (20) पाथरडीह सुदामडीह | (50) जुन कुंडा |
| (21) शुद्ध तसरा | (51) जमबाद |
| (22) नया तसरा | (52) धनसार |
| (23) सेप्ट्रल भोक्रा | (53) ब्राइट कुसुन्दा |
| (24) भोक्रा | (54) उत्तरी झुगरडीह |
| (25) मोहुल बोनी | (55) गोधूर |
| (26) ईस्ट एक्रा | (56) शुद्ध कुस्तोरे |
| (27) बुस्सेरया | (57) अलकुसा नयाडी |
| (28) उत्तरी एक्रा | (58) जैरानडीह |
| (29) कनकनी | (59) स्वाँग |
| (30) सेंद्रा बंस जोरा | (60) परबेलिया |

भूमिगत

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| (1) परबेलिया | (12) जीतपुर |
| (2) सोदपुर | (13) शुद्ध ज्वायरामपुर |
| (3) सीतलपुर | (14) भातडी |
| (4) बेंकसिमुल्लाह 11 और 12 गड़े | (15) गैसलीटैंड |
| (5) बेंकसिमुल्लाह 7 और 8 गड़े | (16) स्टैंडर्ड |
| (6) डाप्रा | (17) एक्रा खास |
| (7) अडजै II कोयला खान | (18) स्वांग |
| (8) शीवपुर | (19) जैरनडीह |
| (9) चापुई खास | (20) धेमो मुख्य |
| (10) एस.ई. बर्बनी | (21) मॉडल झरिया |
| (11) डीगवाडीह | |

373

*केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की सेवा में विस्तार

44. श्री श्रीप्रकाश : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं परन्तु उन्हें 1939 से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में क्रमशः सुपरिनेन्डिंग, एक्जीक्यूटिव और असिस्टेंट इंजीनियरों के पदों पर पुनः नियुक्ति की गई है;

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें अपनी मूल सेवाकाल में विस्तार दिया गया है और विस्तार के प्रत्येक कार्यकाल की किस्तों को भी दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार के वित्त विभाग ने मूल सेवाकाल में विस्तार की स्वीकृति के विरुद्ध कहा है; यदि हां तो वित्त विभाग के निदेशों के विरुद्ध उस बारे में किसी भी कारबाई के लिए क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रकार के सेवा-काल में विस्तार से नए लोगों की भर्ती और युवा अधिकारियों की उन्नति में बाधा आई है; यदि हां तो क्या ऐसे कोई उपबंध बनाए गए हैं जिनके द्वारा उन व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति की जाए जिनके भविष्य में बाधा है;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1946, 20 फरवरी, 1946, पृष्ठ 1214

और

(डं) क्या सरकार इस प्रकार के सेवा-विस्तार को समाप्त करने तथा युवा अधिकारियों का भविष्य उज्ज्वल बनाने की दिशा में कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) तीन।

(ख) 1939 से फँडामेंटल रूल 56 के अधीन सेवा में विस्तार की अनुमति तीन व्यक्तियों को दी गई और सेवा-विस्तार की अवधि क्रमशः 6 महीने, 3 दिन और 1 महीना थी।

(ग) इस प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नकारात्मक है; दूसरे भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (डं) - नहीं।

374

*अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान का संशोधन करने हेतु दस्तावेज

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : श्रीमन् मैं 5 नवम्बर, 1945 को पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन के सत्ताईसवें सत्र में अनुकूलित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान का संशोधन करने हेतु दस्तावेज की प्रति तथा इस पर प्रस्तावित कार्रवाई के विवरण की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

375

@भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (श्रम सदस्य) : श्रीमन् मैं भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, 1926 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ।

सभापति : प्रश्न यह है :

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1946, 21 फरवरी, 1946, पृष्ठ 1214

@ वही, पृष्ठ 1292

“भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, 1926 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन् मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

376

*कोयला खानों में महिलाओं को काम करने से रोका जाना

406. प्रो. एन. जी. रंगा : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महिलाओं को कोयला खानों में काम करने से रोकने का प्रस्ताव करती है क्योंकि अब युद्ध समाप्त हो गया है; और

(ख) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि ऐसी महिलाओं को कोई वैकल्पिक रोजगार दिलाया जाए जो अपने सुदूर गांवों से लाई गई हैं अथवा उनके लिए निःशुल्क घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए और उन्हें उस ऋण से मुक्त किया जाए जो उन्होंने खानों में काम करते हुए इस आशा से लिया था कि वे खानों में काम करने की मजदूरी की बचतों से ऋण चुका देंगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) सरकार का ऐसा इरादा नहीं है कि महिलाओं को कोयला की खानों में रोजगार पाने से बिल्कुल मना किया जाए। फिर भी उनको भूमिगत स्थलों में काम करने से 1 फरवरी, 1946 से रोक दिया गया है।

(ख) केंद्रीय सरकार की कल्याण निधि के अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि कोयला क्षेत्रों में सब्जियों के फार्म खोले जाएं और नियोक्ताओं के विभिन्न खनन संघों तथा बंगाल और बिहार की प्रांतीय सरकारों से कहा गया है कि भूमिगत स्थलों से काम से हटाई गई महिलाओं को शीघ्र ही वैकल्पिक रोजगार दिलाया जाए। इनमें से अधिकांश महिलाओं को कोयला क्षेत्रों की सतह पर पहले ही काम पर लगा लिया गया है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1946, 25 फरवरी, 1946, पृष्ठ 1427

377

*भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशें

467. प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारतीय श्रम सम्मेलन, जो नवम्बर, 1945 में आयोजित किया गया था, की सिफारिशों क्या है;
- (ख) इन सफारिशों के बारे में सरकार के निष्कर्ष अथवा निर्णय क्या है; और
- (ग) भारत सरकार उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रही है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) कोई भी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

378

@बड़े शहरों के लिए सरकार का गृह-निर्माण कार्यक्रम

469. श्री मनु सूबेदार : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य का ध्यान 23 जनवरी, 1946 को प्रकाशित स्टेट्समैन की संपादकीय टिप्पणी – “यह याद रखना चाहिए कि गत छः वर्ष में भारत के किसी नगर में कोई आवास गृह नहीं बनाए गए हैं” की ओर आकर्षित किया गया है और क्या श्रम सदस्य इसका खंडन करना चाहेंगे;

(ख) सरकार ने बम्बई और कलकत्ता जैसे घनी आबादी के शहरों में भवन-निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या भवनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध अभी भी लागू हैं अथवा क्या वे निर्माताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन प्रतिबन्धों की भी अवहेलना कर रहे हैं;

(घ) क्या भारत सरकार ने प्रान्तीय सरकारों से कोई ठोस योजना प्राप्त की है अथवा प्रान्तीय सरकारों को भेजी है ताकि भारत में इमारतों की संख्या में वृद्धि हो; और

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1946, 25 फरवरी, 1946, पृष्ठ 1427

@ वही, 1428

(ड) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उन लोगों को काम पर लगाने के लिए भवन निर्माण अथवा भवन व्यापार अधिक प्रोत्साहन देता है जो सरकारी सेवा से हटा दिए गए हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ। चूंकि हमारे पास निजी व्यक्तियों द्वारा गत छह वर्ष में निर्मित इमारतों की संख्या नहीं है, अतः उक्त कथन का समर्थन अथवा खंडन करना संभव नहीं है। परन्तु मैं यह बताना चाहूँगा कि भवन निर्माण की सामग्री के उपयोग के लिए प्रतिबन्ध 1941 के अन्तिम छः महीनों तक लागू नहीं किए गए थे।

(ख) शायद माननीय सदस्य के मस्तिष्क में निजी इमारत का संदर्भ है। भारत सरकार ने हाल ही में भारत भर में निजी इमारत को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं और यह प्रयास विशेषकर बम्बई और कलकत्ता के लिए नहीं किया गया है।

सरकार ने ऐसे निदेश वापस ले लिए हैं जो सरकार ने प्रांतीय सरकारों को जारी किए थे जिनका संबंध भवन निर्माण के प्रतिबन्ध को लागू किए जाने से था। सरकार ने प्रांतीय सरकारों को सामान्यतया अपनी शक्ति के भीतर सभी साधनों से निजी इमारतें बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। सरकार ने ईंटें देने के लिए विशेष निदेश दिए हैं और ऐसी उच्च भवन निर्माण सामग्री यथा सीमेंट, स्टील, लकड़ी आदि में वृद्धि की है जो भारत सरकार के अधीन है तथा अब ये वस्तुएं निजी निर्याताओं को उपलब्ध की गई हैं।

सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि दिल्ली में भवन निर्माण अथवा भवन उद्योग में कार्यरत प्रतिनिधियों की मार्च, 1946 के प्रथम सप्ताह में बैठक आयोजित की जाए ताकि ऐसे कारकों पर विचार-विमर्श किया जा सके जो इस देश में निजी भवन निर्माण की प्रगति में अभी भी बाधा है।

(ग) भारत सरकार का विश्वास है, कि इन शिथिलताओं से भवन निर्माताओं को भविष्य में इमारतें बनाने में सुविधा होगी।

(घ) भारत सरकार ने औद्योगिक कर्मियों के लिए आवास-गृह के निर्माण हेतु प्रोत्साहन देने के निमिल एक अल्पावधि योजना प्रांतीय सरकारों को भेजी है तथा उस योजना का संबंध शहरी क्षेत्रों में उन अन्य कामगारों से है जो कम किराया भी नहीं दे पाते। इस योजना में केंद्र सरकार की राजसहायता निहित है बशर्ते इतनी राजसहायता प्रांतीय सरकारें दें और इसका उल्लेख वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में करेंगे।

379

*युद्धकालीन अस्थायी ढांचों के आवासीय उपयोग के बारे में

470. श्री मनु सूबेदार : क्या माननीय श्रम सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में गृह-निर्माण के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं; और यदि हाँ तो वे कानून क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार 23 जनवरी, 1946 के स्टेट्समैन द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में अपनी नीति का उल्लेख करना चाहेगी -

“इसलिए सरकार को यह विचार करने के लिए सलाह दी जाएगी कि जब तक आपूर्ति और माँग का नियम स्वयं अपने पर बल न दे तो युद्ध काल में अस्थायी रूप से बनाए गए आवास गृहों को रहने योग्य आवास घोषित किए जाएं”?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ। इन कानूनों का पूर्णतया उल्लेख ब्रिटिश सूचना मंत्रालय की पुस्तिका संख्या आर 520 में किया गया है और उसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) 23 जनवरी, 1946 को स्टेट्समैन द्वारा दिया गया सुझाव कलकत्ता में निर्मित अस्थायी इमारतों के संबंध में था और मैं यह समझता हूँ कि माननीय सदस्य उन्ही इमारतों के बारे में सरकार की नीति जाना चाहते हैं। ये केवल केंद्र सरकार के सिविल कार्यालयों के लिए उन निर्मित इमारतों से संबंधित हैं जो निस्संदेह उस समय तक प्रयोग के लिए रखे जाएंगे जब तक वे हमारी आवश्यकताओं से अधिक न हो जाएं।

380

#भारत में फैक्टरी कामगारों के कार्य करने के घंटे

481. श्री वादीलाल लल्लू भाई : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों और बागान को शामिल करते हुए विभिन्न उद्योगों के अनुसार भारत में फैक्टरी कामगारों के कार्य करने के प्रतिदिन घंटे वास्तव में क्या हैं;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1946, 29 फरवरी, 1946, पृष्ठ 1427

वही, पृष्ठ 1428

(ख) उन फैक्टरियों की कुल संख्या कितनी है, जो इंडियन फैक्टरीज़ एक्ट, 1934 के अन्तर्गत आती है;

(ग) इनमें से कितनी फैक्टरियां एक पाली में काम करती हैं, इनमें से कितनी फैक्टरियां दो पाली में काम कर रही हैं और कितनी फैक्टरियां तीन पाली में काम कर रही हैं; और

(घ) प्रत्येक पाली के कार्य करने के कितने घंटे हैं;

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) उद्योगों और बागान में काम करने वाले कामगारों के प्रतिदिन कार्य करने के घंटे के दो विवरण सदन के पटल पर रखे जाते हैं। कोयला खानों में कार्य करने या ब्यौरेवार विवरण की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) गत वर्ष 1944 में फैक्टरीज़ एक्ट के अधीन फैक्टरियों की कुल संख्या 14,922 थी जैसा कि उपलब्ध आंकड़ों से विदित हुआ है।

(ग) और (घ) कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है।

फैक्टरियों में प्रतिदिन काम करने के घंटों को दर्शाने वाला विवरण

1.	कपास.....	7½ - 10
2.	जूट.....	9 - 12
3.	रेशम.....	7½ - 9
4.	ऊनी.....	9 - 10
5.	इंजीनियरिंग (रेलवे वर्कशाप को शामिल करते हुए)	7½ - 12 (शिफ्ट कामगारों के लिए (कुछ मामलों में रात की शिफ्ट में कामगार 7 घंटे काम करते हैं)
6.	दियासलाई	8½ - 10
7.	मिटटी के बर्तन	8 शिफ्ट कामगारों के लिए
8.	मुद्रणालय	7½ - 8½
9.	काँच	7½ - 9 पाली कामगारों के लिए
10.	रासायनिक और औषधीय कार्य.....	7 - 10

11.	चीनी	8 मैन्यूफैक्चरिंग सेक्षन के लिए
	8 - 9 इंजीनियरिंग सेक्षन के लिए
12.	कपास-ओटाई और बेलिंग	9 - 10
13.	चावल की मिलें	7 - 10
14.	सीमेंट	7½ - 8 पाली कामगारों के लिए
15.	कागज	7 - 8 अनवरत पाली प्रक्रिया
16.	अध्रक फैक्टरियाँ	9
17.	चमड़ा-निर्माण	8 - 10
18.	बीड़ी, सिगार और सिगरेट	11 - 12 बीड़ी और सिगार के लिए, 8 - 9 सिगरेट के लिए
19.	कार्पेट की बुनाई	9 - 10
20.	चर्मशोधन और चमड़े की वस्तुओं का निर्माण	यू. पी. मद्रास 8½ - 9 दिन की पाली 8-9 रात की पाली
21.	नारियल जटा की चटाइयाँ	9 पुरुषों के लिए, 6 महिलाओं के लिए, 5 बच्चों के लिए

बागान में प्रति दिन काम के घंटों को दर्शाने वाला विवरण

चाय बागान -

हजारिया आधारित (सामान्य कार्य के घंटे).....	5 - 6
टिक्का आधारित (समयोपरि)	3 - 4
तोड़ने वाले (पत्तियों आदि के).....	10 - 11
कांगड़ा घाटी	8 - 9
देहरादून	8
अल्मोड़ा	6
दक्षिण भारत में चाय और कॉफी एस्टेट्स	8 - 9
रबड़ एस्टेट्स	5 - 7

381

*नई दिल्ली में अस्थायी इमारत की उपयोगिता

495. श्री एम. अनन्तशायनम आव्यांगर : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी अस्थायी इमारतें जो युद्ध विभाग तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए बनाई गई हैं जिनमें किसांवे और अन्य स्थानों से लौटाई गई अमरीकी इमारतें भी शामिल हैं, केवल कार्यालय स्थान के लिए उपयोग की जा रही हैं;

(ख) क्या माननीय श्रम सदस्य इन इमारतों में से कुछ इमारतों को भारत सरकार के कर्मचारियों, एकाकी व्यक्तियों या अन्य व्यक्तियों के रहने योग्य बनाने के लिए कुछ परिवर्तन करके उन्हें देने की वांछनीयता पर विचार कर रहे हैं और इस प्रकार इस समय दिल्ली की इमारतों के अभाव को कम करेंगे; और

(ग) यदि सरकार आवश्यक व्यय करने के लिए तैयार न हो तो क्या श्रम सदस्य इन इमारतों को ठेके पर देना चाहेंगे किन्तु शर्त यह होगी कि सर्वप्रथम इन इमारतों को सरकारी कर्मचारियों को दिया जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) नहीं।

(ख) जी हाँ। यदि कार्यालय के प्रयोजन के लिए कोई भी अस्थायी इमारतें निर्मित की जाती हैं और उनकी आवश्यकता कार्यालयों के लिए नहीं होती और उनके निर्माण के स्थल किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए आवश्यक नहीं होते।

(ग) इस पर विचार किया जाएगा परन्तु पर संभावना है कि सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए इन इमारतों की आवश्यकता होगी और ऐसी स्थिति में सरकार उन इमारतों को अपने अधिकार में रखना चाहेगी।

382

#अभ्रक व्यापार के संबंध में सरकार की नीति

499. बाबू रामनारायण सिंह : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभ्रक वाणिज्य और उद्योग को नियमित करने के लिए सरकार की क्या नीति है;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 1, 1946, 25 फरवरी, 1946, पृष्ठ 1446

वही।

(ख) अभ्रक जॉच-समिति की रिपोर्ट लगभग किस तारीख को छपेगी और प्रकाशित की जाएगी; और

(ग) अभ्रक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत कच्चा और बीमा अभ्रक की बिक्री के प्रतिबंध को बिल्कुल ही हटाने अथवा कम से कम उसे संशोधन करने के बारे में विचार करने में कुल कितना समय लगेगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) भारत सरकार यह इरादा करती है कि अभ्रक उद्योग की कार्य करने की दशा में सुधार किया जाए तथा ठोस वाणिज्यिक आधार पर उसे संगठित किया जाए ताकि भारतीय अभ्रक को बाजार में सही कीमत मिले।

(ख) रिपोर्ट मुद्रणाधीन है और जैसे ही मुद्रित प्रतियां उपलब्ध होती हैं, उसे प्रकाशित कर दिया जाएगा।

(ग) यह संभव नहीं है कि सरकार ऐसी कोई तारीख निर्धारित करे जब तक सरकार अभ्रक जॉच समिति की सिफारिशों पर निर्णय ले सकेगी। इस बात का प्रति संभव प्रयास किया जाएगा कि यथाशीघ्र इस कार्य को संपन्न किया जाए।

383

*अभ्रक नियंत्रण आदेश के कारण बेरोजगारी

500. **बाबू रामनारायण सिंह :** (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि हजारीबाग में कई लाख लोग अभ्रक नियंत्रण आदेश लागू करने के फलस्वरूप बेरोजगार हो गए; और

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि हजारीबाग जिला के कई लाख लोग अभ्रक वाणिज्य को अपनी जीविका का केवल साधन मानते हैं; यदि हाँ तो क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि अभ्रक वाणिज्य और अभ्रक उद्योग को उनके हितों की सुरक्षा के लिए नियमित किया जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) भारत सरकार इस तथ्य से अवगत नहीं है कि अभ्रक नियंत्रण आदेश के परिणामस्वरूप हजारीबाग जिले में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं।

(ख) सरकार इस बात से अवगत है कि अनेक लोग अभ्रक वाणिज्य में लगे हुए हैं और उद्योग के सुधार की योजना से सरकार यह आशा करती है कि उनके हितों की अवहेलना नहीं की जाएगी।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 3, 1946, 28 फरवरी, 1946, पृष्ठ 1668

384

*मुख्यालय में अधीक्षक इंजीनियर

599. श्री मोहम्मद रहमत-उल्ला : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राय साहिब सी.पी. मलिक को मुख्यालय में अधीक्षक इंजीनियर के पद के लिए स्थानापन अवसर दिया गया है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उनकी तुलना में कई मुस्लिम इंजीनियर वरिष्ठ हैं परन्तु उनमें से किसी को भी स्थानापन रूप से काम करने का अवसर नहीं दिया गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) नहीं? राय साहिब सी.पी. मलिक को प्रशासकीय विशुद्ध सुविधा की दृष्टि से सेकेण्ड सर्किल दिल्ली में अधीक्षक इंजीनियर के पद के मौजूदा कर्तव्यों को निभाने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है।

(ख) जी हां, परन्तु वे अधीक्षक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति पाने के लिए अभी तक सक्षम नहीं हैं।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : अधीक्षक इंजीनियरों के 13 पदों में से केवल एक पद मुस्लिम के हाथ में है और तथ्य के परिप्रेक्ष्य में इस विशेष पद पर मुस्लिम उम्मीदवार को क्यों नहीं नियुक्त किया गया?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि माननीय सदस्य मेरे उत्तर को देखना चाहेंगे तो उन्हे यह विदित होगा कि यह नियुक्ति स्थानापन रूप की नहीं है अपितु उनसे कर्तव्यों के निभाने भर के लिए ही कहा गया है।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : उन्हें अधीक्षक इंजीनियर कहे बिना और किसी पारिश्रमिक के दिए बिना?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हां।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : यह तीसरा तरीका है ताकि मुसलमानों को नियुक्ति से रोका जाए। मैंने कल यह सुझाव दिया था कि दक्षता और वरिष्ठता मापदण्ड होते हैं परन्तु इन दोनों के अतिरिक्त आप उसको पद ही नहीं मानते और उस पद का जो नाम दिया गया है, उसे स्वीकार नहीं करते तथा आप व्यक्ति से यह कहते हैं कि वह कर्तव्यों भर का निर्वाह करे?

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 3, 1946, 28 फरवरी, 1946, पृष्ठ 1668

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे चर्चा से कोई भी निष्कर्ष निकालें।

मौलाना जफर अली खां : क्या माननीय सदस्य यह जानते हैं कि चारों ओर यह भावना व्याप्त है कि मुसलमानों की नियुक्ति के संबंध में सरकार सौतेली मां का व्यवहार करती है।

श्री अहमद ई. एच. जफर : इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय सदस्य ने कहा कि “यह प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से किया गया है।” क्या माननीय सदस्य के लिए सुविधा है कि मुसलमानों को नियुक्ति से हटाने की सुविधा को स्वीकार किया जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूं कि यह ऐसी सरल अभिव्यक्ति है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसे समझना चाहिए।

सभापति : शांति, शांति - अगला प्रश्न पूछा जाए।

385

*श्रम विभाग सचिवालय में मुस्लिम राजपत्रित अधिकारी

660. **श्री मोहम्मद रहमत-उल्ला :** क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रम विभाग सचिवालय में मुस्लिम उम्मीदवारों की राजपत्रित अधिकारी के पदों पर उन्नति की गई है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रम विभाग में 49 सचिवालय राजपत्रित अधिकारी हैं जिनमें से 9 मुसलमान हैं।

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि 25 प्रतिशत के अनुपात के अनुसार मुसलमानों की पदोन्नति नहीं की जाती?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता कि वह नियम लागू होता है।

श्री अहमद ई. एच. जफर : 49 पदों में से 9 पद, क्या यह मुस्लिम सम्प्रदाय के लिए उचित है कि उन्हें पदों में इतना कम प्रतिशत मिले?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूं कि यह ऐसा मामला नहीं है जो साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के अनुपात से संबंधित है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 3, 1946, 28 फरवरी, 1946, पृष्ठ 1668

386

*केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में मुस्लिम प्रशासकीय अधिकारी

601. श्री मोहम्मद रहमत-उल्ला : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य का ध्यान केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में मुस्लिम प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में 26 जनवरी, 1946 को डॉन में प्रकाशित लेख की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या उस लेख में श्रम सदस्य के विभाग के दिए गए तथ्य सही है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रशासकीय अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार के तीन सहायक हिन्दू हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि माननीय सदस्य गैर-मुस्लिम प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं; और यदि हां तो मुसलमानों को केंद्रीय लोक-निर्माण विभाग की उस शाखा से मुसलमानों को क्यों अलग किया गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हां।

(ख) नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रशासकीय अधिकारी के पद को भरे जाने का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : यह प्रस्ताव कब तक विचाराधीन रहेगा क्योंकि माननीय श्रम सदस्य का ध्यान उस ओर बार-बार आकर्षित किया गया है? क्या माननीय सदस्य यह नियुक्ति विधान सभा सत्र के समाप्त होने के बाद करेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उसकी नियुक्ति समयानुसार की जाएगी।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : आप साफ-साफ बात क्यों नहीं कहते? आप इसको हिन्दू श्रम विभाग क्यों नहीं कहते अथवा उसे अनुसूचित जाति का विभाग क्यों नहीं बताते?

(इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया)

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 3, 1946, 28 फरवरी, 1946, पृष्ठ 1670

387

*भारत में कार्मिक संघ (ट्रेड यूनियन)

54. श्री वादीलाल लल्लूभाई : (क) क्या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कितने कार्मिक संघ हैं और वर्ष प्रति वर्ष कुल तथा अलग-अलग प्रान्तों में 1939 से अब तक उनके सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) 1939 से वर्षवार प्रान्तों में उनकी कुल कितनी निधि है और कितनी राशि चंदे से आती है तथा कितनी राशि दान से प्राप्त होती है;

(ग) 1939 से वर्षवार अब तक प्रान्तों में ऐसे सदस्यों की कुल संख्या क्या है जो अपना चंदा नहीं देते हैं और अब भी सदस्य बने हुए हैं; और

(घ) 1939 से अब तक वर्षवार कार्मिक संघों के पदाधिकारियों में बाह्य व्यक्तियों का क्या अनुपात है; और क्या यह सच है कि यह अनुपात हाल ही में कम हुआ है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) वर्ष 1939-44 के दौरान रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों की संख्या तथा ऐसी यूनियनों की संख्या, जिन्होंने अपनी विवरणी प्रस्तुत की और बाद में बताई गई यूनियनों की सदस्यता का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। वर्ष 1944 के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1939-44 के दौरान ट्रेड यूनियनों के आय, व्यय, अथ और इति रोकड़ शेष का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। सरकार के पास प्रश्न के दूसरे भाग की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) - सूचना उपलब्ध नहीं है।

388

@भारत में औद्योगिक कामगार

55. श्री वादीलाल लल्लूभाई : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

* वही।

@ वही।

(क) 1939 से अब तक वर्ष प्रति वर्ष भारत में औद्योगिक कामगारों की संख्या क्या है तथा कोयला खानों और बागान को सम्मिलित करते हुए मौलिक उद्योगों में उनका वितरण क्या है;

(ख) 1939 से अब तक वर्ष प्रति वर्ष विभिन्न उद्योगों में भारत के फैक्टरी-कामगारों की मासिक आय कितनी है जिसमें महंगाई भत्ता और बोनस शामिल नहीं किया गया है;

(ग) 1939 से अब तक वर्ष प्रति वर्ष भारत में औद्योगिक कामगारों को दिये गये महंगाई भत्ते और बोनस के ऑकड़े क्या है जो (i) अलग-अलग उद्योगों तथा (ii) अलग-अलग औद्योगिक केंद्रों के अनुसार हों; और

(घ) क्या श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्मिक संघों की कुल सदस्यता की दृष्टि से औद्योगिक कामगारों की आय में युद्धकालीप वृद्धि, यदि कोई हो, का क्या प्रभाव रहा और उनकी आर्थिक दशा क्या रही?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। 1945 के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 1939, 1940, 1941 और 1943 के दौरान फैक्टरी कामगारों के प्रतिमास औसतन आय के आंकड़ों को दर्शाने वाला विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। इसमें नकद भुगतान किया गया महंगाई भत्ता शामिल है। इनके अलावा आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ये आँकड़े लगभग आँकड़े हैं क्योंकि उनका संकलन किए गए कुल भुगतानों के आधार पर किया गया है और इसमें वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या, कार्य करने वाले घंटों की संख्या आदि जैसे कारक नहीं दिए गए हैं।

1942 के आंकड़े नहीं दिए गए हैं क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि उपलब्ध आँकड़ों में से कौन से आंकड़े ऐसे हैं जिनमें महंगाई भत्ता शामिल है और कौन से ऐसे हैं जिनमें महंगाई भत्ते शामिल नहीं हैं।

(ग) पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है और सरकार के अनुसार इस सूचना को एकत्र करने और सभा पटल पर रखने में जो समय लगेगा वह परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) फैक्टरी कामगारों की औसत आय के आँकड़े इस प्रश्न के भाग (क) के संबंध में दिए जा चुके हैं। सदस्यता तथा कार्मिक संघों की सामान्य निधियों को दर्शाते हुए विवरण सदन के पटल पर रखे जाते हैं। सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि सदस्यता में वृद्धि तथा आय के वृद्धि बढ़ी हुई मजदूरी अथवा अन्य किन्हीं कारणों से हुई है।

389

*केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में मुस्लिम प्रशासकीय अधिकारी

715. श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक प्रशासकीय अधिकारी के पदों की संख्या क्या है;

(ख) इनमें से कितने पदों पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं; और

(ग) यदि कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है तो किसी उपयुक्त मुस्लिम द्वारा प्रशासकीय अधिकारी के रिक्त पद को भरे जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) तीन।

(ख) कोई नहीं।

(ग) (क) और (ख) से इस प्रश्न का स्पष्ट निष्कर्ष आवश्यक रूप से नहीं निकलता क्योंकि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का संवर्ग एक है और एक माना जाना चाहिए। फिर भी इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

श्री अहमद ई. एच. जफर : चूँकि (ख) का कोई उत्तर नहीं है, क्या मैं माननीय सदस्य से यह पूछ सकता हूँ कि मुस्लिम उम्मीदवार को प्रशासकीय अधिकारी के पद पर नियुक्त क्यों नहीं किया जाता?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं यह प्रश्न नहीं समझ पाया।

श्री अहमद ई. एच. जफर : चूँकि कोई भी मुस्लिम सहायक प्रशासकीय अधिकारी नहीं हैं, तो क्या मैं माननीय सदस्य से यह पूछ सकता हूँ कि प्रशासकीय अधिकारी के पद पर किसी मुसलमान की नियुक्ति क्यों नहीं की जाती?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह मामला विचारधीन है। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि यह पद किसी विशेष सम्प्रदाय के लिए आरक्षित किया जाएगा।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 3, 1946, 6 मार्च, 1946, पृष्ठ 1929

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या इस पद के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आवेदन-पत्र नहीं मंगाए जाएंगे।

मौलाना जफर अली खां : क्या इस पद के लिए विज्ञापन निकाल दिया गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह आवश्यक नहीं है।

श्री अहमद ई. एच. जफर : एक मुसलमान को नियुक्त क्यों नहीं किया जाएगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने कहा कि मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता। इसके अलावा, भारत सरकार इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकती कि किसी विशेष पद पर किसी सम्प्रदाय का निहित अधिकार है।

श्री अहमद ई. एच. जफर : विशेषकर इस सच्चाई के परिप्रेक्ष्य में कि भारत सरकार में माननीय श्रम सदस्य का विभाग सबसे खराब दशा में है।

सभापति महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य प्रश्न प्रस्तुत करने की कृपा करें।

श्री अहमद ई. एच. जफर : श्रम विभाग में पर्याप्त रूप से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं है और इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय सदस्य से यह पूछ सकता हूँ कि क्या माननीय सदस्य इस पद पर मुसलमान उम्मीदवार की नियुक्ति के बारे में विचार करेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं माननीय सदस्य के अनुमान से इन्कार करता हूँ।

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या मैं

सभापति महोदय : मेरा विश्वास है कि कोई गलतफहमी है अतः माननीय सदस्य अपने प्रश्न कर रहे हैं। क्या वे अपने आसन पर बैठ जाएंगे? सरकार के माननीय सदस्य ने कहा कि वह किसी विशेष पद और विभागीय पदों में अंतर रखते हैं। क्या मैं सही हूँ?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हां, श्रीमन्।

सभापति महोदय : उन्होंने यह बताया कि वह किसी विशेष पद को किसी विशेष संप्रदाय द्वारा नहीं भर सकते। वह पद कोटा से अलग है।

श्री अहमद ई. एच. जफर : मेरा निवेदन यह है कि उनके विभाग में मुसलमाना के के लिए 25 प्रतिशत से अधिक कोटा नहीं है, इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में क्या माननीय श्रम सदस्य इस बात पर विचार करना चाहेगे कि मुसलमानों को न्यूनतम कोटा तक नियुक्त किया जाए?

सभापति महोदय : जी हाँ, यह उचित है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं यह सिद्धांत स्वीकार नहीं करता कि यही केवल एक तरीका है।

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या माननीय सदस्य इस बात से इन्कार करते हैं कि उनके विभाग में मुसलमानों के लिए 25 प्रतिशत का कोटा है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इन्कार करता हूँ।

श्री अहमद ई. एच. जफर : इसका क्या परिणाम होगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं परिणाम के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, यदि पर्याप्त संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं हैं। यह मेरा कोई दोष नहीं है।

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या मैं माननीय सदस्य को यह बता दूँ कि यह कुछ भी नहीं है अपितु माननीय सदस्य की ओर से एक बहाना है जो यह कहते हैं कि पर्याप्त संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं जबकि वास्तव में वे उपलब्ध हैं?

सभापति महोदय : शांति, शांति। वह आलोचना है। माननीय सदस्य अपना प्रश्न कर सकते हैं।

श्री अहमद ई. एच. जफर : या मैं माननीय सदस्य से यह कह सकता हूँ कि पर्याप्त संख्या में मुसलमान उम्मीदवार मौजूद हैं परन्तु उनके दावों की इरादत अवहेलना कर दी जाती है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने जो कुछ कहा है, उसमें कुछ नहीं जोड़ना है।

390

*श्रम विभाग में जातीय प्रतिनिधित्व

718. श्री अहमद ई. एच. जफर : (क) माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग (मुख्य सचिवालय) की स्थापना शाखा में संयुक्त सचिवों, उप-सचिवों, सहायक सचिवों, अधीक्षकों, सहायकों, लिपिकों आदि की सही संख्या क्या है?

(ख) प्रत्येक ग्रेड में कितने मुसलमान और गैर-मुसलमान हैं?

(ग) यदि (ख) के उत्तर में मुसलमानों की संख्या कम है तो इसके क्या कारण हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) सूचना देते हुए विवरण सभा पटल पर रखा जाता है;

विवरण

	कुल	मुस्लिम	गैर-मुस्लिम
संयुक्त सचिव	3	1	2
उप सचिव	4	1	3
सहायक सचिव और अवर	13	2	4
सचिव			(इसमें एक यूरोपीयन, एक एंग्लोइंडियन और एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार शामिल है)
अधीक्षक	21	6	15 (इसमें एक सिख और एक इंडियन क्रिस्चयन शामिल हैं)
स्थापना शाखा में सहायक	9	2	7
स्थापना शाखा में लिपिक	9	-	9 (इनमें 1 अनुसूचित जाति का उम्मीदवार शामिल है)

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 3, 1946, 6 मार्च, 1946, पृष्ठ 1933-35

श्री अहमद ई. एच. जफर : श्रीमन् मैंने यह नहीं कहा था कि सदन के पटल पर विवरण रखा जाए परन्तु मैं चाहता था कि सदन को संख्या बताई जाए क्योंकि मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता था।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन् क्या मैं आँकड़े प्रस्तुत करूँ?

श्री अहमद ई. एच. जफर : बताने के लिए आँकड़े नहीं हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हां आँकड़े हैं। मेरे विद्वान मित्र धमकी भरी प्रवृत्ति न दिखाएं।

श्री अहमद ई. एच. जफर : मैं माननीय सदस्य की धमकी भरी प्रवृत्ति का उत्तर दे रहा हूं।

सभापति महोदय : यदि सूचना की सूची अधिक लम्बी न हो तो माननीय सदस्य पढ़ सकते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :

	कुल	मुस्लिम
संयुक्त सचिव	3	1
उप सचिव	4	1
सहायक और अवर सचिव	13	2
अधीक्षक	21	6
स्थापना शाखा में सहायक	9	2
स्थापना शाखा में लिपिक	9	--

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या इन आँकड़ों में पुनर्वास और रोजगार निदेशालय के मुस्लिम प्रतिनिधित्व भी शामिल हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

श्री अहमद ई. एच. जफर : मैंने मुख्य सचिवालय के श्रम विभाग के आँकड़े पूछे थे। क्या माननीय सदस्य 'जी हां' और 'नहीं' नहीं कह सकते, क्या इन आँकड़ों में पुनर्वास और रोजगार निदेशालय के मुस्लिम प्रतिनिधित्व के आँकड़े शामिल हैं अथवा नहीं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे इस प्रश्न के उत्तर के लिए नोटिस की आवश्यकता है।

हाज़ी अब्दुस सन्तार हाज़ी इशाक सेठ : क्या माननीय सदस्य कृपा करके हमें यह बताना चाहेंगे कि विभाग की स्थापना शाखा के बारे में प्रश्न के उत्तर में किस विभाग को शामिल किया गया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह उत्तर मुख्य सचिवालय से संबंधित है। जैसा कि मैंने कहा था, मैं अपनी सूचना की शुद्धता रखने के लिए नोटिस चाहता हूँ।

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या माननीय सदस्य इस बात से अवगत है कि पुनर्वास और रोजगार निदेशालय मुख्य सचिवालय से बिलकुल अलग हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अलवत्ता, मैं इस तथ्य से अवगत हूँ।

श्री मनु सूबेदार : श्रम विभाग के लिए संयुक्त सचिवों, उप-सचिवों, सहायक और अवर सचिवों की इतनी अधिक संख्या क्यों आवश्यक है और क्या मैं यह जान सकता हूँ कि मेरे माननीय मित्र मेरे मुस्लिम दोस्तों की यह इच्छा नहीं पूरी करेंगे यदि अन्य सम्प्रदायों का अनुपात कम करके मुस्लिम अनुपात को बढ़ा दें जो वे चाहते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न पर अपनी राय अभिव्यक्त नहीं करना चाहता।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : पूरे विभाग को मुसलमानों से भर दिया जाए।

श्री श्रीप्रकाश : क्या मैं विनम्र शब्दों में यह निवेदन करूँ कि सरकार प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में विभिन्न विभागों के अलग-अलग सम्प्रदायों की पूरी सच्ची सदन के पटल पर रख दें ताकि इनमें से अधिकांश प्रश्नों की आवश्यकता न रहे और तनाव नियंत्रण में रहे?

श्री अहमद ई. एच. जफर : 1934 में गृह विभाग के सरकारी प्रस्ताव में मुसलमानों का कोटा 25 प्रतिशत रखा गया था और यह तथ्य दिया गया है कि श्रम विभाग के प्रस्ताव के अनुसार मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी है अतः इस परिप्रेक्ष्य में क्या माननीय सदस्य भूल का सुधार करेंगे और अधिक मुसलमानों को रखकर कोटा की पूर्ति करेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने अपने उत्तर में जिन पदों का उल्लेख किया है, वे ऐसे पद नहीं हैं जो साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व द्वारा शासित होते हों। वे पदोन्नति वाले पद हैं।

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या मैं यह समझूँ कि यह प्रस्ताव माननीय श्रम सदस्य के विभाग पर लागू नहीं होता?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य को सरकारी प्रस्ताव अधिक ध्यान से पढ़ना चाहिए था जबकि ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ।

श्री अहमद ई. एच. जफर : थोड़े दिन पहले माननीय गृह सदस्य डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन अहमद ने बताया कि सरकारी प्रस्ताव श्रम विभाग पर भी लागू होता है, क्या वह प्रस्ताव माननीय श्रम सदस्य को भिजवाएंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव के बारे में भलीभांति अवगत हूँ।

सभापति : अगला प्रश्न किया जाए।

श्री अहमद ई. एच. जफर : एक प्रश्न और है। श्रीमन क्या उपसचिव का पद प्रथम श्रेणी का पद है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : प्रथम श्रेणी के पद जैसी कोई बात नहीं है।

391

*दिल्ली स्टोर सब-डिवीजन में गबन के मामले में लोक धन की हानि

719. **श्री अहमद ई. एच. जफर :** (क) क्या माननीय श्रम सदस्य कूपापूर्वक 'दिल्ली स्टोर सब-डिवीजन में गबन के मामले' में लोग धन की हानि की लगभग राशि बताएंगे?

(ख) इसमें कौन अपराधी थे और दण्ड दिलाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) 'दिल्ली सब डिवीजन गबन मामले' जैसा कोई मामला नहीं है। यदि माननीय सदस्य के मस्तिष्क में स्टोर्स सब डिवीजन जो निर्माण डिवीजन नं. 1 के अधीन है, में सीमेंट की ढुलाई में तथाकथित अधिक भुगतान करने का मामला है, तो मैं उन्हे सूचित कर सकता हूँ कि इस मामले की छानबीन की जा रही है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 3, 1946, 6 मार्च, 1946, पृष्ठ 1935-36

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या यह सच है कि संबंधित एस. डी. ओ. अभी भी सेवा में लगे हुए हैं जिन्होंने दो लाख रुपये का ग़बन किया है।

सभापति महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य ने पहले ही बता दिया था कि कोई भी ग़बन का मामला नहीं है।

श्री अहमद ई. एच. जफर : मैं माननीय सदस्य के उत्तर से पूर्णतया सहमत हूं। जिस बात का वह जिक्र कर रहे हैं, वह बात यह है कि दो लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया था।

सभापति महोदय : मेरा विचार यह है कि माननीय सदस्य ने यह उत्तर दिया है कि ग़बन का कोई भी मामला नहीं है परन्तु अधिक भुगतान का मामला है। माननीय सदस्य अपने अगले प्रश्न में ग़बन की कल्पना न करें - वह अधिक भुगतान के बारे में प्रश्न कर सकते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह मामला छानबीन के अन्तर्गत है और जब तक छानबीन का परिणाम प्राप्त न हो, सरकार किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकती।

श्री अहमद ई. एच. जफर : मैं पूछना चाहता हूं कि संबंधित एस. डी. ओ. क्या अभी भी सेवा में हैं जो दो लाख रुपये के अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अलबत्ता वह सेवा में लगे हुए हैं।

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्यों?

माननीय डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर : क्योंकि अभी तक उनके विरुद्ध मामला सिद्ध नहीं हुआ है।

श्री अहमद ई. एच. जफर : ऐसे मामलों में, जहां छानबीन की जा रही हो, क्या यह पढ़ति नहीं है कि संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उस समय तक निलंबित नहीं किया जा सकता जब तक कि छानबीन की रिपोर्ट न मिल जाए।

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या यह इसलिए नहीं है कि वह अधिकारी अनुसूचित जाति का है?

हाज़ी अब्दुस सत्तार हाज़ी सेठ : निहित धन के बारे में भाग के संबंध में क्या मेरे मित्र यह बता सकते हैं कि उसमें कितनी राशि निहित है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे इस प्रश्न के उत्तर के लिए नोटिस की आवश्यकता है। जहां तक श्री जफर के प्रश्न का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूँगा कि संबंधित व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं है।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : यदि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति का भी होता तो क्या उसे निर्लिपित न करना होगा जबकि उसके विरुद्ध कोई मामला है?

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। बहस मत कीजिए।

श्री एम. अनन्तशायनम आच्यगंर : यह मामला कितने समय से छानबीन के अन्तर्गत है? क्या यह छानबीन विभाग द्वारा की जा रही है या उसकी छानबीन पुलिस द्वारा की जा रही है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जहां तक मुझे याद है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि इस मामले में अलबत्ता सी. डी. द्वारा छानबीन की जा रही है।

392

*अधीक्षक इंजीनियरों की नियुक्तियों के बारे में मुसलमानों की शिकायतें

720. **श्री मोहम्मद रहमत-उल्ला :** (क) क्या माननीय श्रम सदस्य का ध्यान 27 अक्टूबर, 12 नवम्बर और 19 दिसंबर, 1945 के डॉन में प्रकाशित लेखों की ओर आकर्षित किया गया है; मुसलमानों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो क्यों;

(ख) क्या यह सच है कि चौदह अधीक्षक इंजीनियरों में से केवल एक मुस्लिम हैं;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 3, 1945, 6 मार्च 1946, पृष्ठ 1936

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि हेडक्वार्टर्स पर तीन अर्हता-प्राप्त एकजीक्यूटिव इंजीनियर हैं जो अधीक्षक इंजीनियर का पद भार संभालने के लिए सक्षम हैं;

(घ) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कम योग्यताओं तथा उच्च सम्प्रदायों के व्यक्ति अधीक्षक इंजीनियर नियुक्त किए गए हैं, यदि हाँ तो मुसलमानों के दावों की अवहेलना क्यों की गई; और

(ङ) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि आई. एस. ई. मुस्लिम एकजीक्यूटिव इंजीनियर की अवहेलना की गई और मुख्यालय के अधीक्षक इंजीनियर का अवसर एक अन्य अधिकारी को दे दिया गया जो निचले पदों से ऊपर आया था और निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाला है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) मैंने लेख देखे हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पद जो साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियमों के कार्यान्वयन के अन्तर्गत आते हैं, इन नियमों की आवश्यकतानुसार विधिवत् भरे जाते हैं। फिर भी यह संभव नहीं है कि मौलिक पदों को किसी विशेष सम्प्रदाय के अधिकारियों के लिए अलग किया जाए।

(ख) जी हाँ।

(ग) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किस एकजीक्यूटिव इंजीनियर का जिक्र कर रहे हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के एकजीक्यूटिव इंजीनियरों में से कोई भी इंजीनियर अधीक्षक इंजीनियर के पद पर उन्नति के लिए उपयुक्त नहीं है जो दिल्ली में तैनात हैं।

(घ) और (ङ) अधीक्षक इंजीनियर के पद सेलेक्शन पद होते हैं और इन पदों पर नियुक्ति दक्षता के आधार पर होती है। इन पदों को भरने के लिए सभी पात्र एकजीक्यूटिव इंजीनियरों के दावों पर विचार किया जाता है और उसी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जो सबसे उपयुक्त होते हैं। माननीय सदस्य द्वारा बताए गए आई. एस. ई. मुस्लिम अधिकारी का मामला यथोचित रूप से विचार किया गया था।

393

*बिहार में कोसी नदी के प्रवाह को वश में करने के लिए धन का अनुदान

734. श्री सत्य नारायण सिन्हा : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि गवर्नर जनरल ने अपने बिहार के गत दौरे के समय उस क्षेत्र का अवलोकन किया जो कोसी नदी के उग्र प्रवाह के कारण नष्ट-भ्रष्ट हो गया था तथा वह उस क्षेत्र की दयनीय स्थिति से इतना अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने यह निर्णय किया कि नदी के प्रवाह को वश में करने के लिए उपयुक्त राशि के अनुदान देने हेतु केन्द्रीय सरकार से कहा जाए तथा इस प्रकार संबंधित लाखों लोगों के जान-माल की सुरक्षा की जाए; यदि हां तो उस दिशा में क्या किया जा रहा है; और

(ख) क्या कोई भी परियोजना तैयार है; यदि नहीं तो इसे शीघ्र कार्यान्वित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस मामले में लाखों लोगों की जान-माल की चिंता का प्रश्न निहित है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) गवर्नर जनरल ने अपने दौरे के समय उस क्षेत्र का वायुयान से अवलोकन किया जो कोसी नदी के प्रचंड प्रवाह के कारण नष्ट-भ्रष्ट हो गया था तथा श्रम विभाग को एक ज्ञापन भेजा था जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि यथासंभव शीघ्रता के साथ नदी पर नियंत्रण किया जाए।

(ख) केन्द्रीय वाटरबेज़, सिंचाई और नौचालन, आयोग छान-बीन कर रहे हैं उन्होंने नेपाल सरकार की अनुमति से इस प्रयोजन के लिए वायुयान द्वारा अवलोकन और भूमि-सर्वेक्षण तथा भूवैज्ञानिक और जलवैज्ञानिक छानबीन प्रारंभ कर दी है। नेपाल में हिमालय क्षेत्र में जल-भंडार हेतु बाँध द्वारा कोसी को नियंत्रित करने की योजना की दृष्टि से छानबीन की जा रही है। इस प्रकार के बांध से बाढ़ के अतिरिक्त जल का केवल भंडारण तथा उसके द्वारा बहाई जाने वाली मिटटी की अधिक मात्रा का भंडारण ही नहीं होगा अपितु कोसी नदी की बाढ़ों से इस समय हुई हानि का बचाव भी होगा और यह आशा की जाती है कि नेपाल तथा बिहार के अनुमानित तीन मिलियन एकड़ भूमि की अनवरत सिंचाई भी होगी और सस्ती जल विद्युत शक्ति के उत्पादन के अवसर भी मिलेंगे। इस छानबीन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 3, 1946, 6 मार्च, 1946, पृष्ठ 1949

394

*सरकारी मुद्रणालय, दिल्ली में जूनियर कॉपी होल्डरों को हानि

740. मौलाना जफर अली खां : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के कई कनिष्ठ रीडरों को अपने कॉपी होल्डर के पद से पदोन्नति पाकर कनिष्ठ रीडर के पद पर आने पर दस रु. या पांच रु. प्रतिमाह की हानि होती है और संशोधकों (कॉपी होल्डर) की वार्षिक वेतन वृद्धि पांच रु. है जबकि कनिष्ठ रीडरों की प्रतिवर्ष 3 रु. वेतन- वृद्धि मिलती है;

(ख) सरकार ऐसे क्या कदम उठा रही है कि कॉपी होल्डर और कनिष्ठ रीडर की वर्तमान दरों में असमानता को दूर किया जाए और उनकी आर्थिक हानि को पूरा किया जाए;

(ग) क्या यह सच है कि जुलाई, 1945 में स्वीकृत कॉपी होल्डरों के वेतन के समेकित वेतनमानों की बकाया राशि अभी तक अदा नहीं की गई है जबकि व्यक्तिगत रूप से उनके कई प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार यह प्रस्ताव करती है कि मजदूरी संदाय अधिनियम के अंतर्गत जो देर हुई है क्या उसके लिए कोई प्रतिकर दिया जाएगा, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हां। उन कॉपी होल्डरों के मामले में जो समेकित वेतनमान चाहते हैं और जो बाद में कनिष्ठ रीडर के पद पर पदोन्नति पा गए।

(ख) यह प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) जी हां।

(घ) यद्यपि यह आदेश जुलाई, 1945 में जारी किया गया था फिर भी यह आदेश पूर्व तिथि अर्थात् 1 सितम्बर, 1944 से प्रभावी हुआ। संबंधित कर्मचारियों को समेकित वेतनमान का चयन करने के लिए समय दिया गया। तत्पश्चात् उन कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया जाना था जिन्होंने इस वेतनमान को स्वीकार किया था और उनमें से प्रत्येक कर्मचारी को तीन वर्ष की अवधि तक गत सेवा का लाभ दिया गया। लेखा प्राधिकारी इन बिलों की पूर्व लेखा-परीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा। इस प्रश्न के अंतिम भाग का उत्तर 'ना' में है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 3, 1946, 6 मार्च, 1946, पृष्ठ 1952

395

*सम्पदा कार्यालय में मुस्लिम राजपत्रित अधिकारी

741. खान बहादुर मखदूम अल-हज सईद शेरशाह जिल्लानी : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्पदा कार्यालय, नई दिल्ली में इस समय कितने राजपत्रित पद हैं;

(ख) उनमें से कितने पदों पर मुसलमान काम कर रहे हैं;

(ग) क्या माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि 1943 में गृह विभाग के परामर्श से श्रम विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सहायक सम्पदा अधिकारियों के पद केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के उच्च अर्हताप्राप्त अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे; यदि हां तो क्या माननीय सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जो नीति एक बार निर्धारित कर दी गई उसका कड़ाई से पालन किया जाए; और

(घ) क्या सरकार का अब जो पद खाली है जिसे मुस्लिम उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया था, उस पर नियमानुसार किसी दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार को नियुक्त करने का विचार है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) पांच।

(ख) इस समय कोई भी नहीं।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संगठन से संपदा कार्यालय के अलग होने से पूर्व मुख्य इंजीनियर के कार्यालय में सहायक संपदा अधिकारी के पद पर भर्ती का सामान्य तरीका उसी कार्यालय में अधीक्षकों में से चयन और पदोन्नति के आधार पर था, तब से यह स्थिति बदल गई है। अब संपदा कार्यालय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का भाग नहीं है परन्तु अब वह श्रम विभाग के सीधे नियंत्रण में है। इसलिए मुख्य इंजीनियर के कार्यालय में अधीक्षकों को संपदा कार्यालय में सहायक संपदा अधिकारी के पद पर पदोन्नति का अधिकार नहीं है परन्तु उनके बारे में दक्षता के आधार पर विचार किया जा सकता है जब इनमें से किसी पद को भरना होता है।

(घ) अब जो स्थान खाली हैं, उसके भरे जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1946, 6 मार्च, 1946, पृष्ठ 1952

श्री मोहम्मद नौमैन : भाग (ख) के संदर्भ में क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन पांच पदों को किस प्रकार भरा गया था और क्या मुस्लिम उम्मीदवार नहीं थे जो इन पदों के भरे जाने के लिए विचार किये जाते?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

396

*बंधुआ मजदूरों को रोजगार में रखने पर रोक

743. श्री अनन्तशायनम आंव्यगर : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) इस देश में कितने बंधुआ मजदूर हैं;
- (ख) सरकार देश में बंधुआ मजदूरों को रोजगार में रखने पर रोक लगाने के लिए कौन से कदम उठा रही है;
- (ग) क्या देश के कई भागों में कृषि और औद्योगिक मजदूरों की मजदूरी की न्यूनतम राशि निर्धारित की गई है; और
- (घ) क्या सरकार इस बात का प्रस्ताव करती है कि मजदूरों को पर्याप्त राशि नियमित रूप से अदा की जाए और क्या इस बारे में विधान अथवा किसी अन्य तरीके को अपनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; यदि हाँ तो वे क्या कदम हैं और यदि ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) कोई भी विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान प्रोफेसर एन. जी. रंगा के 20 फरवरी, 1946 के तारांकित प्रश्न संख्या 381 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ग) कृषि और औद्योगिक मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी विधान के प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी विधान न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने के लिए व्यवस्था की जाएगी और निर्धारित दरों से किसी भी प्रकार कम मजदूरी न दिए जाने की स्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1946, 6 मार्च, 1946, पृष्ठ 1955

397

*विद्युत इंजीनियरी में उन्नत प्रशिक्षण के लिए मुसलमान

सेठ यूसूफ अब्दुल्ला हारून : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रम विभाग की ओर से विद्युत-आयुक्त चुने गए और गत वर्ष विद्युत इंजीनियरी में उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेश में तैनात विद्युत इंजीनियरों की संख्या कितनी है;

(ख) इस प्रकार चयन किए मुसलमानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि चयन प्रेस द्वारा प्रचार किए बिना ही चयन किया गया, यदि हां तो क्यों; और

(घ) यदि पिछले बैच में मुस्लिम कोटा पूरा नहीं किया गया तो क्या माननीय सदस्य यह आश्वासन देना चाहेंगे कि अगले चुनाव के समय अधिक मुसलमान शामिल किए जाएंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) चुने गए-10, विदेश में तैनात किए गए-9

(ख) एक।

(ग) प्रांतों और बड़ी-बड़ी रियासतों को भारतीयों के विदेश में प्रशिक्षण की योजना के बारे में अवगत किया गया था और उनसे कहा गया था कि वे उपयुक्त उम्मीदवारों का प्रारंभिक चयन करें उन्होंने 24 उम्मीदवारों के नाम भेजे जिनमें से 22 उम्मीदवारों का साक्षात्कार हुआ और उनमें से 10 उम्मीदवार चुने गए।

इसलिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि प्रेस द्वारा इसका प्रचार किया जाए।

(घ) प्रांतों और रियासतों ने केवल एक मुस्लिम के चयन के लिए सिफारिश की और सरकार द्वारा उसका चयन किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न के अन्तिम भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1946, 6 मार्च, 1946, पृष्ठ 1957

398

*केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रशासकीय अधिकारी के पद पर नियुक्तियाँ

752. सरदार मंगल सिंह : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताते की कृपा करेंगे कि-

(क) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्होंने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रशासकीय अधिकारी के पद पर कार्य किया;

(ख) इनमें से प्रत्येक पदाधिकारी किस-किस सम्प्रदाय के थे,

(ग) क्या यह सच है कि अभी तक इस पद पर कोई सिख अथवा हिन्दू नियुक्त नहीं हुआ है; यदि हाँ तो क्यों; और

(घ) क्या माननीय सदस्य इस पद पर किसी सिख की नियुक्ति का प्रस्ताव करते हैं जो इस समय खाली है, यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) चार

(ख) अधिकारी निम्नलिखित सम्प्रदाय के थे :

(1) एंग्लो - इंडियन

(2) मुस्लिम

(3) एंग्लो - इंडियन

(4) मुस्लिम

(ग) जी हाँ। लोक सेवाओं में जातीय प्रतिनिधित्व के संबंध में आदेश प्रशासकीय अधिकारी के पद के लिए ही लागू नहीं किए जाते परन्तु कुल मिलाकर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों पर लागू होते हैं। इसलिए यह आश्वस्त करना संभव नहीं होता है कि प्रशासकीय अधिकारी का पद किसी विशेष सम्प्रदाय के व्यक्ति द्वारा भरा जाना है।

(घ) इस पद के भरे जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1946, 6 मार्च, 1946, पृष्ठ 1957

399

*जोधपुर रेलवे क्षेत्र में मजदूरी संदाय अधिनियम का लागू किया जाना

756. सेठ सुखदेव : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1936 के मजदूरी संदाय अधिनियम IV के उपबंध उस जोधपुर रेलवे क्षेत्र पर लागू होते हैं जो ब्रिटिश इंडिया में हैं, यदि हाँ तो सुलह अधिकारी (रेलवे) और पर्यवेक्षक रेलवे श्रमिक की तीन वर्ष 1941-44 की वार्षिक रिपोर्ट भारतीय श्रम राजपत्र में क्यों दी गई और इसमें जोधपुर रेलवे का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि जोधपुर रेलवे के ब्रिटिश भाग के निरीक्षण के संबंध में तीन वर्ष की सूचना उपलब्ध है तो क्या माननीय सदस्य सदन के पटल पर विवरण रखेंगे जिसमें जोधपुर रेलवे के संबंध में निम्नलिखित सूचना मिल सके-

(1) कर्मचारियों की संख्या (i) वयस्क, बच्चे, (ii) स्थानापन्न लोग और (iii) उन्हें भुगतान की गई कुल मजदूरी;

(2) उन कर्मचारियों की संख्या जिन पर जुर्माना किया गया और वसूल की गई राशि;

(3) उन कर्मचारियों की संख्या जिनके नाममात्र की क्षति के कारण हानि उनके नाम की गई और इस प्रकार कितनी राशि वसूल की गई; और

(4) किए गए निरीक्षणों की संख्या और नोट की गई अनियमिताएं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर 'हाँ' में भारतीय श्रम राजपत्र में प्रकाशित टिप्पणी में रेलवे के संबंध में मजदूरी संदाय अधिनियम दिखाया गया है।

(ख) (1) और (3)- उपलब्ध सूचना दर्शाने वाला विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(4) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1946, 6 मार्च, 1946, पृष्ठ 1961

मजदूरी का भुगतान (फेडरल रेलवे) नियमावली, 1938 के नियम 17 के उपबंधों के अनुसरण में प्रस्तुत की गई विवरणी के अनुसार रेलवे के ब्रिटिश सेक्षन की फैक्टरियों के अलावा फैक्टरियों और अन्यथा जोधपुर रेलवे प्रशासन द्वारा काम पर लगाए गए कर्मचारियों को दर्शाने वाला विवरण

	1941-42	1942-43	1943-44
रखे गये कुल व्यक्तियों की संख्या -			
वयस्क	1901	1933	2024
बच्चे	शून्य	शून्य	शून्य
भुगतान की गई कुल			
मजदूरी	रु. 5,82,379	रु. 6,35,938	रु. 6,21,433
उन कर्मचारियों की संख्या			
जिन पर जुर्माना किया गया	128	102	140
वसूल किए गए जुर्माने की			
राशि	रु. 41	रु. 31	रु. 48
उन कर्मचारियों की संख्या			
जिनके नाम माल की हानि			
या क्षति दर्ज की गई	1,102	1,127	1,303
क्षति के एवज में वसूल			
की गई राशि	रु. 1,287	रु. 1,129	रु. 1,985

400

*नई दिल्ली में अमरीकी सेना के गिरिजाघर का निपटान

764. श्री एस. टी. आदित्य : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अमरीकी सेना गिरिजाघर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सरकार को समर्पित किया जा रहा है; यदि हाँ तो सरकार इसका क्या करेगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हाँ, अब मामला विचाराधीन है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1946, 6 मार्च, 1946, पृष्ठ 1971

401

*सरकारी विभागों से कर्मचारियों का निकाला जाना

769. श्री मनु सूबेदार : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि (i) सेना, नौ सेना और वायु सेना को सम्मिलित करते हुए युद्ध विभाग, (ii) रेलवे, तथा (iii) सरकार के अन्य विभागों से 1946 में जिन अस्थायी और स्थायी लोगों को नौकरी से निकाला जाना है उनकी कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से कुछ लोगों ने आदर्श सेवा की और अब उनको निकाला जा रहा है;

(ग) सरकार उन्हें अन्य विभागों में काम पर लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(घ) उन्हें फिर से काम पर लगाने के लिए सरकार किन विशेष कार्यों का प्रस्ताव करती है;

(ङ) क्या यह सच है कि भारतीयों को विभिन्न सेवाओं से अलग किया जा रहा परन्तु इसके साथ ही ब्रिटिश लोगों को अन्य सेवाओं में भर्ती किया जा रहा है;

(च) क्या सरकार ऐसी भर्ती को रोकने तथा भारतीयों को ऐसे अन्य कार्य में लगाने के अवसर प्रदान करने के औचित्य पर विचार कर रही है जिनमें नई भर्ती प्रारंभ की जाती है; और

(छ) केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न प्रांतीय सरकारों में विद्यमान 70 प्रतिशत पद साधारण तथा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और सरकार ने ऐसी क्या मशीनरी बनाई है ताकि आवश्यक प्रबंध किए जाएं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही समय पर सदन के पटल पर रखी जाएगी।

(ख) जी हाँ।

(ग) इस बात के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अपेक्षित विभाग विमुक्त कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन रोजगार कार्यालय में करा लें और यथासंभव रोजगार कार्यालय द्वारा रिक्त स्थानों को भर लें।

(घ) केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारें पंचवर्षीय योजनाओं में चयनित योजनाओं पर कार्य कर रही हैं और उनका मुख्य लक्ष्य यह है कि अपस्फीति और बेरोजगारी की प्रवृत्ति का विरोध किया जाए। इनमें उत्पादक योजनाएं और आर्थिक महत्व की

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1946, 6 मार्च 1946, पृष्ठ 1972

योजनाएं सम्मिलित की गई है जो स्वयं वित्तपोषित योजनाएं यथा लघु सिंचाई, सड़कें, प्रति-कटाव, कृषि-साधन, बन आदि न हों। दोनों वर्ग भवन निर्माण, प्रशिक्षण और अनुसंधान, पूर्व सैनिकों का पुनर्वास अन्य बातों के साथ-साथ पर्याप्त कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराएंगे। पंचवर्षीय योजना से कुछ अन्य योजनाएं यथा जन स्वास्थ्य योजनाएं, विशेषकर मलेरिया के विरुद्ध साधन, जल आपूर्ति तथा जल-निकासी योजनाएं जिनसे पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध होगा, भी कार्यान्वित की जा रही है।

(ड) नहीं, ऐसे मामलों के सिवाय जहाँ विशेष नियुक्तियों के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है अथवा जहाँ संख्या कम होती है इनकी लोक हित में आवश्यकता होती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) 20 जून, 1942 से 31 दिसम्बर 1945 तक होने वाले पदों में से 70 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से साधारणतया भरे जाते हैं, इन पदों को 'युद्ध सेवा' के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। विभिन्न प्रांतीय सरकारों द्वारा आरक्षित रिक्त स्थानों के अनुपात के बारे में सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है। उच्च सेवाओं में युद्ध आरक्षित रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र उम्मीदवारों से मांगे गए हैं तथा गैर-तकनीकी सेवाओं के लिए आवेदन पत्र देने की अंतिम तारीख 15 फरवरी, 1946 है और तकनीकी सेवाओं के लिए आवेदन पत्र देने की अंतिम तारीख 1 अप्रैल, 1946 है।

तकनीकी सेवाओं के उम्मीदवारों का साक्षात्कार संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा और यह आयोग ही अन्तिम रूप से चयन करेगा। गैर-तकनीकी सेवाओं के लिए उम्मीदवारों को युद्ध विभाग द्वारा काम में लाए जाने वाले बोर्डों द्वारा सर्वप्रथम परीक्षा ली जाएगी तथा इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। अधीनस्थ और अवर सेवा के रिक्त पदों के लिए पूर्व सैनिकों से सैन्य विघटन के बाद आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।

402

*वाइसरीगल संपदा डिवीजन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

70. सरदार मंगल मिंह : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि सेवा की वे विस्तृत शर्तें अर्थात् वेतनमान, दी गई अन्य निःशुल्क रियायतें और कार्य करने का स्थान आदि क्या थी जिनके अधीन 14 जुलाई, 1946 से पूर्व शिमला अथवा दिल्ली में वाइसरीगल संपदा डिवीजन में लिपिकों और अधीनस्थ कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है (देखिए पृष्ठ 147)

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1946, 6 मार्च, 1946, पृष्ठ 1974

403

*जोधपुर रेलवे में रोजगार विनियमों के अनुसार घंटों का उपयोग

71. सेठ सुखदेव : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया में से गुजरने वाली जोधपुर रेलवे के रोजगार विनियमों के अनुसार घंटों का उपयोग होता है;

(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर सकारात्मक है तो इसके बारे में वर्ष 1941-44 के लिए रेलवे श्रमिकों की रिपोर्ट में सुलह अधिकारी और पर्यवेक्षक द्वारा कोई उल्लेख क्यों नहीं किया गया जबकि यह रिपोर्ट दिसम्बर 1945 के भारत श्रम राजपत्र (इंडियन लेबर गजट) के अंक में प्रकाशित की गई थी; और

(ग) क्या माननीय सदस्य सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखेंगे जिसमें अलग से तीन वर्ष अर्थात् 1941-44 के लिए जोधपुर रेलवे के ब्रिटिश भाग को नीचे दी गई सूचना दी गई हो-

- (i) रखे गए कर्मचारियों की संख्या,
- (ii) विनियम द्वारा प्रभावित कर्मचारियों की संख्या,
- (iii) अनवरत कामगारों के रूप में वर्गीकृत कर्मचारियों की संख्या,
- (iv) 'आवश्यक रूप से आन्तरायिक कामगारों' के रूप में वर्गीकृत कर्मचारियों की संख्या,
- (v) छोड़े गए कर्मचारियों की संख्या,
- (vi) केलेण्डर दिवस के विश्राम का सुख उठाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत,
- (vii) किए गए निरीक्षणों की संख्या,
- (viii) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें श्रम निरीक्षणालय द्वारा वर्गीकरण के लिए चुनौती दी गई थी,
- (ix) ऐसे संदेहास्पद मामलों की संख्या जो निर्णय के लिए भारत सरकार के श्रम विभाग को भेजे गए थे, और

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1946, 6 मार्च, 1946, पृष्ठ 1976

(ग) ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो निर्धारित घटों से अधिक (i) आदतन और (ii) कभी-कभी काम करते हुए पाए गए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) इसका उत्तर नकारात्मक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है।

404

*रेलवे ठेकेदारों के मजदूरों के निरीक्षण के बारे में कानूनी नियमावली

72. सेठ सुखदेव : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय सदस्य का ध्यान नवम्बर 1945 के भारतीय श्रम राजपत्र (इंडियन लेबर गजट) में प्रकाशित वर्ष 1941-44 के लिए सुलह अधिकारी (रेलवे) और रेलवे मजदूरों के पर्यवेक्षक की रिपोर्ट में दी गई टिप्पणी की ओर आकर्षित किया गया है जो मजदूरी संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त श्रमिक निरीक्षणालय मजदूरी, जुर्माने, कटौतियों के रजिस्टरों के रखने हेतु ठेकेदारों के लिए आवश्यक कानूनी नियमावली के अभाव में रेलवे ठेकेदारों के श्रमिक स्थापना में बाधा बन गए थे; और

(ख) क्या इस कानूनी नियमावली में संशोधन करने का विचार है; यदि हाँ तो कब और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) इसका उत्तर सकारात्मक है।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

405

#कारखाना (संशोधन) विधेयक प्रवर समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन् मैं कारखाना अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1946, 6 मार्च, 1946, पृष्ठ 1998

वही, पृष्ठ 1999

विवरण

(डॉक्टर अब्बेडकर द्वारा प्रश्न संख्या 70 का उत्तर, देखिए क्रमांक 402)

क्रम सं. लाभ	नाम	पद	वेतनमान	वाइसरिगल एस्टेट से स्थानांतरित होते समय वेतन	निःशुल्क दी गई रियायतें	कार्य करने का स्थान
1.	श्री हुसैन अली	सेनेटरी ओवरसियर	रुपये 80-7-255	रुपये 241	निःशुल्क आवास और कापानी का बिल, तथा बिजली प्रभार से मुक्ति	नई दिल्ली
2.	श्री शिव शरण दास	भवन पर्यवेक्षक	200-10-300	340	"	"
3.	श्री बी.जी. माथुर	"	"	290	"	शिमला
4.	श्री बी. सी. बनर्जी	"	"	200	"	कलकत्ता
5.	श्री मोहन लाल	ड्राफ्टमैन	60-5-150	130	"	नई दिल्ली
6.	श्री माधो नारायण	सब ओवरसियर	75-4-95-5-150	133	"	शिमला
7.	श्री पी.एन. चटर्जी	विद्युत पर्यवेक्षक	200-10-400	400	"	"

- सेवा निवृत्ति
- निधन हो गया
- सेवा निवृत्ति
- वाइसरिगल एस्टेट डिवीजन में अब नहीं है।

406

***नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
और भवन निर्माता ठेकेदारों द्वारा रखे गए
मजदूरों के आवास की दशा**

867. श्री एम. अनन्तशायनम आव्यांगर : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और भवन निर्माता ठेकेदारों द्वारा नई दिल्ली और समीपवर्ती स्थानों में सीधे ही रखे गए मजदूरों की संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ये मजदूर ऐसी दयनीय अस्वच्छ झोपड़ियों में रहते हैं जो हर समय धूप, वर्षा और ठंड के मौसम की विभीषिकाओं से पीड़ित होती है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हाँ' में हैं, तो माननीय सदस्य ऐसे कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उन मजदूरों के लिए सस्ते और स्वच्छ आवास के प्रबंध किए जाएं, यदि ऐसे कदम उठाने का विचार नहीं है तो क्यों?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) लगभग 12,000 मजदूर सीधे ही केन्द्रीय लोक निर्माण के अधीन काम करते हैं जबकि भवन निर्माता ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले मजदूर भवन निर्माण के कार्यक्रम के अनुसार न्यूनाधिक संख्या में काम करते हैं।

(ख) कुछ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मजदूरों को सरकारी क्वार्टर आवंटित किए गए हैं और अन्य मजदूरों ने अपने आवास के लिए अपने ही प्रबंध कर लिए हैं।

जहां तक ठेकेदार द्वारा रखें गए मजदूरों का संबंध है, उनमें से लगभग 9000 मजदूर दिल्ली के शहरी क्षेत्र में उन्हीं के घरों में रहते हैं। शेष मजदूर जो प्रतिदिन अपने गाँवों से कार्य स्थल पर आते हैं अथवा उन्हें कार्यस्थल पर ही ठेकेदार द्वारा उन निर्मित छप्परों में आवास दिया जाता है जो उन्हें धूप, वर्षा और ठंड से कुछ बचा पाते हैं।

(ग) सरकार ने पहले ही ठेकेदारों द्वारा रखें गए मजदूरों को स्थायी आवास के दिए जाने के प्रश्न पर विचार किया है और वे दिल्ली के पास उन गाँवों में मॉडल बस्तियों के सुधार के लिए विचार कर रहे हैं जहां से मजदूर आते हैं। गरीब जनता के लिए सहायता प्रदत्त आवास की सरकारी योजना में ठेकेदारों द्वारा रखें गए मजदूरों के लिए अच्छे आवास की व्यवस्था भी शामिल की जानी चाहिए।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1946, 12 मार्च, 1946, पृष्ठ 2224

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के, उन मजदूरों के लिए आवास की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि जिन्हें अभी तक सरकारी आवास आवंटित नहीं किए गए हैं।

407

*अभ्रक को केन्द्रीय विषय बनाया जाना

890. श्री सत्य नारायण सिन्हा : (क) या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है ब्रिटिश संसद भारत सरकार अधिनियम (गवर्नरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट) में ऐसा संशोधन करने जा रही है जिससे कि अभ्रक को केन्द्रीय विषय बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां तो क्या माननीय सदस्य इसे उस समय तक आस्थगित करा सकेंगे जब तक प्रतिनिधित्व वाली सरकार बिहार में स्थापित न हो जाए और ऐसा होना कुछ ही समय की बात है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) ब्रिटिश संसद में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया गया है ताकि भारत सरकार अधिनियम को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि केन्द्र को ऐसी शक्ति मिले ताकि वह अभ्रक विषय को सम्मिलित करते हुए कुछ मापलों में युद्ध से शान्ति तक की अस्थायी अवधि के लिए कानून बना सके।

(ख) काफी समय से सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि भारत सरकार अधिनियम की सूची-1 की मद 36 के संदर्भ में इस सदन में ऐसा विधान बनाया जाए ताकि अभ्रक के कुछ पक्षों को केन्द्र के नियंत्रण में लाया जा सके।

408

@सरकारी मुद्रणालय, अलीगढ़ के कर्मचारियों की शिकायतें

896. पंडित श्री कृष्ण दत्त पालीवाल : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी मुद्रणालय, अलीगढ़ के कर्मचारियों ने हड़ताल करने का नोटिस दे दिया है, यदि हां तो उनकी शिकायतें और मांगे क्या-क्या हैं;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1946, 12 मार्च, 1946, पृष्ठ 2236

@ वही, पृष्ठ 2238

(ख) क्या सरकार उन्हें रहन-सहन के लिए न्यूनतम मजदूरी देना चाहती है, और हाँ है तो कब और कितनी राशि देगी;

(ग) उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं यथा स्नान करने की सुविधाएं, बाह्य खेल, बच्चों की शिक्षा, क्वार्टरों की व्यवस्था और चिकित्सीय सहायता क्या-क्या हैं;

(घ) उनमें प्रति सप्ताह काम के घंटे कितने हैं और क्या सरकार उन घंटों को घटाकर 40 घंटे प्रति सप्ताह करना चाहती है;

(ङ) क्या सरकार उन्हें सस्ती दरों पर अनाज सप्लाई करने का प्रस्ताव करती है जैसा कि सरकार दिल्ली प्रेस तथा अन्य सरकारी विभागों के लिए कर रही है; और

(च) क्या सरकार उजरती मजदूरी पद्धति का उन्मूलन करने का इरादा करती है और इस समय कर्मचारियों द्वारा पैदा की गई मजदूरियों के आधार पर मासिक वेतन प्रारंभ करना चाहती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हाँ। शिकायतें इस प्रकार हैं :

(i) यू. पी. सरकार द्वारा गेहू के राशन में कटौती,

(ii) वेतन और वेतनमानों का पुनरीक्षण,

(iii) दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को दी गई रियायत के आधार पर अनाजों की रियायती दरें,

(iv) उजरती दरों का उन्मूलन, और

(v) क्वार्टरों की व्यवस्था।

हड़ताल के इस नोटिस का तत्काल कारण गेहू की राशनिंग की कटौती है।

(ख) यह सामान्य प्रकार का ऐसा प्रश्न है जो सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है।

(ग) बाह्य खेलों और चिकित्सीय सेवा के अलावा इस समय अन्य कोई सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं। अन्य सुविधाओं के प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रति सप्ताह कार्य करने के घंटे 48 हैं। इनमें कमी करना ठीक होगा या नहीं, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) नहीं। अलीगढ़ प्रेस के कर्मचारियों को यू. पी. सरकार के आदेशों के आधार पर रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

(च) इस समय सरकार की नीति है कि जैसे ही अवसर आएं, उजरती दरों के लिए शनैः शनैः वेतन के समय मान को बदल दिया जाए।

409

*भारत सरकार के मुद्रणालयों में जूनियर रीडरों की कुछ पदोन्नति

900. हाजी चौधरी मोहम्मद इस्माइल खां : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के मुद्रणालयों में जूनियर रीडरों को सीनियर रीडरों के पद पर पदोन्नति देने का क्या आधार है;

(ख) क्या यह सच है कि किन्होंने भारत सरकार के मुद्रणालयों में कुछ विभागीय कर्मचारी जिन्होंने रीडर की परीक्षा पहले उत्तीर्ण कर ली थी तथा जूनियर रीडर के ग्रेड में पहले ही आ गए थे, जूनियर रीडर ग्रेड में ही नहीं अपितु सीनियर रीडर ग्रेड में भी उन कर्मचारियों से अधिक्रमित हो गए हैं जिन्होंने बाद में जूनियर रीडर के ग्रेड में प्रवेश किया;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ अर्हताप्राप्त कापी होल्डरों जिन्होंने जूनियर रीडर की कुल सेवा अधिक समय तक कर ली है, को जूनियर रीडर ग्रेड में दन कर्मचारियों की तुलना में जूनियर घोषित किया गया है जिनकी जूनियर रीडर के रूप में कुल सेवा अपेक्षाकृत कम है और वे रीडर की उस परीक्षा में असफल रहे जिसमें उन्होंने जूनियर रीडर के पद पर अधिक समय तक काम किया;

(घ) क्या यह सच है कि उन कापी होल्डरों को वरिष्ठ समझा गया है जिन्होंने कॉपी होल्डर के पदों में कुल सेवा अपेक्षाकृत अधिक समय तक की है; और

(ङ) क्या माननीय सदस्य इस बात की वांछनीयता पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं कि जूनियर रीडर के ग्रेड में कुल सेवा की अवधि के आधार पर वरीष्ठ रीडर के पदों को भरा जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अष्ट्रेडकर : (क) हेड रीडर के पद को 'चयन पद' घोषित किया गया है, इस पद के अलावा एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में रीडरों की पदोन्नति का आधार वरिष्ठता तथा कार्यदक्षता है।

(ख) और (ग) जी हाँ, ऐसे मामलों में वरिष्ठ कॉपी होल्डरों ने अपने उन जूनियरों के स्थायी होने से पूर्व रीडर की परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है जिन्होंने पहले ही परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। परीक्षा अर्हता प्राप्त करने के लिए होती है, परीक्षा में उत्तीर्ण होना ऐसा कारक नहीं हैं जबकि सेवाकाल ही ऐसा कारक है जो रीडरों के रूप में नियुक्ति के प्रयोजन के लिए वरिष्ठता निर्धारित करता है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1946, 12 मार्च, 1946, पृष्ठ 2240

(घ) जी हां। अप्रैल, 1943 तक और इसके बाद अनवरत सेवा की कुल अवधि द्वारा वरिष्ठता निर्धारित की जाती है।

(ङ) जैसा कि उपरोक्त (क) में बताया गया है, कुछ अलग-अलग मुद्रणालयों में ऐसे हेड रीडरों के कुछ चयन पद के सिवाय; पहले ही ऐसा किया जा रहा है जो कार्यदक्षता के आधार पर चयन द्वारा भरे जाते हैं।

410

*भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में मुस्लिम सेक्शन होल्डर और ओवरसियर

904. हाजी चौधरी मोहम्मद इस्माइल खां : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में ओवरसियर और सेक्शन होल्डर के स्थायी और अस्थायी पदों की कुल संख्या क्या है तथा इनमें से कितने पदों पर मुसलमान काम कर रहे हैं; और

(ख) ऊपर बताए गए मुद्रणालय में अलग-अलग ओवरसियरों के कर्तव्य और कृपा क्या-क्या हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) 7 ओवरसियर 12 सेक्शन होल्डर 1 सात ओवरसियरों के पदों में से 2 पद पर मुसलमान हैं। बारह सेक्शन होल्डर के पदों में से दो पद पर मुसलमान हैं।

(ख) एक ओवरसियर निम्नलिखित के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होता है-

(i) उसके अधीन काम कर रहे लोगों के काम की मात्रा और गुणवत्ता बनाए रखना,

(ii) अपने अधीन सेक्शन को पूर्णतया काम पर लगाए रखना;

(iii) कार्य को शीघ्रता से संपन्न करना और मितव्ययता के साथ उत्पादन करना,

(iv) सभी समयोपरि मांगों की सावधानीपूर्वक जांच तथा समयोपरि काम कम से कम करना, और

(v) अधीनस्थ लोगों के बीच काम का समतापूर्वक वितरण।

नान-टेक्नीकल ओवरसियर मुद्रणालय में सभी अवस्थाओं में सबसे गोपनीय कार्य के कठोरता से पर्यवक्षण के लिए उत्तरदायी होता है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1946, 12 मार्च, 1946, पृष्ठ 2242

411

*राय साहिब सी. पी. मलिक की अधीक्षक इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति

907. डॉ सर जियाउद्दीन अहमद : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि राय साहिब सी. बी. मलिक को अधीक्षक इंजीनियर के पद पर काम करने के लिए आदेश दिया गया और इस संबंध में 28 फरवरी, 1946 को पूछे गए तारांकित प्रश्न के अपने उत्तर के संदर्भ में यह बताया गया कि एकजीक्यूटिव इंजीनियर को बिना नियुक्ति दिए अधीक्षक इंजीनियर का काम कराने की क्या विशेषता थी;

(ख) क्या ऐसा व्यक्ति जिसे अधीक्षक इंजीनियर का काम सौंपा जाता है, अपने एकजीक्यूटिव इंजीनियर की स्थायी नियुक्ति से संबंधित कर्तव्य निभाता है; यदि हाँ तो क्या वह एकजीक्यूटिव इंजीनियर की रिपोर्ट अधीक्षक इंजीनियर को स्वयं ही अपने पास भेजता है; यदि नहीं तो उसकी रिपोर्ट किसे भेजी जाती और यदि ऐसा नहीं है तो क्या सदस्य नियुक्ति और काम को निभाते रहने में अंतर की व्याख्या करेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) इस प्रबंध की व्यवस्था यह है कि वह अधिकारी अधीक्षक इंजीनियर के पद का वेतन नहीं लेता परन्तु वह अपने एकजीक्यूटिव इंजीनियर के कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य पद के नेमी कर्तव्यों के वर्तमान चार्ज को संभालने के लिए कुछ अतिरिक्त भत्ता आरक्षित करता है। एकजीक्यूटिव इंजीनियर के पद की उसकी रिपोर्ट अगले उच्च अधिकारी अर्थात् मुख्य इंजीनियर को प्रस्तुत की जाती है।

इस प्रबंध को प्रशासनिक नियमों और प्रथा की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त है।

412

#केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशासकीय विभाग में कतिपय पदों के लिए मुसलमानों को खोजने के लिए प्रयत्न

908. डॉ सर जियाउद्दीन अहमद : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को प्रशासकीय अधिकारी का पद स्वीकार करने के लिए कहा है; यदि हाँ तो वह कौन व्यक्ति था और उसने क्या उत्तर दिया;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 3, 1946, 12 मार्च, 1946, पृष्ठ 2244

वही।

(ख) क्या माननीय सदस्य ने इस बात का प्रयत्न किया कि उपयुक्त मुस्लिम उम्मीदवार की खोज की जाए;

(ग) क्या माननीय सदस्य ने यह निर्णय किया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी पदों को हिन्दुओं और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा जाए? यदि नहीं तो माननीय सदस्य ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं कि प्रशासकीय अधिकारी के पद को भरने के लिए उपयुक्त अधिकारी खोजा जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) नहीं। यह प्रश्न नहीं उठता।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पद के भरे जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

413

*कोयला खानों में बेरोजगार महिलाओं का रोजगार

1008. प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) उन महिलाओं को जो कोयला खानों में कार्य करती थी और पहली फरवरी से बेरोजगार हो गई हैं वैकल्पिक रोजगार दिलाने के लिए क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं और यदि हाँ तो वे क्या हैं;

(ख) सरकार नियोक्ताओं को यह अनुमति क्यों देती है कि ठेकेदारों की सेवाओं का उपयोग किया जाए ताकि उनमें से कुछ बेरोजगार महिलाओं को कुछ काम दिया जाए;

(ग) इन ठेकेदारों द्वारा इन महिलाओं को कितनी मजदूरी दी जाती है; और

(घ) सरकार इन महिलाओं के परिवारों को निःशुल्क अतिरिक्त आधा सेर चावल, निःशुल्क आधा सेर दूध तथा चावल और दाल की खरीद में रियायत देने से क्यों इन्कार करती है जबकि इन परिवारों के पुरुष सदस्य खानों में काम करते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) माननीय सदस्य का ध्यान 25 फरवरी, 1946 को तारांकित प्रश्न संख्या 466 के भाग (ख) के दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 15 मार्च, 1946, पृष्ठ 2458

(ख) ठेकेदारों को भवन निर्माण, बालू लादने और उसे उतारने, ईटें बनाने आदि के कार्यों पर लगाया जाता है तथा कुछ महिलाओं को भूमिगत स्थलों पर काम करने से अलग किया जाता है क्योंकि ऐसे स्थलों पर काम करने का भार ठेके पर दिया जाता है।

(ग) इस प्रकार काम पर लगाई गई महिलाओं की आय प्रतिदिन 10 से 12 अने होती है और इसमें आधा सेर निःशुल्क चावल तथा प्रत्येक उपस्थिति पर दो आने का बोनस सम्मिलित नहीं है।

(घ) अतिरिक्त राशन की रियायत केवल कोयला खान के कामगारों को दी जाती है।

कोयला खानों में भूमिगत स्थलों में कार्य करने वाली महिला कामगारों को दूध की निःशुल्क सप्लाई की रियायत उनके भूमिगत स्थलों में रोजगार के प्रतिबंध के हटाने के संबंध में एक प्रतिकर साधन था। 1 फरवरी, 1946 से प्रतिबंध के फिर से लगाए जाने के फलस्वरूप उस तारीख से यह रियायत लागू होने से समाप्त हो गई है।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : चावल और दाल की खरीद की रियायत के प्रश्न के संबंध में उन महिलाओं के बारे में इसे जारी क्यों नहीं होना चाहिए जो अब सतह पर काम करने के लिए है परन्तु जिन्होंने इससे पूर्व भूमिगत स्थलों में काम किया था?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है, वे विशेषधिकार दिए गए जब वे भूमिगत स्थलों में काम कर रहे थे। जैसे ही प्रतिबंध फिर से लगाया गया, उन्हें यह प्रतिकर भत्ता दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : माननीय सदस्य के सचिव उस दिन बता रहे थे कि कुछ रक्षात्मक साधन अपनाए गए थे ताकि मजदूरों को ठेकेदारों के अत्याचारों से बचाया जा सके। क्या हमें यह समझना है कि उनका शोषण किया जाता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि यह किसने कहा।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : माननीय सदस्य के सचिव श्री जोशी ने बताया कि ठेकेदारों को यहां बुलाया जाता है और इन्हीं ठेकेदारों के द्वारा महिलाओं को काम पर लगाया जाता है। क्या हम यह समझें कि सरकार द्वारा पर्याप्त साधन अपनाए जाते हैं ताकि इन महिलाओं को उन ठेकेदारों के शोषण से बचाया जा सके?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं यही कह सकता हूं कि माननीय सदस्य कोई विशेष प्रश्न करेंगे तो मैं उस प्रश्न का उत्तर दूँगा।

दीवान चमनलाल : क्या सरकार ने संविदा में समुचित मजदूरी के खण्ड पर जोर दिया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जहां तक मेरी सूचना है कि वह वाक्यखण्ड संविदाओं में जोड़ दिया गया है।

श्री मनु सूबेदार : सामान्य रूप से सरकार ऐसे क्या कदम उठा रही है कि उन समस्याओं की जांच की जाए कि ठेकेदार को कैसे कम किया जा सकता है और मजदूरों को सीधे ही नियोक्ता के अधीन कैसे रखा जा सकता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस मामले की जांच की जा रही है।

दीवान चमनलाल : मेरे प्रश्न का संबंध उचित मजदूरी के खण्ड को महिला कामगारों की संविदाओं में जोड़ने से था?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इस पर विचार किया जा सकता है।

414

*लक्ष्मणतीर्थ नदी पर बाँध का निर्माण

1009. श्री डी. पी. करमारकर : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या कुर्ग में लक्ष्मणतीर्थ नदी पर बाँध के निर्माण के लिए विचार किया जा रहा है और क्या इस परियोजना से 30000 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए आशा की जाती है;

(ख) क्या मैसूर सरकार ने ऊपर बताई गई योजना के संबंध में आपत्तियां की हैं;

(ग) क्या इस मामले में कुर्ग के मुख्य आयुक्त द्वारा भारत सरकार को लिखा गया है; और

(घ) क्या भारत सरकार इस मामले में किसी निर्णय पर पहुंची है, यदि नहीं है तो क्या सरकार शीघ्र ही किसी ऐसे निर्णय पर आना चाहती है ताकि कुर्ग की सरकार इस परियोजना के तीव्र गति से कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़े?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हां, परन्तु 1942 में जैसी परियोजना तैयार की गई थी, उससे यह आशा की जाती थी कि लगभग 3,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की सकेगी।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 15 मार्च, 1946, पृष्ठ 2459

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है और यह सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) इस परियोजना की जांच की गई थी परन्तु इस परियोजना मे कुछ तकनीकी कमियां थीं। कुर्ग के मुख्य आयुक्त को कहा गया कि इस परियोजना का तकनीकी सलाह के प्रकाश में पुनरीक्षण कर लें तथा पड़ोसी प्रदेश से भी पता लें कि क्या उन्हें इस परियोजना के कार्यान्वयन में कोई आपत्ति तो नहीं है। अभी तक कुर्ग के मुख्य आयुक्त से पुनरीक्षित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है यद्यपि कुर्ग के प्रशासन की पंचवर्षीय युद्धोत्तर योजना में इसे सम्मिलित कर लिया गया है।

415

*रोजगार और पुनर्वास निदेशालय के व्यय का आवंटन

1017. श्री वादीलाल लल्लूभाई : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) केन्द्र और क्षेत्रीय केन्द्रों में अलग-अलग रोजगार तथा पुनर्वास निदेशालय के लिए आवंटित व्यय कितना है;

(ख) इन अलग-अलग केन्द्रों में कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे पूर्व सैनिकों की कुल संख्या कितनी है; जिन्होने रोजगार के लिए इन केन्द्रों में अपना नाम रजिस्टर करा लिया है; और

(घ) निदेशालय द्वारा इन पूर्व सैनिकों में से कितने पूर्व सैनिकों को वैकल्पिक रोजगार के लिए उपयुक्त पाया गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है परन्तु शायद माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वर्ष 1946-47 के दौरान पुनर्वास और रोजगार के महानिदेशालय के निदेशालय तथा प्रशासनिक कर्मचारियों पर तकनीकी वार्षिक व्यय क्या है। यह व्यय इस प्रकार है :-

	रुपये
हेडक्वार्टर	27,14,800
क्षेत्रीय केन्द्र	1,08,32,500
योग -	<u>1,35,47,300</u>

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 15 मार्च, 1946, पृष्ठ 2468

वर्ष 1946-47 के लिए बजट प्राक्कलनों में व्यौरों के लिए संदर्भ आमंत्रित किया है। क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों में व्यय क्रमशः 60 और 40 के अनुपात में बॉटा जाएगा।

(ख) 18 जुलाई से 31 दिसंबर, 1945 की अवधि के लिए पुनर्वास और रोजगार के महानिदेशालय की प्रगति रिपोर्ट के परिशिष्ट-I में इस संगठन के केन्द्रीय और क्षेत्रीय सेवकों की स्वीकृत पदों की संख्या तथा अभी तक भरे गए पदों की संख्या के व्यौरेवार विवरण पत्र दिए गए हैं।

इसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में रखी गई है।

(ग) रोजगार कार्यालय समाप्त की गई सेवाओं के कर्मचारियों को रजिस्टर करने तथा उन्हें स्थान दिलाने के लिए ही उत्तरदायी नहीं है अपितु युद्ध के सेवामुक्त कामगारों के लिए भी उत्तरदायी है। 31 दिसम्बर, 1945 तक रोजगार कार्यालय तथा पुनर्वास और रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर किए गए व्यक्ति की कुल संख्या 50,658 थी और इनमें से 29,925 व्यक्ति पूर्व सैनिक थे। इस संबंध में यह भी बता दिया गया कि सैन्य विघटन के दूसरे अवस्था का कार्य 15 नवम्बर, 1945 को ही प्रारंभ हो सका। सेना की विमुक्ति के अनुसार लगभग 15,00,000 व्यक्ति मार्च, 1947 के अंत तक अलग कर दिए जाएंगे। इस अवस्था में यह अनुमान लगाना कठिन है कि इन व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को पुनर्वास और रोजगार कार्यालय की सहायता की आवश्यकता होगी।

(घ) 31 दिसम्बर, 1945 तक रोजगार कार्यालय और पुनर्वास तथा रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार के लिए बताए गए व्यक्तियों की संख्या 9,516 थी। इनमें से 2,841 व्यक्ति सैनिक थे।

416

*केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मुसलमानों और गैर-मुसलमानों को ठेके के निर्माण कार्य

1021. सेठ सूसुफ अब्दुल्ला हारून : क्या माननीय श्रम सदस्य सदन के पटल पर एक तुलनात्मक विवरण रखेंगे जिसमें अलग-अलग यह दिखाया गया हो कि टेंडरों द्वारा उन ठेके के निर्माण कार्यों तथा वर्क आर्डर की राशि क्या है जो निर्माण डिवीजन संख्या एच आई, नई दिल्ली 'ए' डिवीजन नई दिल्ली 'बी' डिवीजन, प्रांतीय डिवीजन

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 15 मार्च, 1946, पृष्ठ 2472

और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली के विशेष डिवीजन संख्या I को गत तीन वर्ष में वर्तमान एकजीक्यूटिव इंजीनियरों अथवा उनके पूर्वाधिकारी द्वारा मुसलमान और गैर-मुसलमान ठेकेदारों की दिए गए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : पूछी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा इसके एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

सेठ यूसुफ अब्दुल्ला हारून : मैं माननीय श्रम सदस्य से यह जान सकता हूँ कि वह यह सूचना बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मेरे पास निश्चित सूचना है कि इस ब्रांच में मुसलमानों को दिए गए ठेके बहुत ही कम हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि मेरे माननीय मित्र के पास सूचना है तो मैं नहीं जानता कि वह मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं।

सेठ यूसुफ अब्दुल्ला हारून : मैं माननीय श्रम सदस्य को इसलिए कष्ट दे रहा हूँ कि हमारे हितों की हानि हो रही है तथा माननीय सदस्य के विभाग द्वारा मुसलमानों की अवहेलना की जा रही है और उस मामले को सदन के समक्ष बताना चाहता हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे अपने दिए गए उत्तर में कुछ भी नहीं जोड़ना है।

सेठ सूसुफ अब्दुल्ला हारून : क्या माननीय श्रम सदस्य कोई मार्ग अपनाएंगे कि बाद में यह सूचना सदन के पटल पर रख दी जाए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं ऐसा नहीं कर सकता।

श्री श्रीप्रकाश : क्या माननीय सदस्य से नाराज हैं?

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

417

*नई दिल्ली में इस्टर्न और वैस्टर्न हाउसेस की भारत सरकार द्वारा बिक्री

1131. **सेठ गोविंद दास :** क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या सरकार ने 4 फरवरी, 1946 के हिंदुस्तान टाइम्स में समाचार देखा है कि ह्वाइट हाल भारत सरकार पर यह दबाव डाल रहा है कि वह कर्जन रोड और अशोक

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 21 मार्च, 1946, पृष्ठ 2689

रोड के क्रमशः वैस्टर्न और इस्टर्न हाउसेस को खरीद ले, यदि हाँ तो भारत सरकार द्वारा क्या उत्तर दिया गया है; और

(ख) क्या सरकार इस बात पर विचार करती है कि सामान की प्राप्त कीमत खरीद कीमत का कुछ ही अंश होगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ। इस संबंध में मैं माननीय श्री वेंकेटासुब्बा रेडियार के 8 फरवरी, 1946 के अल्पकालीन नोटिस पर दिए गए प्रश्न संख्या 23 के भाग (क) और (ख) के उत्तर की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

(ख) अभी तक खरीद की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया गया है परन्तु भवन के तोड़ने के बाद सामग्री की कीमत अवश्य ही भवन की कीमत की तुलना में बहुत कम होगी।

श्री अहमद ई. एच. जफर : भाग (क) के उत्तर में माननीय सदस्य ने 'जी हाँ' कहा। क्या इसका अर्थ यह है कि हाइट हाल से यह दबाव डाला गया था?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं।

श्री अहमद ई. एच. जफर : भाग (क) के उत्तर में 'जी हाँ' का क्या अर्थ है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसका अर्थ यह है कि मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स में यह समाचार देखा है।

सभापति महोदय : अगला प्रश्न।

418

*सरकारी मुद्रणालय, अलीगढ़ में हड्डताल की धमकी

1134. **श्री मोहन लाल सक्सेना :** (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह हड्डताल के उस नोटिस से अवगत हैं जो सरकारी मुद्रणालय, अलीगढ़ के कर्मचारियों ने दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को 12 रुपये, 14 रुपये और 15 रुपये प्रतिमास दिए जाते हैं;

(ग) क्या माननीय सदस्य उनके वेतन, सुविधाएं, कार्य करने के घंटे और राशन की सप्लाई के संबंध में शिकायतों से अवगत हैं; और

(घ) भारत सरकार ने कामगारों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की है और क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 21 मार्च, 1946, पृष्ठ 2691

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हां।

(ख) जी हां, कर्मचारियों के कुछ वर्ग।

(ग) जी हां।

(घ) इन शिकायतों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में माननीय सदस्य का ध्यान 12 मार्च, 1946 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 896 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रो एन. जी. रंगा : इस प्रश्न के भाग (ख) के संदर्भ में इन कामगारों में से कितने कामगारों को केवल 12 या 14 या 15 रुपये प्रतिमास दिए जाते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे आशंका है कि मेरे पास यहां तथ्य नहीं है।

प्रो एन. जी. रंगा : क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि उन लोगों के वेतन बढ़ाए जाएं जिन्हें इतना कम वेतन दिया जाता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि सरकार ने वेतन आयोग नियुक्त किया है जो सामान्यता ऐसे मामले की जांच करता है।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : क्या माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को 30 रुपये प्रतिमास का न्यूनतम वेतन देता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस सूचना के लिए माननीय मित्र को बधाई देता हूँ।

डॉ. सर जियाउद्दीन अहमद : यह मेरे लिए बधाई अथवा आपके लिए संवेदना का प्रश्न नहीं है— यह रहन-सहन का न्यूनतम मानक है— हम अपने कर्मचारियों को भूखा नहीं रख सकते।

प्रो एन. जी. रंगा : सरकार के लिए यह क्यों आवश्यक है कि जब तक विशेष आयोग भारत सरकार के सभी कर्मचारियों और सेवकों के सामान्य रूप से वेतन के बारे में रिपोर्ट दे तब तक क्या सरकार 12, 14, और 15 रुपये प्रतिमास वेतन में वृद्धि के लिए क्यों नहीं सोच सकती?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : सरकार का इरादा है कि किसी भी समान सिद्धांत पर अपनी सामान्य नीति बनानी चाहिए और वह नीति तब तक कार्यन्वित नहीं की जा सकती जब तक आयोग द्वारा इस मामले की जांच न कर ली जाए।

सेठ गोविन्द दास : किस तारीख से इस आयोग की रिपोर्ट आने वाली है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं यह बताने में असमर्थ हूं परन्तु सरकार इस मामले को शीघ्र निपटाने का विचार रखती है।

सेठ गोविन्द दास : उस समय तक इन लोगों को भूखा मरना है। क्या सरकार का विचार है कि उस समय तक इन लोगों को 12 या 14 या 15 रुपये प्रतिमास मिलना चाहिए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : सरकार ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री मोहन लाल सक्सेना : क्या सरकार उन्हें कुछ अस्थायी राहत देने पर विचार कर रही है जब तक कि सिफारिशें प्राप्त न हों?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, सरकार इन शिकायतों पर ध्यान दे रही है।

श्री मोहन लाल सक्सेना : क्या सरकार इस तथ्य से अवगत नहीं है कि अन्य स्थानों में मुद्रणालय के कर्मचारी हड़ताल पर हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हाँ, ऐसा ही है परन्तु मैं समझता हूं कि वे अन्यत्र काम कर रहे हैं।

श्री मोहन लाल सक्सेना : क्या माननीय सदस्य यह देखेंगे कि उन्हे अस्थायी रूप से राहत दी जाए, उससे पूर्व वे हड़ताल करने पर बाध्य हो जाएं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं कोई भी समय-सीमा नहीं दे सकता।

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या यह सच नहीं है कि “सक्रिय विचार के अन्तर्गत” जैसे शब्द प्रायः यह बताते हैं कि इसमें कोई समय की सीमा नहीं है जैसा कि मेरे माननीय मित्रों का संबंध है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं ऐसा विचार नहीं करता।

419

*कोयला खानों में महिला कामगारों के लिए सतह पर कार्य

1138. प्रो एन. जी. रंगा : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खानों के भूमिगत स्थलों से हठाई गई बीस हजार महिलाओं में से कितनी महिलाओं को सतह पर काम पर लगा दिया गया है;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 21 मार्च, 1946, पृष्ठ 2696

(ख) क्या माननीय सदस्य उस बात की जांच करेंगे कि प्रांतीय रेलवे कोयला खानों के भूमिगत स्थलों से हटाई गई महिलाओं में से कितनी महिलाओं को पूर्ण रूप से स्थायी आधार पर काम पर रखा गया है और ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्हें प्रति सप्ताह छः दिन का काम दिया गया है; और

(ग) 25 फरवरी, 1946 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 466 के उत्तर में बताई गई कल्याण निधि द्वारा कितनी महिलाएं काम पर लगाई जाने वाली हैं और कितनी महिलाएं प्रांतीय सरकारों द्वारा काम पर लगाई जाने वाली हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) सही आंकड़े प्राप्त नहीं हैं परन्तु कोयला खानों के भूमिगत स्थलों से हटाई गई महिला कामगारों में से लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं को सतह पर काम उपलब्ध करा दिया गया है। शेष 50 प्रतिशत महिलाओं में से लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं अपने गांवों को चली गई हैं जबकि बची हुई महिलाओं में कुछ महिलाएं कोयला खानों में बैठी हुई हैं क्योंकि वे ठेके का कार्य यथा कोयलों की लदाई को नहीं करना चाहतीं।

(ख) प्रान्तीय रेलवे कोयला खानों से हटाई गई सभी महिलाओं को पूर्ण रूप से स्थायी आधार पर सतह पर काम दे दिया गया है; 1060 महिलाओं को 6 दिन प्रति सप्ताह के आधार पर काम पर लगा लिया गया है।

(ग) अभी तक कल्याण निधि द्वारा किसी भी महिला को काम पर नहीं लगाया गया है परन्तु झीरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में साग-सब्जी के उद्यान और फार्म स्थापित करने के लिए स्थल चुन लिए गए हैं और इन स्थलों के लेने के बाद भूमिगत स्थलों में काम करने वाली हटाई गई महिलाओं को कल्याण निधि द्वारा “माली” के रूप में काम पर लगा लिया जाएगा। ऐसी महिलाओं की संख्या इस समय विदित नहीं है जिन्हें प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

प्रो एन. जी. रंगा : ऐसी महिलाओं के संबंध में जो घर पर रुकना चाहती हैं क्योंकि वे ठेके के कार्य की शर्तों पर काम नहीं करना चाहतीं, सरकार क्या कदम उठा रही है कि उन ठेकेदारों की मध्यस्थता के बिना इन महिलाओं को कुछ रोजगार देकर उनकी सहायता की जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं तुरंत उत्तर नहीं दे सकता।

प्रो एन. जी. रंगा : इन ठेकेदारों की मध्यस्थता के बिना सरकार कार्य उपलब्ध कराने में क्यों असफल रहती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह पद्धति प्रांतीय रेलवे कोयला खानों में अधिक समय से चल रही है।

प्रो एन. जी. रंगा : क्या यह सच नहीं है कि श्रम के बारे में रायल आयोग ठेकेदारों की पद्धति के विरुद्ध अधिक कठोरता से रिपोर्ट की है। क्या माननीय सदस्य ऐसी कुछ पद्धति निकाल सकेंगे ताकि ठेकेदारों के अत्याचारों पर नियंत्रण किया जा सके? क्या सरकार इन महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का कोई साधन अपना सकती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे आशा है कि हम उस मामले की निपटाने में समर्थ होंगे।

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या माननीय सदस्य इस मामले को कोयला आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे क्योंकि आयोग भारत की यात्रा करने वाला है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं संबंधित विभाग के समक्ष यह मामला प्रस्तुत कर सकता हूँ।

420

*केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से संबंधित ठेकेदारों पर प्रतिबंध

1143. श्री सत्य नारायण सिन्हा : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इस आशय के आदेश दे दिए गए हैं कि निर्माण कार्यों के ठेके किसी भी ठेकेदार को नहीं दिए जाने चाहिए जो विभाग के किसी अधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार हैं;

(ख) क्या यह सच है कि नजदीकी रिश्तेदारों में चचेरे, ममरे और मौसरे भाई, बहनोई और साले आदि सम्मिलित किए जाते हैं और यह आदेश मुख्य लिपिकों, लिपिकों, ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर आदि पर लागू होता है;

(ग) यह आदेश क्यों जारी किया गया है और इस आदेश के फलस्वरूप कितने ठेकेदारों को ठेके नहीं दिए गए;

(घ) क्या प्रांतों में लोक निर्माण विभागों अथवा अन्य देशों या विभागों यथा सैन्य इंजीनियरी सेवा, रेलवे, म्यूनिसिपल अथवा भारत के जिला बोडों के कार्य में इस प्रकार का कोई नियम है;

(ङ) क्या भारत सरकार के निदेशों के अन्तर्गत अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर की अपनी पहल पर आदेश जारी किया गया था; और

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 21 मार्च, 1946, पृष्ठ 2700

(च) विभाग में काम करने वाले कामगारों से संबंधित होने के कारण दुर्भाग्यवश व्यक्तियों को स्पष्टतया यातना सहन करनी पड़ती है, ऐसी स्थिति में क्या सरकार अपने आदेश के बारे में पुनर्विचार करेगी और उसे वापस लेगी; और यदि नहीं है तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) शब्द 'नजदीकी रिश्तेदारों' में प्रथम चर्चेरे, ममेरे और मौसेरे भाई तथा बहनोई और साले भी शामिल हैं। शब्द 'अधिकारी' में इस आदेश के प्रयोजन के लिए अराजपत्रित कर्मचारी सम्मिलित नहीं किए जाते हैं।

(ग) इसका उद्देश्य यह था कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जनता का अधिक विश्वास बना रहे।

ठेकेदारों की स्वीकृत सूची में से 25 ठेकेदारों के नाम हटा दिए गए हैं। अन्य व्यक्तियों के मामले विचाराधीन हैं।

(घ) इस मामले में पूछताछ नहीं की गई है और भारत सरकार इस तथ्य से अवगत नहीं है कि इस प्रकार का नियम अन्य विभागों या देशों में विद्यमान है।

(ङ) भारत सरकार के निदेश द्वारा।

(च) यह मामला भारत सरकार की परीक्षाधीन है।

421

*परिवार बजट जांच रिपोर्ट

1156. श्री एम. अनन्तशास्यनम अव्यंगर : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि वे परिवार बजट जांच रिपोर्ट कब प्रकाशित करेंगे जो लगभग गत तीन वर्ष पहले प्रारंभ की गई थी;

(ख) क्या माननीय सदस्य सदन के समक्ष उन तारीखों को रखेंगे जब प्रथम और अंतिम परिवार बजट की सूचना ऐसे प्रत्येक केन्द्र द्वारा एकत्रित की गई थी जहां ऐसी जांच की जाती है और यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी जांच के लिए इतनी असाधारण अवधि क्यों चयन की गई;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि इस जांच का पूर्ण उद्देश्य और परिणाम परिवारिक बजट जांच की प्रश्नावली से कामगारों द्वारा उपयोगी मदों की गुणवत्ता के कारक छोड़ देने से सर्वाधिक गंभीरता से विकृत कर दिया गया है;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 21 मार्च, 1946, पृष्ठ 2710

(घ) क्या कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी ताकि परिवार बजट की जांच की प्रक्रिया की समानता और शुद्धता को आश्वस्त किया जाए; यदि हां तो इस समिति की कितनी बार बैठकें हुईं; क्या यह सच है कि इन जांच पर लागू तथ्यों के प्राप्त करने और संग्रह करने के तरीकों और नियमों के सम्पलिंग तकनीकों तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय उनके लागू किए जाने से पूर्व या बाद में ऊपर बताई गई विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकृत किए गए थे; और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) परिवार बजट जांच की रिपोर्ट सितम्बर 1946 के अन्त तक पूरी और प्रकाशित किए जाने की आशा है।

(ख) आवश्यक सूचना का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

चूँकि रहन-सहन के सूचकांक की लागत ने महंगाई भत्ता के समायोजन के लिए आवश्यक आधार बनाया जिसकी युद्ध-काल में तत्काल रूप से आवश्यकता थी और इस संबंध में कोई भी विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अतः साधारण स्थिति पर लौटने की दशा की प्रतीक्षा किए बिना यह कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए था।

(ग) इसका उत्तर नकारात्मक है।

(घ) रहन-सहन सूचकांक के तैयार करने के तरीकों पर विचार विमर्श के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई। इसकी एक बार बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में जांच के संबंध में तरीकों के बारे में सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए तथा इन सिद्धांतों को सामान्यतया अपनाया गया।

विभिन्न चयनित केन्द्रों में परिवार बजट जांच के प्रारंभ करने तथा समाप्त करने की तारीखों को प्रदर्शित करने वाला विवरण

केन्द्र का नाम	बजट के आंकड़ों को एकत्र करने की प्रारंभिक तारीख	तारीख जिस पर यह कार्य संपन्न हुआ
I अजमेर (1)...	15-11-43	15-11-44
II बंगाल (4)...		
1. हावड़ा और बरेली	28-7-43	28-7-44
2. खरगोश	28-7-43	28-7-44
3. नारायणगंज	28-7-43	28-7-44
4. कलकत्ता	1-8-44	31-7-45
III बिहार (4)...		
1. मुंगेर और जमालपुर	9-5-44	31-10-44
2. देहरा-ऑन-सोन	1-11-44	31-1-45

3. जमशोदपुर	1-2-45	30-6-45
4. झीरिया	1-7-45	25-11-45
IV बम्बई (4)..		
1. बम्बई	22-1-44	28-2-45
2. अहमदाबाद	22-1-44	28-2-45
3. शोलापुर	22-1-44	28-2-45
4. जलगांव	22-1-44	28-2-45
V सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार (2)..		
1. जबलपुर	10-4-44	15-4-45
2. अकोला जुलाई, 1944 का द्वितीय सप्ताह		15-4-45
VI दिल्ली (1)..		
	13-10-43	31-4-45
VII पंजाब (4)..		
1. लाहौर	1-1-44	30-4-45
2. लुधियाना	1-1-44	30-4-45
3. स्यालकोट	1-1-44	30-4-45
VIII खेब्रा (2)..		
1. खेब्रा अप्रैल, 1944 का प्रथम सप्ताह		10-1-45
2. डन्डोट और ए.सी.सी.आई 15-10-44		10-1-45
IX सिंध (1)..		
1. कराची	1-8-44	31-7-45
X उड़ीसा (2)..		
1. कटक	15-12-44	15-9-45
2. बेरहामपुर	15-12-44	15-9-45
XI यू.पी. (1)..		
1. कानपुर	जनवरी 1945	जांच कार्य प्रगति पर है
XII असम (3)..		
1. तिनसुखिया	अप्रैल, 1944	15-10-45
2. सिलचर	अप्रैल, 1944	15-10-45
3. गुवाहटी	अप्रैल, 1944	15-10-45

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या ऐसी जांच कृषि मजदूरों के संबंध में कम से कम कुछ जांच के मामलों में की जाएगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इसका ध्यान रखूँगा यद्यपि मैं स्वयं इस बात का वचन नहीं दे सकता।

422

*अतोलित खुदरा भाव सूचकांक का संकलन

1155. श्री एम. अनन्तशायनम अव्यांगर : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय श्रमिक (इंडियन लेबर गजट) में प्रकाशित उस देश के औद्योगिक शहर और नगर के बारे में दलों द्वारा अतोलित खुदरा भाव सूचकांक के संकलन के पीछे क्या उद्देश्य है;

(ख) क्या जनता को उन ग्रुपों की मदों और उनके गुणों के बारे में बताया गया जिनके बारे में खुदरा भाव सूचकांक का हिसाब लगाया गया था, यदि नहीं तो क्यों नहीं;

(ग) क्या माननीय सदस्य इस सदन के समक्ष प्रत्येक केन्द्र के प्रत्येक ग्रुप के लिए मदों की कुल संख्या खेंगे जो श्रम विभाग द्वारा खुदरा भाव सूचकांक के लिए निर्मुक्त की गई है; इस संबंध में क्या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मदों, उनके गुण और संख्या के निर्धारित करने की कसौटी क्या थी जिन पर ये अतोलित ग्रुप सूचकांक आधारित हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) भारत सरकार ने 1942 में यह निर्णय किया कि समान आधार पर रहन-सहन सूचकांक की लागत का संकलन किया जाए। चूँकि इस प्रकार के सुचकांक की तैयारी करने में कुछ समय लग जाने की संभावना है, यह महसूस किया गया कि खुदरा भाव विवरण उपलब्ध किए जाने चाहिए जो मजदूरी के विवादों में कुछ मूल्यवान हो सकते हैं। अतः प्रांतीय सरकारों से परामर्श करने के बाद अंतर्रिम कानून के रूप में यह निर्णय किया गया कि इस देश में कुछ चुने गए केन्द्रों के लिए भाव के विवरण संकलित किए जाएं और इस विवरण के अधार पर सूचकांक तैयार किए जाएं।

(ख) दलों (ग्रुपों) को बनाने वाली मदों का प्रकाशन नहीं किया गया है। इसका कोई विशेष कारण नहीं है अपितु गजट में सीमित स्थान की वांछनीयता है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 21 मार्च, 1946, पृष्ठ 2708

(ग) प्रत्येक केन्द्र के लिए खुदरा सूचकांक संख्या के प्रत्येक ग्रुप में सम्मिलित मदों की संख्या के बारे में विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। इस सूची के बारे में निर्णय करने के लिए अपनायी गई मुख्य कसौटी संबंधित जाति-वर्ग की उपभोक्ता की आदतें तथा तुलनात्मक भाव विवरण की उपलब्धता रही।

प्रत्येक केन्द्र के लिए विभिन्न दलों (ग्रुपों) में सम्मिलित मदों की संख्या दर्शानेवाला वाला विवरण जिसके लिए खुदरा भाव सूचकांक भारतीय श्रमिक गजट में प्रकाशित की जा रही हैं

1. शहरी केन्द्र

	अनाज	दालें	भोजन की अन्य मदें	समय भोजन	ईधन और प्रकाश	कपड़ा	विविध	जोड़
1. अजमेर	7	5	15	27	3	9	2	11
2. हुबली	2	4	13	19	3	5	6	33
3. सूरत	3	3	11	17	3	7	6	33
4. दोहाद	3	3	12	15	3	6	4	31
5. अकोला	3	3	14	20	4	8	6	38
6. दिल्ली	9	5	16	28	5	5	6	44
7. रावलपिंडी	4	3	16	23	3	5	5	36
8. अमृतसर	4	4	15	23	3	6	4	36
9. लुधियाना	4	3	17	24	3	6	4	37
10. सियालकोट	4	3	15	22	3	5	4	34
11. लखनऊ	9	3	10	22	3	9	7	41
12. आगरा	9	3	10	22	3	9	7	41
13. बरेली	9	3	10	22	3	9	7	41
14. गोवाहाटी	3	4	19	26	3	6	7	42
15. तिनसुखिया } 16. देहरी-आँन-सान	5	3	11	19	4	3	6	32
17. पटना	5	3	12	20	4	4	6	34
18. कटक	1	4	17	22	3	4	8	37
19. बरहामपुर	3	2	19	24	3	3	5	35
20. खेत्रा	4	3	16	23	3	5	4	35
21. करगाची	4	2	16	22	4	4	2	32
22. बनारस	4	3	10	17	3	9	7	36
23. मेरठ	9	3	10	22	3	9	7	41

	अनाज	दालें	भोजन की अन्य मदें	समय भोजन	ईंधन और प्रकाश	कपड़ा	विविध	जोड़
24. हावड़ा								
25. बज-बज								
26. कनकी नाए								
27. नाशयण गंज								
28. सेरामपुर	4	4	16	24	5	5	7	41
29. गौरीपुर								
30. कंचरपारा								
31. खरगपुर								
32. कलकत्ता								
33. रानीगंज								

* भारतीय श्रमिक गजट में यह पहले ही बता दिया गया है कि कपड़े के ग्रेड में परिवर्तनों के कारण यह संभव नहीं हो सका कि कपड़ों के गुणों के लिए सूचकांक निकाले जाएं।

2. देहाती केंद्र

	अनाज	दालें	भोजन की अन्य मदें	समय भोजन	ईंधन और प्रकाश	कपड़ा	विविध	जोड़
1. बर्मा	1	2	8	11	2	3	5	21
2. मैबंग	1	2	10	13	2	6	5	26
3. राजापुर	1	2	14	17	3	6	5	31
4. शंकरगढ़	7	3	8	18	2	3	4	27
5. खो नैली	3	3	12	18	2	6	5	31
6. मुलतापी	2	4	9	15	2	5	4	26
7. नाना	4	2	13	19	3	5	3	30
8. सलामतपुर	3	4	12	19	2	4	3	28
9. शुजाबाद	5	4	11	20	4	6	3	33
10. गूजरखां	2	4	12	18	3	6	2	29
11. कृष्णा	2	2	14	18	2	6	4	30
12. लाख	2	3	10	15	2	5	3	25
13. मालुर	3	4	13	20	2	4	5	31
14. मुनीगुडा	2	3	13	18	2	4	4	28
15. कुदची	2	2	13	17	3	7	4	31

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या वर्गों द्वारा भुगतान की गई कार्यरत वास्तविक कीमतों के आधार पर आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं अथवा ऐसी कीमतों के आधार पर आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं जो खुदरा वस्तुओं की दूकानों में भुगतान के लिए अनूसूचित हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा विचार है कि यदि मेरे माननीय मित्र प्रतीक्षा कर लें तो श्री आयंगर द्वारा पूछे गए अगले प्रश्न का जो उत्तर होगा उसमें माननीय मित्र को परिवार के बजट की सूचना मिल जायेगी।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : सरकार ने उन कीमतों के बारे में क्या सूचना एकत्र की है और अपने पास रखी है जो काले बाजार में प्रचलित हैं तथा नगरों के कार्यरत व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की अधिकांश वस्तुओं को खरीदते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे विचार से सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि काले बाजार की कीमतें क्या हैं?

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या सरकार यह सूचना एकत्र करेगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस प्रस्ताव की सराहना नहीं कर सकता।

सभापति : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

423

*खानों के भूमिगत स्थलों में पहले काम कर रही महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार

152. **कुमारी मनीषेन कारा :** क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खानों में भूमिगत स्थलों में महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व कितनी महिलाएं कोयले की खानों में भूमिगत स्थलों पर काम में लगाई गई थीं;

(ख) (क) में उल्लिखित महिलाओं में से कितनी महिलाओं को महिलाओं के भूमिगत स्थलों में काम पर प्रतिबंध लगाने के समय से वैकल्पिक रोजगार दिया गया है;

(ग) उन्हें दिए गए वैकल्पिक रोजगार किस प्रकार के हैं;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 24 मार्च, 1946, पृष्ठ 2716

(घ) उनकी नए रोजगार की आप की तुलना उस आय से किस प्रकार की जाती है जब वे भूमिगत स्थलों में काम कर रही थीं;

(ङ) मजदूरी के अलावा वे अन्य रियायतें क्या हैं जो उन्हे भूमिगत स्थलों में काम करने की समाप्ति के फलस्वरूप खो देनी पड़ीं; और

(च) सरकार ऐसे कौन कौन से उपाय करने का प्रस्ताव करती है ताकि उनकी आय और अन्य रियायतों की हानि की प्रतिपूर्ति की जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) लगभग 20,000

(ख) वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु (क) में उल्लिखित लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिबंध लगाने के समय से वैकल्पिक रोजगार दिया जा चुका है। शेष 50 प्रतिशत महिलाएं अपने गांव वापस चली गई हैं जबकि कुछ महिलाएं खानों में बेकार बैठी हुई हैं क्योंकि वे ठेके के कार्य यथा कोयले की भराई के काम को करने से इनकार करती हैं।

(ग) सतह पर कोयले की लदान, बालू की लदान और उसे उतारना तथा खानों में व्यर्थ की वस्तुओं का हटाना।

(घ) इस प्रकार काम पर लगाई गई महिलाओं की आय प्रतिदिन दस से बारह आने (प्रत्येक महिला को आधा सेर निःशुल्क चावल और दो आने का बोनस छोड़कर) थी जब कि भूमिगत स्थलों में काम करने वाली महिलाओं की प्रतिदिन आय बारह से चौदह आने थी।

(ङ) इस प्रकार काम पर लगाई गई महिलाओं को निःशुल्क दूध नहीं दिया जाता जो उन्हे भूमिगत स्थलों में काम करने के कारण दिया जाता था।

(च) माननीय सदस्य का ध्यान 25 फरवरी, 1946 को पूछे गए तारांकित प्रश्न 466 के भाग (ख) के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

424

*दिल्ली में किराया नियंत्रण आदेशों में संशोधन

1239. पंडित ठाकुरदास भार्गव : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1944 से पूर्व दिल्ली में किराया नियंत्रण आदेशों में मकान मालिकों को यह अनुमति दी गई थी कि वे अपने घर खाली करा सकते हैं यदि उन्हें उपयोग के लिए घर की आवश्यकता है;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 27 मार्च, 1946, पृष्ठ 2964

(ख) क्या यह सच है कि ऊपर बताए गए आदेश जनवरी, 1944 में संशोधित किए गए थे और संशोधित आदेश में दिल्ली के रहने वाले मकान मालिकों को किरण्दारों को बेदखल कराने से अलग कर दिया था चाहे उन्हें अपने उपयोग के लिए ही घर की आवश्यकता क्यों न हो; यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या माननीय सदस्य का ध्यान मकान मालिक के उस पत्र की ओर आकर्षित किया गया है जो 22 दिसंबर, 1945 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(घ) क्या सरकार को अपने उपयोग के लिए किरण्दार से अपना घर खाली कराने के औचित्य पर विचार करेगी; और

(ङ) क्या यह सच है कि दिल्ली में पहले की अपेक्षा घर की उपलब्धता में कुछ सरलता है और सरकार ने बाद में यह निर्णय लिया है कि युद्ध के दौरान अस्थायी रूप से बनाई गई सरकारी इमारत को तोड़ दिया जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हां, नई दिल्ली मकान किराया नियंत्रण आदेश, 1939 के अधीन मकान-मालिक किरण्दार को बेदखल करा सकता है यदि किराया नियंत्रक इस बात से संतुष्ट हो जाए कि घर समुचित रूप से और सद्भाव से मकान मालिक के लिए आवश्यक है।

(ख) जी हां, नई दिल्ली मकान किराया नियंत्रण आदेश, 1939 के पुराने वाक्य खंड में शब्द 'युक्त और सद्भाव' ने मकान-मालिकों को अनैतिक अवसर प्रदान किया कि वे किरण्दारों से नियंत्रित किरायों से अधिक किराए देने के लिए ज़ोर डालने लगे। यह आवश्यक समझा गया कि मकान मालिकों को अधिक समय से रहने वाले किरायेदारों (जिनकी उपस्थिति दिल्ली के लिए आवश्यक थी) को घर खाली करने से रोक दिया गया, विशेष रूप से जब मकान मालिक पहले ही से दिल्ली में रह रहे थे। इसके फलस्वरूप नई दिल्ली मकान किराया नियंत्रण आदेश, 1939 में वाक्य खंड 11-ए को शामिल कर लिया गया।

(ग) जी हां।

(घ) नहीं, जब तक दिल्ली में आवास की स्थिति में सुधार नहीं होता।

(ङ) प्रश्न के प्रथम अर्द्ध भाग का उत्तर नकारात्मक है।

सरकार का प्रस्ताव है कि इमारतों को तभी तोड़ा जाए जब किसी आवश्यक प्रयोजन के लिए उनकी आवश्यकता न हो अथवा जब आवास की स्थिति के हित में आवश्यक समझा जाए तो अस्थायी संरचनाओं के स्थान पर स्थायी इमारतें बनाई जा सकती हैं।

श्री मनु सूबेदार : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार इस प्रश्न के बारे में विचार करेगी, जब किराएदार किसी उप-किराएदार को मकान किराए पर उठाता है तो क्या तब भी सरकार मकान के किराएदार की सुरक्षा करेगी यदि किराएदार लाभ कमा रहा हो?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस प्रश्न पर विचार करूँगा।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : हम इन अस्थायी सरकारी इमारतों के तोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। क्या इन मकानों के मालिक अथवा सरकार स्वयं उनके तोड़ने के लिए तैयार हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं यह प्रश्न समझ नहीं पाया।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : इस प्रश्न के भाग (क) में कहा गया है, “क्या यह सच है कि दिल्ली में पहले की अपेक्षा मकान की स्थिति अधिक सरल हो गई है और इसके फलस्वरूप सरकार ने यह निर्णय किया है कि युद्ध के दौरान निर्मित अस्थायी सरकारी इमारतों को तोड़ दिया जाए?”

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने यह नहीं कहा कि सरकार ने यह निर्णय किया है। मैंने कहा कि सरकार अस्थायी इमारतों को तब तक नहीं तोड़ेगी जब तक उसे यह ज्ञात न हो कि वे इमारतें आवश्यक प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं हैं।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या सरकार इन इमारतों को उस स्थानीय जनता को आवंटित करने के औचित्य पर विचार कर रही है जिन्हें आवास की आवश्यकता है जैसे ही उन इमारतों का सरकारी उपयोग समाप्त हो जाता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि वे इमारतें सरकारी प्रयोजनों के लिए आवश्यक नहीं हैं और जनता उन इमारतों को किराए पर लेने के लिए तैयार है तो सरकार इस बारे में विचार करना चाहेगी।

सर मोहम्मद यामीन खां : यह किराया नियंत्रण अध्यादेश, जून 1944 कब तक लागू रहेगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि यह उस समय तक लागू रहेगा जब तक कि आपात-कालीन स्थिति बनी रहती है।

सभापति महोदय : अगला प्रश्न किया जाए।

425

*दिल्ली में ईटों के नियंत्रण आदेश की समाप्ति

1242. श्री एम. अनन्तशायनम अव्यंगर : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय सदस्य का ध्यान 3 मार्च, 1946 को प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स के उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसका संबंध ईटों की संशोधित कीमतों से है;

(ख) क्या माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट-भाषण में यथासंभव शीघ्रता के साथ आवास के लिए इमारतों के निर्माण तथा इस संबंध में सभी नियंत्रित वस्तुओं को देने की आवश्यकता के बारे में कहा है;

(ग) अभी तक ईटों की बिक्री पर नियंत्रण क्यों है और इस बात की आवश्यकता क्यों है कि युद्ध समाप्त होने के बाद काफी समय से दिल्ली में ईटों की खरीद के लिए परमिट दिए जाते हैं; और

(घ) क्या माननीय सदस्य इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अपने विभाग के सभी नियंत्रण समाप्त करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे अर्थात् 1 अप्रैल, 1946 तक दिल्ली और नई दिल्ली की अधिक बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अतिरिक्त आवास गृहों की तात्कालिक आवश्यकता की दृष्टि से विचार करेंगे, यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) कीमत पर नियंत्रण और वितरण पर नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए जारी रखा गया कि ईटों की कीमत एक उचित स्तर तक बनी रहे और सरकारी तथा निजी स्टाक से व्यवस्थित रूप में ईटों का निपटान किया जाए। फिर भी इस पूरे मामले पर अधिक विचार किया जा रहा है।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या माननीय सदस्य इस बात के लिए उत्तरदायी नहीं है कि वह केन्द्र शासित क्षेत्रों में घरों के निर्माण और अन्य सभी बातों को देखें और यदि हाँ तो क्या माननीय सदस्य अन्य नगरों में केन्द्र शासित क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के विचार को कार्यान्वित करेंगे?

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 27 मार्च, 1946, पृष्ठ 2967

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस बात को ध्यान में रखूँगा जो मेरे माननीय सदस्य ने कही है।

श्री मनु सूबेदार : सभी नियंत्रण आदेश बम्बई में समाप्त कर दिए गए हैं, इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में क्या सरकार यह जांच करेगी कि इन आदेशों को समस्त भारत में समाप्त क्यों नहीं किया गया और विशेषकर केंद्र शासित क्षेत्रों में क्या माननीय सदस्य इन आदेशों को समाप्त करेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस बारे में पूछताछ करूँगा।

426

*करोल बाग, दिल्ली में अधिग्रहीत मकान

1258. श्री अहमद ई. एच. जफर : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि करोलबाग, दिल्ली में निम्नलिखित मकान जो सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को आवंटित करने के लिए अधिग्रहीत किए गए थे, खाली पड़े हुए हैं अथवा एक से छः महीनों तक उन पर किसी का अधिकार नहीं हुआ है:

1.	15-ए /39	पहली मंजिल I
2.	15-ए /9	निचली मंजिल I
3.	15-ए /9	निचली मंजिल II
4.	6/73	पहली मंजिल II
5.	6/73	निचली मंजिल I
6.	24-25	पहली मंजिल
7.	संख्या-19	बिड़ला फ्लैट
8.	53/7	निचली मंजिल I
9.	15-ए /2-3-4	निचली मंजिल I
10.	बिड़ला भवन	निचली मंजिल I
11.	बिड़ला भवन	निचली मंजिल I
12.	6/75-76	पहली मंजिल VI
13.	642	बी. डी.
14.	25310	एम. सी.
15.	15-ए /39	निचली मंजिल II

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 27 मार्च, 1946, पृष्ठ 2977

16.	15-ए /39	निचली मंजिल I
17.	6/75-76	पहली मंजिल V
18.	गणेश भवन
19.	6/64	निचली मंजिल

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से अधिकांश मकान एक दूसरे के बाद आवंटित किए गए परन्तु विभिन्न आवंटियों ने इन्हें लेने से इन्कार कर दिया जिनके कारण ये थे कि इन मकानों में समुचित रहने की दशा ठीक नहीं थी और एकान्तता सुरक्षित नहीं थी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) प्रश्नाधीन अधिग्रहीत घरों की स्थिति से संबंधित विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) इनमें से कुछ मकान लोकप्रिय सिद्ध नहीं हुए और उन्हें जब आवंटित किया गया तो आवंटियों ने लेने से इन्कार कर दिया और इस प्रकार ये मकान कुछ समय तक खाली रहे जैसा कि सदन के पटल पर रखे गए विवरण से स्पष्ट है।

प्रश्नाधीन पट्टे (लीज़) पर लिए गए मकानों की स्थिति को दर्शाता हुआ विवरण

क्र. सं.	मकान का नाम	तारीख जब से मकान खाली पड़ा है	अभ्युक्तियां
1.	15-ए /39 एफ एफ	26 जून, 1945	यह मकान 26 जून, 1945, 15 अगस्त (पहली मंजिल) I 1945, 12 नवम्बर 1945 और 31 जनवरी, 1946 को कर्मचारियों को आवंटित किया गया परन्तु एक के बाद दूसरे सभी आवंटियों ने इसे लेने से इन्कार कर दिया। यह घर 8 मार्च, 1946 से निर्मुक्त कर दिया गया है।
2.	15-ए /9 जी.एफ.	14 जनवरी, 1946	पूर्व आवंटी को किया गया आवंटन 14 (निचली मंजिल) I जनवरी, 1946 को रद्द कर दिया गया। इस मकान को 28 जनवरी, 1946 को फिर से आवंटित किया गया और इसे 7 फरवरी, 1946 को स्वीकार कर लिया गया।
3.	15-ए /9 निचली मंजिल (जी.एफ.) II	15 नवम्बर, 1945	यह मकान कर्मचारियों को 20 नवम्बर 1945, 21 दिसंबर, 1945, 28 जनवर, 1946 और 16 फरवरी, 1946 को पुनः

क्र. सं.	मकान का नाम	तारीख जब से मकान खाली पड़ा है	अभ्युक्तियां
4.	6/73 पहली मंजिल	सितम्बर, 1945	आवंटित किया गया परन्तु एक के बाद दूसरे आवंटी ने इसे लेने से इन्कार कर दिया। इस मकान को 14 मार्च, 1946 से पुनः आवंटित किया गया है। यह मकान विभिन्न कर्मचारियों को 4 (एफ.एफ.) II अक्टूबर, 1945, 26 अक्टूबर, 1945 और 4 दिसम्बर, 1945 को आवंटित किया गया परन्तु उन सभी आवंटियों ने इस मकान को लेने से इन्कार कर दिया। यह मकान अन्ततोगत्वा 3 जनवरी, 1946 को स्वीकार किया गया। आवंटी सरकारी आवास पाने के लिए (जी. एफ.) I अयोग्य ठहराया गया और उसने यह मकान 5 फरवरी, 1946 को खाली कर दिया। इस मकान को 22 फरवरी, 1946 को पुनः आवंटित किया गया।
5.	6/73 निचली मंजिल	5 फरवरी, 1946	यह मकान 19 अक्टूबर, 1945, 26 नवम्बर जनवरी, 1946 को अलग - अलग कर्मचारियों को आवंटित किया गया। यह मकान अन्ततोगत्वा 16 फरवरी, 1946 को स्वीकार किया गया और आवंटी ने इस पर अपना अधिकार कर लिया है।
6.	24/26 (22/6 होना चाहिए)	नवम्बर, 1945	यह मकान 19 अक्टूबर, 1945, 26 नवम्बर जनवरी, 1946 को अलग - अलग कर्मचारियों को आवंटित किया गया। यह मकान अन्ततोगत्वा 16 फरवरी, 1946 को स्वीकार किया गया और आवंटी ने इस पर अपना अधिकार कर लिया है।
7.	संख्या 19 बिड़ला फ्लैट	जनवरी, 1946	यदा कदा आने वाले अतिथियों के लिए आरक्षित। पूर्व आवंटी द्वारा यह मकान 23 दिसम्बर,
8.	53/75 निचली मंजिल (जी. एफ.) I	23 दिसम्बर, 1945	1945 को वापस कर दिया गया। इस मकान को 28 दिसंबर, 1945 को पुनः आवंटित किया गया और इस घर को 3 जनवरी, 1946 को स्वीकार किया गया।
9.	15-ए /2, 3, 4 निचली मंजिल I	7 दिसंबर, 1945	यह मकान 30 जनवरी, 1946 को आवंटित किया गया परन्तु उसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया गया। इस घर को 14 मार्च, 1946 से पुनः आवंटित किया गया है।

क्र. सं.	मकान का नाम	तारीख जब से मकान खाली पड़ा है	अभ्युक्तियां
10.	बिड़ला फ्लैट निचली मंजिल II (बिड़ला फ्लैट II को बताता है)	31 जनवरी, 1946	यह मकान ऐसे अधिकारी को आवंटित किया गया है जिसके पास पारस्परिक आदान-प्रदान के अनुसार फ्लैट नं. 22 है। उससे कहा गया है कि वह अपने फ्लैट में चला जाए।
11.	बिड़ला फ्लैट निचली मंजिल (जी. एफ.) I (बिड़ला फ्लैट बताता है)	31 जनवरी, 1946	यह फ्लैट हटमेंट नं. 164 के आवंटी द्वारा पारस्परिक आदान-प्रदान द्वारा अधिकार में लिया गया। उससे कहा गया है कि वह हटमेंट को छोड़ दें और अपने फ्लैट में चला जाए।
12.	6/75-76 पहली मंजिल (एफ.एफ.) VI	20 जनवरी, 1946	यह मकान पूर्व आवंटी द्वारा त्यागपत्र देने के कारण 20 जनवरी, 1946 को खाली किया गया। यह मकान 4 मार्च, 1946 से पुनः आवंटित किया गया।
13.	बी. डी. /642	जनवरी, 1946	पूर्व आवंटी द्वारा जनवरी 1946 में खाली किया गया। इसे निमुक्त किए जाने की सिफारिश की गई है।
14.	25310-एम.सी. (इसे 2531 एम.सी. होना चाहिए)	18 अगस्त, 1945	यह मकान कर्मचारियों को 26 जून, 1945, 15 अगस्त, 1945, 13 सितम्बर, 1945, 19 अक्टूबर, 1945, 20 नवंबर, 1945 और 21 दिसम्बर को आवंटित किया गया परन्तु उनमें से प्रत्येक ने अपनी बारी आने पर लेने से इन्कार कर दिया। वह घर 15 मार्च, 1946 से निर्मुक्त कर दिया गया है।
15.	15-ए /39 निचली मंजिल (जी-एफ.) II	3 जुलाई, 1945	ये दोनों ही सेट अलोकप्रिय हो गए और जब कभी उन्हें आवंटित किया गया, उन्हें इन्कार कर दिया गया।
16.	15-ए /39 निचली मंजिल I	9 अगस्त, 1944	इन सेटों को 8 मार्च, 1946 से निर्मुक्त कर दिया गया है। वह मकान खाली हो गया क्योंकि आवंटी
17.	गणेश भवन (रमेश भवन होना चाहिए)	28 फरवरी, 1946	सरकारी आवास के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस घर को 4 मार्च, 1946 से पुनः आवंटित किया गया है।
18.	6/64	28 फरवरी, 1946	वह घर 4 मार्च, 1946 से अन्यत्र आवंटित किया गया।

427

*करोल बाग, दिल्ली में अधिग्रहीत मकान

1259. श्री अहमद ई. एच. जफर : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अधिकांश मामलों में, जहां करोल बाग, दिल्ली में अधिग्रहीत मकान आवंटियों द्वारा स्वीकार किए गए थे, ऐसे मकानों को अलग अलग आवंटियों ने काले बाजार की किराए की दरों पर उन आम व्यक्तियों को दर-किरायेदारी पर उठा दिए थे जो दिल्ली में रहने के आवास के भारी अभाव के कारण अधिक किराए दे रहे थे;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि इस प्राकर प्रचलित दर-किरायेदारी की इस प्रथा के बारे में सम्पदा कार्यालय ने जांच-पड़ताल की और यह पाया गया कि करोलबाग के घर संख्या 6/73 के चार क्षेत्रों में से तीन फ्लैट दर-किरायेदारी पर उठे हुए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि करोलबाग के अधिकांश मकान अभी तक आवंटित नहीं किए गए हैं और ऐसे मकानों का उपयोग केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कर्मचारी अपने निजी कार्यों के लिए करते हैं; और

(घ) इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में क्या सरकार यह प्रस्ताव करती है कि पूर्व प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित मकानों के पट्टे के समाप्त किए जाने के औचित्य पर विचार किया जाए ताकि उन्हें काले बाजार के लेन-देन और दुरुपयोग से बचाया जा सके और उन मकानों को जरूरतमंद आम जनता को उपलब्ध कराया जाए जिनमें से कई ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकारी आवास के लिए प्रतीक्षारत हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) नहीं।

(ख) यह सच है कि मकान संख्या 6/73 करोलबाग के चार फ्लैटों में से दो फ्लैट दर-किराएदारी पर उठाए गए हैं परन्तु इस मामले से यह सिद्ध नहीं होता कि व्यापक रूप से दर-किराएदारी प्रचलित है।

(ग) नहीं।

(घ) सरकार ने करोल बाग क्षेत्र में कुछ मकान पहले ही निर्मुक्त कर दिए हैं और इस बात की बराबर जांच की जा रही है कि जो मकान सरकार द्वारा आवश्यक नहीं है, उन्हें निर्मुक्त किया जाए जिन्हें सरकार उपयोग करने में असमर्थ है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 29 मार्च, 1946, पृष्ठ 1259

428

*इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स में हड़ताल

1265. श्री एम. अनन्तशायनम अच्यंगर : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स में हड़ताल हुई है;

(ख) क्या हड़ताल समाप्त हो गई है;

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही में विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय सदस्य से भेट की;

(घ) क्या यह सच है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स के स्नातक (ग्रेजुएट) को कोयला खान विनियम द्वारा अनुमति नहीं दी जाती कि वे कोयला खानों में कोई उत्तरदायी पद पर काम करें;

(ङ) क्या सरकार कोयला खान विनियम में संशोधन करने के औचित्य पर विचार करना चाहेगी ताकि इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स के डिप्लोमा को दक्षता के द्वितीय श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणपत्र के समकक्ष समझा जाए यदि कोयला खानों में डिप्लोमाधारक एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर लें? यदि नहीं तो क्यों नहीं; और

(च) सरकार ऐसे कौन-कौन से उपाय कर रही है ताकि विद्यार्थियों की शिकायतों का निराकरण हो जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी हाँ।

(घ) जी हाँ। इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स के प्रमाण-पत्र अथवा डिप्लोमा-धारक को कोयला खान में उत्तरदायी पद पर नियुक्ति पाने से पूर्व द्वितीय श्रेणी अथवा प्रथम श्रेणी में कोयला खान प्रबंधक का प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।

(ङ) और (च) यह मामला विचाराधीन है। सरकार इस सीमा-तक विचार कर रही है कि खान अधिनियम के अन्तर्गत विनियम कहां तक परिवर्तित किए जाएं कि

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, पृष्ठ 2981

उन विनियमों के अन्तर्गत स्कूल ऑफ माइन्स के डिप्लोमा को कुछ महत्व दिया जाए परन्तु सरकार इस बात पर विचार नहीं करती कि यह संभव है कि उस डिप्लोमा को उन विनियमों के अन्तर्गत द्वितीय श्रेणी के खान प्रबंधक प्रमाणपत्र के स्थान पर समान समझा जाए।

प्रो एन. जी. रंगा : जब सरकार प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा दोनों के लिए उत्तरदायी है तब भारत सरकार के लिए ऐसा क्या प्रतिबंध है कि सरकार डिप्लोमा धारकों को वह प्रशिक्षण क्यों नहीं दे पाती जो प्रशिक्षण अथवा दक्षता की दृष्टि से समान समझा जाएगा जैसा कि प्रमाण-पत्र से ऐसे प्रशिक्षण की अपेक्षा की जाती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने इस विषय की जाँच-पड़ताल में यह पाया है कि इसमें कुछ असमानताएं हैं और मैं उन्हें सुधारने की दिशा में उपाय कर रहा हूं।

429

*यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी चेपल, नई दिल्ली

1268. श्री एस. सी. आदित्य : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अमरीकी सेना गिरजाघर के बारे में यह प्रस्ताव है कि उस धर्म-निरपेक्ष प्रयोजनों के लिए बदल दिया जाए;

(ख) उन आवेदकों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने इस गिरजाघर को खरीदने के प्रस्ताव दिए हैं; और

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि इससे अधिकांश ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगेगी यदि गिरजाघर को ईसाई-धर्म की पूजा के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए बदला जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) यह मामला विचाराधीन है।

(ख) सरकार को अभी तक इस गिरजाघर की खरीद के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) यह समझा जाता है कि इस गिरजाघर को समर्पित नहीं किया गया है और इसका उपयोग ईसाई की पूजा के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं है अतः इससे अधिकांश ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 27 मार्च, 1946, पृष्ठ 2985

430

*भारत में थोरियम और यूरेनियम निक्षेप

1276. दीवान चमनलाल : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में कहीं भी थोरियम और यूरेनियम के निक्षेप हैं और यदि हाँ है तो उनका विस्तार क्या है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अभी तक आर्थिक मूल्य की दृष्टि से कोई भी निक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं।

खनिज मोना ज़ाइट (थोरियम की एक किस्म जिसमें खनिज होता है) ट्रेवनकोर के समुद्री तट पर भारत के दक्षिण-तट पर पाया जाता है।

431

**टाइपराइटरों का आयात

1279. श्री मनु सूबेदार : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1940 से अब तक भारत में कितने टाइपराइटरों का आयात किया गया है;

(ख) इनमें से कितने टाइपराइटर आम नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए हैं और किन-किन प्रांतों में उन्हे बांटा गया है तथा इसका क्या आधार रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में ऐसी मशीनों का भारी अभाव है तथा व्यापार करने वाली फर्मों को अधिक असुविधा होती है;

(घ) इन मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं;

(ङ) क्या इन वस्तुओं में से कोई ऐसी वस्तु है जिसके बारे में हैदरी मिशन ने बातचीत की; और

(च) टाइपराइटिंग मशीनों की उपलब्धता की सामान्य स्थिति क्या है और आगामी बारह महीनों में सरकार की क्या भविष्यवाणी है?

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 27 मार्च, 1946, पृष्ठ 2987

** वही, 20 मार्च, 1946, पृष्ठ 2988

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) दिसम्बर 1945 तक लगभग 76,000 टाइपराइटर।

(ख) अप्रैल 1940 से अक्टूबर 1943 तक सूचना उपलब्ध नहीं है।

इन टाइपराइटरों को देने का औचित्य अनिवार्यता पर निर्भर होता है। ये टाइपराइटर वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संस्थाओं, लोक उपयोगिता की संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं, व्यावसायिक लोगों और व्यापारियों को दिए गए तथा उन युद्ध उद्योगों ऐजेन्सियों को दिए गए जो युद्ध के कार्यों में लगी हुई थीं।

(ग) जी हाँ, भारत में टाइपराइटरों का भारी अभाव था।

(घ) युद्ध की समाप्ति के बाद से सार्वजनिक उपयोग के लिए टाइपराइटर वाणिज्यिक संख्याओं के माध्यम से आयात किए जा रहे हैं जैसा कि युद्ध के दिनों में आयात किया जाता था। सरकार ने विभिन्न आयात करने वाली फर्मों पर इस बात का जोर दिया है कि वे यथासंभव अधिक संख्या में टाइपराइटरों का आयात करें। फर्मों को सरकार की सहायता करने के लिए आमंत्रित किया गया है और यदि आवश्यकता हुई तो अमरीका में उनमें मुख्य व्यापारियों की सफ्लाई की क्षमता का भी पता लगाया गया है। अधिक संख्या में टाइपराइटरों के आयात करने के लाइसेंस जारी किए गए हैं। जुलाई से दिसम्बर, 1945 की अवधि में ही अमरीका से 11,717 टाइपराइटरों के आयात करने के लाइसेंस जारी किए गए हैं। भारत में टाइपराइटरों के भारी अभाव के बारे में अमरीकी प्राधिकारियों का अगस्त में ध्यान आकर्षित किया गया था और उनसे निवेदन किया गया था कि जून, 1946 के अंत तक कम से कम 15,000 टाइपराइटर जहाज से भिजवाने के लिए दे दें।

(ङ) नहीं।

(च) केवल 4,400 टाइपराइटर (स्विट्जरलैंड से हर्मोज “बेबी” टाइपराइटरों को छोड़कर, जो नियमित कार्यालय के काम के लिए अनुपयुक्त है) भारत की कम से कम वार्षिक 15,500 मशीनों की तुलना में सितम्बर, 1945) से फरवरी, 1946 तक छः महीने की अवधि में इस देश को आयात किए गए। इसलिए वर्ततान स्थिति असंतोषजनक है परन्तु आगामी बारह महीने में कुछ सुधार की आशा की जाती है।

432

*केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली के बागवानी डिवीजन द्वारा ठेके पर दिए गए निर्माण-कार्य

1381. श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या माननीय श्रम सदस्य सदन के पटल पर ऐसा तुलनात्मक विवरण रखेंगे जिसमें (i) टेंडर और (ii) वर्क आर्डर द्वारा अलग-अलग मुसलमानों, हिन्दुओं और अनुसूचित जाति के उन ठेकेदारों को दिए गए निर्माण कार्य दिखाए गए हों जिन्होंने मौजूदा अधीक्षक, बागवानी आपरेशन, नई दिल्ली द्वारा 1 नवम्बर, 1943 से 28 फरवरी, 1946 की अवधि के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली के बागवानी डिवीजन में काम किया है;

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : पूछी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा इसके संग्रह के लिए समय तथा श्रम का मूल्य परिणाम के मूल्य की तुलना में अधिक होगा।

श्री अहमद ई. एच. जफर : इसका क्या कारण है कि वह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह सूचना ऐसे रूप में उपलब्ध नहीं है जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने जानना चाहा है।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या कोई ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति के ठेकेदारों को अपने भाग को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वे दिए गए नियमों के अनुसार अपना भाग प्राप्त कर सकते हैं।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : अनुसूचित जाति के बहुत कम ठेकेदार हैं क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग गरीब हैं।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 29 मार्च, 1946, पृष्ठ 3133

433

*केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में बागवानी के मुस्लिम अधीनस्थ कर्मचारी

1382. श्री अहमद ई. एच. जफर : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि तीन बी.एस.सी. मुसलमान 28 फरवरी, 1945, 19 मार्च, 1945, और 23 मार्च, 1945, को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में बागवानी अधीनस्थ कर्मचारी नियुक्त किए गए परन्तु उन्हें 28 नवम्बर, 1945, तक अनुभागों में प्रभारी नहीं बनाया गया;

(ख) इस आन्तरिक अवधि में उन्हें क्या-क्या सौंपे गए; और

(ग) यदि उनकी आवश्यकता किसी ऐसे विशिष्ट कार्य के लिए थी जिसकी उनसे आशा की जाती थी तो इस प्रकार 5000 रुपये की लोक निधि को क्यों व्यर्थ किया गया, इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कारवाई करने पर विचार कर रही है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चूंकि ये कर्मचारी कॉलेज से सीधे ही आए थे तथा उन्होंने कोई व्यावहारिक चूंकि ये कर्मचारी कॉलेज से सीधे ही आए थे तथा उन्होंने कोई व्यावहारिक अनुभव प्राप्त नहीं किया था अतः उन्हें सेक्षण के औपचारिक प्रभारी बनाने से पूर्व प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए परिवीक्षाधीन रखा गया।

434

* *बागवानी डिवीजन में चौधरी और सहायक चौधरी के वेतनमान और वेतनवृद्धि

1383. श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि बागवानी डिवीजन में चौधरी और सहायक चौधरी का वेतनमान तथा वेतन-वृद्धि क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वाणिज्यिक वेतन-वृद्धि की दरों सहित वेतनमान इस प्रकार हैं :

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 29 मार्च, 1946, पृष्ठ 3133

** वही, पृष्ठ 3134

चौधरी : रुपये 20-1-35-2-55 (पुराने कर्मचारियों के लिए)

रुपये 25-1-45 (नए कर्मचारियों के लिए)

सहायक चौधरी : रुपये 20-½-30 (पुराने और नए कर्मचारियों के लिए)

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : चौधरी का विशेष पद क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : एक प्रकार से प्रधान माली।

श्री मनु सूबेदार : क्या सरकार आज के रहन-सहन की दशा में एक चौधरी से यह आशा करती है कि वह 20 रुपये प्रतिमास के वेतन पर रह सकता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उन्हें महंगाई भत्ता भी मिलता है।

श्री मनु सूबेदार : उन्हें क्या मिलता है? रुपये 14 या रुपये 8? कितनी राशि मिलती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री मनु सूबेदार : क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि क्या औद्योगिक वर्ग के सरकारी कर्मचारी उस वर्तमान वेतन पर रह सकते हैं जो उन्हें प्राप्त होता है?

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : मालियों को कितनी राशि दी जाती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

435

*अधीक्षक, बागवानी कार्य, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई नियुक्तियाँ

1384. **श्री अहमद ई. एच. जफर :** (क) माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्प्रदाय अर्थात् हिन्दू, मुसलमान, अन्य अल्पसंख्यक जातियों और अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को वर्तमान अधीक्षक, बागवानी प्रचालन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली द्वारा 1 नवम्बर, 1934 से 28 फरवरी, 1946 तक लिपिकों, चौधरियों, सहायक चौधरियों, लारी ड्राइवरों, फिटरों, टाइम कीपरों और मेकेनिकों के पद पर नियुक्त किया गया।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 29 मार्च, 1946, पृष्ठ 3135

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : सदन के पटल पर विवरण रखा जाता है।

अधीक्षक, बागवानी प्रचालन, नई दिल्ली द्वारा 1 नवम्बर, 1943 से 28 फरवरी, 1946 तक नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

	हिन्दू	मुसलमान	अनुसूचित जातियां	अन्य अल्पसंख्यक जातियां
लिपिक	9	2	--	1
चौधरी	--	1	--	--
सहायक चौधरी	1	--	--	--
लॉरी ड्राइवर	2	--	--	--
फिटर	2	1	--	--
टाइम - कीपर	1	1	--	--
मेकेनिक्स	1	--	--	--

436

*श्रम विभाग में मुस्लिम अधिकारी

1385. श्री अहमद ई. एच. जफर : (क) माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि श्रम विभाग में सचिव, संयुक्त सचिव और उप-सचिव सभी हिन्दू हैं; क्या माननीय सदस्य यह प्रस्ताव करते हैं कि उस विभाग के कर्मचारियों का प्रभारी अधिकारी मुसलमान नियुक्त किया जाएगा; यदि नहीं तो क्यों; और

(ख) गत पांच वर्ष में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने अधीनस्थ कर्मचारियों को सब डिवीजन-अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई है; क्या इनमें मुसलमान हैं; यदि हां तो कितने अधिकारी हैं और उनका अनुपात क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) नहीं, सचिव के पद पर यूरोपियन हैं और दो मुसलमान अधिकारी हैं जिनमें से एक संयुक्त सचिव है और दूसरा उप-सचिव है। प्रश्न का अन्तिम भाग उत्पन्न नहीं होता।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 29 मार्च, 1946, पृष्ठ 3135

(ख) गत पांच वर्ष में 385 अधीनस्थ कर्मचारियों को एस.डी.ओ. के पद पर पदोन्नति दी गई। इनमें से 56 मुसलमान थे। इसके अनुसार अनुपात 14.5 प्रतिशत है।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : माननीय सदस्य यह कब विचार करेंगे कि गत कई वर्षों से इस विभाग में कोई भारतीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया, इस दृष्टि से भारतीय सचिव नियुक्त किया जाएगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह ऐसा मामला है जिस पर चयन समिति विचार करेगी।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : विभाग के सचिवों का चयन कौन करता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे नोटिस चाहिए।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या चयन समिति है जो इस प्रश्न का निपटान करती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे नोटिस चाहिए।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या चयन समिति है जो इस प्रश्न का निपटान करती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : एक समिति है जिसके समक्ष यह मामला प्रस्तुत किया जाना चाहिए और स्वीकृत सूची में से ही चयन किया जाता है।

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या इसका मतलब यह है कि माननीय सदस्य का नियुक्ति में कोई हाथ नहीं होता?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जब तक कोई रिक्त स्थान न हो। मैं इस तथ्य से आश्वस्त हूँ।

437

*सरकारी आवास के आवंटन के प्रयोजन से कतिपय अधिकारियों की वरिष्ठता

1389. **श्री एम. अनन्तशायनम अच्यंगर :** (क) माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि आपातकालीन स्थिति में केन्द्रीय सरकार (सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालय) के कतिपय अधिकारियों को दिल्ली/शिमला से बाहर स्टेशनों को भेजा गया क्योंकि कार्यालय के लिए स्थान की कमी थी;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे कार्यालयों से वापस कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों के आवंटन के प्रयोजनों के लिए उनकी पुरानी सेवा की गणना की अनुमति

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 29 मार्च, 1946, पृष्ठ 3140

नहीं दी गई है जिसका आधार यह है कि वे दिल्ली/शिमला के अलावा किसी अन्य स्टेशन पर भेजे गए थे और ऐसे मामलों में सरकारी आवास-गृह पाने के लिए उनकी सेवाएं उन तारीख से गिनी गई जब वे दुबारा दिल्ली लौटकर आए;

(ग) क्या यह सच है कि कलकत्ता में कार्य करने वाले कर्मचारियों की आवास-गृह के आवंटन के संबंध में सभी कार्यालयों में काम करने की अवधि जोड़ी गई है;

(घ) यदि हां तो सचिवालय के कर्मचारियों और सम्बद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों के बीच आवासीय गृह के आवंटन में अंतर क्यों किया गया है;

(ङ) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि क्वार्टरों के आवंटन के मामलों में इन लोगों को उनकी किसी भूल के न होते हुए सज़ा दी गई है क्योंकि वे श्रम विभाग के आदेश के अनुसार लोक हित में स्थानान्तरित किए गए हैं; और

(च) क्या सरकार इस वांछनीयता पर विचार करने का प्रस्ताव करती है कि इन व्यक्तियों के संबंध में आस्थगित आधारों को पुनः स्थापित किया जाए और उन्हें दिल्ली/शिमला में कार्यालयों में काम प्रारंभ करने की तारीख से आवास-गृह आवंटित किये जाएं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हां।

(ख) सही स्थिति इस प्रकार है : कुछ कर्मचारियों को उनकी पुरानी सेवा की गणना कराने की अनुमति दी गई थी दिल्ली से अनुपस्थित रहने की अवधि एक वर्ष से अधिक थी और उन्हें दिल्ली में आवास-गृह के बारे में धारणाधिकार प्राप्त है। इस अर्हक अवधि को बाद में अधिकतम छः महीने तक कम कर दिया गया था।

(ग) जी हां, परन्तु 1 अप्रैल, 1945 से पूर्व कलकत्ता के सचिवालय विभाग में तैनात कर्मचारी अथवा दिल्ली/शिमला के सचिवालय विभाग से कलकत्ता स्थित सचिवालय विभाग को स्थानान्तरित किया गया।

(घ) सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया किन्तु इसका अपवाद कलकत्ता कार्यालय है जहां भारत सरकार के विभाग की शाखा सचिवालय स्थित है और मुसलमान तथा शाखा सचिवालय के बीच स्थानान्तरण प्रायः किए गए। संशोधित नियमों के जारी होने के साथ यह रियायत 1 अप्रैल, 1945 से हटा ली गई है और इस तारीख के बाद कलकत्ता स्थित सचिवालय विभाग को स्थानान्तरित व्यक्तियों को दिल्ली में आवटन के लिए अपनी पुरानी सेवा की गणना कराने की अनुमति नहीं है।

(ड) सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ अधिकारी इन नियमों द्वारा पक्षपातपूर्ण ढ़ग से प्रभावित हुए हैं परन्तु इस प्रकार स्थानान्तरण के मामलों को न्यूनतम स्थिति तक घटाने से प्रशासन की दक्षता प्राप्त करने हेतु बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन में ऐसा करना आवश्यक है।

(च) सरकार इस संबंध में नियमों को बदलने का विचार नहीं रखती।

438

*नई दिल्ली में क्वार्टरों के निर्माण के लिए सरदार शोभा सिंह को सामान की सप्लाई

1390. श्री एम. अनन्तशायनम अव्यंगर : (क) माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि सरदार शोभा सिंह को नई दिल्ली में क्वार्टर बनाने के लिए सरकार द्वारा सामग्री सप्लाई की गई थी;

(ख) सप्लाई किए गए समान की क्या लागत है और यह व्यय किस प्रबंध के अन्तर्गत किया गया है;

(ग) उन्होंने कितने फ्लैट बनाये; प्रत्येक फ्लैट का किराया क्या है, इनमें से कितने फ्लैटों को किराये पर दे दिया गया है और कितने फ्लैट खाली हैं; और

(घ) क्या सरकार कोई राजसहायता प्रदान करती है; यदि हाँ तो उसका तरीका क्या है और सरदार शोभा सिंह को किस प्रकार यह राजसहायता प्रदान की जाती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य कार्नवालिस रोड औश्र हुमायूं रोड, नई दिल्ली के चौराहे के समीप आवासीय फ्लैटों का उल्लेख कर रहे हैं जिन्हें एस.बी सर शोभा सिंह ने बनाया है। यदि हाँ तो मेरा उत्तर सकारात्मक है।

(ख) सप्लाई की गई सामग्री की लागत लगभग $1\frac{1}{2}$ लाख रुपये है। ठेकेदार को सप्लाई की गई सामग्री की पूरी लागत अदा करनी है।

(ग) अभी तक निर्मित फ्लैटों की संख्या 72 है। दो प्रकार के फ्लैट हैं। एक दो बेडरूम फ्लैट और दूसरे एकल बेडरूम फ्लैट हैं। प्रथम प्रकार के फ्लैट का किराया 220 रुपये प्रतिमास निर्धारित किया गया है और दूसरे प्रकार के फ्लैट का किराया

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 29 मार्च, 1946, पृष्ठ 3141

175 रुपये प्रतिमास निर्धारित किया गया है। अभी अस्थायी किराया निर्धारित किया गया है क्योंकि अभी तक मकान मालिक ने इन फ्लैटों के निर्माण की पूरी लागत की सूचना नहीं दी है। इन 72 फ्लैटों में से सरकार ने 65 फ्लैटों से कुछ अधिक फ्लैट ले लिए हैं और इनमें से 59 फ्लैटों में लोग रहने लगे हैं और 6 फ्लैट प्रतीक्षागत सूची में दिए गए अधिकारियों को आवंटित किए गए हैं।

(घ) नहीं।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : सरकार ठेकेदारों के राजकुमार सरदार बहादुर सर शोभा सिंह के प्रति इतनी उदार क्यों हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इसमें कोई उदारता नहीं देखता।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या यह सच नहीं है कि उन्हें अन्य कई ठेकेदारों की तुलना में वरीयता दी गई है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी नहीं, श्रीमन्।

439

*हजारी बाग की अभ्रक की खानों के कामगारों के लिए आवश्यक वस्तुओं और अन्य सुविधाओं की आपूर्ति

1409. श्री एस.जे.टी. सेठ दामोदर स्वरूप : क्या माननीय श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि हजारी बाग की अभ्रक की खानों में कामगारों के लिए जल की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है और उनके लिए चिकित्सीय सहायता भी उपलब्ध नहीं है जबकि यह सच है कि यह क्षेत्र महामारी रोग से ग्रस्त है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि रहन-सहन की लागत छः से नौ गुनी हो गई है, कोई भी महंगाई भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ता कामगारों को नहीं दिया जाता तथा ऐसे समय में नियंत्रित भाव पर चावल और अन्य खाद्यान्न की बिक्री के

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 29 मार्च, 1946, पृष्ठ 3157

उपयुक्त प्रबंध नहीं हैं जब बाजार से खाद्यान्न बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं; और

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि उस स्थान के सब-डीविजनल अधिकारी ने चावल की बिक्री के लिए प्रति रुपया दो सेर तथा चार छटाँक चावल देने का आदेश दिया है जबकि चावल का नियंत्रित भाव प्रति रुपया तीन सेर तथा आठ छटाँक है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जल-आपूर्ति के प्रबंध संतोषजनक नहीं हैं और अब जो चिकित्सीय सहायता दी जाती है, वह भी पर्याप्त नहीं है। इसमें सुधार की गुंजाइश है जिसके बारे में सरकार को आशा है कि निकट भविष्य में विधान द्वारा यह कार्य पूरा किया जाएगा।

(ख) जहां तक सरकार इस तथ्य से अवगत है, कुछ मामलों में मंहगाई भत्ता शामिल करने के लिए मजदूरी बढ़ा दी गई है जबकि कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं मजदूरी के अलावा मंहगाई भत्ता भी देती हैं।

(ग) नियंत्रित भाव पर चावल और अन्य खाद्यान्न की बिक्री के उचित प्रबंध के लिए प्रांतीय सरकार उत्तरदायी है और मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य यह मामला प्रांतीय सरकार के साथ उठाएं।

440

*हजारी बाग की अभ्रक की खानों के कामगारों की शिकायतें

1410. श्री एस.जे.टी. सेठ दामोदर स्वरूप : (क) क्या माननीय श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि संयुक्त अभ्रक मिशन द्वारा भुगतान की गई राशि हजारीबाग स्थित अभ्रक की खानों के कामगारों में कभी भी वितरित नहीं की गई;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि फैक्ट्री के नियमों और विनियमों की अधिकांशतया अवहेलना अभ्रक खानों की कम्पनियों द्वारा की जाती है तथा कामगारों की मजदूरी में से दस्तूरी के नाम पर एक आना प्रति रुपये की कटौती की प्रथा अधिक आपत्तिजनक और अवैध है और यह प्रथा वहां खुलेआम प्रचलित है; और

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 29 मार्च, 1946, पृष्ठ 3157

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि ऊपर बताई गई शिकायतों के संदर्भ में अभ्रक मजदूर संघ ने स्पष्ट रूप से हड़ताल का नोटिस दिया है, यदि तो सरकार ऐसे कौन से कदम उठा रही है जिससे कि मजदूरों की मांगों की पूर्ति की जाए और हड़ताल के खतरे को टाला जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किस बात का उल्लेख कर रहे हैं। यदि उस कीमत पर अतिरिक्त लागत भत्ते का संदर्भ है जो संयुक्त अभ्रक मिशन सप्लायरों को भुगतान कर रहा था तो मैं माननीय सदस्य को यह सूचना दे सकता हूँ कि भत्ते का वितरण विशुद्ध रूप से नियोक्तओं और कामगारों के बीच का मामला था।

(ख) फैक्ट्रीज़ एक्ट और पेमेंट ऑफ वजेज़ एक्ट अभ्रक की फैक्टरियों पर लागू नहीं होता। माननीय सदस्य द्वारा बताई गई अवैध व्यवहार के प्रचलन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। यदि सरकार का अभ्रक को केन्द्रीय नियंत्रण में लाने का प्रस्ताव कार्यान्वित किया जाता है और इस बारे में अभ्रक जांच समिति की सिफारिशें कार्यान्वित की जाती हैं तो मेरा विचार है कि यह प्रथा समाप्त हो जाएगी।

(ग) जी हां। यह मामला विचाराधीन है।

441

*केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों से संबंधित ठेकेदारों को निर्माण कार्य देने पर प्रतिबंध

1411. बाबू राम नारायण सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी वे क्या परिस्थितियां थीं जिनके कारण श्रम विभाग को परिपत्र ज्ञापन संभ्या एन.एस. 21, दिनांक 14 नवम्बर, 1944 जारी करना पड़ा जिसके अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों के संबंधियों को ठेके नहीं दिए जा सकते;

(ख) क्या वह इस बात से अवगत हैं कि इसके परिणामस्वरूप कई उच्च प्रतिष्ठित और पुराने ठेकेदारों को कठिनाई और असंतोष हुआ है;

(ग) क्या इस प्रकार के आदेश सरकार के अन्य विभागों में भी विद्यमान हैं; यदि हां तो क्या माननीय सदस्य ऐसे आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखेंगे;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 29 मार्च, 1946, पृष्ठ 3158

(घ) श्रम विभाग के परिपत्र के जारी होने से पूर्व विधि विभाग से परामर्श लिया गया था; यदि हाँ तो उनकी राय क्या थी;

(ङ) क्या इन आदेशों का उद्देश्य उस स्थिति में पूरा नहीं हो सकता जब एक ही क्षेत्र के ठेकेदार के संबंधी कर्मचारी का स्थानान्तरण किसी अन्य डिवीजन या किसी अन्य स्टेशन पर कर दिया जाए; यदि नहीं तो कैसे; और

(च) क्या वह इन आदेशों के रद्द करने की वांछनीयता पर विचार करना चाहेंगे; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क), (ख), (ग), (ड) और (च) माननीय सदस्य का ध्यान 21 मार्च, 1946 के तारांकित प्रश्न संख्या 1143 की ओर आकर्षित किया जाता है।

(घ) नहीं, यह विशुद्ध रूप से प्रशासकीय मामला है।

442

*सरकारी आवास के आवंटन-नियमों का संशोधन

1412. बाबू राम नारायण सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि युद्ध के दौरान आवास-गृहों के आवंटन से संबंधित वर्ततान नियमों का कब संशोधन किया जाएगा ताकि आवास-गृहों के ऐसे परिवर्तन की व्यवस्था हो सके जो उसी वर्ग अथवा ग्रुप में हो सके जो पूर्व आवंटन के नियमों के अन्तर्गत अनुमत है क्योंकि अब युद्ध समाप्त हो गया है;

(ख) क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि ऐसे कुछ आवंटी जिन्हें अपनी इच्छा के अनुसार क्वार्टर नहीं मिले हैं, अपने असंतोष के होते हुए भी इन वर्तमान क्वार्टरों में रह रहे हैं, और

(ग) क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत शिमला से नीचे आने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को वह लाभ नहीं मिला जो तुलनात्मक रूप से जूनियर अधिकारियों को यहाँ रहते हुए क्वार्टरों के आवंटन में प्राप्त हुआ है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) वर्तमान आवंटन नियमों के संशोधन की वांछनीयता के प्रश्न पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा जब आवास गृहों के परिवर्तन के लिए नियमों में व्यवस्था के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

(ख) यह तो अपनी-अपनी राय है।

(ग) जी हां, कुछ मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों को लाभ नहीं पहुंचा परन्तु ऐसे अनेक अधिकारियों को छेड़ने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है जो पहले ही से ऐसे क्वार्टरों में रह रहे हैं।

443

*निचले वर्ग के आवास को उच्च वेतनभोगी कर्मचारियों को आवंटित करने के कारण राजस्व में हानि

1413. बाबू राम नारायण सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली के निचले प्रकार के लिपिकों के क्वार्टरों में रहने वाले उन अधिकारियों की संख्या क्या है जो (i) 600 रुपये प्रतिमास या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों के लिए आरक्षित बंगलों, (ii) 'ए' और (iii) 600 रुपये प्रतिमास या इससे कम वेतन पाने वाले से अधिकारियों के लिए आरक्षित 'बी' वर्ग के क्वार्टर के हकदार हैं;

(ख) क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि सरकार के किराए में भारी राशि की हानि उठानी पड़ती है क्योंकि ऐसे अधिकारियों को उस वर्ग का क्वार्टर आवंटित नहीं किया गया है जिसके पाने के लिए वे पात्र हैं अथवा उस वर्ग से एक वर्ग कम का क्वार्टर पा सकते हैं; और

(ग) माननीय सदस्य सरकारी राजस्व में ऐसी हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखते हैं और क्या ऐसे प्रस्ताव हैं कि उच्च वर्ग के अधिक क्वार्टरों का निर्माण कराया जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) (i) 98, (ii) 57, (iii) 138

(ख) सरकार को कोई हानि नहीं हो रही है। निम्न प्रकार के क्वार्टरों में रहने वाले अधिकारियों को अधिकतम किराया देना पड़ता है और कोई भी क्वार्टर खाली नहीं रहते।

(ग) भाग I - प्रश्न नहीं उठता।

भाग II - यह मामला विचाराधीन है और अधिकारियों के लिए अधिक आवासीय गृहों की व्यवस्था कराने के सामान्य प्रस्ताव का एक भाग है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 29 मार्च, 1946, पृष्ठ 3159

444

*नई दिल्ली में डी.आई.जेड. और मिण्टो रोड के क्षेत्र के क्वार्टरों में न छने हुए जल की सप्लाई

1415. बाबू राम नारायण सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नई दिल्ली स्थित डी.आई.जेड. और मिण्टो रोड क्षेत्र के पारंपरिक क्वार्टरों के सहन में न छने हुए जल की सप्लाई के पाइपों के स्थापित कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि कई गैलन छना हुआ जल प्रतिदिन प्रत्येक क्वार्टर के फर्श की धुलाई, डब्ल्यू.सी. फलों की क्यारियों और गमलों की सिंचाई, पौधों अथवा साग सब्जी की सिंचाई और गर्मी के मौसम में खसखस की टटियों पर छिड़कने में बरबाद हो जाता है; और

(ग) गर्मी के मौसम के आने की दृष्टि से क्या माननीय सदस्य सेवा के व्यापक हित और मितव्यिता हेतु क्वार्टरों में न छने हुए जल की सप्लाई कराने की वांछनीयता पर विचार करेंगे; और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) नहीं। न छने हुए जल के पाइपों में एक बेंड और ग्लैंड ब्लाक की व्यवस्था प्रत्येक गर्मी के मौसम के प्रारंभ में ही इन क्वार्टरों के समीप सुविधाजनक स्थानों में कर दी जाती है ताकि क्वार्टरों में रहने वाले न छने हुए जल का उपयोग कर सकें और मैं नहीं सोचता कि वर्ष के शेष भाग में इन प्रयोजनों के लिए छने हुए जल की खपत अधिक होती है।

(ग) नहीं। सरकार ने पहले ही इस सुझाव पर अधिक सावधानी से विचार किया है और मुख्यतया इसमें निहित अधिक व्यय के कारण इसे छोड़ दिया गया है।

445

* *सब-डिवीजनल अधिकारी और ओवरसियर के रूप में काम करने वाले कुछ अर्हता प्राप्त एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियरों की पदोन्नति न हो पाना

1416. बाबू राम नारायण सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 29 मार्च, 1946, पृष्ठ 3159

** वही, पृष्ठ 3160

की कृपा करेंगे कि क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की भवन और सड़कों के निर्माण तथा बिजली की शाखाओं में एकजीक्यूटिव इंजीनियरों और अधीक्षक इंजीनियरों के पदों को भरने के लिए इंजीनियरों के पदों की कमी है;

(ख) क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि ऐसे कई इंजीनियर सब डिवीज़नल अधिकारियों और यहां तक कि ओवरसियरों के रूप में काम करते हैं जो विदेशों से अर्हताप्राप्त हैं तथा अपने कार्य में अनुभवी हैं और उन्हें डिवीज़नल चार्ज या उच्च पद को धारण करने के लिए पदोन्नति नहीं दी गई है क्योंकि वे गैर-अर्हता प्राप्त अधीनस्थ सब-डिवीज़नल अधिकारियों और अन्य अधिकारियों से जूनियर हैं; और

(ग) क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि सरकार विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए विदेश भेज रही है ताकि उच्च पदों के भरने के लिए विदेशी अर्हता प्राप्त व्यक्ति मिल सकें?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण में कुछ विदेशी अर्हक इंजीनियर हैं जो अभी तक डिवीज़नल अथवा उच्च प्रभार के लिए पदोन्नति प्राप्त नहीं कर सके हैं क्योंकि वे विभाग में अन्य अर्हक इंजीनियरों से कनिष्ठ हैं अथवा उस पदोन्नति के लिए अयोग्य हैं।

(ग) जी हाँ।

446

*सब-डिवीज़नल अधिकारी और ओवरसियर के रूप में काम करने वाले कुछ अर्हताप्राप्त एकजीक्यूटिव इंजीनियरों की पदोन्नति न हो पाना

1417. बाबू राम नारायण सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य सदन के पटल पर विदेशों से अर्हता प्राप्त तथा अनुभवी सब-डिवीज़नल अधिकारियों की सूची रखने की कृपा करेंगे जिसमें प्रत्येक अधिकारी की पूरी योग्यताएं, कुल अनुभव और सेवा-काल तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अलग-अलग पदों पर अलग-अलग नियुक्तियों की तारीखों के विवरण दिए गए हों;

* वही।

(ख) सन् 1940 से सीधे ही नियुक्त किए गए एकजीक्यूटिव इंजीनियरों अथवा अधीक्षक इंजीनियरों की संख्या कितनी है;

(ग) भाग (ख) में उल्लिखित नियुक्तियां करते समय भाग (क) के उत्तर में बताए गए व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के मामले पर इस नियुक्ति हेतु विचार किया गया था; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) एक विवरण पत्र सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) अधीक्षक इंजीनियर - शून्य।

एकजीक्यूटिव और बिजली इंजीनियर - 28

(ग) निम्नलिखित पदों को छोड़कर, अन्य सभी व्यक्तियों के मामलो पर यथोचित रूप से विचार किया गया था।

(1) श्री बी.एस. कृष्णास्वामी वह अस्थायी रूप से अधीनस्थ है जबकि अन्य अधिकारियों को एकजीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर पदोन्नति कर दिया गया जो या तो स्थायी अधीनस्थ अधिकारी थे या राजपत्रि अस्थायी इंजीनियर थे।

(2) सर्वे श्री ए.के. सेन और नसीर हुसैन अभी तक इनके मामलों पर विचार नहीं हुआ है क्योंकि वे वरिष्ठता सूची में पर्याप्त रूप से उच्च स्थान पर नहीं हैं, अभी तक जिन अधिकारियों की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के पद पर पदोन्नति की गई है वे इनसे वरिष्ठ हैं।

(ख) इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता क्योंकि भाग (क) के उत्तर में दिए गए अधिकारी या तो अनुभवी नहीं थे या वे डिवीजनल प्रभार के लिए उपयुक्त नहीं थे।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विदेशो से अर्हता प्राप्त सब-डिवीजनल अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	नाम	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नियुक्ति की तारीख	अर्हताएं	गत अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4	5
1.	श्री एन.एन. मेहता	इंजीनियरिंग 17-9-1935	बी.ए. बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) शेफील्ड	
2.	श्री गुरुवचन सिंह	5-3-1942	बी.एस.सी. (सिविल) एडिनबरा	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 15 महीने की शिक्षिता। खियोत्री रियासत में लोक निर्माण विभाग में 12 वर्ष तक अधीक्षक।
3.	श्री आर.आर. तोमर	18-5-1942	बेटर सी पॉलिटेक्निक, लंदन के डिप्लोमा होल्डर	
4.	श्री बी. एस. कृष्णास्वामी	13-6-1942	बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) रगून (बर्मा)	
5.	श्री एस.वी. सुब्बाराव	20-7-1942	बी.ए. बी.एस.सी. (आनर्स) सिविल इंजीनियरिंग	एक वर्ष का अनुभव
6.	श्री एस.कै. दास	1-1-1973	बी.एस.सी. सिविल इंजीनियरिंग (एडिन बरा)	" " "
7.	श्री एम. रहमान	19-4-1943	बी.एस.सी. (दिल्ली) इंगलैंड की फर्म में बी.एस.सी. (सिविल) कुछ अनुभव प्राप्त डरहम	किया।
8.	श्री अहमद गफकार	11-2-1942	बी.एस.सी. सिविल इंजीनियरिंग	" " "
9.	श्री मोहम्मद शफी	15-3-1944	सी.ई. (क्रिस्टल)	" " "

1	2	3	4	5
10.	श्री नरिनअन सिंह	4-4-1944	बी.एस.सी. (सिविल) एम.ई.एस. आदि का ग्लास्गो (एडिनबारा) 15 वर्ष का अनुभव	
11.	श्री एस.ए. हकीम	30-8-1944	आकस्मिक ओवरसियर; पंजाब लोक निर्माण सी.ई. (शेफिल्ड), विभाग में 15 वर्ष ए.एम.आई.ई. (इंडिया) और जिला बोर्ड सेवा सी.आई.एस.ई. (लंदन) में 8 वर्ष	
II बिजली				
12.	श्री बी.के. मजूमदार	4-5-1942	फेरेडे हाऊस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कालेज, लंदन से मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा	मेसर्स क्रास्ले ब्रदर्स लिमिटेड, मेन्चेस्टर और सदर्न इलैक्ट्रिकल बिल्डिंग्स, लंदन में एवरेन्टिल इंजिनियर के रूप में 2 वर्ष सेवा की। कलकत्ता सप्लाई कारपोरेशन में 3 वर्ष की अवधि में कार्य किया
13.	श्री एम.एन. दत्त	23-9-1942	बी.एस.सी. (ग्लास्गो) कुछ पुराना अनुभव था। विवरण उपलब्ध नहीं है।	
14.	श्री ए.के. सेन	13-3-1943	-तदैव-	" " "
15.	श्री नासिर हुसैन	1-5-1945	बी.एस.सी. ए.एम.आई.ई.ई. (लंदन)	" " "

447

*अधीक्षक, वाइसरीगल एस्टेट्स द्वारा नियुक्त लिपिक वर्गीय

कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें

1419. सरदार मंगल सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य 14 जुलाई, 1936 से पूर्व शिमला या दिल्ली में विशेष ढ्यूटी के लिए वाइसरीगल एस्टेट के अधीक्षक द्वारा सीधे ही नियुक्त किए गए लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को दी गई सेवा की शर्तों का एक नमूना प्रति सभा पटल पर रखेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बाहर भेजे जाने के प्रस्ताव के संबंध में कोई निर्धारित प्रश्न नहीं है। इस अवधि में जारी किए गए नियुक्ति के पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 29 मार्च, 1946, पृष्ठ 3162

महामहिम, वायसराय, दिल्ली के नुकटार्ट सेक्रेटरी से अधीक्षक, वाइसरीगल एस्टेट्स को भेजे गए पत्र संख्या 1031-ए, तारीख 25 फरवरी, 1920।

आपका पत्र संख्या 279-एम, दिनांक 20 फरवरी, 1920 मिला। मैं लाला दीवान चन्द को वायसरीगल, एस्टेट्स, शिमला में स्टोर कीपर के पद पर परिवीक्षा आधार पर, एस. अमीर चन्द के स्थान पर जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, 1 जनवरी, 1920 से 6 माह के लिए रु. 50-5-70 के वेतनमान में नियुक्त करने की मंजूरी देता हूँ और उनसे 10 रुपये प्रतिमास की दर से उनकी जमानत की राशि 350 रुपये की वसूली करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

करार-पत्र का बांड इसके साथ लौटाया जाता है।

448

*सरकारी आवास-गृहों के आवंटन नियमों का संशोधन

1420. सरदार मंगल सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि यदि कोई अधिकारी दिल्ली से शिमला अथवा कलकत्ता स्थित सचिवालय विभाग को 1 अप्रैल, 1945 के बाद स्थानान्तरित किया जाता है तो क्या उसका दिल्ली को पुनः स्थानान्तरण होने पर उसकी पुरानी सेवा का उसे कोई लाभ नहीं मिल पाता तथा उसे क्वार्टर के आवंटन के प्रयोजन के लिए फिर से अपनी वरिष्ठता अर्जित करनी पड़ती है:

(ख) इन कर्मचारियों को उन कर्मचारियों की तुलना में अर्ह तैनाती की मूल तारीख से वरिष्ठता का कोई लाभ नहीं मिल पाता जब लोक सेवा के हित में स्थानान्तरण के आदेश दिए जाते हैं; और

(ग) चूँकि आवासीय गृहों की स्थिति शोचनीय है और प्रभावित व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कई वर्ष तक सरकारी नौकरी की है तथा जिनके परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक है, अतः क्या माननीय सदस्य इस निर्णय को निरस्त करने की आवश्यकता पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हाँ।

(ख) इस आपत्ति का उद्देश्य यह था कि अपेक्षाकृत जूनियर व्यक्तियों को सहायता दी जाए जो दिल्ली में लगातार रह रहे हैं तथा जिन्होंने शिमला या दिल्ली में स्थित कार्यालयों की तुलना में दिल्ली में आवास गृहों की कठिन स्थिति के कारण अधिक कष्ट उठाए हैं।

* वही, पृष्ठ 3163

(ग) जब आवंटन नियमों में सामान्य संशोधन करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा तब इस नियम पर पुनः विचार किया जाएगा।

449

***बम्बई प्रांत में कुछ नहरों द्वारा सिंचित दक्षिण क्षेत्र में अधिक चीनी कारखाने बनाने की अनुमति**

1421. एस.जे.टी.बी.एस.हिरे : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बम्बई प्रांत के दक्षिण क्षेत्र में नहरें बचाव के प्रयोजनों के लिए बनाई गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि इनसे उसी उद्देश्य की पूर्ति होती है; यदि नहीं तो क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि गन्ने की फसल के लिए चीनी कारखानों के अन्तर्गत क्षेत्रों को बढ़ाया जाए;

(ग) इस क्षेत्र में नहर द्वारा कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होती है और इन प्रयोजनों के लिए चीनी के कारखानों द्वारा कितने एकड़ भूमि की उपयोगिता नहीं रहती; और

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र में अधिक चीनी के कारखानों के निर्माण की अनुमति देने का प्रस्ताव करते हैं; यदि नहीं तो क्यों?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : बम्बई की सरकार से सूचना मांगी गई है और समय रहते सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

450

*** *वायसरीगल एस्टेट्स शिमला के कर्मचारियों को प्राप्त रियायतों को शिमला स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को दिए जाने की वांछनीयता**

165. सरदार मंगल सिंह : वायसरीगल एस्टेट्स शिमला के कर्मचारियों को प्राप्त रियायतों को शिमला सेण्ट्रल डिवीजन के लिपिक और कनिष्ठ कर्मचारियों को दिए

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1946, 29 मार्च, 1946, पृष्ठ 3163

** वही, पृष्ठ 3165

जाने की वांछनीयता के संबंध में 9 अप्रैल, 1945 को अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के भाग (ख) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में क्या कोई निर्णय अभी तक हो पाया है; यदि हाँ तो क्या माननीय सदस्य इस विषय में जारी किए गए आदेशों की प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस विषय में किए गए अंतिम निर्णय के आदेशों की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। भारत सरकार के सहायक सचिव, श्रम विभाग, नई दिल्ली के द्वारा अपर मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पश्चिमी क्षेत्र, नई दिल्ली को प्रेषित पत्र संख्या ई-6, दिनांक 6 दिसम्बर, 1945 की प्रति।

विषय : शिमला केन्द्रीय डिवीजन और शिमला स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के किराया नियंत्रण कार्यालय के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ते का अनुदान।

आपके पत्र संख्या 01171-ई, दिनांक 7 जून 1944 का संदर्भ।

गवर्नर जनरल इन कौसिल शिमला सेंट्रल डिवीजन और शिमला स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के किराया नियंत्रण कार्यालय के अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता देने की स्वीकृति। प्रतिकर भत्ते की दरें इस प्रकार हैं:

(क) अपर श्रेणी के कर्मचारियों के अलावा अराजपत्रित लिपिक और टेक्निकल कर्मचारियों के लिए प्रतिकर भत्ते की दरें वेतन का 15 प्रतिशत जो न्यूनतम रु. 15 (पन्द्रह रुपये) और अधिकतम रु. 35 (पैंतीस रुपये) प्रति माह होगा।

(ख) अपर श्रेणी के कर्मचारी - निर्धारित रु. 2 (दो रुपये) प्रतिमाह।

2. आदेश 1 जुलाई, 1945 से भूतलक्ष्मी रूप से प्रभावी होंगे।

451

*दामोदर घाटी विकास योजना

1503. बाबू राम नारायण स्सैह : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी विकास योजना इस समय किस अवस्था में है;

(ख) क्या प्रारंभिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 3 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3422

- (ग) सभी संबंधित जिलों में कुल कितनी खेती योग्य भूमि अधिगृहीत कर ली गई है तथा कितनी की जानी है;
- (घ) सभी जिलों में प्रभावित होने वाले गांवों की संख्या कितनी है;
- (ङ) उन लोगों की संख्या कितनी है (i) जो अपने घरों से वंचित किए जाएंगे, (ii) जो अपनी भूमि से वंचित किए जाएंगे, और (iii) जो अपने घरों और भूमि दोनों से ही वंचित कर दिए जाएंगे;
- (च) क्या बेदखल किए गए लोगों के पुनर्वास की कोई योजना है;
- (छ) क्या माननीय सदस्य प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं तथा इस योजना के बारे में बिहार प्रांतीय कांग्रेस वर्किंग समिति के प्रस्ताव से अवगत हैं; और
- (ज) क्या माननीय सदस्य ने इस योजना के कार्य को उस समय तक स्थगित करने की वांछनीयता पर विचार किया है जब प्रांतों और केंद्र में लोकप्रिय सरकारें काम करने लगेंगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) प्रारंभिक जाँच का कार्य चल रहा है।

(ख) नहीं।

(ग), (घ) और (ङ) इन बातों के संबंध में व्यौरेवार सूचना एकत्र की जा रही है।

(च) अभी तक अंतिम रूप से कोई भी योजना नहीं बनाई गई है परन्तु यह मामला सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार इन हटाए गए लोगों को पर्याप्त रूप से पुनर्वासित करने की आवश्यकता को विशेषतया ध्यान में रखेगी।

(छ) इस विषय पर सरकार के पास कुछ प्रेस सूचनाएं हैं।

(ज) केवल प्रारंभिक जाँच कार्य किए जा रहे हैं और सरकार उन्हें आस्थगित करने की वांछनीयता पर विचार नहीं कर रही है या ऐसा कार्य नहीं कर रही है जो उनके विचार के लिए आवश्यक लगे।

बाबू राम नारायण सिंह : लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया क्या होगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं कोई निश्चित वक्तव्य देने में असमर्थ हूँ।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या माननीय सदस्य इन लोगों की और उन किसानों

की आवश्यकता पर ध्यान देंगे जो बेदखल किए जाएंगे और उन्हें वैकल्पिक भूखंड दिए जाएंगे जहां वे अपना कृषि कार्य करते रहेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे मस्तिष्क में यह बात निश्चय ही है।

बाबू राम नारायण सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि उन्हें दो या तीन वर्ष का नोटिस दिया जाएगा जो अपने अधिकृत क्षेत्र में अपने घरों को छोड़ेंगे ताकि वे नए स्थलों में अपने घरों का निर्माण कर सकें और उन्हें अपने अधिकार में उस समय ले सकें जब उन्हें अपने मूल गृह छोड़ने पड़ेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं स्वयं किसी विशेष अवधि के लिए वचनबद्ध नहीं हो सकता परन्तु मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि हम निश्चय ही लम्बी अवधि का नोटिस देंगे।

बाबू राम नारायण सिंह : श्रीमन् क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस दामोदर धाटी विकास योजना के एक भाग के रूप में संथाल परगना जिला की नदियों पर कुछ बड़े बांध निर्मित किए जाने हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस अवस्था में यह नहीं बता सकता।

मौलाना जफर अली खां : इस प्रश्न के भाग (ग) से उभरने वाले तथ्य के बारे में क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि कई ग्रामीणों को असम में उनके आवास-गृहों से बाहर कर दिया गया है, उनके घर तोड़ दिए गए हैं, उन्हें अधिक असुविधा में डाल दिया गया है और उनकी भूमि भी उनसे ले ली गई है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि यह बात इस प्रश्न के अन्तर्गत किस प्रकार आती है।

सभापति : वह इस योजना के संबंध में कह रहे हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इससे असम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता।

बाबू राम नारायण सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस योजना के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय ले लिया गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हां, श्रीमन्।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या यह बहु-प्रयोजन योजना नहीं है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हां, श्रीमन्।

452

*भारतीय खान स्कूल, धनबाद में हड़ताल

1504. बाबू राम नारायण सिंह : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय खान स्कूल, धनबाद में हड़ताल है; यदि हां तो क्यों और क्या इस हड़ताल की समाप्ति हो गई है; और यदि हां तो कैसे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य का ध्यान 26 मार्च, 1946 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 1265 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या सरकार उस डिप्लोमा की मान्यता के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंची है जिनके बारे में वे शिकायत कर रहे थे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह मामला विचाराधीन है।

453

**अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में रखे गए भारतीयों की संख्या

1511. प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हेडक्वार्टर में कार्यरत भारतीयों की संख्या कितनी है;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यालयों में भारतीय सदस्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कुल कितनी धन-राशि खर्च की है और भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कितनी राशि दी है;

(ग) क्या ऐसे कोई प्रस्ताव हैं कि भारत में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को सशक्त किया जाए और सभी प्रांतीय राजधानियों में प्रांतीय सरकारों के संदर्भ में शाखाएं खोली जाएं;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 3 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3420

* वही, पृष्ठ 3429

(घ) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हेडक्वार्टर में भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कुछ कर रही है और यदि हाँ तो उसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव है कि अपने सचिवालय के कुछ सदस्यों को कुछ महीनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हेडक्वार्टर भेजा जाए ताकि वे श्रम विधान और इससे संबंधित कार्यशील देशों का अध्ययन कर सकें तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्य के संपर्क में रह सकें?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) यह समझा जाता है कि तीन भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हेडक्वार्टर में रखे गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की भारतीय शाखा के सभी कर्मचारी भारतीय हैं। इनमें से एक वरिष्ठ अधिकारी होता है और इसके साथ वर्ष 1946 में सात सदस्यों की स्वीकृति दी गई है।

(ख) भारतीय सदस्यों के लिए उनके विभिन्न कार्यालयों में 1946 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो व्यय किया गया है, वह इस प्रकार है -

हेडक्वार्टर	:	60,000 स्विस फ्रैंक अथवा रु. 45,000 लगभग
भारतीय शाखाएं	:	रुपयं 44,640

भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में सीधे ही योगदान नहीं करता परन्तु भारत द्वारा भुगतान किया गया कुछ अंशदान लीग ऑफ नेशनल को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में विवरण दिखाया गया है:-

वर्ष	लीग ऑफ नेशनल को कुल योगदान (गोल्ड फ्रैंक्स)	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय को आवंटित आंशिक भाग (गोल्ड फ्रैंक्स)
1943	893,044,24	300,731,88
1944	815,024,64	300,960,18
1945	1,99,033,39	895,200
	(स्विस फ्रैंक्स)	
1946	1,302,938,67	ज्ञात नहीं

निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, भारतीय शाखा से प्राप्त सूचना

नोट :

विनियम दरें-	स.	आ.	पा.
एम गोल्ड फ्रैंक	1	1	5 लगभग
एक स्विस फ्रैंक	0	12	4

(ग) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) उत्तर सकारात्मक है।

(i) फेडरल लोक सेवा आयोग (इंडिया) द्वारा कुछ उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया गया है ताकि मार्टियल स्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के लिपिकों के स्थान पर उनकी नियुक्ति की जाए।

(ii) उच्च पदों में सहायक निदेशक के पद पर एक भारतीय की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है।

(iii) यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री मोहनलाल सक्सेना : एक गोल्ड फ्रैंक का मूल्य रूपये में क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह मूल्य रूपये 1-1-5 है। यह सूचना अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय द्वारा हमें बताई गई है परन्तु मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : भाग (ग) के संबंध में क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को इस सुझाव की वांछनीयता के बारे में विचार करेगी कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सभी प्रांतीय राजधानियों में अपनी शाखाएं खोले ताकि प्रांतीय सरकारों से उनका सम्पर्क बना रहे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस मामले पर ध्यान दूँगा।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या यह सच नहीं है कि एशिया के देशों और अश्वेत लोगों के देशों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह आम राय है परन्तु मैं सही तरीके से नहीं कह सकता कि स्थिति क्या है।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : सरकार यह देखने के लिए क्या कदम उठा रही है कि भारत और अन्य अश्वेत लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शासकीय निकाय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हम हमेशा भारत के दावे पर जोर देते हैं।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : इसका परिणाम क्या होता है? क्या इसमें कुछ सुधार हुआ है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हमें आशा है कि हम किसी दिन सफल होंगे।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या यह सच नहीं है कि शासकीय निकाय में हमारी स्थिति कमजोर है जब कि तीन वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति न थी?

माननीय दीवान बहादुर सर ए. रामास्वामी मुदालियर : क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ? मेरी स्मृति यह है कि सरकार और श्रम दोनों ही पक्षों की ओर से कई वर्ष तक प्रतिनिधित्व रहा। इस सदन में हमारे स्वर्गीय साथी श्री जोशी 10 या 12 वर्ष से अधिक अवधि के लिए शासकीय निकाय के सदस्य रहे। सर अतुल चटर्जी सरकार की ओर से शासकीय निकाय के सदस्य और एक अवसर पर शासकीय निकाय के अध्यक्ष रहे। वर्ममान उच्च आयुक्त सर सैम्युल रंगनाथन शासकीय निकाय के सदस्य हैं और गत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की शासकीय निकाय के संविधान निर्माता निकाय के अध्यक्ष रहे। इस समय जहां तक मेरा विश्वास है, शासकीय निकाय के अध्यक्ष के रूप में श्री जोशी के बाद गत एक वर्ष में कर्मचारियों का कोई भी प्रतिनिधि इस शासकीय निकाय का प्रतिनिधि नहीं रहा है। इस स्थिति में यही गिरावट आई है यदि इसे गिरावट कहा जाए। जहां तक सरकार का संबंध है, उच्च आयुक्त शासकीय निकाय के सदस्य होते हैं। मैं अन्य अश्वेत लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता परन्तु निश्चय ही भारत सदैव ही सरकार और कर्मचारियों की ओर से शासकीय निकाय का सदस्य रहा है।

एस.जे.टी.एन.वी.गाडगिल : क्या यह सच नहीं है कि शासकीय निकाय के संविधान में कुछ परिवर्तनों की सिफारिश की गई है और उन्हें सदन के पटल पर रख दिया गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह मामला उस प्रस्ताव के संबंध में विचार विमर्श करते समय विचार किया जाएगा जिसे मैं प्रस्तुत करूँगा।

दीवान चमल लाल : माननीय सदस्य यह प्रस्ताव कब प्रस्तुत करेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसी समय के दौरान यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री एम. अनन्तशायनम आव्यंगर : अब लीग ऑफ नेशन्स के समाप्त करने का प्रस्ताव है, क्या यह प्रस्ताव है कि भारतीय कोष से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को सीधे ही प्रस्ताव भेजा जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं बता नहीं सकता। यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निर्णय के लिए है।

454

*केंद्रीय और प्रान्तीय सरकार के मुद्रणालयों में हड़ताल

1526. प्रो. एन. जी. रंगा : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की हड़ताल कितने समय से चल रही है;
- (ख) कामगारों की वे शिकायतें और मांगें क्या हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;
- (ग) जब ये मांगें सरकार के समक्ष लाई गई तो कामगारों की वैद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई;
- (घ) अब इस हड़ताल में कितने कामगार अन्तर्गस्त हैं;
- (ङ) क्या यह सच है कि यह हड़ताल या इसी प्रकार की हड़तालों केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के अन्य मुद्रणालयों में भी चल रही है;
- (च) क्या यह सच है कि इस प्रकार की हड़ताल बम्बई में भी चल रही है जैसा कि 21 मार्च के हिन्दुस्तान टाइम्स के पृष्ठ 4 पर समाचार प्रकाशित हुआ है; और
- (छ) सरकार ऐसे कौन से कदम उठा रही है ताकि कामगारों के साथ समझौता हो सके?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) यह हड़ताल 6 मार्च से 24 मार्च, 1946 तक 19 दिन चली।

(ख) मांगें इस प्रकार थीं :

- (1) रहन-सहन के लिए उचित मजदूरी का निर्धारण जो 50 रुपये प्रति मास से कम न हो।
- (2) भारत सरकार के सभी मुद्रणालयों में समान रूप से वर्तमान वेतनमानों में संशोधन।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 3 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3443

(3) अंशदायी भविष्य निधि के नियमों में संशोधन ताकि उन्हें राज्य रेलवे भविष्य निधि के स्तर पर लाया जाए और सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी का दिया जाना।

(4) महंगाई और युद्ध के भत्तों में वृद्धि।

(5) छुटटी के नियमों में संशोधन।

(6) कार्य करने के घंटों को 48 से घटाकर 40 घंटे प्रति सप्ताह किया जाना।

(7) रात की पारी में काम करने वाले व्यक्तियों को भत्ता।

(8) उजरती कामगारों को वर्ग के अनुसार दरों में वृद्धि।

(9) उजरती कामगारों को आकस्मिक अवकाश और छुटटी।

(10) अस्थायी कामगारों को रखा जाना।

(ग) और (घ) सरकार के ध्यान में मांगें गत फरवरी में लाई गई। उसके बाद पांच मांगें आंशिक रूप में स्वीकार कर ली गई हैं और रियायतों की घोषणा कर दी गई है। प्रथम पांच मांगें केन्द्रीय सकारी कर्मचारियों के सभी वर्गों को प्रभावित करने वाली हैं तथा सामान्य प्रकार की हैं। अतः इन्हें समुचित विचार किए बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा वेतनभोगी कर्मचारियों के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी। सरकार ने नीचे दी गई अतिरिक्त रियायतें सभी मुद्रणालय के कामगारों को दी हैं।

(i) महंगाई और युद्ध के भत्तों को बढ़ी दरों पर 1 जनवरी, 1946 के बजाए पूर्व प्रभावी 1 जुलाई, 1944 से उन सभी कामगारों को दिया जाएगा जो अब ये भत्ते प्राप्त कर रहे हैं।

(ii) महंगाई भत्ते की आधी राशि को ऐसे भत्ते प्राप्त करने वाले सभी कामगारों के उनकी पेन्शन की राशि की गणना करते समय वेतन समझा जाएगा।

(iii) जो निम्न श्रेणी के कामगार हैं, उन्हें औसत वेतन की राशि की आधी पेन्शन मिलेगी।

सरकार का प्रस्ताव है कि विभिन्न भारत सरकार के मुद्रणालयों के अलग-अलग वर्गों में कार्यरत मुद्रणालय के कामगारों के वेतन तथा सेवा की शर्तों में मौजूदा विषमताओं के बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक विशेष कार्याधिकारी की नियुक्ति की जाए।

(घ) 775 ओद्योगिक कामगार इसमें अन्तर्गत थे।

(ड) जी हां। भारत सरकार फार्म मुद्रणालय, अलीगढ़ के कर्मचारी 15 मार्च, 1946 से हड़ताल पर हैं। भारत सरकार मुद्रणालय, कलकत्ता के उद्योग में लगे कामगारों ने भी हड़ताल करने का नोटिस दिया है परन्तु अभी तक वे हड़ताल पर नहीं गए हैं।

(च) समाचारपत्र में जो प्रकाशित हुआ है उसके अतिरिक्त सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। सम्बंधित मुद्रणालय प्रांतीय सरकार के अन्तर्गत आता है।

455

*नई दिल्ली में आवासीय सम्पत्ति का अधिग्रहण

1530. दीवान चमन लाल : (क) युद्ध विभाग के इस घोषित इरादे के संदर्भ में कि यथासंभव शीघ्रता के साथ निजी आवासीय सम्पत्ति को अपने अधिकार में न रखा जाए जैसा कि 13 मार्च, 1946 के तारांकित प्रश्न संख्या 924 के उत्तर में इस सदन को बताया गया था, क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इसी प्रकार श्रम विभाग केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को आवास देने के लिए नई दिल्ली की निजी आवासीय सम्पत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगी;

(ख) क्या सरकार नई दिल्ली में किसी भी आवासीय सम्पत्ति का अधिग्रहण का इरादा करती है (उदाहरणार्थ नं. 4 रत्नडोन रोड) जो सरकार द्वारा पहले अधिग्रहीत की गई थी परन्तु सरकार ने वास्तव में उस पर अधिकार नहीं किया था; इसके क्या कारण हैं, यदि कोई हो, सरकार इस प्रकार अधिग्रहण की गई सम्पत्ति पर अधिकार पाना क्यों आवश्यक समझती है; और

(ग) सामान्य अनधिग्रहण के कार्यक्रम की दृष्टि से क्या सरकार ने इस वांछनीयता पर विचार किया है कि इस समय उपरोक्त भाग (ख) में दिए गए आवास को उन्ही लोगों के अधिकार में रखा जाए जो उनमें रहते हैं और यदि हां तो क्या सरकार तदनुसार शीघ्र ही आदेश जारी करने का विचार करती है; यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अब्बेडकर : (क) जापान के साथ युद्ध समाप्त होने के समय से श्रम विभाग ने केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को बसाने के लिए नई आवासीय सम्पत्ति का अधिग्रहण छोड़ दिया है।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 3 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3445

(ख) यह संभव नहीं है कि कोई सामान्य नियम बनाया जाये। यदि सरकार ने 'पूल' के लिए पहले ही से अधिगृहीत बंगले को अपने कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को अपने अधिकार में रखने की अनुमति दे दी है तो सरकार को यह अधिकार है कि इस बंगले का उपयोग 'पूल' के लिए किया जाए और नं० 4, रतनडोन रोड का मामला इसी प्रकार का है।

यह आवश्यक है कि सरकारी प्रयोजन के लिए पूल के आवासीय गृहों का सबसे अच्छा उपयोग किया जाए।

(ग) प्रत्येक मामले में 'पूल' के आवास गृहों के सर्वोत्तम उपयोग की दृष्टि से उसके गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

456

*अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमान, मैं अभ्रक खान उद्योग में नियुक्त श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्यों के वित्तपोषण हेतु एक निधि गठित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ।

सभापति : प्रश्न यह है :

"खान उद्योग में नियुक्त श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्यों के वित्तपोषण हेतु एक निधि गठित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन् मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

457

* *कारखाना संशोधन विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूँ: "कि कारखाना अधिनियम, 1934 में संशोधन वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए।"

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 3 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3457

** वही।

मैं नहीं समझता कि मेरे लिए इस अवस्था में यह आवश्यक है कि मैं इस विधेयक पर लम्बी टिप्पणियां करूँ क्योंकि इस विधेयक पर प्रवर समिति ने विचार किया है। इस विधेयक में मूल रूप से सात खंड थे। इन सात खंडों में केवल चार ऐसे खंड हैं जिन पर प्रवर समिति ने विचार किया है और इस बारे में कुछ संशोधन किए हैं। ये संशोधन कामगारों के पक्ष में दिए गए मूल उपबंधों को उदार बनाने की दिशा में किए गए हैं। यद्यपि मुझे पता लगा है कि कुछ संशोधन विधेयक के मूल मसौदे में प्रवर समिति द्वारा किए गए थे और वे संशोधन सरकार के इरादों से परे हैं अतः मैं उस विधेयक पर कोई आपत्तियों उठाने का प्रस्ताव नहीं करता क्योंकि इस विधेयक को प्रवर समिति ने देख लिया है। मैं विधेयक को उसी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ जिस में यह अब है। श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूँ।

उप-सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

“कि कारखाना अधिनियम, 1946 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए।”

458

*भारतीय श्रम संघ (इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर) को मासिक अनुदान

1632. श्री सत्य नारायण सिन्हा : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य का ध्यान 24 मार्च के नेशनल काल के रविवारीय प्रातः संस्करण में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें भारतीय श्रम संघ (इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर) को श्रम के प्रचार के लिए 13,000 रुपये का मासिक अनुदान दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि जब प्रचारकों के वेतन में कमी आ गई, तो समाचारों के प्रसार की लागत सानुपातिक रूप से बढ़ी है; और

(ग) क्या यह सच है कि महालेखापरीक्षक ने लेखाओं के रखे जाने की घोर आलोचना की थी क्योंकि वह लेखा रखने की पद्धति से संतुष्ट नहीं थे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हां।

(ख) 19 मार्च, 1946 को सदन के समक्ष भारतीय श्रम सेध (इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर) के लेखाओं का विवरण रखा गया जिससे विदित होता है कि व्यय की भिन्नताओं के फलस्वरूप ‘प्रचारकों के वेतन’ से संबंधित शीर्ष के अन्तर्गत कमियां

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 8 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3645

दिखाई गई और मई, जून और जुलाई, 1945 के महीनों में हुई तदनुसार वृद्धियां शीघ्र 'समाचार के प्रसार' के अन्तर्गत दिखाई गई। ये भिन्नताएं व्यय के शीर्षों के वर्गीकरण के परिवर्तन के कारण हुई। ये शीर्ष अप्रैल, 1945 में प्रारंभ किए गए जब प्रचार योजना की कार्रवाईयों के नियंत्रण का हस्तांतरण सूचना और प्रसारण मंत्रालय से श्रम विभाग को किया गया था। अतः इसके फलस्वरूप श्रम केन्द्रों, कामगार क्लबों और समाचार प्रसार की अन्य ऐजेन्सियों के प्रभारी प्रचारकों को भत्तों का व्यय जो अब तक शीर्ष 'कर्मचारियों का वेतन' के अन्तर्गत दिखाया जाता था, मई, 1945 से आगे शीर्ष 'समाचार-प्रसार के लिए मानदेय' के अंतर्गत दिखाया जाने लगा। परन्तु इन महीनों में 'प्रचारकों के वेतन' और 'समाचार के प्रसार' से संबंधित शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय गत महीनों के समान ही रहा।

(ग) श्री लालचन्द नवलराय द्वारा पूछे गए तारीख 2 नवम्बर, 1945 के प्रश्न संख्या 31 के प्रथम भाग (ख) और (घ) के उत्तर की ओर तथा 1943-44 के लेखाओं पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के पैरा 68 की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

श्री सत्यनारायण सिन्हा : उसके बाद क्या हुआ? क्या माननीय सदस्य इन सभी लेखाओं को कृपया लोक लेखा समिति के समक्ष रखना चाहेंगे? यह लोग धन की बरबादी है जैसा कि मेरा विश्वास है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस विषय में लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया गया था और जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, माननीय सदस्य का ध्यान 1943-44 के लेखाओं के संबंध में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के पैरा 68 की ओर आकर्षित किया गया है।

दीवान चमन लाल : क्या मैं अपने माननीय मित्र से पूछ सकता हूँ कि 1945 के बाद की स्थिति क्या है और क्या यह अनुदान अब हटा दिया गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसे हटा दिया गया है।

दीवान चमन लाल : 1945 और हटाए जाने के बीच इसकी क्या स्थिति थी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे सूचना नहीं मिली है परन्तु यदि मेरे माननीय मित्र प्रश्न करते हैं तो मैं उत्तर दूँगा।

दीवान चमन लाल : क्या सच है कि इन लेखाओं का उस समय पुनरीक्षण किया गया था जब यह अनुदान हटाया गया था?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे इस प्रश्न के उत्तर के लिए नोटिस की आवश्यकता है।

दीवान चमन लाल : मेरे माननीय मित्र को यह ज्ञात नहीं है कि क्या इसके बाद इनका पुनरीक्षण किया गया था?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं आपको बता नहीं सकता।

श्री सत्यनारायण सिंहा : क्या माननीय सदस्य इस पूरे मामले को देखना चाहेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने देखा है। मैं इससे अधिक क्या कर सकता हूँ।

श्री मनु सूबेदार : भारतीय श्रम संघ (इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर) के माध्यम से श्रम प्रचार पर व्यय की राशि इस समय क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने बताया, यह अनुदान बंद कर दिया गया है।

श्री मोहन लाल सक्सेना : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि यह कब बंद किया गया?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : गत वर्ष, यदि यह बताने में मुझसे भूल न हो।

कुमारी मनीषेन कारा : क्या यह सच नहीं है कि जिस समय यह अनुदान दिया गया था, उस समय सूचना और प्रसारण विभाग ने जो पद्धति अपनाई थी, उसी के अनुसार यह अनुदान दिया गया?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा यही विश्वास है।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय श्रम संघ ने अनुदान दिए जाने के बाद काफी समय तक कोई पद्धति निर्धारित नहीं की थी तथा महालेखा-परीक्षक ने उस प्रक्रिया पर धोर आपत्ति की जो विभाग द्वारा अपनाई गई थी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने अपने उत्तर के दौरान यह बताया है, यह अनुदान वास्तव में सूचना और प्रसारण विभाग द्वारा प्रशासित किया गया था। बाद में प्रशासन का कार्य श्रम विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया।

दीवान चमन लाल : क्यों?

कुमारी मनीषेन कारा : क्या यह सच नहीं है कि मई, 1944 से पूर्व संघ से कहा गया था कि वे वाउचर प्रस्तुत करना बंद कर दें और उनसे कहा गया था कि वे केवल लेखे प्रस्तुत करें और क्या उस विभाग के निदेशों के बावजूद भारतीय श्रम संघ (इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर) ने ऐसा नहीं कहा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं यह बताने में असमर्थ हूँ। यह मामला किसी अन्य विभाग ने प्रशासित किया था।

कुमारी मनीबेन कारा : क्या यह सच नहीं है कि युद्ध की समाप्ति के बाद यह अनुदान बंद कर दिया गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हाँ, मैंने यही कहा था।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : इनमें से कितने लोग जो इस अनुदान के अन्तर्गत 'समाचारों के प्रसार' के लिए प्रचारकों के रूप में पहले लगे हुए थे, सूचना और प्रसारण विभाग में काम पर लगा लिए गए थे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह प्रश्न सूचना और प्रसारण विभाग के माननीय सदस्य के समक्ष रखा जाना चाहिए।

श्री मोहन लाल सक्सेना : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह अनुदान युद्ध की समाप्ति या इसके बाद समाप्त किया गया था?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं ठीक से नहीं बता सकता।

श्री मोहन लाल सक्सेना : क्या यह अनुदान गत वर्ष अप्रैल, 1945 में समाप्त नहीं किया गया था?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हाँ।

दीवान चमन लाल : क्या मैं अपने माननीय मित्र से पूछ सकता हूं कि क्या अंतिम लेखाओं को लोक लेखा समिति के समक्ष रखा गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे विश्वास है कि समय के साथ उन लेखाओं को लोक लेखा समिति के समक्ष रखा जाएगा।

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या यह सच नहीं है कि इस 30,000 रुपये की राशि का दुरुपयोग किया गया? यह राशि उस प्रयोजन के लिए व्यय नहीं की गई जिसके लिए सरकार ने इस राशि का आवंटन किया था और यह राशि माननीय सदस्य की पार्टी के प्रचार-कार्यों पर व्यय की गई।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं मेरे माननीय मित्र के इस कथन का घोर विरोध करता हूं कि यह राशि पार्टी के प्रचार कार्यों के लिए व्यय की गई। आप अपने शब्द वापस लीजिए।

सभापति महोदय : शांति, शांति।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : उन्होंने यह नहीं कहा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हाँ, उन्होंने यही कहा था।

श्री अहमद ई. एच. जफर : माननीय सदस्य सदन मैं इस बात का खंडन करें और क्रोध में न आएं।

सभापति महोदय : शांति, शांति। क्या माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करेंगे? माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि माननीय श्रम सदस्य ने क्रोध दिखाया है।

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि माननीय सदस्य को क्रोध करने का अधिकार है जैसा कि वे प्रायः करते हैं।

डॉ सर जियाउद्दीन अहमद : माननीय सदस्य ने कहा है कि वह ऐसे प्रश्नों का जोरदार विरोध करते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने कहा कि मैंने जोरदार शब्दों में अपने माननीय मित्र द्वारा दिए गये सुझाव का विरोध किया है कि यह राशि उस पार्टी के लिए व्यय की गई है जिसका मैं सदस्य हूं। मैं भारतीय श्रम संघ (इंडियन लेबर फेडरेशन) का सदस्य नहीं हूं।

सभापति महोदय : मैं डॉ सर जियाउद्दीन की आपत्ति को ठीक से नहीं समझ पाया।

डॉ सर जियाउद्दीन अहमद : क्या माननीय सदस्य यह कह सकेंगे : “मैं किसी भी विशेष प्रश्न का जोरदार विरोध करता हूं।”

दीवान चमन लाल : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि यह राशि भारतीय श्रम संघ (इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर) के प्रचार के लिए व्यय की गई थी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं बता सकता। जहां तक सरकार की सूचना है, इसे उसी प्रयोजन के लिए व्यय किया गया जिसके लिए यह स्वीकृत की गई।

दीवान चमन लाल : क्या मैं अपने माननीय मित्र से पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस (ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस) जैसी इमानदार और श्रेष्ठ संस्था ने इस राशि में से एक पैसा तक व्यय करने से इनकार कर दिया?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र को यह अधिकार है कि वे कुछ संस्थाओं के बारे में अपनी राय रखें।

दीवान चमन लाल : क्या यह सच है कि इस मामले में माननीय मित्र ने अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस (ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस) से यह राशि न छूने के लिए आग्रह किया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हमने सभी संगठनों से आग्रह किया है। यह सामान्य परिपत्र था जो सभी संगठनों को संबोधित किया गया था कि यदि वे श्रमिकों के नैतिक बल की चिन्ता करते हैं और उसे बनाए रखने की कोई योजना रखते हैं तो भारत सरकार इस संबंध में सहायता देने को तैयार है। भारत सरकार ने किसी भी विशेष संगठन को इस योजना में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित नहीं किया है।

दीवान चमन लाल : क्या यह सच है कि केवल एक संगठन था जिसे माननीय सदस्य से आग्रह किया और इस राशि का उपयोग किया। क्या यह संगठन भारतीय श्रम संघ (इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर) था?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हाँ।

श्री अहमद झ. एच. जफर : क्या माननीय सदस्य अब इस निर्णय से संतुष्ट है जो कई पूरक प्रश्नों के फलस्वरूप लिया गया है कि इस राशि का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया गया और राशि के व्यय के बारे में संदेह है। इस दृष्टि से क्या माननीय सदस्य एक गैर सरकारी लेखापरीक्षक नियुक्त करेंगे जो इस राशि के लेखाओं की जांच करेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि यह आवश्यक है। यह मामला उस लोक लेखा समिति के समक्ष लाया जाएगा जिसे सदन द्वारा नियुक्त किया गया है।

दीवान चमन लाल : क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि माननीय सदस्य को यह मामला लोक लेखा समिति के समक्ष रखने में देर क्यों हुई?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसमें देर नहीं की गई है।

दीवान चमन लाल : क्या इस बात पर विचार किया गया है कि यह गत वर्ष बंद कर दिया गया था?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसमें देर नहीं की गई। इसे लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

दीवान चमन लाल : अभी तक इसे लोक लेखा समिति के समक्ष क्यों नहीं रखा गया?

सभापति महोदय : अगला प्रश्न कीजिए।

459

*सरकारी मुद्रणालयों में जूनियर रीडर

1635. हाजी चौधरी मोहम्मउ इस्माइल खां : (क) क्या माननीय श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी भारत सरकार मुद्रणालयों में स्थानापन्न जूनियर रीडरों को जूनियर रीडरों के स्थायी पदों पर स्थायी करने का आधार क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कॉपी होल्डरों के कर्तव्य और संवर्ग जूनियर रीडरों से नितांत भिन्न हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ स्थानापन्न रीडर जिन्होने जूनियर रीडर के ग्रेड में पहले प्रवेश किया था, उन कुछ कॉपी होल्डरों से जूनियर रीडर के ग्रेड में जूनियर घोषित किए हैं जो रीडर की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सके जबकि भारत सरकार प्रेस में कॉपी होल्डरों ने जूनियर रीडरों के साथ परीक्षा दी थी;

(घ) क्या यह सच है कि वह आदेश जिसके अन्तर्गत अर्हक कॉपी होल्डरों को जूनियर रीडर के पदों पर कार्य करने की अनुमति दी गई थी, बदला जा सकता है यदि वे अधिकतम संतोष के साथ अपनी कार्यदक्षता बनाए रखें; और

(ङ) क्या सरकार उन अर्हक कॉपी होल्डरों को जिन्होने स्थानापन्न जूनियर रीडरों के रूप में कुल मिलाकर अधिक सेवा की है, जूनियर रीडरों के स्थायी पक्षों में वरीयता देने की वांछनीयता पर विचार करेगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) कॉपी होल्डरों के पदों के स्थायीकरण वरीष्ठता के अनुसार किए जाते हैं किन्तु अपवाद यह है उन व्यक्तियों की बात अलग है यदि उन्होंने रीडर की परीक्षा तीसरे अवसर में उत्तीर्ण की है जिनके लिए कुछ पद आरक्षित किए गए थे।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी हाँ।

(घ) जी हाँ। यदि जूनियर कॉपी होल्डर को इससे पूर्व स्थायी न बना दिया गया हो।

(ङ) नहीं। वर्तमान नियम पूरे विचार के बाद बनाए गए हैं।

1636. *हाजी चौधरी मोहम्मद इस्माइल खां : (क) क्या माननीय श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में जूनियर रीडरों का वेतनमान रु. 55-3-85 और कॉपी होल्डरों का वेतनमान रु. 45-4-60-दक्षता रोक-5-80 (संयुक्त वेतनमान में 'सी' ग्रेड) है;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 8 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3649-50

(ख) क्या यह सच है कि अभी तक जूनियर रीडरों और कॉपी होल्डरों के वेतन में विषमताएं हैं क्योंकि स्थायी जूनियर रीडर अपनी चार या पांच वर्ष की सेवा करके केवल 64 रुपये प्रतिमास प्राप्त करता है जबकि अस्थायी कॉपीहोल्डर जूनियर रीडर के पद पर स्थानापन्न होने पर 67 रुपये प्रतिमास प्राप्त करता है।

(ग) क्या यह सच है कि ऊपर बताए गए मुद्रणालय के प्रबंधक ने अधिक सावधानी से जाँच करके जूनियर रीडरों को 'बी' ग्रेड दिए जाने की सिफारिश की है जो वर्तमान विषमताओं को दूर करने का केवल एकमात्र विकल्प है; और

(घ) क्या माननीय सदस्य इन विषमताओं को दूर करने के लिए यथा शीघ्र जूनियर रीडरों के संयुक्त वेतनमान के 'बी' ग्रेड की स्वीकृति का प्रस्ताव करते हैं; और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हां।

(ख) स्थायी जूनियर रीडर को चार वर्ष की सेवा पूरी करने पर 64 रुपये प्रतिमास और पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर 67 रुपये प्रतिमास पाने का अधिकार है। कुछ मामलों में यदि अस्थायी कॉपीहोल्डर को रीडर के पद नियुक्त किया जाए तो उसे 67 रुपये प्रति मास पाने का अधिकार है।

(ग) जी हां।

(घ) संयुक्त वेतनमान अस्थायी वेतनमान है और यह भारत सरकार के लिपिक कर्मचारी वर्ग के लिए बनाया गया था। इसे विशेष रूप से भारत सरकार के मुद्रणालयों के कॉपीहोल्डरों तथा जूनियर रीडरों के लिए बनाया गया था। संयुक्त वेतनमान में 'बी' ग्रेड के लागू किए जाने से अधिक विषमताएं और जटिलताएं उत्पन्न होंगी क्योंकि विभिन्न भारत सरकार मुद्रणालयों में अलग-अलग वेतन की दरों पर रीडरों के कई ग्रेड हैं।

460

*थोरियम के उपयोग

1642. श्री एम. के. जिनाचन्द्रन : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक कार्यों के लिए थोरियम के क्या उपयोग किए जाते हैं; और क्या यह वस्तु किसी सिविल प्रयोजन के लिए भी प्रयोग में लाई जा सकती है?

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 8 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3655

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाल ही की रिपोर्टों के अनुसार यह संभव लगता है कि क्रमिक प्रतिक्रियाओं में, जिनमें आणविक ऊर्जा उत्सर्जित हुई, यूरेनियम के कुछ अंश के स्थान पर थोरियम का उपयोग हो सकता है। थोरियम का उपयोग गैस मेंटल? लैम्प, रेडियो बाल्व आदि के निर्माण में किया जा सकता है।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : यह भारत में कहां पाई जाती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ट्रावंनकोर में।

श्री ए. करूणाकर मेनन : क्या ट्रावंनकोर से ही प्राप्त होती है अथवा भारत के किसी अन्य भाग से भी प्राप्त होती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे यह उत्तर देने के लिए नोटिस की आवश्यकता है

श्री मनु सूबेदार : क्या महामहिम की सरकार ने सरकार या भारत के बाहर किसी अन्य संस्था से कहा है ताकि थोरियम की सप्लाई पर नियंत्रण किया जाए और क्या सरकार किसी विशेष देश के साथ इस हेतु वचनबद्ध है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे पास ऐसे सुझाव के बारे में कोई सूचना नहीं है।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या सरकार अपने भौवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच करा रही है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस सुझाव को ध्यान में रखूँगा।

श्री ए. करूणाकर मेनन : क्या सरकार इस उत्पाद को किसी अन्य देश को निर्यात कर रही है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे पास कोई सूचना नहीं है। यदि मेरे माननीय मित्र को किसी सूचना की आवश्यकता है तो मुझे पर्याप्त समय का नोटिस दिया जाना चाहिए।

प्रोफेसर एन. जी. रंगा : क्या इसका निर्यात हो रहा है? यदि हां तो राष्ट्रीय सुरक्षा में इसके निर्यात को रोकने के लिए सभी सम्भव कार्यवाही की जानी चाहिए।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इसका पता लगाऊंगा।

461

*केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मुसलमान

1646. श्री मोहम्मद रहमत-उल्ला : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित पदों पर मुस्लिम कर्मचारियों का अनुपात क्या है;

(i) अधीक्षक इंजीनियर, (ii) एकजीक्यूटिव इंजीनियर, (iii) सहायक एकजीक्यूटिव इंजीनियर, (iv) सब-डिवीजनल अधिकारी, (v) अधीनस्थ कर्मचारी, (vi) हेड कल्क, (vii) डिवीजनल एकाउटेंट।

(ख) गजेटिड पदों पर मुसलमानों का अनुपात कम क्यों है;

(ग) मुसलमानों को जातीय आधार पर पदान्ति क्यों नहीं दी जाती है जबकि नियुक्तियां जातीय आधार पर की जाती हैं और इनका अनुपात कठिनाई से आठ प्रतिशत है;

(घ) निकट भविष्य में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थायीकरण की क्या नीति होगी, सभी पदों में अनुपात के समायोजन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) सब-डिवीजनल अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को किस आधार पर निर्माण और अनुरक्षण के कार्य आवंटित किए जाते हैं; यदि मुसलमानों को इन निर्माण कार्यों से वंचित रखा जाता है और इस बारे में चीफ इंजीनियर या अधीक्षक इंजीनियरों से शिकायत की जाती है तो सम्प्रदायवाद को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं;

(च) क्या यह सच है कि स्टोर या स्टैर्डड मेजरमेंट बुक्स मूस्लिम अधीनस्थ कर्मचारियों को आवंटित की जाती हैं; और क्या यह सच है कि उन्हें दिल्ली और बाहर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में निर्माण तथा रखरखाव के निर्माण कार्य नहीं सौंपे जाते?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) (i) अधीक्षक इंजीनियर - 6 प्रतिशत

(ii) एकजीक्यूटिव इंजीनियर - 17 प्रतिशत

(iii) सहायक एकजीक्यूटिव इंजीनियर - 14 प्रतिशत

(iv) सब-डिवीजनल अधिकारी - 17 प्रतिशत

(v) अधीनस्थ कर्मचारी - 22 प्रतिशत

(vi) हेड कल्क - 24 प्रतिशत

(vii) डिवीजनल एकाउटेंट के लिए आंकड़े तुरंत उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) अधीक्षक और एकजीक्यूटिव इंजीनियरों के पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं तथा अल्प-संख्यक जातियों के लिए नियुक्तियों के आरक्षण संबंधी आदेश उनकी पदोन्नति के मामलों में लागू नहीं किए जाते। इसलिए ऐसे पदों में मुसलमानों के लिए 25 प्रतिशत का कोटा सुरक्षित रखना संभव नहीं है। जहां तक ऐसे एकजीक्यूटिव इंजीनियरों का प्रश्न है जिनकी नियुक्ति सीधे हो अथवा पदोन्नति द्वारा की जाती है, मुसलमानों की कमी एक मुसलमान उम्मीदवार द्वारा उसे हाल ही में नियुक्ति का प्रस्ताव ठुकराये जाने के कारण है।

(ग) जैसा कि पहले ही कहा है, पदोन्नतियां जातीय आधार पर नहीं की जाती हैं।

(घ) सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों और सरकार के अन्तर्गत कोई स्थायी नियुक्तियां न रखने वाले अन्य अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण अल्प संख्यक जातियों की नियुक्तियों के आरक्षण के बारे में आदेशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जायेगा। परन्तु पदोन्नति द्वारा की गई नियुक्तियों के मामले में कोई भी समयोजन नहीं किया जाएगा परन्तु छटनी करने के लिए जातीय प्रतिनिधित्व नियमों के पालन के संबंध में आदेश यथोचित रूप से अपनाए जाएंगे।

(ङ) निर्माण और रखरखाव संबंधी कार्य जातीय आधार पर सब-डिवीजनल अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को आवंटित नहीं किए जाते।

(च) नहीं।

डॉ सर जियाउद्दीन अहमद : क्या मैं अधीक्षक इंजीनियर की नियुक्ति के बारे में पूछ सकता हूं कि क्या माननीय सदस्य ने सदन में यह कहा है कि एक स्थान रिक्त था और उन्होंने ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की है जो अधीनस्थ इंजीनियर का काम चलाने के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवार नहीं है जबकि जिन मुसलमानों में से जिस उम्मीदवार को नियुक्ति किया जा सकता था, उसकी नियुक्ति नहीं की गई है। मैंने सदन में यह भी बताया कि नियुक्ति वहां की जाएगी जब विधान सभा समाप्त होगी और हम स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे मित्र एकदम गलत सोच रहे हैं। मैंने कहा कि एकजीक्यूटिव इंजीनियर को इस पद पर मौजूदा कार्य करने के लिए कहा गया था। इस पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

डॉ सर जियाउद्दीन अहमद : आपने बताया कि वह अधीक्षक इंजीनियर का काम कर सकता है। मैं नहीं समझ पाता कि इस व्यक्ति का क्या कार्य है जब वह एक या दो दिन काम नहीं करता अपितु महीनों काम पर लगाया जाता है। क्या यही विभाग की कार्यक्षमता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र को ऐसी राय बनाए रखने का अधिकार है।

डॉ सर जियाउद्दीन अहमद : हमारा मत यह है कि पूरा विभाग अधिक अक्षम है। जहां तक अन्य नियुक्तियों की सूची का संबंध है जो वह एजीक्यूटिव इंजीनियर के पदों के बारे में रखते हैं, उनमें कोई भी मुसलमान नहीं हैं।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछेंगे?

डॉ सर जियाउद्दीन अहमद : मैं यह प्रश्न पूछता हूँ। क्या यह सच नहीं है कि अब जो सूची तैयार की गई है, उस सूची में मुसलमानों में से किसी की भी नियुक्ति नहीं की गई है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र यह कैसे जानते हैं? यह सूची मेरे पास नहीं आई है।

डॉ सर जियाउद्दीन अहमद : निष्कर्ष यह है कि कोई भी नियुक्ति के लिए मुसलमान को नहीं चुना गया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे माननीय सदस्य यह कैसे कह सकते हैं। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति।

डॉ सर जियाउद्दीन अहमद : क्या माननीय सदस्य इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि उस सूची से कोई भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं है जो उन्होने अधीक्षक इंजीनियर की नियुक्ति के लिए तैयार की है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा था, मेरे पास सूची नहीं है। यह फाईल मुझे नहीं भेजी गई है। माननीय मित्र को उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक विभाग कार्रवाई न कर ले और उसके बाद ही वह आलोचना कर सकते हैं।

डॉ सर जियाउद्दीन अहमद : उस समय तक बहुत देर हो जाएगी।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या माननीय सदस्य इस बात को मानने के लिए तैयार है कि जी.आर. गृह विभाग, 1934 के अन्तर्गत मुसलमानों का 25 प्रतिशत कोटा आरक्षित है जबकि अधीक्षक इंजीनियरों तथा अन्य पदों पर मुसलमानों की नियुक्ति का प्रतिशत 25 प्रतिशत से भी कम है और यदि हां तो क्या माननीय सदस्य इस कोटे को बनाए रखने के लिए कदम उठाएंगे?

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य ने इसका पहले ही उत्तर नहीं दिया है?

श्री अहमद ई. एच. जफर : नहीं, श्रीमन्!

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ये आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं।

श्री अहमद ई. एच. जफर : इसका अर्थ यह है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि मुसलमानों का कोटा 25 प्रतिशत से कम है। क्या मैं माननीय सदस्य से पूछ सकता हूँ कि क्या वह शीघ्र ही यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को तैयार हैं कि मुसलमानों के कोटे को समुचित रूप से निभाया जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य का ध्यान प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

डॉ सर जियाउद्दीन अहमद : यदि यह स्थिति स्वीकार कर ली जाती है तो कोई भी मुसलमान नियुक्त न होगा। माननीय सदस्य किसी अन्य व्यक्ति को काम करते रहने के लिए कहते रहेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : गृह विभाग द्वारा जो परिपत्र जारी किया गया है, उसके विरुद्ध वास्तविक शिकायत है और यह शिकायत श्रम विभाग के विरुद्ध नहीं है।

462

*औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : मैं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं से औपचारिक रूप से अपने अधीन रोजगार की शर्तों को परिभाषित करने की अपेक्षा करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ।

दीवान चमनलाल (पश्चिम पंजाब गैर मुसलमान) : मैं व्यवस्था के प्रश्न के रूप में क्या पूछ सकता हूँ कि यह विधेयक कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है जब कि दूसरे विधेयक पर विचार विमर्श किया जा रहा है? क्या यह उचित न होगा कि इस विधेयक पर तभी चर्चा की जाए जब पहले विधेयक पर बहस पूरी हो जाए?

सभापति महोदय : हमने दूसरे विधेयक पर अभी बहस शुरू नहीं की है जो सदन के समक्ष लम्बित है। यह विशुद्ध रूप से औपचारिक मामला है। यह अधिक सुविधाजनक है और जहां तक मैं समझता हूँ कि इसके पूर्व उदाहरण भी हैं। जहां

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 8 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3667

सदन के समक्ष विचाराधीन मामले को आस्थगित कर दिया गया है और दूसरे मामले पर विचार-विमर्श किया गया है। यह विशुद्ध रूप से प्रक्रिया तथा समायोजन का मामला है।

प्रश्न यह है :

“औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं से औपचारिक रूप से अपने अधीन रोजगार की शर्तों को परिभाषित करने की अपेक्षा रखने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।”

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन् मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

463

*सभा पटल पर रखे गये पत्र श्रमिक जाँच समिति के प्रतिवेदन

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन्, मैं श्रमिक जाँच समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

- (1) भारत के रेशम उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं के बारे में जाँच का प्रतिवेदन।
- (2) भारत में सीमेंट उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं के बारे में जाँच का प्रतिवेदन।
- (3) कार्पेट (कालीन) बुनाई में लगे श्रमिकों की दशाओं के बारे में जाँच का प्रतिवेदन।
- (4) कच्चे लोहे के उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं के बारे में जाँच का प्रतिवेदन।
- (5) क्वायर (नारीयल-जटा) की चटाइयों और चटाई उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं के बारे में प्रतिवेदन।
- (6) अभ्रक खनन और अभ्रक निर्माण उद्योग में लगे मजदूरों की दशाओं की जाँच पर प्रतिवेदन।
- (7) भारत में डॉकयार्ड के श्रमिकों की दशाओं की जाँच पर प्रतिवेदन।
- (8) शलौक उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं का प्रतिवेदन।
- (9) रिक्षा चालकों पर प्रतिवेदन।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 9 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3744

- (10) चावल की मिलों में लगे श्रमिकों की दशाओं पर प्रतिवेदन।
- (11) कॉच-उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं पर प्रतिवेदन।
- (12) बीड़ी, सिगार और सिगरेट उद्योगों में लगे श्रमिकों की दशाओं की जांच पर प्रतिवेदन।
- (13) भारत में पौधारोपण में लगे श्रमिकों की दशाओं पर प्रतिवेदन।
- (14) भारत में कोयला खनन उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं पर प्रतिवेदन।
- (15) मिटटी के बरतन बनाने में लगे श्रमिकों की दशाओं के बारे में प्रतिवेदन।
- (16) रसायनिक उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं पर प्रतिवेदन।
- (17) भारत में मेंगनीज खनन उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं की जांच-पड़ताल के बारे में प्रतिवेदन।
- (18) भारत में खनिज तेल उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं के बारे में प्रतिवेदन।
- (19) भारत में ऊनी कपड़ा उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं के बारे में प्रतिवेदन।
- (20) भारत में कागज कारखाना उद्योग में लगे श्रमिकों की दशाओं के बारे में प्रतिवेदन।

एस जेटी. एन.बी. गाडगिल (बम्बई सेण्ट्रल डिवीजन : गैर मुसलमान ग्रामीण) : इन पत्रों को परिचालित नहीं किया गया है। क्या माननीय सदस्य उन व्यक्तियों को ये पत्र सप्लाई करने की कृपा करेंगे जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं निश्चय ही इस बारे में विचार करूँगा। श्रीमन् हमारे पास पर्याप्त संख्या में प्रतियां नहीं हैं।

सभापति महोदय : इस समय निवेदन यह है कि उन सदस्यों को प्रतियां सप्लाई की जाएं जो उनकी मांग करते हैं।

464

*न्यूनतम मजदूरी विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन् मैं कतिपय रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का उपलब्ध करने वाले विधेयक कों पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 11 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3842

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

“कतिपय रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन् मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

465

*अभ्रक खान मजदूर कल्याण निधि विधेयक प्रवर समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (श्रम सदस्य) : श्रीमन् मैं अभ्रक खनन उद्योग में लगे मजदूरों के कल्याण को बढ़ावा देने संबंधी कार्यकलापों को वित्तपोषित करने हेतु निधि का गठन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

466

**थोरियम के निक्षेप

1740. श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि उस थोरियम के निक्षेप, जिनका उपयोग परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए किया जाता है, भारत के कई भागों में पाये गए हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य का ध्यान 26 मार्च, 1946 को ताराकित प्रश्न संख्या 1276 के सभा में दिए गए उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

श्री अहमद ई. एच. जफर : क्या सच है कि ट्रार्वनकोर रियासत में थोरियम के काफी निक्षेप पाए गए हैं और यदि हां तो क्या सरकार ने इनके निपटान के मामले में नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह निक्षेप भारतीय रियासत में है और भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

1743. सरदार मंगल सिंह : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 11 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3871

** वही, 12 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3873

(क) दिल्ली और नई दिल्ली की आवासीय इमारतों में लगाए जाने के लिए सरकार ने कितने रेफ्रीजिरेटर खरीदे हैं;

(ख) इन इमारतों के किराएँदारों को रेफ्रीजिरेटर किराए पर देने के क्या निबंधन और शर्तें हैं;

(ग) सम्पदा कार्यालय और लोक निर्माण विभाग के उन कर्मचारियों के विवरण क्या हैं जिन्हें अस्थायी और स्थायी रूप से रेफ्रीजिरेटर किराए पर दिए गए हैं;

(घ) क्या वे रेफ्रीजिरेटर केन्द्रीय विधानमंडल के माननीय सदस्यों के उपयोग के लिए सत्रों और समितियों के संबंध में सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए उन इमारतों में उपलब्ध नहीं हैं जिनमें वे ठहरते हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि कार्यालय और विभाग के अधिकांश कर्मचारियों को रेफ्रीजिरेटर उपलब्ध कराए गए हैं जिनके पास वे इमारतें नहीं हैं; और

(च) क्या सरकार यह प्रस्ताव करती है कि कार्यालय और विभाग के कर्मचारियों से रेफ्रीजिरेटर वापस लेकर केन्द्रीय विधानमण्डल के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाएं; यदि नहीं तो क्यों?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) 334

(ख) दिल्ली और नई दिल्ली में रेफ्रीजिरेटर के आवंटन के लिए नियमों के निबंधन और शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं और इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

(ग) केवल एक अधिकारी अर्थात् अपर चीफ इंजीनियर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को ग्रीष्म ऋतु 1946 के लिए आवंटित किया गया है।

(घ) नहीं।

(ङ) नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

दीवान चमनलाल : (घ) के उत्तर के संदर्भ में क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या रेफ्रीजिरेटर विधान सभा के सदस्यों को उपलब्ध नहीं हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नियमों के अधीन रेफ्रीजिरेटर उपलब्ध नहीं है।

श्री मनु सूबेदार : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि उन रेफ्रीजिरेटरों का क्या हुआ जो युद्ध के दौरान निजी व्यक्तियों से सरकार द्वारा लिए गए थे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे इसका उत्तर देने के लिए नोटिस की आवश्यकता है।

467

***गृह संख्या 42-वीं, हनुमान लेन, नई दिल्ली का अधिग्रहण**

1756. श्री पी. बी. गोले : (क) माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा अधिगृहीत गृह संख्या 42-वीं, हनुमान लेन, नई दिल्ली काफी समय से खाली पड़ा है, क्या सरकार उस खाली गृह का किराया चुका रही है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा यह गृह अधिगृहीत होने से पूर्व श्री मनोहर लाल तुली के अधिकार में था;

(ग) क्या सच है कि जब श्री मनोहर लाल द्वारा गृह खाली किया गया था तब वह जीर्ण अवस्था में था और इसके फलस्वरूप किसी भी आवंटी ने इसे लेना स्वीकार नहीं किया;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार अब उस गृह को देने का विचार रखती है; जब इस गृह को कोई लेने को तैयार नहीं था तो इसे पहले ही क्यों नहीं छोड़ दिया गया; और

(ङ) वह लगभग तारीख क्या होगी जब सरकार गृह को छोड़ देगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) यह गृह 15 सितंबर, 1945 को एक अधिकारी को आवंटित किया गया था परन्तु चूंकि उस अधिकारी ने उस गृह पर अपना अधिकार नहीं किया अतः वह उसी तारीख से खाली पड़ा हुआ है। सरकार उस अवधि का किराया अदा कर रही है जिन दिनों में वह गृह खाली रहा।

(ख) जी हाँ।

(ग) नहीं।

(घ) जी हाँ। प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न के अंतिम भाग का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) लगभग 15 अप्रैल, 1946 ।

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 13 मार्च, 1946, पृष्ठ 3886

468

*मर्चेण्ट नेवी के अधिकारियों पर राष्ट्रीय श्रमिक न्यायाधिकरण अध्यादेश (नेशनल लेबर ट्रिब्यूनल आर्डिनेंस)

1757. कुमारी मनीबेन कारा : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1944 में भारतीय रजिस्ट्री के जहाजों के प्रमाणित अधिकारियों पर लागू किया गया राष्ट्रीय श्रमिक न्यायाधिकरण अध्यादेश नेशनल लेबर ट्रिब्यूनल आर्डिनेंस) आपातकालीन कानून था;

(ख) क्या सरकार के विचार में वैसी ही आपातकाल की स्थिति अब मौजूद है; यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नाविकों की स्वतंत्रता पर लगाए गए उन प्रतिबंधों की दृष्टि से, जो अध्यादेश ने लागू किए हैं, सरकार का प्रस्ताव है कि इस अध्यादेश को शीघ्र ही प्रतिसंहरण किया जाए जहाँ तक मर्चेण्ट नेवी के अधिकारियों का संबंध है?

माननीय डॉ. बी. आर. अच्छेड़कर : (क) जी हाँ।

(ख) नहीं।

(ग) राष्ट्रीय सेवा (तकनीकी कर्मचारीवर्ग) अध्यादेश, 1940 के उपबंधों को फरवरी, 1946 से शिथिल कर दिया गया है और अब उनका उपयोग तकनीकी कर्मचारियों को राष्ट्रीय सेवा में सम्मिलित करने में नहीं होता। तकनीकी कर्मचारियों की गतिविधियों पर नियंत्रण, राष्ट्रीय महत्व के कार्य पर लगे तकनीकी कर्मचारियों के सिवाय शिथिल कर दिया गया है। जहाजों के पायलेटों के मामले में अध्यादेश के उपबंध अप्रैल, 1946 के अंत: तक उन्हें अपने कर्तव्य के पदों पर रखने के लिए आवश्यक कार्यक्षेत्र में आहवान करते हैं। इस तारीख तक यह आशा की जाती है कि इन क्रियाओं से नियंत्रण हटा लिया जाए जब तक यह न पाया जाए कि बन्दरगाहों पर आयातित, खाद्यात्रों के शीघ्र निपटाने के हित में वह आवश्यक है। यह प्रस्ताव है कि अप्रैल, 1946 के अंत तक अन्य टेक्नीकल कर्मचारियों के आने-जाने पर लगाए गए सभी नियंत्रण हटा लिए जाएं।

कुमारी मनीबेन कारा : क्या माननीय श्रम सदस्य इस बात से अवगत हैं कि विशेषकर भारतीय कम्पनियों द्वारा भारतीय मर्चेन्ट नौ (नेवल) अधिकारियों के विरुद्ध

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 12 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3887

इस अध्यादेश का उपयोग होता है क्योंकि इस अध्यादेश के खतरे के अन्तर्गत मर्चेन्ट नौ-अधिकारियों को परेशान किया जाता है? मैं भारतीय मर्चेन्ट नेवी के पायलटों के बारे में नहीं कह रही हूँ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस तथ्य से अवगत नहीं हूँ परन्तु यदि विशेष उदाहरण मेरे ध्यान में लाए जाएं तो मैं इस मामले पर ध्यान दूँगा।

कुमारी मनीबेन कारा : क्या यह सच नहीं है कि सिंधिया कम्पनी (इंडिया) द्वारा इस अध्यादेश के उपयोग के विरुद्ध मेरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया (भारत की जहाजी संघ) द्वारा कुछ अपील की गई थी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं फिलहाल उत्तर देने में असमर्थ हूँ और मुझे उत्तर देने के लिए नोटिस की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को नोटिस की आवश्यकता है।

469

*दिल्ली, नई दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में बिजली की सप्लाई की दरें

1771. पंडित ठाकुरदास भार्गव : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और बम्बई की तुलना में दिल्ली और नई दिल्ली की बिजली की सप्लाई की दरें क्या हैं;

(ख) इसमें क्या कारण हैं कि कलकत्ता और बम्बई के समान दिल्ली और नई दिल्ली की दरें एक जैसी क्यों नहीं हैं; और

(ग) क्या निकट भविष्य में आशा की जाती है कि दिल्ली में दरें कम हो जाएंगी?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

(ख) दिल्ली और नई दिल्ली में रोशनी तथा पंखों की दरें पहले ही से समान हैं। पॉवर की दरों में कुछ अंतर को दूर करने के बारे में विचार किया जा रहा है। एक ओर नई दिल्ली और दिल्ली तथा दूसरी ओर कलकत्ता या बम्बई की दरों में

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 12 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3897

अन्तर का कारण यह है कि कलकत्ता और बम्बई में घरेलू और औद्योगिक बिजली की खपत अधिक है तथा इन नगरों में दिल्ली और नई दिल्ली के छोटे कारबारों की तुलना में बड़े कारबार होने से बिजली और उसकी दरों का बेहतर संतुलन है। इसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान की परिस्थितियों में अन्तर होता है तथा इस बात पर भी अधिक निर्भर होना पड़ता है कि किस प्रकार के जेनेरेटर प्लांट उपयोग में आ रहे हैं तथा प्लांट से संबंधित अन्य सुविधाएं क्या हैं।

(ग) यह संभव नहीं है कि इस समय इस विषय पर कोई वक्तव्य दिया जाए परन्तु माननीय सदस्य इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि इस मामले पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है।

470

*दिल्ली केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का गठन

1772. पंडित ठाकुरदास भार्गव : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) दिल्ली केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण कम्पनी लिमिटेड में कौन-कौन सदस्य हैं;
- (ख) क्या यह सच है कि एक भारतीय के अलावा बोर्ड के सभी सदस्य युरोपीय हैं;
- (ग) क्या यह सच है कि दिल्ली नगरपालिका के सदस्य को बोर्ड का प्रतिनिधि बनाया गया है;
- (घ) क्या यह सच है कि दिल्ली नगरपालिका बोर्ड में एक सदस्य की अपेक्षा दो सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व चाहती है;
- (ङ) क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि दिल्ली इलेक्ट्रिक और ट्रेक्शन कंपनी लिमिटेड को अपने हाथ में ले ले और क्या ऊपर बताई गई कंपनी का दिल्ली सेण्ट्रल इलेक्ट्रिक पॉवर ऑथोरिटी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में प्रतिनिधि था; और
- (च) सरकार को दिल्ली इलेक्ट्रिक एण्ड ट्रेक्शन कम्पनी, लिमिटेड को अपने हाथ में लेने के बाद उसका भी प्रतिनिधित्व दिल्ली नगरपालिका को देकर नगरपालिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में कोई आपत्ति है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) शायद माननीय सदस्य दिल्ली सेण्ट्रल इलेक्ट्रिक पॉवर ऑथोरिटी का उल्लेख कर रहे हैं। इसकी सदस्यता इस प्रकार है:

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 12 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3899

- (1) गवर्नर जनरल इन कौसिल;
 - (2) दिल्ली फैक्ट्रीज ओनर्स फेडरेशन;
 - (3) कमांडर, दिल्ली स्वतंत्र ब्रिगेड क्षेत्र;
 - (4) पंजाब चैम्बर ऑफ कार्मस;
 - (5) दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रेक्शन कम्पनी, लिमिटेड;
 - (6) नई दिल्ली म्यूनिसियल कमेटी।
- (ख) जी हाँ।
- (ग) नहीं।

(घ) 1938 में दिल्ली म्यूनिसियल कमेटी की यही स्थिति थी जब दिल्ली सेंट्रल इलेक्ट्रिक पॉवर ऑथोरिटी स्थापित की गई थी। उस समय से यह प्रश्न ही नहीं किया गया।

(ङ) जी हाँ।

(च) चूंकि दिल्ली म्यूनिसियल कमेटी दिल्ली सेंट्रल इलेक्ट्रिक पॉवर ऑथोरिटी लिमिटेड की सदस्य नहीं है इसलिए उसे अतिरिक्त प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

471

*भारत में खनिज संसाधनों के बारे में डॉक्टर कृष्णन के सुझाव

1773. प्रोफेसर एन.जी. रंगा : क्या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय सदस्य का ध्यान 14 मार्च को प्रेसीडेंसी कॉलेज, मद्रास के भूविज्ञान संघ के डॉक्टर एम.एस. कृष्णन के भाषण की उस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है जो 14 मार्च के “हिन्दू” समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था;

(ख) इस बात के लिए क्या कदम उठा गए हैं कि पर्याप्त मात्रा में ताँबा, चाँदी, निकिल, प्रोटेनियम, टीन, पारा, ग्रेफाइट और पोटाश के सुरक्षित भंडार बनाए जाए;

* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 12 मार्च, 1946, पृष्ठ 3899

(ग) इस बात के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि उन सभी प्रांतों में हाइड्रोलिक (इलेक्ट्रिकल) पॉवर संसाधनों को विकसित किया जाए और उनका शोषण किया जाए जहां कोयले की खाने समीप नहीं है ताकि स्थानीय उद्योगों को विकसित किया जाए;

(घ) इस बात के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि वायु से पॉवर संचित की जाए और यह कार्य वायुचालित मिलों द्वारा सम्पन्न किया जाए तथा वायुचालित मिलों को अधिक लोकप्रिय बनाया जाए; और

(ङ) क्या डॉक्टर कृष्णन का “विभिन्न खनिजों की गुणवता और मात्रा के मूल्यांकन” के लिए “सुसज्जित प्रयोगशालाओं” की स्थापना का सुझाव और इसके अलावा स्थानीय उपलब्ध खनिजों की उपयोगिता के लिए सुझाव को निर्यात की तुलना में वरीयता दी जाएगी और क्या इस बारे में पूर्णतया अध्ययन किया जाएगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) जी हां।

(ख) युद्ध के दौरान सरकार के विचाराधीन एक प्रस्ताव था कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण खनिजों और संबंधित पदार्थों का रणनीति की दृष्टि से भंडार बनाया जाए; परन्तु यह सफल नहीं हुआ। सरकार अपनी खनिज की नीति के संशोधन किए जाने के लिए विचार कर रही है और इन खनिजों के भंडार बनाने हेतु समुचित ध्यान दिया जाएगा जिनकी सप्लाई की दृष्टि से मात्रा बहुत कम हैं।

(ग) साधारणतया यह कहा जा सकता है कि प्रांतीय और रियासतों की सरकारें ऐसी जाँच-पड़ताल के लिए उस समय उपलब्ध टेक्नीकल मानव शक्ति की अधिकतम सीमा तक जल वैद्युत संसाधन (हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पॉवर रिसोर्सेज) के विकास और शोषण के लिए कदम उठा रही है। सेण्ट्रल टेक्नीकल पॉवर बोर्ड पहले ही अपनी मानवशक्ति की मौजूदा कर्मचारियों की सीमा के अधीन कुछ मामलों में सहायता कर रहा है और इससे भी अधिक सहायता तब करेगा जब पर्याप्त टेक्नीकल कर्मचारी वर्ग उपलब्ध हो जाएगा। सरकार इस तथ्य से पूर्ण अवगत है कि देश भर में आज की अपेक्षा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक सिस्टम के विकास की कहीं अधिक आवश्यकता है और विशेषकर उन क्षेत्रों में अधिक आवश्यकता है जो बड़े-बड़े कोयला निक्षेपों से दूर हैं परन्तु सरकार का यह विचार है कि वर्तमान व्यवस्था की अपेक्षा ठेके पर अधिक अनुभवी टेक्नीकल कर्मचारीवर्ग द्वारा ही उसमें सफलता मिल सकती है।

(घ) भारत सरकार इस समय वायु से पॉवर संचित करने तथा वायुचालित मिलों को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठा रही है। सकार को यह

सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के संस्थापन जबकि वे चयनित क्षेत्रों में मौसम विज्ञान संबंधी दशाओं पर आश्रित होते हैं, वैकल्पिक रूप से बहुत ही कम पॉवर उत्पादन कर पाते हैं और वह भी रूक रूक कर होता है।

(ड) भारतीय भौवैज्ञानिक सर्वेक्षण को हाल ही में पुनर्गठित किया गया है और उसकी प्रयोगशाला की सुविधाओं का काफी विस्तार किया गया है। इसके अलावा खनिज और खनन के मामलों में निःशुल्क सलाह और सूचना उपलब्ध कराने की दिशा में विस्तार करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। हाल ही में नियोजित राष्ट्रीय धातुकर्मीय और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशालाओं को सुसज्जित किया जाएगा ताकि भारतीय खनिजों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा सके और अन्य दिशाओं में खनिज उद्योगों के विकास में अधिक सहायक सिद्ध हो। भारत के खनिजों तथा खान के कच्चे माल को घरेलू काम तथा उपयोग के लिए उनके कच्चे रूप में निर्यात की अपेक्षा वरीयता दी जा रही है और इस बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। 1944 से अनेक औद्योगिक पैनल स्थापित किए गए हैं और इस बारे में मूल्यवान सूचना और आंकड़े एकत्र किए गए हैं जिनका अध्ययन नयी खनिज नीति के बनाने के लिए किया जा रहा है।

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : भाग (ग) के संबंध में माननीय सदस्य बताते हैं कि हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पॉवर (जल वैद्युत पॉवर) संसाधनों के विकास के लिए अभी कई विशेषज्ञों की आवश्यकता है। सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है कि इन विधाओं में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित क्षमताओं और योग्यताओं के भारतीय मिलें ताकि उनकी सेवाओं का उपयोग हो सके?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इन विशिष्ट व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु कई भारतीयों को विदेश भेजा गया है।

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : विद्यार्थियों को विदेश भिजवाने की इस नई योजना के भाग अन्तर्गत?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इनके अलावा अन्य ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेश भेजे गए हैं।

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : भाग (घ) के संदर्भ में मेरे माननीय सदस्य ने उस सुझाव की अवहेलना कर दी कि वायु शक्ति का उपयोग किया जाए और उस बारे में यह कह दिया कि इससे रूक रूक कर शक्ति उत्पन्न होती है और उसके अलावा

कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। इस तथ्य की दृष्टि से, हजारों किसान इन वायु चालित मिलों में रुचि लेते हैं, क्या सरकार अधिक सावधानी से इस मामले में ध्यान देगी और ऐसे तरीके निकालेगी जिनके द्वारा सरकार यथासंभव हमारे किसानों और अन्य व्यक्तियों की सहायता कर सके ताकि वायु से यथासंभव अधिक शक्ति प्राप्त की जाए और इस प्रकार किसानों की सहायता की जाए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैने कहा था, यह योजना इस बात पर निर्भर है कि किस विशेष क्षेत्र में कितनी वायु उपलब्ध है।

प्रोफेसर एन.जी. रंगा : देश में कई मौसम विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और उनके लिए यह संभव होना चाहिए कि वे कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं और यह देखें कि देश के अलग-अलग भागों में वायु के उपयोग द्वारा कितनी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हाँ। हमने इस पर विचार कर लिया है।

472

*सेना से हटाये गए सैनिक अधिकारियों को सिविल सेवा में नियुक्त किया जाना

214. सेठ सुखदेव : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि सेना से हटाये गए कितने सैनिक अधिकारियों को गत छः महीनों में केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में सिविल सेवा में ले लिया गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मांगी गई जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर माननीय सदस्य के पास भेज दी जाएगी।

अनुक्रमणिका

अतोलित खुदरा, 124

- अनन्तशायनम आयंगार, एम., 47-49, 51, 59-60, 74, 94, 104, 121, 124, 131, 137, 145, 147, 166
- अब्दुर रहीम, सर, 17, 18, 20
- अब्दुल क्यूम, 6-9, 20, 23
- अब्दुल गनी, मौलवी मोहम्मद, 25, 27, 34
- अब्दुल बासिथ चौधरी, दीवान, 2, 4, 10
- अविनाशलिंगम चेटिट्यार, 15, 16, 18, 25, 28, 33, 42, 43
- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 67, 163, 164
- अधिग्रहीत मकान, 132, 136
- अधीक्षक इंजीनियर, 76, 89, 109, 181
- अभ्रक, 105
- अभ्रक उद्योग, 43, 74
- अभ्रक खाने, 11, 38, 148-49
- अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि विधेयक, 170, 186
- अभ्रक नियंत्रण आदेश, 75
- असम परियोजनाएं, 2, 4
- अस्थायी इमारतें, 58, 74
- आदित्य, एस. टी., 98, 138
- आवंटन नियम, 151
- आवश्यक सेवा अध्यादेश, 24
- आवास, 53, 61, 152
- आवास व्यवस्था, 48
- आवासीय सम्पत्ति, 169
- आसफ अली. एम., 60
- औद्योगिक कामगार, 79
- औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) विधेयक, 183
- औद्योगिक स्थापनाएं, 36
- इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, 137
- इस्माइल खां, हाजी चौधरी मोहम्मद, 107-08, 177
- करमारकर, डी.पी. 112
- कृष्णनन, डा. एम.एम., 192
- कागज, हाथ का बना हुआ, 52
- काज़मी, काजी मोहम्मद अहमद, 37
- कानूनी नियमावली, 102
- कॉपी होल्डर, 92
- कामगार मुआवजा अधिनियम, 3, 5

- कारखाना अधिनियम, 12
- कारखाना संशोधन विधेयक, 170
- कार्मिक संघ, 79
- कार्य करने के घंटे, 71
- काश, कुमारी मनीबेन, 127, 173–74, 189–90
- किराया नियंत्रण आदेश, 61, 128
- केंटीन, 36
- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, 14, 25, 66, 78, 81, 93, 96, 104, 109, 114, 120, 141–43, 150, 153–54, 159, 180
- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, 29
- कोयला खान, 63–64, 68, 110, 118
- कोसी नदी, 91
- खनिज संसाधन, 192
- गृह-निर्माण कार्यक्रम, 69
- गाडगिल, एस.जे.टी.एन.वी., 166, 185
- गोले, पी.वी., 188
- गोविन्द दास, सेठ, 52, 53, 115, 117–18
- घियासुद्दीन, एम, 45–46
- चमनलाल, दीवान, 112, 139, 166, 169, 172–76, 183, 187
- चीनी कारखाने, 159
- जफर अहमद ई.एच., 77, 81–89, 118, 120, 132, 136, 141–45, 174–76, 182–83, 186
- जफर अली खां, मौलाना, 77, 82, 92, 162
- जिनाचन्द्रन, एम.के., 178
- जियाउद्दीन अहमद, डा. सर, 32, 34, 35, 76, 78, 109, 117, 175, 181–83
- जिल्लानी, खान बहादुर मरबदूम अल-हज सईद शेरशाह, 93
- जूनियर रीडर, 177
- जेरेंमी रेसमैन, 17
- जोधपुर रेलवे, 97, 101
- जोशी, एन.एम., 24–25, 45
- टाइपराइटर, 139–40
- टाउन प्लानिंग अधिकारी, 51
- टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स, 33, 35
- तकनीकी उद्योग, 16
- तकनीकी केन्द्र, 32
- थोरियम, 139, 178, 186
- दामोदर स्वरूप, एस.जे.टी. सेठ, 148–49
- दामोदर घाटी विकास योजना, 57, 160
- दिल्ली केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, 191
- दिल्ली स्टोर सब-डिवीजन, 87
- धनबाद सब-डिवीजन, 19
- नायडू जी संगैया, 22
- नियोगी, के.सी., 17, 19, 31, 53–55, 61–64
- नौमेन, मोहम्मद, 94
- नैरंग, सैयद गुलाम मिक, 14
- न्यूनतम मजदूरी विधेयक, 185

- परिवार बजट जांच रिपोर्ट, 121
- प्रसूति लाभ, 15
- पॉलिटेक्निक, 35
- पांडे बद्री दत्त, 13, 39, 41–43
- पालीवल, पं. कृष्ण दत्त, 105
- बंधुआ मजदूर, 94
- बलूचिस्तान, 20
- बिजली की दरें, 190
- बागवानी डिवीजन, 142
- बिजली (आपूर्ति) विधेयक, 58
- ब्रिटिश अमेरिकन अभ्रक मिशन, 44
- बोविन ट्रेनिंग योजना, 10, 11, 46, 55
- बोविन प्रशिक्षणार्थी, 56, 57
- बोविन लड़के, 55
- भार्गव पं. ठाकुरदास, 128, 190–191
- भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक, 67
- भारतीय खनन संशोधन विधेयक, 47
- भारतीय खनन स्कूल, धनबाद, 163
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, 53–54, 193
- भारतीय श्रम संघ, 171
- भारत सरकार मुद्रणालय, 6–9, 13, 28, 37, 107, 108, 167
- मंगल सिंह सरदार, 96, 100, 157–59, 186
- मजदूरी सदाय अधिनियम, 97
- मुदालियर, दीवान बहादुर सर ए. रामास्वामी. 166
- मुसलमान, 89, 95, 108–09, 114, 180
- महंगाई, 37
- महिला कामगार, 15
- मेनन, ए. करुणाकर, 179
- मुस्लिम अधिकारी, 78, 81, 93, 144
- यामीन खां, सर मोहम्मद, 27, 33, 130
- युद्धकालीन अस्थायी ढांचे, 71
- यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी चेपल, 138
- यूरेनियम, 139
- श्रंगा, प्रो. एन. जी., 2, 37–41, 59, 68, 86, 89, 110–11, 117–20, 127, 130, 131, 138, 141, 143, 145, 148, 162–63, 165–67, 174, 179, 192, 194
- रहमत-उल्ला, मोहम्मद, 76–78, 89, 180
- रामनारायण सिंह, बाबू, 43, 44, 74, 75, 150–54, 160–63
- राष्ट्रीय श्रमिक न्यायाधिकरण अध्यादेश, 189
- रोजगार और पुनर्वास निदेशालय, 113
- रेडिड्यार, सर आर. वेंकट सुब्बा, 58
- रेफ्रीजिरेटर, 187
- रेलवे कोयला खाने, 21, 23
- लक्ष्मणतीर्थ नदी, 112
- लल्लु भाई, वादीलाल, 71, 79, 113

- लालचन्द नवलराय, 42, 43
 लोक उपयोगिता संस्थाएं, 28
 वाइसरीगल एस्टेट, 157, 159
 वाइसरीगल सम्पदा डिवीजन, 100
 विद्युत इंजीनियरी, 95
 वेतनमान, 37
 शोभा सिंह, सरदार, 147
 श्रम विभाग, 32, 77, 84, 144
 श्रमिक जांच समिति, 184
 श्रमिक सम्मेलन, 47
 श्रीप्रकाश, 66, 86, 115
 सत्यनारायण सिंह, 91, 105, 120,
 171-73
 संतसिंह, सरदार, 29, 30
 सक्सेना, मोहन लाल, 60, 116, 118,
 165, 173-74
 सम्पदा कार्यालय, 93
 सरकारी आवास, 145, 151
 सरकारी आवास-गृह, 158
 सरकारी इमारतें, 49
 सरकारी क्वार्टर, 31, 39, 104
 सरकारी कर्मचारी, 30
 सरकारी मुद्रणालय, 92, 105, 116,
 177
 साफ्ट कोक, 17
 सान्याल, शशांक शेखर, 59, 60
 सिंचाई का क्षेत्र, 20
 सुखदेव सेठ, 97, 101-02, 195
 सुबेदार, मनु, 39, 59, 69, 71, 86,
 99, 112, 130, 132, 139, 143, 173,
 179, 187
 सुब्बारायण, श्रीमती के राधाबाई, 1, 2,
 11, 12, 21, 22
 सुत्री मज्जिस-ए-अवकाफ, 25, 26
 सेठ, हाजी अब्दुस सत्तार हाजी इसाक,
 86, 89
 स्थायी श्रमिक समिति, 46, 47
 हड़ताल, 167
 हसन सुहरावर्दी, सर, 61
 हार्केनेस, 51
 हारून, सेठ यूसुफ अब्दुल्ला, 95,
 114-15
 हिन्दू पिछड़ी जातियां, 45-46
 हिरे, एस.जे.टी.बी.एस., 159
 हेगडे, के.वी.जिनाराजा, 28, 29, 36,
 37

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

DR. AMBEDKAR FOUNDATION

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

निदेशक
DIRECTOR

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

23320571
23320589
23320576
FAX : 23320522

15, जनपथ,
15, JANPATH
नई दिल्ली - 110001
NEW DELHI-110001

दिनांक — 31.10.2019

रियायत नीति (Discount Policy)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पहले के नियमों के अनुसार CWBA वॉल्यूम के संबंध में रियायत नीति (Discount Policy) जारी रखें। तदनुसार, CWBA इंगिलिश वॉल्यूम (डिलक्स संस्करण—हार्ड बाउंड) के एक पूर्ण सेट की कीमत और CWBA हिंदी वॉल्यूम (लोकप्रिय संस्करण—पेपर बाउंड) के एक पूरे सेट की कीमत निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	सीडब्ल्यूबीए सेट	रियायती मूल्य प्रति सेट
	अंग्रेजी सेट (डिलक्स संस्करण) (वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 17)– 20 पुस्तकें।	रु 2,250/-
	हिंदी सेट (लोकप्रिय संस्करण) (खंड 1 से खंड 40 तक)– 40 पुस्तकें।	रु 1073/-

2. एक से अधिक सेट के खरीदारों को सेट की मूल लागत (Original Rates) यानी रु 3,000/- (अंग्रेजी के लिए) और रु 1,430/- (हिंदी के लिए) पर छूट मिलेगी जो कि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	विशेष	मूल लागत पर छूट का प्रतिशत
	रु 1000/- रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	10%
	रु 1001–10,000/- रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	25%
	रु 10,001–50,000/- रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	33.3%
	रु 50,001–2,00,000/- रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	40%
	रु 2,00,000/- से ऊपर की पुस्तकों की खरीद पर	45%

3. इच्छुक खरीदार प्रतिष्ठान की वेबसाइट : www.ambedkarfoundation.nic.in पर विवरण के लिए जा सकते हैं। संबंधित CWBA अधिकारी / पीआरओ को स्पष्टीकरण के लिए दूरभाष नंबर 011–23320588, पर कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

देवेन्द्र प्रसाद माझी

(देवेन्द्र प्रसाद माझी)
निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

बाबाराहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वार्ड्रम्य

- खंड 01 भारत में जातिप्रथा—एवं जातिप्रथा—उन्मूलन, भाषायी प्रांतों पर विचार, रानडे, गांधी और जिन्ना आदि
- खंड 02 संवैधानिक सुधार एवं आर्थिक समस्याएं
- खंड 03 डॉ. अम्बेडकर—बंबई विधान मंडल में
- खंड 04 डॉ. अम्बेडकर—साइमन कमीशन (भारतीय सांविधिक आयोग) के साथ
- खंड 05 डॉ. अम्बेडकर — गोलमेज सम्मेलन में
- खंड 06 हिंदुत्व का दर्शन
- खंड 07 क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स आदि
- खंड 08 हिंदू धर्म की पहेलियां
- खंड 09 अस्पृश्यता अथवा भारत में बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी
- खंड 10 अस्पृश्य का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, पूना पैकट
- खंड 11 ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त प्रबंध
- खंड 12 रुपये की समस्या : इसका उद्भव और समाधान
- खंड 13 शूद्र कौन थे
- खंड 14 अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने
- खंड 15 पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन
- खंड 16 कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया
- खंड 17 गांधी एवं अछूतों का उद्घार
- खंड 18 डॉ. अम्बेडकर — सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में
- खंड 19 अनुसूचित जातियों की शिकायतें तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी महत्त्वपूर्ण पत्र—व्यवहार आदि
- खंड 20 डॉ. अम्बेडकर — केंद्रीय विधानसभा में (1)
- खंड 21 डॉ. अम्बेडकर — केंद्रीय विधानसभा में (2)

ISBN (सेट) : 978-93-5109-149-3

रियायत नीति के अनुसार

सामान्य (पेपरबैक) खंड 01-40

के 1 सेट का मूल्य : ₹ 1073/-

प्रकाशक :

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

15, जनपथ, नई दिल्ली — 110 001

फोन : 011—23320571

जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011—23320588

वेबसाइट : <http://drambedkarwritings.gov.in>

ईमेल : cwbadaf17@gmail.com

